खण्ड–508, अंक–05
बुधवार, 02 श्रावण, शक संवत् 1941
(24 जुलाई, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र वर्ष, 2019)

(खण्ड 508 में 07 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

76 स्प ए ;1.479द्ध लमे

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1-8
प्रश्नोत्तर	...	9-148
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	...	148
वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 100-100 हैण्डपम्प न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	...	148
उ0प्र0 सरकार के मंत्री द्वारा अध्यक्ष पीठ पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना		148
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	149
विपक्ष द्वारा नियम-300 की सूचना को पुनः सुने जाने की मांग	...	149-150
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं		150-151
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अन्तर्गत महादेवा-लालगंज मार्ग तथा देइसाड से बानपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	151-152
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन आई0टी0आई0 का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	152
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ससुर खेखरी नदी में रानीपुर, दामपुर व मखेउवा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	152-153
जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन में ग्राम सिहारी दाउदपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	153
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत गजरौला नगर के एम0डी0ए0 स्थित पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	153
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर अन्तर्गत खिदौड़ा गांव में बसों का नियमित संचालन बन्द होने से स्कूली छात्रों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	154

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत खजुरी गढ़ी रासो नगरिया मार्ग से ब्रह्म नगला मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	154
जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की सड़कों की मरम्मत व खड़ण्जा बनवाये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	155
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत आई स्पर्श योजना की शेष धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	155
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	156
जनपद जौनपुर के कतिपय ब्लाकों के अन्तर्गत चेकडैम व ट्यूबवेल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	156
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत कतिपय मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	157
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	157
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बी0के0टी0 के अन्तर्गत राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	157
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सुराजपुर के पुल की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	158
जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	158-159
जनपद एवं परगना तहसील, सहारनपुर के ग्राम मोहम्मदपुर माफी की कतिपय भूमि को मण्डलायुक्त सहारनपुर के आवासीय/अनावासीय भवन के लिए आरक्षित करने से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	159
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम सभा सरउज बड़ेवर में गोमती नदी पर नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	160

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद फिरोजाबाद अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कतिपय सुविधाओं हेतु धनराशि जारी कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	160
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत विकास खण्ड दीनशाह गौरा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	160-161
जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा अन्तर्गत मुगलसराय भुपौली चहनिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	161
जनपद आगरा की तहसील किरावली के विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में सिंचाई हेतु उटंगन नदी से जल संरक्षण योजना के अन्तर्गत पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	161-162
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का चौबीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	162
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का पच्चीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	162
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का छब्बीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	162
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सत्ताइसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का अट्ठाइसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का उन्तीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का तीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का इकतीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	164
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का बत्तीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	164

विषय		पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का तैंतीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	164
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का चौंतीसवाँ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	164
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2017-18) का षष्ठम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	165
श्रीमती रजनी तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित चार याचिकाएं (व्यपगत)	...	165
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	165-166
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	166
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	167
श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित तीन तथा जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक याचिका(उपस्थित की गईं)	...	167-168
श्रीमती सविता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	168
श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	168
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	168-169
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	169
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	...	169
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	...	169
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	...	169

विषय		पृष्ठ-संख्या
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	...	169
श्री किशन लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	...	170
कार्य-मंत्रणा समिति का सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	170-177
श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	...	177
उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	...	177-178
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	...	178
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	...	178
वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा		179-236
वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या 03 लगायत 04, 07 लगायत 11, 13, 15, 18, 24 लगायत 26, 31, 35 लगायत 37, 40, 42, 44 लगायत 45, 47 लगायत 49, 57 लगायत 60, 62, 65, 67 लगायत 75, 78 लगायत 79,81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा 94 का विवरण	...	236
अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	...	237
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...	237

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	238
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) (स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)(स्वीकृत)	...	239
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) (स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग(स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	240
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	241
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	241

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	241
अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) (स्वीकृत)	...	241
अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	...	241
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	...	241
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	...	241
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	...	241
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	...	242
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	...	242
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	...	242
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	...	242
अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	242
उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-20 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 (पुनर्स्थापित एवं पारित)	...	242-248
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	248-251
जनपद गोरखपुर में सीवर सिस्टम डालने में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	...	252-254
जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	...	254-258
जनपद लखनऊ में नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आवासीय कालोनियों के बीच चल रही डेरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	...	259-260
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के बछरायूं में अवैध रूप से संचालित स्लॉटर हाउस को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत को दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	...	260-263

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर में शहर के बीचों बीच स्थित बस अड्डों को शहर के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, परिवहन मंत्री का वक्तव्य	...	263-265
जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज व विकास खण्ड मुसाफिरखाना में 14वें वित्त आयोग की धनराशि आवंटन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	...	265-266
जनपद नोएडा में महाप्रबन्धक (अधिशासी अभियंता) के पद पर तैनात श्री प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	...	266-269
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में कल्याणी से अड्डा सड़क मार्ग तथा अन्य कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	269-270
जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पुरुष चिकित्सालय की बाउन्ड्रीवाल तोड़ने के प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव ललई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	271
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	271-272
नत्थियां	...	273-279

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-362

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
14. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
15. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
16. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
17. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
23. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
24. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
25. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
26. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
27. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
28. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
29. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
34. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
36. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
37. असलम अली, श्री — हापुड़
38. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
43. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद

46.	इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री	फैजाबाद
47.	इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
48.	उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
49.	उदयभान सिंह, चौ0	आगरा
50.	उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
51.	उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया
52.	उमेश मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
53.	ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
54.	ओमकुमार, श्री	बिजनौर
55.	ओम प्रकाश राजभर, श्री	गाजीपुर
56.	कपिल देव अग्रवाल, श्री	मुजफ्फरनगर
57.	कमल रानी, श्रीमती	कानपुर नगर
58.	कमल सिंह मलिक, श्री	हापुड़
59.	कमलेश शुक्ल, श्री	देवरिया
60.	कमलेश सैनी, श्रीमती	बिजनौर
61.	करण सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
62.	कल्पनाथ पासवान, श्री	आजमगढ़
63.	कारिन्दा सिंह, श्री	मथुरा
64.	काली प्रसाद, श्री	देवरिया
65.	किशन लाल राजपूत, श्री	पीलीभीत
66.	कुशाग्र सागर, श्री	बदायूं
67.	कृष्णपाल मलिक, श्री	बागपत
68.	कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
69.	केसर सिंह, श्री	बरेली
70.	कैलाश नाथ शुक्ल, श्री	बलरामपुर
71.	कैलाश नाथ सोनकर, श्री	वाराणसी
72.	कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
73.	गंगा, श्री	कुशीनगर
74.	गरिमा सिंह, श्रीमती	अमेठी
75.	गिरीश चन्द्र यादव, श्री	जौनपुर
76.	गुलाब देवी, श्रीमती	सम्भल
77.	गौरी शंकर, श्री	जालौन
78.	चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री	बांदा
79.	चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री	बस्ती
80.	चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री	चित्रकूट
81.	चेतन चौहान, श्री	अमरोहा
82.	चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
83.	छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री	बरेली
84.	जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
85.	जटाशंकर त्रिपाठी, श्री	कुशीनगर
86.	जन्मेजय सिंह, श्री	देवरिया
87.	जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0	इलाहाबाद
88.	जय कुमार सिंह (जैकी), श्री	फतेहपुर
89.	जय देवी, श्रीमती	लखनऊ
90.	जयप्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
91.	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
92.	जयमंगल, श्री	महाराजगंज
93.	जवाहर लाल राजपूत, श्री	झांसी
94.	जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री	मेरठ
95.	जितेन्द्र वर्मा, श्री	आगरा
96.	जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0	आगरा
97.	ज्ञान तिवारी, श्री	सीतापुर
98.	ज्ञानेन्द्र, श्री	महाराजगंज
99.	डी0 सी0 वर्मा, डॉ0	बरेली
100.	डेनजिल जे0 गोडिन, डा0	नाम-निर्देशित
101.	तसलीम अहमद, श्री	बिजनौर
102.	तेजपाल सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
103.	तेजेन्द्र निर्वाल, श्री	शामली
104.	त्रिवेणी राम, श्री	गाजीपुर
105.	दयाराम चौधरी, श्री	बस्ती
106.	दल बहादुर, श्री	रायबरेली
107.	दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़

108. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
109. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
110. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
111. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
114. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
116. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
117. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
118. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
119. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
120. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
121. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
122. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
123. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
124. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
125. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
126. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
127. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
128. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
129. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
130. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
131. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
132. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
133. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
134. नाहिद हसन, श्री शामली
135. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
136. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
137. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
138. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
139. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
140. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
141. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
142. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
143. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
144. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
145. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
146. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
147. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
148. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
151. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
152. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
153. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
154. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
155. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
156. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
157. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
158. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
161. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
162. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
163. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
164. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
165. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
166. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
167. बावन सिंह, श्री गोण्डा
168. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी

169. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
170. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
171. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
172. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
173. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
174. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
175. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
176. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
177. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
178. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
181. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
182. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
183. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
184. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
185. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
186. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
187. महबूब अली, श्री अमरोहा
188. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
189. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
190. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
191. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
192. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
193. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
194. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
195. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
196. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
197. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
198. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
199. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
200. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
201. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
202. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
203. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
204. योगेश वर्मा, श्री खीरी
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
207. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
208. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
209. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
210. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
211. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
212. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
213. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
214. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
215. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
216. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
219. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
220. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
221. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
222. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
223. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
224. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
225. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
226. राज करन कबीर, श्री बांदा
227. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
228. राजबाला, श्रीमती रामपुर

229. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
230. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
231. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
232. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
233. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
234. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
235. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
236. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
237. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
238. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
239. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
240. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
241. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
242. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
243. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
244. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
245. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
246. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
247. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
248. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
249. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
250. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
251. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
252. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
253. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
254. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
255. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
256. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
257. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
258. लाखन सिंह, श्री औरैया
259. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
260. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
261. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
262. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
263. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
264. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
265. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
266. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
267. विजय मिश्र, श्री भदोही
268. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
269. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
270. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
271. विनय शाक्य, श्री औरैया
272. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
273. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
274. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
275. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
276. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
277. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
278. वीरेन्द्र, श्री एटा
279. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
280. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
281. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
282. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
283. शशांक वर्मा, श्री खीरी
284. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
285. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
286. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
287. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
288. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
289. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
290. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
291. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर

292. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
293. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
294. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
295. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
296. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
297. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
298. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
299. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
300. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
301. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
302. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
303. संजय, श्री बुलन्दशहर
304. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
305. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
306. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
307. संजय यादव, श्री बलिया
308. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
309. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
310. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
311. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
312. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
313. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
314. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
315. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
316. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
317. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
318. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
319. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
320. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
321. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
322. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
323. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
324. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
325. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
326. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
327. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
328. सुचि, श्रीमती बिजनौर
329. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
330. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
331. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
332. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
333. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
334. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
335. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
336. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
337. सुरेश कुमार, श्री शामली
338. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
339. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
340. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
341. सुरेश राही, श्री सीतापुर
342. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
343. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
344. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
345. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
346. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
347. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
348. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
349. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
350. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
351. सौरभ सिंह, श्री खीरी
352. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
353. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
354. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर

355.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	
356.	हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	
357.	हरीराम, श्री	सोनभद्र	
358.	हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर	
359.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद	
360.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद	
361.	हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा	
362.	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री लोक निर्माण (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम विकास, समग्र ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-1

प्रदेश में ड्रग्स की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

***1-सुश्री अदिति सिंह, श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 में तथा वर्ष 2019 में दिनांक 05-04-2019 तक नकली एवं अवैध शराब पकड़े जाने की कुल कितनी घटनायें घटित हुईं तथा कितने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार अवैध व देशी शराब के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनाकर लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

प्रदेश में वर्ष 2018 में तथा इस वर्ष 2019 में दिनांक 05-04-2019 तक नकली एवं अवैध शराब पकड़े जाने की कुल 40,458 घटनायें घटित हुई तथा इसमें संलिप्त 15,383 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

अवैध कच्ची शराब के निर्माण सहित अन्य समस्त प्रकार के आबकारी अपराधों को समाप्त करने के लिये आबकारी विभाग में जनपद स्तर पर अपराध निरोधक क्षेत्रों सहित मण्डल स्तर पर प्रवर्तन दल एवं एस0एस0एफ0 की इकाई स्थापित है, जिनमें तैनात आबकारी स्टाफ सहित पुलिस विभाग का स्टाफ निरन्तर आबकारी अपराधों का समूल नाश करने हेतु कार्यवाही कर रहा है। उक्त के अतिरिक्त यथा आवश्यकता आकस्मिक रूप से भी विशेष प्रवर्तन अभियान आबकारी विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। इन प्रवर्तन अभियानों को प्रभावी बनाये जाने हेतु यथा आवश्यकता पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर स्थापित ई0आई0बी0 के उप आबकारी आयुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त एवं आबकारी निरीक्षक भी उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों पर छापे डालते हैं। अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिये उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (यथासंशोधित 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुए जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गई है तथा अधिनियम में नई धारा-60(क) जोड़ते हुए अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं के लिये दोषी व्यक्तियों के लिये आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड तक का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरीके से जहरीली और कच्ची शराब के विक्रय के कारण 2017-18 और 2018-19 में लगातार मौतों की बाढ़ आई इस सरकार के गठन के बाद। तो मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 2017-18 में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या क्या थी और 2018-19 में मरने वाले लोगों की संख्या क्या थी। मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 40,458 घटनाएं घटित हुईं तथा इससे संलिप्त 15,383 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् कार्रवाई की गई। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें से कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और कितने लोगों को अंजाम तक पहुंचाकर दण्ड दिलाने का काम सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपके तीन सवाल एक साथ हो गये हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आबकारी विभाग और पुलिस की संलिप्तता के बिना कोई घटना नहीं होती है। अमूमन यह होता है कि कार्रवाई में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और आबकारी निरीक्षक को हटाया जाता है और सस्पेन्ड किया जाता है। कुछ दिन बाद इनको बहाल भी कर दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मन्त्री जी ने उच्च स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है ? यदि कार्रवाई की है, तो सदन को बतलाने का कष्ट करें। यह घटना अमेठी की है जहां छः लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस की संलिप्तता के कारण जो लोग अपराधी थे, घटना में संलिप्त थे, उनको छोड़ दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें अमेठी वाला सवाल आपका मूल प्रश्न नहीं है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मन्त्री जी के संज्ञान में आ गया है। अगर मा0 मन्त्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे तो बेहतर होगा।

श्री जय प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में जनपद आजमगढ़ में दिनांक 06-07-2017 को 26, वर्ष 2018 में जनपद बाराबंकी में दिनांक 10-01-2018 को 04, जनपद गाजियाबाद में दिनांक 12-03-2018 को 04, जनपद कानपुर नगर में दिनांक 19-07-2018 को 7 और कानपुर देहात में 04, जनपद बिजनौर दिनांक 17-08-2018 को एक और जनपद शामली में दिनांक 21-08-2018 को 05 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और वर्ष 2019 में जनपद कुशीनगर में दिनांक 05-02-2019 को 8, जनपद

सहारनपुर में दिनांक 08-02-2019 को 36, जनपद कानपुर नगर में दिनांक 08-03-2019 को 10 और जनपद बाराबंकी में 27-28/05/2019 को 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ये जितनी भी मृत्यु हुई थी इसमें विभाग के अनुसार जो कार्रवाई की गयी है उसमें वर्ष 2017 में जिन 12 लोगों को आजमगढ़ मण्डल में निलंबित किया गया था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। इसी तरह प्रत्येक घटना में जितने भी संबंधित अधिकारी दोषी पाये गये थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि कितने मुकदमें इसमें पंजीकृत किये गये हैं, इसमें बताना चाहता हूं कि 15383 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है। ये सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और लगभग सभी प्रकरणों में चार्जशीट भी लग चुकी है। अभी मैं इसका सहीं आंकड़ा (इग्जेट फिगर) नहीं दे सकता हूं, इसका विवरण मैं अलग से दे दूंगा, लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि इन घटनाओं के बाद विभाग ने काफी संशोधन भी किया है। दण्डक धाराओं को भी हम लोगों ने पूरी तरह से मजबूत किया है। वर्ष 2018 में नया अधिनियम लाकर 60 (क) को जोड़ा गया है जिसमें मृत्यु दण्ड और आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। इन धाराओं के साथ में धारा-304, 272 और 273 भी है, जिसमें आई0पी0सी0 की धारा 272 और 273 में खाद्य व पेय पदार्थों के अपमिश्रण के लिए दोषियों को दण्डित किया जाता है। इसके साथ धारा-304 भी हम लोगों ने लगा दिया है, जिसमें हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध के लिए भी दण्ड का प्रावधान है, जिसमें कोई बेल नहीं मिलता है। इन सभी धाराओं को लेने के पश्चात हमारा जो प्रशमन शुल्क है। इसमें अगर दुकान में कोई भी ओवररेटिंग होता है तो ओवररेटिंग के समय में पहले बहुत कम प्रशमन शुल्क लगता था। अब उस शुल्क को बढ़ाकर हम लोगों ने रु0 75000/-, 100000/- कर दिया है। इस तरह दो-दो बार प्रशमन शुल्क लगाने के बाद दुकानों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है और यदि दुकान में कोई भी मिलावट का सामान पाया जाता है तो उनके ऊपर इन धाराओं के साथ में गैंगेस्टर और एन0एस0ए0 ऐक्ट भी लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय जी।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराकर जवाब चाहता हूं कि जितनी भी घटनाएं मा0 मंत्री जी ने बताई है, उसमें सबसे बड़ी घटना वर्ष 2019 में सहारनपुर में घटित हुई है। उस समय भी हमने सदन में नियम-311 में आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की थी। उस घटना के अन्तर्गत लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब के कारण हुई। अभी उसी बात को रेखांकित करते हुए जो प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की गम्भीरता को कम करने के लिए मृतकों की संख्या केवल 36 बतायी

और वहां मरने वाले लोगों को जानबूझकर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया और मेरठ मेडिकल कालेज में रेफर करके उनकी मृत्यु को इसमें जोड़ने का काम नहीं किया गया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम बतायेंगे। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और वह सारे के सारे लोग जिनकी उसके अन्तर्गत मृत्यु हुई है, एल्कोहल और जहरीली शराब के कारण ही उनकी मौत को आंका गया है। यह संख्या कम करके बताने का जो सिलसिला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, निश्चित रूप से उससे उस गरीब को जो मदद के तौर पर शासन देना चाहता है न तो उसे वह मदद मिली, न ही उनके साथ संवेदनशीलता प्रकट कर पाये और उसकी ग्रेविटी को हमने और कम करने की बात कर दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी है उसके अनुरूप इस संख्या को संशोधित करेंगे और वो लोग जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विसरा में यह अंकित हुआ है कि जहरीली शराब के कारण उनकी मौत हुई है उन सबको वही मुआवजा जो पहले 36 मृतकों को मिला है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसके आधार पर उन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ मेरा भी प्रश्न ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बैठ जायं, मा0 सदस्य राइनी जी का प्रश्न भी इसी के साथ जोड़ लीजिए।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, अवैध शराब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक है। मैं आपके माध्यम से केवल दो छोटे-छोटे प्रश्न मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने देशी शराब के ठेके हैं ? क्या माननीय मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां अवैध शराब बनते हैं वहां सरकार सस्ती देशी शराब की दुकानें खुलवाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप सूची दे दीजिए, खुलवा दिया जायेगा।

(हंसी)

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, अवैध शराब जहां बनते हैं तो मा0 मंत्री जी के पास उसकी सूची होगी। दूसरा प्रश्न, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अवैध शराब से सरकारी कर्मचारी व आबकारी अधिकारियों के द्वारा अवैध कमाई की जाती है तो उनकी

प्रापर्टी की जांच 2015-16 से 2019 तक क्या एस0आई0टी0 या सी0बी0सी0आई0डी0 से कराकर सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे ?

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सहारनपुर में जिलाधिकारी से जो रिपोर्ट आयी थी उसमें 36 व्यक्तियों की मृत्यु बतायी गयी। मा0 सदस्य अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात बता रहे हैं वह अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह की बात कोई संज्ञान में आती है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि विषाक्त मदिरा से उनकी मृत्यु हुई है तो उस पर सरकार की तरफ से हम विचार कर लेंगें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, हम लोग जिलाधिकारी से मिले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और विसरा में यह बात है। तो मंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें और अगर जिले से नहीं भेजा गया है तो उसे मंगा लें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी कह रहे हैं कि हम देख लेंगे।

श्री जय प्रताप सिंह-

मैं इसके बारे में पता लगा लूंगा।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

मनोज पाण्डेय जी बैठ जाईये। माननीय मंत्री जी।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका सवाल देशी शराब के कितने ठेके हैं उसके बारे में था। तो हमारी कुल 26100 दुकानें हैं, उसमें से लगभग 40 प्रतिशत देशी शराब की दुकाने हैं। जहां तक अवैध शराब की बात है तो हम लोग इस बात पर जरूर विचार करते हैं कि जहां पर कच्ची शराब की जो भठिठयां बनती हैं उन एरियाओं में या पास के कस्बे में कोई दुकान लेना चाहता है तो उस पर विचार करके वहां उसको देते हैं। जहां तक यह प्रश्न कि अवैध शराब या कच्ची शराब से कितना कमाते हैं इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है और अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए जितना हो सकता है वह हम लोगों ने किया है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

राइनी जी अब आप बैठिये, मैंने मनोज पाण्डेय जी को बुला लिया है और इस प्रश्न पर यह अन्तिम अनुपूरक होगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके आदेश पर माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि पिछले दो वर्षों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई खासतौर से जो बिहार के बार्डर्स हैं चाहे बलिया हो, चाहे देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो। गाजीपुर भी उसमें जुड़ा हुआ है। उनमें जो अवैध शराब पकड़ी गई उस शराब की मात्रा क्या थी ? और क्या थाने या न्यायालय द्वारा उसको डिस्ट्राय किया गया ? यदि नहीं किया गया तो कितनी शेष है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

इसीलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा क्योंकि कई थाने अवैध शराब से भरे हैं और दूसरा इसी प्रश्न के माध्यम से एक सूचना भी देना चाहता हूं। अभी-अभी बाराबंकी में चार लोगों की शराब से मृत्यु हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

सूचना क्यों दे रहे हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न करिये। प्रश्नकाल में सूचना नहीं दी जाती प्रश्न पूछा जाता है। लल्लू जी बैठ जायं। पांच प्रश्न हो गये। आप हमारा सहयोग करें।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, 2018-2019 में लगभग 14 लाख 38 हजार 643 बल्क लीटर में अवैध शराब पकड़ी गई थी। इसमें कच्ची शराब भी है और बाहर से जो शराब आती है वह सब है। जो शराब जब्त हुई वह विभिन्न थानों में रखी जाती है क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां गोादाम पर उसे रख सकें। न्यायालय में जब उसका चार्जशीट चला जाता है और न्यायालय के विचाराधीन तक उसको वहां पर रखा जाता है। इसमें हमने प्रयास भी किया था अध्यक्ष जी कि इसको नष्ट करने के लिये कार्यवाही करने के लिये परन्तु सुप्रीम कोर्ट का पहले से एक आदेश है कि जब तक न्यायालय से उसका फैसला नहीं होगा तब तक उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि उसको नष्ट करें क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'ख' प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। सहयोग करिये लल्लू जी, 6 लोग प्रश्न पूछ चुके। अब इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है। क्या हम लोग इसी शराब पर ही रहेंगें पूरा प्रश्नकाल। चलिये लल्लू जी कहिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कल ही के दिन कसया थाने के एस0ओ0 की गाड़ी में ...

श्री अध्यक्ष-

आप फिर सूचना देने लगे। आप सवाल करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, मैं वही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

वही नहीं बता रहे हैं। आप सूचना दे रहे हैं। इन्फारमेशन और क्वैश्चन में फर्क होता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग इसमें इनवाल्व थे। हमारे यहॉ 8 लोगों की मृत्यु हुई थी हमारे विधान सभा क्षेत्र में। और बाराबंकी से लेकर तमाम जगह पर घटना हुई थी और सदन में बार-बार चर्चा हुई यह सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर सवाल पूछ नहीं रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

छोटे बड़े कर्मचारी के खिलाफ तो कार्यवाही हुई लेकिन जो माफिया इसमें संलिप्त हैं उनको न चिन्हित किया गया न उन पर कोई कार्यवाही की गई। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो माफिया इस बड़े शराब के खेल में लिप्त हैं उसके खिलाफ क्या सरकार कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश जारी करेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह तो पहले कह चुके हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

नहीं हुई है अध्यक्ष जी। कृपया मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सरकार पहले कह चुकी है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

किसी माफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने कार्यवाही के बारे में कह दिया। अगर आपको कोई जानकारी हो तो मैं माननीय मंत्री जी को निर्देशित किये दे रहा हूं। आप इनको एक पत्र बनाकर दे दें यह उसकी जांच करा लेंगें। अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। अब आप बैठिये बहुत वरिष्ठ हैं आप। राष्ट्रीय दल के नेता हैं आप। अगले वाले में पूछ लीजियेगा। अब शराब छोड़िये। आपके पड़ोस में बैठी हैं माननीय सदस्या उनका प्रश्न है। आप उसमें बाधा डाल रहे हैं। बैठिये।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाह रहा था कि धारा-72 बहुत सख्त धारा है, लेकिन जिन अधिकारियों की वजह से कागजों में झोल छोड़ा जाता है और धारा-72 के अन्तर्गत 8 दिन में, 10 दिन में मुल्जिम को बेल एलाउड होता है।

श्री अध्यक्ष-

वह 72 नहीं आबकारी अधिनियम 272 है।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, क्या ऐसे अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल दण्डित करेंगे, मैं कह देता हूं। अब आप कृपया बैठ जायें।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सफाईकर्मी की मृत्यु होने पर आश्रित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी

***1-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सफाईकर्मी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रुपया 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक प्रदेश में सफाई कार्य के दौरान कितने सफाई कर्मियों की मृत्यु हुई तथा कितने के आश्रितों को रुपया 10 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी ? क्या

सरकार व्यापक रूप से प्रदेश का सर्वे कराकर इस सहायता से वंचित मृतक आश्रितों को सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी हां।

01 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान लगभग 25 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त 25 सफाई कार्मिकों के आश्रितों में से 16 मृतक आश्रितों को रु0 10-10 लाख की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। अन्य आश्रितों को सहायता राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इतने संवेदनशील विषय पर जो उत्तर आया है, वह अत्यन्त ही भ्रामक और संवेदनहीन है। मा0 मंत्री जी की ओर से जो उत्तर आया है, उसमें कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान लगभग 25 व्यक्तियों के मरने की सूचना है। लगभग का अर्थ तो यह हुआ कि सरकार के पास कोई प्रमाणिक आंकड़ा ही नहीं है कि इस अवधि में कितने लोग मरे हैं। इस विषय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में यह आदेश पारित किया था कि वर्ष 1993 से अब तक जितने भी सफाईकर्मियों की सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु हुई है, उनका सर्वे कराकर सभी के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से इस विषय पर तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों में विगत दो वर्षों में 25 सफाईकर्मियों की सफाई के दौरान मृत्यु के संदेहात्मक आंकड़े का पुनः परीक्षण कराएगी ? क्योंकि अकेले जनपद लखनऊ में ही एक दर्जन मामले लम्बित हैं। अभी जिलाधिकारी, लखनऊ ने जून माह में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिये थे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष 1993 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृतकों का प्रदेशव्यापी सर्वे कराकर उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना सुनिश्चित करेगी ? मेरा तीसरा प्रश्न मा0 मंत्री जी से यह है कि क्या सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मास्क, ग्लब्स तथा अन्य सुरक्षा उपकरण सभी नगर निगमों तथा अन्य नगरीय क्षेत्रों में सफाईकर्मियों को उपलब्ध कराये जाते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना आज आपके द्वारा सदन को दी गयी, वह बहुत ही दुःखद है। हमें भी इस बात पर बहुत अफसोस है कि इतने लोगों की उसमें मृत्यु हुई, लेकिन ये जो ठेकेदार लोग हैं, यह लेबर बाहर से ले आते हैं, कहीं-कहीं से ले आते हैं, जो लोग अनस्किल्ड हैं, जो लोग उसकी टेक्निकल्टीज को नहीं जानते हैं, उनको ले आते हैं। उनकी पहचान कराना मुश्किल होता है। उनके वारिसों को इकट्ठा करना, उनके वारिसों को देखना कि वह सही मायने में इनके बोनाफाइड वारिस हैं या नहीं हैं। इसकी वजह से जो 25 लोग आइडेन्टीफाई हुए हैं, उन लोगों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है। जैसे ही उन लोगों को यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अमुक मृतक के यह लोग लीगल वारिस हैं।

कि अमुक मृतक के यह लोग लीगल वारिस हैं उन लोगों को निश्चित रूप से दे दिया जाएगा उसमें कोई हीला हवाली नहीं की जाएगी यह हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। रही दूसरी बात जो सर्वे कराने की बात है हम इस बात को दिखवा लेंगे इस बात का परीक्षण करवा लेंगे कि वह लोग जो अभी तक अगर इस प्रकार की कोई सूचना है कहीं पूरे प्रदेश में तो उन लोगों के परिवारों को भी इस प्रकार की सहायता हम निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसमें मेरा भी अनुपूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

नरेन्द्र जी उत्तर तो बहुत स्पष्ट आ गया। आश्वासन भी आ गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मेरा छोटा सा प्रश्न सुझाव टाइप का है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 1993 से लेकर आज तक जिन सफाई कर्मचारियों की सीवर में उतरते हुए मृत्यु हुई है मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी नगर निगम, नगर महापालिकाएं या टाउन एरिया का अगला एजेण्डा हो उस एजेण्डे में इसको शामिल करवा लें। चूँकि वहां वार्ड मेम्बर वहां रहते हैं तो विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसके लिए दो करोड़ की व्यवस्था भी बजट में कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की उसमें देरी न हो सके जो माननीय नरेन्द्र वर्मा जी ने सुझाव दिया है उसको हम जरूर दिखवा लेंगे।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि सफाई कर्मियों को मास्क ग्लब्स और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं ज्यादातर यह चीजें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब हम पूरी तरीके से आपरेशन और मेंटीनेंस की व्यवस्था बदल रहे हैं। जो लोग इसके लिए ट्रेंड होंगे वही लोग यह काम करेंगे वह सारे वेल इक्युप्ड होंगे मशीन के माध्यम से यह काम कराएंगे अन्य लोगों को इसमें इण्टर नहीं होने देंगे।

प्रयागराज में कुम्भ मेले के उपरान्त गंगा में बड़े प्रदूषण को स्थाई रूप से रोकने की कार्य योजना

***2-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रयागराज से पूर्व नगर में सम्पन्न कुम्भ मेले गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषित कारखानों व नगरों का पानी रोका गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कुंभ मेले के उपरान्त भी उक्त को रोककर प्रदूषण का स्थाई रूप से समाधान करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार के उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। पर्यावरण विभाग द्वारा कुम्भ मेले के स्नान पर्व के दृष्टिगत कार्य योजना के अनुसार निर्धारित तिथियों में कारखानों के उत्प्रवाह को गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में जाने से रोका गया था। नगरों से निकलने वाले दूषित उत्प्रवाह को बायोरिमेडिएशन विधि तथा अन्य तकनीक से 15 जून, 2019 तक शोधित किया गया है।

गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों, सी0ई0टी0पी0 एवं एस0टी0पी0 के अनुश्रवण का कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। दोषी उद्योगों के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

जनपद प्रयागराज में कुल 82 नाले हैं, जिसके सापेक्ष 25 नालों के शोधन हेतु वर्तमान में 268 एम0एल0डी0 क्षमता के कुल 07 एस0टी0पी0 क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त 20 नालों के शोधन हेतु 72 एम0एल0डी0 क्षमता के कुल 03 एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है, जो 2021 तक पूर्ण होना लक्षित है। उक्त योजना के क्रियाशील होने पर प्रयागराज में कुल 45 नालों के शोधन हेतु 340 एम0एल0डी0 क्षमता के कुल 10 एस0टी0पी0 क्रियाशील हो जायेंगे। 10 नालों जिनकी क्षमता 0.05 एम0एल0डी0 से कम है, पर अपफ्लो फिल्टर का निर्माण कर शोधन की कार्यवाही की जा रही है। शेष नालों के शोधन हेतु योजनायें बनाई जायेगी, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

कन्नौज से वाराणसी तक गंगा नदी के जलगुणता संवर्धन हेतु बनाई गई कार्य योजना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.uppcb.com पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न उस गंगा की सफाई से जुड़ा है जिसका जल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार पीने योग्य न होने के कारण जीवन दायिनी के बजाय जीवन भक्षक बन रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या सरकार गंगा सफाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर एक अप्रैल 2017 के बाद से अब तक व्यय धनराशि एवं उससे प्राप्त सकारात्मक नतीजों की अधिकृत रिपोर्ट आधारित तथ्यात्मक ब्यौरा लेकर सदन को अवगत कराएगी। माननीय मंत्री जी गंगा की सफाई से जुड़ी अधूरी परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित करने का आश्वासन सदन को देंगे ? जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा छोड़ा गया जल गंगा में पहुंचता है उन सब में क्या आधुनिक तकनीक वाले सुरक्षित जल शोधन संयंत्र स्थापित हैं ? 'नमामि गंगे' के अन्तर्गत जिन औद्योगिक इकाईयों को बन्द करने का आदेश है उनमें कार्यरत कर्मियों के पुनर्वास अथवा समायोजन की कोई योजना क्या यह सरकार बनायेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गंगा के किनारे जहां पर भी स्नान, शवदाह या कपड़े धोने आदि के कार्य होते हैं वहां पर नागरिक सेवा केन्द्र एवं विद्युत शवदाह गृह आदि का निर्माण कराने की कोई योजना क्या यह सरकार बनायेगी और क्या सरकार गंगा किनारे क्षेत्रों के ओ0डी0एफ0 घोषित ग्रामों की वर्तमान स्थिति की पुनः समीक्षा करने तथा कपड़े धोने में केमिकल युक्त साबुन का प्रयोग प्रतिबन्धित करने की कोई योजना बनायेगी ? इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गंगा में थर्मल पावर प्लांटों के गर्म और शहरी नालों के दूषित पानी गिरने वाले स्थानों पर बने ड्रेन जोनों के खात्मे की कोई योजना क्या यह सरकार बनायेगी और क्या गंगा की तरह उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण तथा खेती को रासायनिक खादों व जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त करने की कोई योजना सरकार बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आपका मूल प्रश्न है कि कुम्भ मेले के बाद भी प्रदूषण रोकने और उसका स्थायी समाधान करने की कोई स्थायी कार्य योजना क्या इस सरकार के पास है ? आप अपना प्रश्न पढ़िये, मा0 नगर विकास मंत्री जी के पास उसी का तो उत्तर होगा और उन्होंने पूरी कार्य योजना विस्तार से बता भी दी है।

श्री मो0 फईम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, गंगा के किनारे जो गांव ओ0डी0एफ0 हो चुके हैं उसके संबंध में मैंने प्रश्न किया है। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपना प्रश्न दोबारा पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष-

दोबारा आवश्यकता नहीं है। हमनें आपका प्रश्न पूरा सुना है। मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने पहला सवाल किया कि 1.4.2017 से अब तक गंगा के ऊपर इस स्वच्छता अभियान में कितना पैसा खर्च हुआ तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 1100 करोड़ रुपया अब तक इसके ऊपर खर्च हुआ है। मान्यवर, जहां तक आपके दूसरे प्रश्न की बात है और जो आपकी मंशा है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को स्वच्छ करने की क्या कोई योजना हमारे पास है तो हमनें एक मोटा-मोटा आंकलन करवाया है जिसके तहत जो 10 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें वरूणा है, राप्ती है, रामगंगा है, पाण्डु है, काली है, गोमती है, सई है, सरयू है, हिण्डन है, यमुना और गंगा नदी है और कुल मिलाकर इनको ट्रीट करने में हमको लगभग 1000 करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और पांच साल में लगभग 500 करोड़ रुपये इसके आपरेशन और मेंटीनेंस के ऊपर खर्च होंगे। हमनें यह मोटा-मोटा एक आंकलन करवाया है और हम कोशिश करेंगे कि इसको जमीन पर जरूर उतारें। हमनें कोशिश की कि कुम्भ को किसी भी तरीके से नालों से बचाया जाए और इस कोशिश में जन सहयोग के माध्यम से हम कामयाब भी हुए, इसमें हमें काफी सफलता भी मिली (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) और लोगों ने हमारी इस कोशिश को सराहा भी है। इसलिये हमारी पूरी मंशा, हमारी पूरी इच्छा भी यही है और हमारा संकल्प भी यही है कि हर हालत में हम गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराएं और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी व्यवस्था करें। मान्यवर, मैं समझता हूं कि मा0 सदस्य संतुष्ट होंगे।

(इस मध्य सदस्य, श्री हर्षवर्धन बाजपेयी तथा हाजी इरफान सोलंकी के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 इरफान सोलंकी जी, आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लीजिये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी ने अभी बताया कि उन्होंने अच्छा काम किया है और माशा-अल्लाह अच्छा है। अभी कानपुर की ही कुछ दिन पहले की बात है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रश्न पूछिये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, 'नमामि गंगे' में पूरे कानपुर में पानी भर गया। इसलिये 'नमामि गंगे' में जो प्रोजेक्ट लगा था क्या आप उसको दिखवा लेंगे ? सीसामऊ नाला पूरा बन्द है, आप उसको दिखवा लीजिये और उसकी सफाई करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप लिखकर भिजवा दीजिये। अब आप बैठ जायें। मा0 बाजपेयी जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे-सीधे अपना प्रश्न पूछिये, धन्यवाद नहीं दीजिये।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी को पहले तो धन्यवाद दूंगा कि कुम्भ में सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था पहले कभी नहीं रही और बाहर से जो लोग आए उन्होंने भी इस बात को कहा है। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि जैसे कि गंगा प्रदूषण इकाई ने आपको और मुझे विभिन्न समय यह कहा है कि कुम्भ नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी सीवर लाईनें पड़ी हैं उनमें दिसम्बर, 2019 तक घर के कनेक्शन दे देंगे और तभी सीवर लाईन उपयोग में आ सकेंगी। पिछली सरकारों में जो सीवर लाईनें डाली गयी थीं वह आज तक उपयोग में नहीं आ पायी हैं। इसलिए हमारी सरकार में जितनी भी सीवर लाईनें पड़ी हैं उनमें घर के कनेक्शन देकर उनका उपयोग करने के लिए दिसम्बर, 2019 की डेडलाईन गंगा प्रदूषण ने मांगी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन मांगना चाहता हूँ कि सरकार सभी प्रकार के आर्थिक और अन्य संसाधन क्या गंगा प्रदूषण को उपलब्ध करायेगी ? जिससे वह दिसम्बर, 2019 तक सभी सीवर लाईनों में घर के कनेक्शन दे पायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसकी व्यवस्था कर दी गयी है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि दिसम्बर, 2019 तक सीवर लाईनों के सारे कनेक्शन हो जायें। मान्यवर, जो हाजी इरफान साहब का प्रश्न है इसको जरूर दिखवा लेंगे सीसामऊ नाले के लिए अलग से व्यवस्था भी कर दी गयी है और हमने अपने जल निगम के अध्यक्ष और एम0डी0 को यह कहा है कि वह दोनों लोग वहां जाकर समस्या का समाधान करें।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-3 हाजी इरफान सोलंकी जी का है, माननीय वन मंत्री जी।

प्रदेश में पौधरोपण अभियान के उपरान्त पौधों की सुरक्षा तथा सड़क किनारे उपलब्ध वृक्षों की सुरक्षा की कार्य योजना

***3-हाजी इरफान सोलंकी, श्री जवाहर लाल राजपूत तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को नष्ट होने से बचाने और पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रोपित पौधों को एक निश्चित अवधि तक जीवित या सुरक्षित पालने

वालों को किसी खास दर से आर्थिक प्रोत्साहन देने, नष्ट करने वालों को दंडित करने तथा सड़कों के किनारे जरूरत पर हरे पेड़ों को काटने के बजाए स्थानांतरित करने की कोई सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को नष्ट होने से बचाने और पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रोपित पौधों को एक निश्चित अवधि तक जीवित या सुरक्षित पालने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई योजना नहीं है किन्तु इन पौधों के रख-रखाव व सुरक्षा हेतु बजट की उपलब्धता के अनुसार 3 से 7 वर्ष की अवधि तक अनुरक्षण कार्य किया जाता है।

सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को नष्ट करने वालों को दण्डित करने हेतु उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

सड़कों के किनारे जरूरत पर हरे पेड़ों को काटने के स्थान पर स्थानान्तरित करने का कार्य वैज्ञानिक प्रोटोकाल के अभाव में अभी प्रारम्भिक चरण में है, जो वन निगम के माध्यम से संचालित है।

लागू नहीं।

उ0प्र0 राज्य वन नीति, 2017 के प्रस्तर-4.13 में वृक्षों को अन्य स्थान पर अन्तरित (ट्रान्सलोकेट) करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है :-

''वन निगम द्वारा मार्ग चौड़ीकरण, नवीन सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर यथासम्भव अन्य स्थानों पर अन्तरित (ट्रान्सलोकेट) करने का प्रयास किया जायेगा।''

ऐसे वृक्षों के अन्य स्थानों पर अन्तरित (ट्रान्सलोकेट) करने का कोई वैज्ञानिक प्रोटोकाल उपलब्ध न होने के कारण वृहद् स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है।

हाजी इरफान सोलंकी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आज भारत बहुत तरक्की कर रहा है, हम लोग वॉटसप एवं फेसबुक पर देखते हैं कि विदेशों में पेड़ काटने के लिए ऐसी मशीन आती है जो कि पेड़ को जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देती है जिससे की पेड़ खराब नहीं होता है और पुनः जीवित हो जाता है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई योजना लाएंगे जिससे पेड़ को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जा सके और जिससे वह पेड़ पुनः जीवित हो सके ? और हम लोगों को वही वातावरण फिर से मिल सके ?

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो इच्छा है कि जो अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वहीं हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। पूरे प्रदेश को हरा-भरा करने के लिए, पूरे प्रदेश में प्रदूषण से मुक्ति के लिए हम पहली बार 9 अगस्त, 2019 को क्रान्ति के दिन 22 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जिस परिप्रेक्ष्य में टी0टी0जेड0 को लेकर माननीय सदस्य का सवाल है मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसी परिप्रेक्ष्य में तमाम याचिकायें जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गयी थीं, जिनके आदेश के क्रम में वर्ष-2015-16 में हमने प्रयास किया था कि किस तरह बिना नुकसान पहुँचाये पौधों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करके बचाया जा सकता है इसके लिए हमने आगरा और मथुरा में प्रयास किया है क्योंकि ताज ट्रिपेजियम जोन (टी0टी0जेड) का जो एरिया है वह 10400 किलोमीटर के एरिया में आता है। उसमे हमने लगभग 683 पेड़ो को ट्रांसलोकेट करने का काम किया है। चूंकि साइन्टिफिक प्रोटोकाल पर यह विधि पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है फिर भी हमारी सरकार का प्रयास है कि हम इसे करेंगे। इस पर इतना खर्चा आता है कि 683 पेड़ो को जो हमने टी0टी0जेड0 के अगल-बगल ट्रांसलोकेट किया था उसमें एन0एच0-2 पर एक पेड़ को ट्रांसलोकेट करने में आगरा की लाइन पर 20418 रुपये का खर्च आया और मथुरा में 45775 का खर्च आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना पैसा हमने दो पौधो को ट्रांसलोकेट करने पर खर्च किया है उसमे हम लगभग 700 पौधे लगा सकते हैं। फिर भी हमारा प्रयास है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग पेड़ो को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मा0 सुप्रीम कोर्ट टी0टी0जेड को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और उनकी देख रेख में वहां पर काम भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है उसको हम पूरा करने का प्रयास कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश को हरा-भरा करने के लिए 22 करोड़ पौधे रोपित किये जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार पूरे प्रदेश में पौधों को निःशुल्क देने का उन्होंने प्राविधान किया है। मैं माननीय सदस्य से और इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी चाहूंगा कि अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अधिक से अधिक क्रियान्वयन कराये और इसमें यदि मेरे स्तर से कोई मदद अपेक्षित होगी तो वह भी मैं करूँगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूं कि जब सड़कों का चौड़ीकरण होता है तो वन विभाग द्वारा दिए गए इस्टीमेट का भुगतान लोक निर्माण विभाग या जो भी कार्यदायी संस्था होती है वह करती है। वन विभाग जो इस्टीमेट देता है उसमें एक पौधे की जगह पर दस पौधे का पैसा लिया जाता है। तो क्या

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है और यदि उनके किनारे अभी तक पौधे नहीं लगे हैं तो ऐसी सड़कों को चिन्हित कराकर क्या उस धनराशि से उन सड़कों के किनारे पौधे लगवायेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी का पुराना क्षेत्र रसड़ा, बलिया है वहां पर कई सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है। मेन रसड़ा बाजार की सड़क के डिवाइडर पर तो दूसरे माध्यम से पौधे लगाये जा चुके हैं लेकिन सड़क के किनारे अभी तक पौधे नहीं लगे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी सड़क के किनारे पौधे लगाने के लिए कोई आदेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री जवाहर लाल जी का नाम प्रश्न में है और वह अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी आप दोनों माननीय सदस्यों के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दीजियेगा।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार पौधारोपण पर बहुत बड़ा बजट हर वर्ष खर्च करती है और विश्व रिकार्ड बनाती है लेकिन जब पौधों का संरक्षण करने की बात आती है तो उस पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार रोपे गये पौधों की गिनती कराती है ताकि यह पता लग सके कि जितने पौधे रोपे गये हैं उनमें से कितने पौधे जीवित बचे हैं। पिछली सरकार में दो-तीन वर्ष पहले पौधारोपण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया था लेकिन आज हम यह नहीं बता सकते है कि उसमे से कितने पौधे आज संरक्षित हैं। तो मेरा प्रश्न है कि सरकार जो पौधारोपण करती है उसको संरक्षित करने के लिए क्या कोई योजना लायेगी अथवा अभियान चलायेगी। तीसरा मेरा प्रश्न है जब पौधो के स्थानांतरण की बात होती है तो वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध न होने की बात कही जाती है, चांद पर हमारा देश पहुंच रहा है लेकिन पौधों को ट्रांसफर करने की विधि हमारे यहां क्यों नहीं आ पा रही है। मेरा अनुरोध है कि वैज्ञानिको से सलाह लेकर जहां पर जरूरत हो वहां पर अभियान चलाकर पौधो का स्थानांतरण किया जाये। सरकार बड़ी-बड़ी फोन लेन सड़के बना रही है लेकिन उसमें पेड़ों को ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है। वृक्षों की कटान के कारण आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बुन्देलखण्ड में आज बारिश नहीं हो रही है और चारो तरफ सूखा पड़ रहा है। वहां पर पहाड़ियों पर पेड़ो की जबर्दस्त कटान हो रही है तो क्या माननीय वन मंत्री जी पेड़ो की कटान पर रोक लगायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे।

चौ0 उदयभान सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार जो वृक्षारोपण करा रही है उसमें ट्री-गार्ड लगाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यदि ट्री-गार्ड नहीं लगेगा तो आवारा पशु पेड़ों को नुकसान

पहुंचाएंगे और आने-जाने वाले लोग भी उसे नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा कहना है कि जो पौधे रोपे जाएं उसको संरक्षित करने के लिए ट्री-गार्ड का भी प्राविधान किया जाए। ऐसी मेरी मांग है।

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि जो चिंता और जिज्ञासा है, इस प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए है, इस चीज की मुझे खुशी है। वह जमाना चला गया कि जब हम छोटे बच्चे थे मां की गोद में खेलते थे तो चंदा मामा दूर के थे। अब चंदा मामा हमारी पकड़ में हैं। भारत सरकार ने वहां पर भी प्रक्षेपण करने का काम किया है। मान्यवर, श्री उमा शंकर जी का जो सवाल था, मैं उसके लिए बधाई भी दूंगा क्योंकि वह मेरा पुराना पार्लियामेंटरी इलाका रहा है और रोड तो उन्होंने बनाया ही है, लेकिन रोड के किनारे जो डिवाडर पर जो वृक्ष लगाया है उसे मैंने देखा भी है। जो चिंता मा0 सदस्य की है निश्चित रूप से वह हमारी सरकार की प्राथमिकता में भी है। पूरे प्रदेश में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं चाहे स्कूल हों, पोखरे हों, नहर हो, सड़क हो इसके किनारे पौधे लगाने का हमारी प्राथमिकता में है। जिस भी मा0 सदस्य को इसमें कठिनाई आयेगी वह निश्चित रूप से हमसे सम्पर्क करे और उस कठिनाई को दूर किया जाएगा। मेरी सभी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगें। हम लोगों ने पौधे लगाने का ही नहीं पौधे बचाने का भी संकल्प लिया है। पूर्व की सरकार में क्या हुआ जैसा कि मा0 सदस्य जी श्री जवाहर लाल राजपूत जी या तमाम लोग कह रहे थे मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने जो पौधे लगाये हैं उसको पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए जीओ-टैगिंग की भी व्यवस्था की है। हमारे डिपार्टमेंट का 97 प्रतिशत का जो लक्ष्य था हालांकि पूरे प्रदेश ने तथा विभाग के लोगों ने लगाया है और उस पर काम हो रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच है कि जो पौधे हम लगाएं उसको बचाएं भी। जिस क्लाईमेट चेंच की बात हमारे मा0 सदस्य श्री जवाहर लाल राजपूत जी कह रहे थे आज पूरी दुनिया उससे चिंतित है। यही कारण है कि जिस ओजोन की परत को लेकर हम लोग चिंतित हैं कि उसमें कहीं छेद न होने पाए इसीलिए अगर ग्लेशियर को लेकर हम चिंतित हैं और यदि हम लोग यह चाहते हैं कि उस टेम्प्रेचर को मेंटेन करना है तो ज्यादा से ज्यादा पौधे हम लगाकर के मा0 सदस्य की जो चिंता है उसे दूर कर सकते हैं। मान्यवर, पूरे सदन के लोगों से मेरी अपील है कि 22 करोड़ का जो लक्ष्य है उसमें सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में अगर पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और जहां तक ट्री-गार्ड का सवाल है, मा0 सदस्य उसमें बजट के एलोकेशन के बारे में भी परिचित हैं, लेकिन आपको विधायक निधि भी मिलती है। मेरी अपील है, अगर आप चाहते हैं कि उसे पूरी तरह से संरक्षित करें तो अपनी विधायक निधि से कुछ हिस्सा हमें दे दें तो निश्चित रूप से हम ट्री-गार्ड लगा सकते हैं।

प्रदेश के नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषद्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किये जाने की जानकारी

***4-सुश्री अदिति सिंह**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषद्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्र जो कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र की भांति घनी बसावट वाले हो गये हैं, को समुचित नगरीय सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार उनका सर्वेक्षण कराकर सीमा विस्तार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषद्रों के सीमा विस्तार की कार्यवाही शासनादेश संख्या-2212/नौ-6-2014-181मिस/2014, दिनांक 10-11-2014 एवं तत्क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या-240/नौ-6-2015-181मिस/2014, दिनांक 30-01-2015 तथा शासनादेश संख्या-690/नौ-6-2018-181मिस/2014, दिनांक 03-04-2018 में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के क्रम में कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

सुश्री अदिति सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगी कि आप इस पर कब विचार करेंगे, क्योंकि अभी जो आपने उत्तर पढ़ा है उसमें लिखा है कि आप मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर उनसे बातचीत करके जो फैसला लिया जाता है, उसमें कम-से-कम सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए और मैं रायबरेली सदर विधायक हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूरा शहरी क्षेत्र आता है। इसमें नगरपालिकाध्यक्ष, विधायक एवं एम0एल0सी0 को शामिल करना चाहिए क्योंकि जब सीमा विस्तार होगा तभी हम टाऊन प्लानिंग कर पायेंगे। आज की तारीख में हम देखें कि कितने तालाब ऑन-पेपर हैं और कितने तालाब ऐसे हैं जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग हैं। तो आपको उसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आयेगा। पानी निकासी की कोई भी जगह नहीं हैं, कुछ जगहों का बहुत बुरा हाल है। बहुत-से एरिया ऐसे हैं जो विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आते हैं और कुछ नहीं आतें हैं। कुछ एरियाओं में बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया है। इसलिए टाऊन प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जब हम सीमा विस्तार करके उन एरियाज को बनायेंगे, जहां पर कम-से-कम पानी की निकासी हो सके। खास तौर से जब मास्टर-प्लान बनता है जिसमें विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नये इलाके लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सीमा विस्तार पर सवाल पूछिए।

सुश्री अदिति सिंह-

मान्यवर, मैं सीमा विस्तार पर ही प्रश्न पूंछ रहीं हूं। जब इतनी ज्यादा सीमा विस्तार की जरूरत है तो आप इस पर कब तक निर्णय लेंगे ? हम कब तक एस्पेक्ट कर सकते हैं कि सीमा विस्तार हो सकता है ? ताकि टाऊन प्लानिंग में ज्यादा आसानी आये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस वर्ष उधर के दो मा0 सदस्य ऐसे आये जो काफी प्रभावित करने वाले हैं। एक प्रश्नकर्ता और दूसरे मा0 रितेश पाण्डेय जी जो लोकसभा चले गये हैं। अच्छा लगता है कि जब टू दी प्वाइंट प्रश्न किया जाता है और प्रश्न की मंशा के अनुरूप ही पूछा जाता है। आपकी जो जिज्ञासा है उसका हमने पूरी तरह से समाधान करने का प्रयास किया है। इस संबंध में जितने भी शासनादेश थे उन सबको मद्देनजर रखते हुए, 3 अप्रैल, 2018 को एक नया शासनादेश जारी किया और जिसके तहत उसमें सीमा विस्तार से संबंधित सारे सवालों का जवाब दिया गया है। नगर निगम की सीमा 5 लाख की थी जिसको घटाकर 3 लाख रुपया कर दिया है। इस सीमा के अन्तर्गत जितने लोग आ सके, लेकिन उसका यह मानक है कि कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय पर लगभग 75 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय पर निर्भर होने चाहिए, वहां पर लोकल बॉडी की आमदनी होनी चाहिए, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें कुछ-न-कुछ अर्बनाइजेशन होना चाहिए और यदि यह सब कुछ है तो हम निश्चित रूप से सीमा विस्तार करेंगे। सीमा विस्तार अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ा आधार है। हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्रों का अर्बनाइजेशन करके उनको मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करें। अगर चाहें तो इस शासनादेश के साइलेण्ट फीचर पढ़ सकते हैं और चाहें तो हम उनको भिजवा भी सकते हैं। इसमें हमारे पास जितनी भी पेण्डेंसी है हम उस पेण्डेंसी को वर्ष 2020 तक क्लीयर कर लेंगे। जिन लोगों ने आवेदन किया है उसमें जिलाधिकारियों से जो हमने मानक बनाये हैं उस मानक के आधार पर क्वैरी करके, हमारी वर्ष 2020 तक कोशिश होगी कि वह क्षेत्र जहां पर आवश्यकता है, जहां पर इस प्रकार के मापदण्ड उपस्थित हैं हम उनका सीमा विस्तार करके सुसज्जित करें।

(श्री शैलेन्द्र यादव ललई के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो इससे बढ़िया उत्तर क्या आएगा, कोई बात बची है ?

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

हमारी अनुमति है लेकिन बची वाली बात बताइए।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, जौनपुर जनपद की शाहगंज विधान सभा क्षेत्र, जो शाहगंज नगर पालिका परिषद् भी है और ये बहुत पुराना नगर पंचायत था जिसे बहुत दिनों पहले नगर पालिका परिषद् का रूप दे दिया गया। पूरे प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल की ये नगर पालिका परिषद् है और सबसे कम जनसंख्या मतदाता क्षेत्र की नगर पालिका परिषद् है। आज देखने में जो उसका स्वरूप लगता है चारों तरफ बड़े पैमाने पर नगर बढ़ चुका है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नगर पालिका परिषद् शाहगंज का सीमा विस्तार करने का काम करेंगे। अभी मैं एक घटना बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, घटना मत बताइए। आप बहुत वरिष्ठ हैं, कोई घटना नहीं।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

माननीय अध्यक्ष जी, उस नगर पालिका परिषद् में ट्यूबवेल लगाने की भी जगह नहीं है, टंकी लगाने की जगह भी नहीं है। अगर सीमा विस्तार हो जाएगा तो सारी जगहें भी मिल जाएंगी। अभी वहां पर अस्पताल को तोड़कर दुकान का निर्माण कराया जा रहा था.....

श्री अध्यक्ष-

ये प्रश्न के संगत नहीं है, इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी इस बात का अनुरोध किया था और ये नियम-51 में भी लगा है। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि शाहगंज नगर पालिका का सीमा विस्तार करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप एक-एक नगर पालिका के बारे में पूछेंगे तो कठिनाई होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं और पहले मंत्री भी रहे हैं। हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होंगे, दूसरी बात है कि जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजा गया उसमें आपका प्रस्ताव आया नहीं। आप कहिए तो पढ़कर सुना दूं केवल 11 प्रस्ताव आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मत सुनाइए, अगर ये कहें तो भी न सुनाइए क्योंकि ये प्रश्न के संगत नहीं है।

(हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 सदस्य कम से कम इतनी जहमत तो करें कि जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव तो भेज दें।

(श्री विनय शंकर तिवारी एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम मंगवा लेंगे लेकिन कहीं न कहीं किसी की तरफ से आवेदन आना चाहिए।

श्री अजय कुमार लल्लू-

जो प्रस्ताव आए हैं उसमें हमारे सेवरहीं का आया है क्या उसको करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

सारे प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे पास जो प्रस्ताव पेण्डिग हैं, वे मंझनपुर, पडरौना, कोच, खलीलाबाद, चित्रकूट, बेलर, सिसवाबाजार, खागा, गाजीपुर, बख्शी का तालाब, महाराजगंज हैं। मान्यवर, इनके सीमा विस्तार का प्रस्ताव आया है, जो प्रस्ताव आए हैं उनका परीक्षण करके, हम उसे करेंगे।

(कुछ सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो हो गया, अब स्पष्ट आश्वासन आ गया है। हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के नगर निगमों में करारोपण के गुणांक में संशोधन हेतु कार्यवाही

***5-श्री मनीष असीजा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 में नगर निगमों में करारोपण के गुणांक में आवश्यक संशोधन हेतु विगत 3 वर्षों से नगर विकास विभाग में लम्बित होने के कारण प्रदेश के निकायों में करारोपण की प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कब तक इसको पूरा कराने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश के नगर निगमों में करारोपण की प्रक्रिया को तर्कसंगत एवं जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 में करारोपण के गुणांक में आवश्यक संशोधन कर उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मनीष जी, सीधे प्रश्न पूछिएगा।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे एक अवसर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए अवश्य देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक इस नियमावली में कितनी बड़ी चूक थी वह इस सदन के सदस्यों को जानकर आश्चर्य हो गया।

श्री अध्यक्ष-

अब तो संशोधन हो गया।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, हीरो हाण्डा की एजेंसी है और उसकी पंचर को जोड़ने वाली दुकान है, एक थ्री स्टार होटल है और एक गली में हलवाई की दुकान है, एक बैंक या कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स है और एक परचून की दुकान है, सभी पर यह दर एक समान थी। अभी हाल ही में कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने...

श्री अध्यक्ष-

मनीष जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री मनीष असीजा-

इस पांच गुना को डेढ़ गुना किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं)

जैसा नगर विकास मंत्री जी ने बताया है कि तर्कसंगत और जन-हितैषी बनाने के उद्देश्य से इसे किया है। तो जब यह जन-हितैषी और तर्कसंगत नहीं थी, उस दौरान जो

टैक्सेज लोगों पर लग चुका है, क्या उसको भी वापस करवायेंगे, उसे संशोधित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिए, आपकी बात आ गयी।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और चीज बहुत आवश्यक है और इसमें मैं आपका भी ध्यान चाहूंगा। इसी नियमावली में नियम-4 के स्तम्भ-2 में सम्पत्तियों का वर्गीकरण करके एक कम्पोनेंट है। उसमें एक सम्पत्ति का प्रकार 'क' हेडिंग से है, पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत, कम्पोनेंट 'ख' है-अन्य पक्का भवन और 'ग' है, कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो खण्ड 'क' और 'ख' से आच्छादित नहीं हैं। तो इसमें एक तकनीकी चूक यह है कि 'क' में तो श्रेणी खुली हुई है-भवनों के प्रकार की, 'ख' में खुली नहीं है और 'ग' में यह कहा गया है कि जो 'क' और 'ख' में नहीं आते, वह 'ग' में आ जायें। तो हमारा इसमें मामला यह है कि अगर 'ख' में जो बताये नहीं गए हैं, वह कैसे चिन्हित हों ? क्या इसको भी संशोधित कराने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विचार करेंगे ? क्योंकि यह तर्कसंगत नहीं है, नगर निगम और नगरपालिका के लोग इसके अभाव में मनमानी बारगेनिंग करते हैं, मान्यवर, क्या इसको सुधारने का काम करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो संशोधन हमने किया है वह विद रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, वह विद इमीडिएट इफेक्ट है और बैक डेट से सम्भव नहीं है। दूसरी जो आपकी (श्री मनीष असीजा की) जिज्ञासा है, उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा एक निवेदन है और कृपापूर्वक माननीय नगर विकास मंत्री जी इस पर विचार करें। यदि एक बार पहले कोई फीस ले ली जाए, कोई कर ले लिया जाए तो यह तो चलिए, एक बार की बात होती है लेकिन अगर नगर निगम, नगरपालिका ने कहीं पांच गुने से उस पर करारोपण कर दिया है तो अगर उसमें सुधार नहीं करेंगे तो वह तो इसी दायरे में टैक्स देने को मजबूर हो जायेगा और उससे हमारा पांच गुना से डेढ़ गुना लाने का जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए कृपापूर्वक आप इस बात पर अवश्य विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मनीष असीजा-

अध्यक्ष जी, नगर विकास मंत्री जी की तरफ से उत्तर आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

वह मुस्करा कर 'हां' कर लिए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, मैंने उत्तर तो पहले ही दे दिया है। सवाल यह है कि यह विद इमीडिएट इफेक्टिव होगा, विद इमीडिएट इफेक्ट फ्राम दि डेट ऑफ इन्फोर्समेण्ट, जिस दिन से लागू होगा, उसी दिन से लागू होगा, बैक डेट से सम्भव नहीं है, उसमें बहुत कैलकुलेशन करना होगा। दूसरी बात जो आपने कही, उसके लिए तो आश्वासन बन गया, मैंने कहा कि विचार करेंगे। उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आप बैक डेट से पैसा न लौटायें लेकिन उसको नयी नियमावली में मॉडीफॉई तो करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिस दिन से यह प्रभावी होगा, वह उसी दिन से लागू होगा।

श्री मनीष असीजा-

हां, उस दिन से लागू कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न सं0-6 लेते हैं।

प्रदेश में आर0ओ0बी0 या फ्लाईओवर के कार्य कराने के सम्बन्ध में

***6-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आर0ओ0बी0 के कार्य डी0पी0आर0 स्टेज तक हैं या अर्धनिर्मित हैं ? क्या सरकार बताएगी कि ऐसे कितने फ्लाईओवर हैं जिनमें सेना की जमीन का उपयोग किया जा रहा है, उसमें सेना से एन0ओ0सी0 लेने की क्या नीति है और सेना को कम्पेनसेशन देने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

प्रदेश में कुल 48 आर0ओ0बी0 सर्वेक्षणाधीन हैं एवं 66 आर0ओ0बी0 निर्माणाधीन हैं।

सेना की भूमि पर फ्लाई ओवर निर्माण के लिये सेना की सहमति/अनापत्ति प्राप्त की जाती है। सेना की आवश्यकतानुसार निर्माण में प्रयोग की जाने वाली भूमि के बदले समतुल्य लागत की भूमि उपलब्ध कराई जाती है।

जी हां। (विवरण संलग्न)†

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे युवा विधायक विकास को लेकर अत्यधिक उत्साहित रहते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है।

(उप मुख्य मंत्री, श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से मुझे मंत्री जी से सवाल पूछने का सौभाग्य मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि सबसे ऐतिहासिक कुम्भ आज तक का आयोजित हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिए, कुम्भ का इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, पूरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ऐतिहासिक काम इस कुम्भ में हुआ है।

मान्यवर, पूरी दुनिया ने देखा है कि चार हजार करोड़ के ऊपर का काम कभी भी आज तक कुम्भ में नहीं हुआ है। मैं उसी क्षेत्र में रहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिए।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, अब मैं मा0 मंत्री जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जितने आर0ओ0बी0 और फ्लाई ओवर इत्यादि कुम्भ में बने हैं। क्या सलोरी का फ्लाई ओवर आर0ओ0बी0 और बक्शी बांध का आर0ओ0बी0 इन दोनों का डी0पी0आर0 विभाग में तैयार है यदि हां तो मा0 मंत्री जी इस पर क्या आश्वासन देंगे ? क्या आर्मी से एन0ओ0सी0 लेकर अगले विधान सभा के पहले इन दोनों आर0ओ0बी0 पर काम शुरू हो जाएगा टेण्डर होकर।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मा0 सदस्य हमारे बहुत उत्साहित रहते हैं। अपने विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न इन्होंने किया है। मैं बताना भी चाहता हूं कि इन दोनों सेतुओं के निर्माण की

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 273 पर।

प्रक्रिया चल रही है और हमारा प्रयास होगा। अगली बार आप उस पुल से होकर के विधान सभा आएं।

लोक सभा में पारित 73वें व 74वें संशोधन अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में लागू कराये जाने विषयक

***7-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा द्वारा पारित 73वें व 74वें संविधान संशोधन के शेष बचे सुझाव/निर्णय जो कि प्रदेश में अभी लागू नहीं किये गये हैं ? क्या सरकार उन बचे संशोधनों को भी अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

73वें संशोधन के बचे सुझाव/निर्णय जो कि प्रदेश में अभी लागू नहीं किये गये हैं, पर विचार कर संस्तुति देने हेतु पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1236/33-1-2019, दिनांक 24 जून, 2019 के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में उ0प्र0 अधिनियम संख्या-12 सन् 1994 द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 को संशोधित कर संविधान की अपेक्षानुसार विधिक व्यवस्था कर कार्यवाही की गई है। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय सूचीबद्ध है। नगर निकायों की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के दृष्टिगत अनुसूची के क्रमांक-1, 2 व 7 के विषय विशिष्ट प्रकृति के होने के कारण उनमें नगर निकायों की आंशिक सहभागिता है तथा अन्य विषय नगर निकायों के कृत्यों में सम्मिलित है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, देश में 73वें और 74वें संशोधन के नाम से वर्ष 1991-92 में यह संशोधन लाया गया था। मंन्शा यह थी कि देश के अरबन और रूरल नगर पंचायतें, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ीकरण किया जाए और मजबूत किया जाए, संविधान की मंन्शा यह थी कि तीसरी सरकार के रूप में इन पंचायतों की कल्पना उन्होंने की थी। मा0 मंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं और इसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। भारत का जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें मैं मा0 मंत्री जी से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि 73वें संशोधन में जो हमारी 12वीं अनुसूची थी संविधान के 243 अनुच्छेद से यह आच्छादित होती है। इसमें कितने अंश और विषय उत्तर प्रदेश में लागू किए गए हैं और कितने अभी शेष रह गए हैं ? मा0 मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्य राज्य जैसे केरला है, महाराष्ट्रा हैं...

श्री अध्यक्ष-

अन्य राज्यों के बारे में यहां सवाल नहीं हो सकता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, जोड़ा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल पूछ रहे हैं। यह सवाल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जो विषय अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किए गए हैं उन्हें जोड़ेगी ? दूसरा हमारा सवाल है संविधान के 74 वें संशोधन के विषय में। 74 वें संशोधन में भी मा0 मंत्री जी ने जो जानकारी दी है एक, दो और सात वह विशिष्ट प्रकृति के हैं जिनको आंशिक रूप से क्यों लिया गया है उनको पूर्णतः नहीं लिया गया है। मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह भी करूंगा और यह प्रश्न भी है हमारा कि जिन निकायों को स्वायत्त स्वावलंबी और सशक्त करने के लिए भारत के इस 73 वें, 74 वें संशोधन को किया गया था।

उनमें एक, दो और सात को भी क्या आप निकायों के पूर्णतया अधीन करने, लागू करने पर विचार करेंगे और ये क्या हैं, इनकी विशिष्टता क्या है ? क्या आप इसको भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 पाण्डेय जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में बहुत अच्छा सवाल रखा। इसके बारे में काफी कुछ एम्बिग्विटी है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी दुविधाएं हैं, उनको दूर कर दूं। मान्यवर, जो आपके प्रश्न का पहला अंश 73वें संशोधन का है, उसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि यह संविधान की 12वीं नहीं बल्कि 11वीं अनुसूची में है। इसमें हमने 07 विषय पूरी तरीके से लागू कर दिए हैं। नम्बर एक मत्स्य उद्योग, नम्बर दो पेयजल, नम्बर तीन पुस्तकालय, नम्बर चार बाजार और मेले, नम्बर पांच स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं। आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण हैं। मान्यवर, 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत चार आंशिक रूप से लागू किए गए हैं। कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी, भूमि संरक्षण, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन, शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी आते हैं, ये आंशिक रूप से लागू किए गए हैं। मान्यवर, जहां तक आपके प्रश्न के उत्तर में मेरा पहला पैराग्राफ है, उससे स्पष्ट है कि हमने बाकी विभागों के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में है। यह समिति 22 विषयों पर अपनी रिपोर्ट देगी, वह रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। इस समिति के अन्य मेम्बर प्रमुख सचिव-पंचायती राज विभाग, प्रमुख सचिव-नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव-ग्राम्य विकास विभाग तथा निदेशक-पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ सदस्य संयोजक हैं। उक्त समिति जब अपनी रिपोर्ट देगी तो हम उसको लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी 74वें संशोधन पर जवाब रह गया है। 74वें संविधान संशोधन के लिए 18 विषय हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका पहला और दूसरा विषय संविधान की 12वीं अनुसूची में है। इसमें एक तो अग्नि शमन है जो 7वें नम्बर पर आता है। पहले और दूसरे स्थान पर मास्टर प्लान और नक्शे की व्यवस्था, नक्शा पास करने की व्यवस्था है। मान्यवर, मास्टर प्लान बनाने के काम में लोकल बॉडी अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है कि जो पूरी तरीके से मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे दे। जहां तक नक्शा पास करने का सवाल है तो 652 स्थानीय निकाय हैं, 652 स्थानीय निकायों में से 552 स्थानीय निकायों को यह अधिकार है कि वे अपनी व्यवस्था स्वयं बना सकते हैं। लेकिन 100 स्थानीय निकाय ऐसे हैं कि जिसमें यह व्यवस्था लोकल बॉडी के पास नहीं है, विकास प्राधिकरण के पास है या क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के पास है। मान्यवर, मैं इसको पढ़कर सुनाए देता हूं जो 12वीं अनुसूची में है। एक नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत योजना, भूमि उपयोग विनियमन और भवनों का निर्माण है। मान्यवर, आर्थिक और सामाजिक विकास हम करते हैं। सड़कें और पुल हम बनाते हैं। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलप्रदाय हम करते हैं। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट का प्रबन्ध हम करते हैं। मान्यवर, इस प्रकार स्थानीय निकायों में, लोकल बॉडीज में इन 18 में से 15 के ऊपर हम कार्यवाही करते हैं। शेष 03 में 7वां अग्नि शमन है, अग्निशमन में भी अगर चाहें तो लोकल बॉडी, नगर निगम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं।

वर्तमान में हमारा जो अग्निशमन का सेटअप है वह पुलिस विभाग के अन्तर्गत आता है और उसमें यदि ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं आग लग जाये या कहीं बाहरी क्षेत्र में भी आग लग जाये तो वह अग्निशमन उसको भी डील करता है और वहां पर तुरन्त टीम भेजकर रेसक्यू ऑपरेशन करता है। जो व्यवस्था हमारे पास वर्तमान में है और जो अधिक से अधिक संभव थे उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो पांच विशेष प्राधिकरण हैं उनको छोड़कर और 28 विकास प्राधिकरणों को छोड़कर और 67 विनियमित क्षेत्र को छोड़कर, विनियमित क्षेत्रों में यह व्यवस्था अलग है और बाकी 500 निकायों में यह व्यवस्था पूरी की पूरी है। मान्यवर, पूरे सदन को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 18 में से 15 हमारे नगर निकायों को यह सौभाग्य प्राप्त है कि 74वें संविधान संशोधन के आधार पर वे अपनी तरफ से सभी कुछ डील कर सकते हैं।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी के खड़े होकर अपनी बात कहने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लेते हैं अब आप मनोज जी बैठ जायें। आप बैठ जायें इनका प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके उत्तर में पूरा संविधान आ गया है पूरी नियमावली आ गई है, बहुत कुछ आ गया है। श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी अब आप बैठ जाएं।

प्रदेश के महानगरों के पटरी दुकानदारों हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

***8-श्री वीरेन्द्र यादव**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों तथा नगरों आदि में पटरी दुकानदारों के कल्याण के लिए क्या कोई नवीन कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो नवीन कार्य योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश के महानगरों तथा नगरों आदि में पटरी दुकानदारों के कल्याण के लिये भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के क्रम में दिनांक 10-05-2017 को उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है।

उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के निकायों में पथ विक्रय समिति के गठन, वेण्डिंग/नो-वेण्डिंग जोन के चिन्हांकन एवं पटरी दुकानदारों का सर्वेक्षण कर उनके पंजीकरण एवं तद्क्रम में पथ विक्रय प्रमाण-पत्र एवं परिचय-पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि प्रदेश में जो खुमचा और ठेला वाले हैं, उनके लिए माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इनकी व्यवस्था कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी जगह वेण्डिंग जोन और नो वेण्डिंग जोन चिन्हित् किये गए हैं। रेहड़ी और ठेलेवालों को आपने कितनी जगह स्थापित किया है यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि पथ विक्रय समिति का गठन आपने कितनी जगह करने का काम किया है ? यह मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि 577 निकायों में से 543 निकायों में पथ विक्रय समितियों का गठन कर दिया गया है। इन निकायों में कुल 2845 वेण्डिंग जोन एवं 1836 नो वेण्डिंग जोन चिन्हित् किये जा चुके हैं। साथ ही साथ इन निकायों में 295936 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर 124688 पथ विक्रेता पंजीकृत

किये जा चुके हैं जिनमें से 37468 पथ विक्रेताओं को प्रमाण-पत्र एवं 34631 पथ विक्रेताओं को परिचय-पत्र दिये जा चुके हैं ताकि उनको पुलिस और लोकल बॉडी का कोई अधिकारी परेशान न कर सके। मान्यवर, इसका उद्देश्य भी यही है कि फेरी नीति के तहत जो बाजार में घूमने वाले लोग हैं उन लोगों को परिचय-पत्र दे दिये जायें और परिचय-पत्र के आधार पर वह अपने आपकी प्रॉपर्ली पहचान करा सकें और उनको किसी तरह की कोई कठिनाई न हो, जो उसका उद्देश्य है, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की ।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद सहारनपुर नगर निगम में पूरे के पूरे फेरी वालों और रेहड़ी वालों को पुलिस वालों ने जबरन उजाड़ दिया है और वह भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं। वहां पर कोई वेण्डिंग जोन उनके लिए न चिन्हित किया गया है और न ही उन्हें आवंटित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विशेषतः सहारनपुर को संज्ञान में लेते हुए क्या इस बारे में विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जनपद सहारनपुर की अलग से सूचना मँगानी पड़ेगी लेकिन जो हमारे पास सूचना है वह हम आपको दे देते हैं। आपकी बात मैंने समझ ली है और उसको हम अलग से दिखवा भी लेंगे। मान्यवर, जो सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या जनपद सहारनपुर में आइडेंटिफाई हुई है वह पंजीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या 8,140 हैं, जिसमें से पथ विक्रेताओं को जारी प्रमाण-पत्रों की संख्या (चार) 4 हजार, पथ विक्रेताओं को जारी परिचय-पत्रों की संख्या (चार) 4 हजार है। मान्यवर, यह हमारे पास सूचना है और इसके प्रति आपकी जो जिज्ञासा है इसको हम अलग से दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के ग्रामों एवं बसावटों को लेपन स्तर तक कार्य एवं डामर रोड से जोड़ने की कार्य योजना बनाने विषयक

***9-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गांवों की बसावट ऐसी है जिनको लेपन स्तर की सड़क से आज तक नहीं जोड़ा गया है ? क्या सरकार कोई समयावधि निश्चित कर उन गांवों को डामर रोड से जोड़ने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में गांवों की लगभग 34651 बसावटें लेपन स्तर की सड़कों से जोड़े जाने हेतु शेष है।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-08 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जी हां। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक आबादी के 1557 राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने एवं मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 32 राजस्व ग्रामों एवं 156 बसावटों को जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। दो लेन चौड़े मार्गों के दोनों ओर 5 कि0मी0 की परिधि तक वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की 2185 बसावटों को डामर रोड से जोड़ने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष ग्रामों/बसावटों को आगामी वर्षों में जोड़े जाने की योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

***10-श्री श्याम सुन्दर शर्मा**

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये कार्य योजना बनवाने के सम्बन्ध में

***11-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14-02-2000 को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 यथा संशोधित अधिसूचित किये गये हैं, जो कि प्रदेश में भी प्रभावी है। पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-01-2018 एवं दिनांक 25-01-2018 द्वारा उक्त नियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्राधिकारी निर्धारित किये गये हैं।

गृह विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 04-12-2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्तानुसार ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ई-टेण्डरिंग में हो रही अनियमितता की जांच कराने विषयक

***12-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण, पुल निर्माण अथवा मरम्मत कार्य ई-टेन्डरिंग के माध्यम से कराये जाने की नीति है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में उक्त

नीति का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी जनपद मुख्यालय पर एक जांच कमेटी बनाकर उक्त नीति की निगरानी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सभी जनपदों में प्रश्नगत नीति का अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बन्द एवं बेची गई सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के सम्बन्ध में

***13-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सन् 2007 से 2017 के बीच सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलें बन्द हुईं और कितनी बेची गयीं ? क्या सरकार बन्द मिलों को चलाने का कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश कुमार)-

जी हां।

प्रदेश में सन् 2007 से 2017 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की भटनी, रामकोला, देवरिया, बुढ़वल, शाहगंज, बैतालपुर, पिपराइच, लक्ष्मीगंज, घाटमपुर, छाता एवं रायबरेली कुल 11 चीनी मिलें बन्द हुई।

सहकारी क्षेत्र की मझोला (पीलीभीत), रसड़ा (बलिया), धुनियापार (गोरखपुर) एवं औराई (भदोही) कुल 04 चीनी मिलें बन्द हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र की 10 संचालित एवं 11 बन्द चीनी मिलें बेची गई। सहकारी क्षेत्र की कोई चीनी मिल नहीं बेची गई।

जी हां।

सार्वजनिक क्षेत्र की पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) चीनी मिल के परिसर में नई चीनी मिल 5000 टी0सी0डी0 क्षमता (7500 टी0सी0डी0 तक विस्तार योग्य) मय कोजन एवं आसवानी स्थापित की जा रही है। उक्त परियोजनाओं का ट्रायल पेराई सत्र 2018-19 में कर लिया गया है तथा पेराई सत्र 2019-20 से पिपराइच एवं मुण्डेरवा में स्थापित नई चीनी मिलों का पूर्ण क्षमता पर संचालन किया जायेगा।

सहकारी क्षेत्र की मझोला जनपद-पीलीभीत एवं रसड़ा जनपद बलिया को इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में चलाये जाने के उद्देश्य से निजी निवेशक के माध्यम से चलाये जाने का निर्णय लिया गया जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी पशुवधशालाओं (स्लाटर हाउसों) को बन्द किये जाने विषयक

***14-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु वध को पूरी तरह से रोकने के लिए संचालित सभी प्रकार के पशुवधशालाओं (स्लाटर हाउसों) को स्थायी रूप से बन्द किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

रिट याचिका संख्या-309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं तद्विषयक अन्य याचिकाओं में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-02-2017 के अनुपालन में शासन के आदेश दिनांक 22 मार्च, 2017 द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त प्रकार के अवैध पशुवधशालाओं को बन्द/प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की संगत धाराओं में संशोधन करते हुए प्रदेश की सभी नगर निकायों को किसी प्रकार की पशुवधशाला की स्थापना/संचालन के दायित्व से मुक्त किया जा चुका है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17-02-2017 के क्रम में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत 24 नियमों के कम्पेडियम में निर्धारित शर्तों/नियमों का अनुपालन पूर्ण करने वाली निजी क्षेत्र की पशुवधशालाओं के संचालन पर कोई रोक नहीं है।

प्रदेश में नियमित एवं विनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

***15-श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों एवं नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में अनियमित विकास को रोकने तथा नियमित एवं विनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों को आवासीय जोन सरकार घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

प्रदेश के नगरों एवं नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में अनियमित विकास के नियंत्रण एवं सुनियोजित विकास के लिये महायोजना तैयार की जाती है, जिसके अन्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक, सार्वजनिक सुविधायें, औद्योगिक, पार्क एवं खुले स्थल, यातायात एवं परिवहन आदि भू-उपयोग जोन प्रस्तावित किये जाते हैं। महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप ही सम्बन्धित अभिकरण द्वारा विकास/निर्माण अनुज्ञा प्रदान की जाती है ताकि नगरीय एवं नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश के किसानों को किसान साधन सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017, 2018 का ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***16-श्री नाहिद हसन-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान साधन सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में दिनांक 27-11-2018 तक कितना ऋण प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसान साधन सहकारी समिति द्वारा किसानों को यूरिया कितने दिनों के उधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

जी हां।

प्रदेश के 50 जिला सहकारी बैंकों से सम्बद्ध पैक्स के माध्यम से वर्ष 2016-17 में रु0 623068.76 लाख, वर्ष 2017-18 में रु0 390803.72 लाख तथा वर्ष 2018-19 में दिनांक 30-11-2018 तक रु0 429398.18 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान (01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य) जो भी ऋण/ उर्वरक उधार पर दिया जाता है, उसमें से 01 अप्रैल को बचे हुए ऋण की मांग प्रस्तुत की जाती है जिसे 30 जून तक अदा करने का समय होता है।

विस्तृत वितरण कार्यालय में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्षा ऋतु में सड़कों, गलियों और चौराहों पर जल भराव सम्बन्धी

***17-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्षा ऋतु में नगरीय क्षेत्रों की सड़कों, गलियों और चौराहों पर जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश के नगरीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा निकायों द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाता है। वर्षा ऋतु से पूर्व सड़कों के किनारे नालियों एवं नालों की सफाई का कार्य निकायों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु नगरीय निकायों द्वारा कन्ट्रोल रूप की स्थापना करते हुए जलभराव से सम्बन्धित स्थानों को चिन्हित कर निचले स्थानों पर मोबाइल पम्पिंग सेट लगाकर जल भराव की समस्या का निराकरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मण्डल में आलू के व्यापक उत्पादन के दृष्टिगत किसानों को आलू का बेहतर मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में

***18-श्री दलवीर सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अलीगढ़ मण्डल में आलू के व्यापक उत्पादन के दृष्टिगत किसानों को आलू का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु आलू आधारित उद्योग स्थापित कराये जाने हेतु किसी कार्य योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

आलू का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश एवं भारत सरकार के सहयोग से निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनका लाभ अलीगढ़ के आलू उत्पादकों को भी देय है :-

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना-

प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 प्रख्यापित की गई है।

नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें उद्यमियों को प्रदान की जा रही हैं।

नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना या स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई की क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख तक का पूंजीगत अनुदान की सुविधा।

प्रदेश में फल एवं शाक भाजी आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत इकाइयों को प्रदेश सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान की सुविधा।

सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति 05 वर्षों तक की सुविधा।

मध्यम एवं वृहद इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण के ब्याज की दर का 07 प्रतिशत अधिकतम रु0 50 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की सुविधा।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजना-

(क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना (60 प्रतिशत केन्द्रांश+40 प्रतिशत राज्यांश) के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट के घटक में निम्नवत् वित्तीय सहायता अनुमन्य की जाती है-

फंक्शनल पैक हाउस/ऑन फार्म कलेक्शन यूनिट (9x6 मीटर) पूंजीगत लागत धनराशि रु0 4.00 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.00 लाख तक की आर्थिक सहायता बैक एण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

एकीकृत पैक हाउस (9x18 मीटर) परियोजना लागत 50 लाख का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि 17.50 लाख क्रेडिट लिंक बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

(क) कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप-2 (मल्टीपल टेम्परेचर एण्ड प्रोडक्ट यूज) की स्थापना हेतु परियोजना लागत 500 लाख का 35 प्रतिशत अधिकतम रु0 175.00 लाख क्रेडिट लिंक बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

(ख) एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली (2 कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत परियोजना लागत 5 करोड़ का 35 प्रतिशत अधिकतम अनुदान धनराशि 175 लाख क्रेडिट लिंक बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

(ग) टेक्नालाजी इन्डाक्शन एवं आधुनिकीकरण ऑफ कोल्ड चेन परियोजना लागत रु0 250.00 लाख/इकाई का 35 प्रतिशत अधिकतम अनुदान धनराशि 87.50 लाख क्रेडिट लिंक बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

(घ) कोल्ड स्टोरेज यूनिट (सी0ए0 स्टोरेज) की स्थापना हेतु उक्त के अतिरिक्त रु0 10000 प्रति मैट्रिक टन का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

(ङ) प्रीकूलिंग यूनिट की स्थापना हेतु परियोजना लागत रु0 25.00 लाख का 35 प्रतिशत अधिकतम अनुदान धनराशि रु0 8.75 लाख क्रेडिट लिंक बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

प्राइमरी/मोबाइल/मिनिमम प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत रु0 50.00 लाख रुपये का 40 प्रतिशत अधिकतम रु0 10.00 लाख क्रेडिट लिंक बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

रीफर वैन (क्षमता 09 मैट्रिक टन) रु0 26.00 लाख तथा कम क्षमता पर किन्तु 04 मैट्रिक टन से कम नहीं के लिये प्रोराटा बेसिस पर 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 9.10 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा।

प्रिजर्वेशन (लो कास्ट) की स्थापना हेतु कुल लागत धनराशि रु0 02.00 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 01.00 लाख तक की आर्थिक सहायता बैंक एण्डेड सब्सिडी।

(ख) आपरेशन ग्रीन योजना-योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के जनपद आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में उत्पादित आलू की खपत के लिये एकीकृत मूल्य विकास श्रृंखला प्रोजेक्ट स्थापित करने, जिसमें किसानों के समूह बनाकर बीज/आलू उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी सुविधायें यथा-उत्पादन खुराई उपरान्त प्रबन्धन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, प्रसंस्कृत उत्पाद का बाजार में विपणन आदि सम्मिलित है। योजनान्तर्गत आलू के एकीकृत मूल्य विकास श्रृंखला प्रोजेक्ट (इंटीग्रेटिड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 करोड़ तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। किसान उत्पादक समूहों के लिये अनुदान की सीमा 70 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 करोड़ तक है। प्रदेश से बाहर आलू भेजने के लिये परिवहन भाड़े एवं भण्डारण आदि पर 50 प्रतिशत के अनुदान का प्राविधान है, जिसके लिये नैफेड को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बेतवा नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराने हेतु

1-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेतवा नदी के खिरियाघाट पर बने रपटा के स्थान पर जनहित में पक्का पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर सेतु, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रु0 6500.08 लाख है, का निर्माण प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम रतनपुरी व रामनगर के बीच धू-धू नदी पर सेतु निर्माण विषयक

2-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव रतनपुरी व रामनगर के बीच धू-धू नदी पर अस्थाई पाईल सेतु का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

3-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

4-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 23-07-2019 को अता0प्र0सं0-184 द्वारा उत्तरित]

विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ग्राम बड़ी टेड़ई के नहर पर बने पुल का निर्माण कार्य कराने विषयक

5-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ग्राम बड़ी टेड़ई के पास नहर का पुल टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का चौड़ीकरण कराकर पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

उक्त पुल का चौड़ीकरण/पुनः निर्माण हेतु परियोजना तैयार कर मुख्य अभियन्ता समिति से स्वीकृत होने तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

क्रिस्टल बार एण्ड रेस्टोरेन्ट के मालिक के चरित्र सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दि0 11-09-2018 जो कि क्रिस्टल बार एण्ड रेस्टोरेन्ट के मालिक के चरित्र सत्यापन किये बिना बार लाइसेन्स का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उक्त बार अनुज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। निरस्तीकरण आदेश के पश्चात् प्रकरण में रिट याचिका संख्या-11804एमबी/2019, राकेश सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित की गई है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में स्थित मुंगराबादशाहपुर नगरपालिका परिषद् का पुनः सीमांकन करने विषयक

7-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में स्थित मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका परिषद् का पुनः सीमांकन कर सीमा विस्तार करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

शासनादेश संख्या-2212/नौ-6-2014-181मिस0/2014, दिनांक 10-11-2014 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1/240/नौ-6-2015-181मिस0/2014, दिनांक 30-01-2015 में निर्धारित मानकों के अनुसार जिलाधिकारी, जौनपुर से संस्तुति सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के हरगांव से लहरपुर मार्ग पर लगे वृक्षों पर अधिकार के सम्बन्ध में

8-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में हरगांव से लहरपुर मार्ग जो जिला पंचायत सीतापुर द्वारा लगभग 65 वर्ष पूर्व बनवाया था, उस समय जिला पंचायत ने सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपड़ का कार्य भी कराया था, जो वृक्ष अब तक लगभग आधे से अधिक खराब व सूख चुके हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उन सूखे व खराब पेड़ों पर किसका अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रश्नगत क्षेत्र में वृक्षों की स्थिति सीतापुर वन प्रभाग के लिये गठित कार्य योजना (प्रबन्ध योजना) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

जनपद सीतापुर में हरगांव से लहरपुर मार्ग पर स्थित वृक्षों के स्वामित्व के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण एवं जांच कराये जाने पर इन वृक्षों पर जिला पंचायत का स्वामित्व नहीं पाया गया है। वर्तमान में इन वृक्षों पर वन विभाग का स्वामित्व है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की वि0स0 क्षेत्र सिधौली में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा निर्धारित कोटे का गन्ना न लिये जाने से उत्पन्न परिशानियों के सम्बन्ध में

9-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के किसानों का गन्ना रामगढ़ चीनी मिल, जवाहरपुर चीनी मिल व हैदरगढ़ चीनी मिल तथा बिसवां चीनी मिल द्वारा खरीदा जाता है परन्तु इस वर्ष इन मिलों द्वारा निर्धारित कोटे का गन्ना नहीं लिये जाने के कारण किसान गन्ने को खेत में जलाने को मजबूर हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी मिल मालिकों पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत चीनी मिल रामगढ़, जवाहरपुर, बिसवां एवं हैदरगढ़ द्वारा संचालित क्रय केन्द्र का गन्ना क्षेत्रफल बेसिक कोटा एवं उसके सापेक्ष गन्ना खरीद की स्थिति निम्नवत् है :-

क्रम सं0	नाम जनपद	नाम चीनी मिल	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	बेसिक कोटा (लाख कु0)	गन्ना खरीद (लाख कु0)
1	सीतापुर	रामगढ़	1614	4.33	4.47
2		जवाहरपुर	198	0.64	0.66
3		बिसवां	2040	5.60	5.91
4		हैदरगढ़	3475	7.96	11.12

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विधान सभा क्षेत्र सिधौली का गन्ना जिन चीनी मिलों को आवंटित किया गया है, उनके द्वारा निर्धारित बेसिक कोटे से अधिक गन्ना खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा कृषकों का समस्त पेराई योग्य गन्ना खरीद कर अन्तिम रूप से पेराई सत्र का समापन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण खण्ड-1 द्वारा कराये गये नवनिर्मित कार्य व पैच वर्क के कार्यों की जांच कराने हेतु

10-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 द्वारा कराये गये नवनिर्मित कार्य व पैच वर्क के कार्यों की गुणवत्ता की रैन्डम जांच सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

कार्यों की गुणवत्ता की जांच मुख्यालय से अधिकारी नियुक्त कर रैण्डम रूप से स्टेट लेवल चेकिंग (SLC) के अन्तर्गत की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के तहसील किरावली में सहकारिता विभाग के अनुपयोगी भवन व भूमि को उपयोगी बनाने विषयक

11-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की किरावली तहसील में सहकारिता विभाग की भूमि और भवन कहां-कहां पर स्थित हैं और उनका उपयोग किस-किस संदर्भ में किया जा रहा है तथा कितनी भूमि और भवन हैं जो अनुपयोगी हैं और बेकार पड़े हैं ? क्या सरकार उक्त को उपयोगी बनाये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के निम्नलिखित विकास खण्डों में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी समितियों की भूमि एवं भवनों की स्थिति निम्नवत् है :-

(I) विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में ग्राम-रसूलपुर, नयावांस, कोरई, फतेहपुर सीकरी, जाजौली व डाबर, उन्देरा दूरा। एवं

(II) विकास खण्ड अछनेरा में-नं0 अर्रुआ, रायभा, कुकथला, बस्तई, खेड़ा साधन, अभैंदोपुरा, रुनकता एवं सहकारी संघ अछनेरा, रुनकता, किरावली एवं सहकारी क्रय विक्रय समिति अछनेरा।

उक्त भूमि और भवनों का उपयोग परम्परागत उर्वरक भण्डारण/वितरण व्यवसाय, आधुनिक व्यवसाय, मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान/गेहूं खरीद, कृषि उत्पाद क्रय हेतु क्रय केन्द्र तथा कृषकों को सवाई खाद्यान्न वितरण के रूप में किया जा रहा है।

विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में 1555 वर्ग मी0 भूमि तथा विकास खण्ड अछनेरा में सहकारी संघ किरावली पर 1862 वर्ग मी0 एवं सहकारी संघ किरावली की 10060 वर्ग मी0 भूमि ग्राम सभा कोरई में रिक्त है, जिसका उपयोग धान/गेहूं क्रय हेतु ऑफ सीजन में अस्थाई भण्डारण के रूप में किया जाता है।

वर्तमान समय में जनपद में गोदाम निर्माण/मरम्मत की कोई योजना स्वीकृत नहीं है और न ही इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के तहसील किरावली में वर्ष 2017-18 में शरद ऋतु में कम्बल वितरण के सम्बन्ध में

12-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली में वर्ष 2017-2018 के शरद ऋतु में सरकार द्वारा गरीब असहाय निर्बल लोगों के निमित्त शीत लहर से बचने के उद्देश्य से गर्म कम्बल किन-किन लोगों को और कितनी संख्या में लाभार्थियों को वितरित किये गये थे ? क्या सरकार लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

शीतलहरी वर्ष 2017-18 में दिनांक 11-12-2017 के क्रम में 1150 कम्बल दिनांक 19-12-2017 के क्रम में 1150 कम्बल दिनांक 19-12-2017 को प्राप्त हुए थे एवं इसके बाद पुनः दिनांक 12-01-2018 को 1100 कम्बल प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 2250 कम्बल उप जिलाधिकारी, किरावली को वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुए थे। ग्रामवार वितरित कम्बलों की सूची संलग्न† है।

जनपद शाहजहांपुर के निदेशक, गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के द्वारा नियुक्त किये गये 19 वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जांच कराने विषयक

13-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के द्वारा 19 वैज्ञानिकों की भर्ती नियम के विपरीत किये जाने की जानकारी

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 274-280 पर।

सरकार को है ? यदि हां, तो क्या प्रमुख सचिव चीनी उद्योग अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 05-06-2018 को जांच विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन को नामित किये जाने के पश्चात् विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त जांच में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जी हां।

उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर में वर्ष 2015 में की गई वैज्ञानिक भर्तियों की प्रारम्भिक जांच मण्डलायुक्त सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी से कराई गई। प्रारम्भिक जांच दिनांक 09-03-2018 में तत्कालीन प्रभारी निदेशक को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जिसके आधार पर प्रभारी निदेशक के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-651/46-1-18-20(11)/2016, दिनांक 05-06-2018 द्वारा विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, महमूदाबाद व टाउन एरिया पैंतेपुर में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में

14-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, महमूदाबाद व टाउन एरिया पैतेपुर में सड़क हेतु जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अधिग्रहीत की जमीन पर सड़क न बनाये जाने के कारण सरकार उस जमीन को कृषकों को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कुर्सी आदि क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर के सम्बन्ध में

15-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, कुर्सी, महमूदाबाद मार्ग पर 54 किमी0 की दूरी में बनाये गये सभी स्पीड ब्रेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के

अनुपालन में बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवैध स्पीड ब्रेकरों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग पर बने सभी रम्बल स्ट्रिप/स्पीड ब्रेकर हटाकर रिपीटेड बार/ ट्रान्सवर्स बार थर्मोप्लास्टिक पेन्ट द्वारा बनवा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्कों/प्रदर्शनी स्थलों/सभागारों के विकास हेतु

16-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के शहीद श्री पंकज सिंह की स्मृति में पार्क/प्रदर्शिनी स्थल, सभागार का निर्माण नगर निगम सीमान्तर्गत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद मथुरा के शहीद श्री पंकज सिंह की स्मृति में पार्क/प्रदर्शनी स्थल, सभागार का निर्माण नगर निगम सीमान्तर्गत कराये जाने हेतु बजट आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत ''नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्कों/प्रदर्शनी स्थलों/सभागारों का विकास/निर्माण'' योजना के अन्तर्गत कोई बजट व्यवस्था नहीं की गई है।

जनपद मथुरा में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 में सीवेज शोधन संयंत्रों के निर्माण के सम्बन्ध में

17-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एन0जी0आर0बी0ए0/ नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मथुरा में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत तथा 2019-20 में प्रस्तावित सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के गांधी पार्क, खुराना गेट में स्थित सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत कराने हेतु

18-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के गांधी पार्क, खुराना गेट में स्थित सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत तथा उसके समीप स्थित भूमि पर एक-एक अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय बनाया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा गांधी पार्क खुराना गेट पर स्थित सार्वजनिक शौचालय को तोड़कर पुनः एक नया शौचालय बनाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में नगर निगम, फिरोजाबाद के कार्यालय के पत्रांक-2092/पी0डब्लू0डी0/निविदा सूचना/2018-19, दिनांक 07-03-2019 के द्वारा निविदायें आमंत्रित की गईं जो आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण ई-टेण्डर साइट पर अपलोड नहीं की जा सकीं। पुनः उक्त कार्यालय के पत्रांक-डी-569/पी0डब्लू0डी0/निविदा सूचना/2018-19, दिनांक 06-06-2019 को निविदा आमंत्रित की गई, परन्तु अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके डिजिटल हस्ताक्षर के अभाव में निविदायें ई-टेण्डर साईट पर अपलोड नहीं की जा सकीं जिसके कारण पुनः उक्त कार्यालय के पत्रांक-588/पी0डब्लू0डी0/ई-निविदा सूचना/2018-19, दिनांक 24-06-2019 के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को डी0पी0आर0 के अन्तर्गत धन आवंटन करने हेतु

19-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में भारत सरकार द्वारा कुल कितने लाभार्थियों की डी0पी0आर0 (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) स्वीकृत की गयी है तथा इसमें से कितनों को प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त तथा तृतीय किश्त जारी की गयी एवं कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त

स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष चरणबद्ध धनावंटन करने की प्रक्रिया विलम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विलम्ब के लिए जिम्मेदार सम्बन्धित प्रक्रिया में संलग्न आउटसोर्सिंग एजेंसी एवं डूडा, फिरोजाबाद के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम, फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में भारत सरकार द्वारा अब तक कुल 31714 लाभार्थियों की डी0पी0आर0 (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) स्वीकृत की गई है तथा 14825 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 7243 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त तथा 994 लाभार्थियों को तृतीय किस्त जारी की गई तथा 1596 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद से प्राप्त प्रिन्ट पेमेन्ट एडवाइस (पी0पी0ए0) के अनुसार पब्लिक फाइलेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि अवमुक्त की जाती है। सम्प्रति जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित धनावंटन में विलम्ब होने सम्बन्धी कोई प्रकरण नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम के अन्तर्गत अधूरे पड़े अन्त्येष्टि स्थलों के कार्य को पूर्ण कराने हेतु धन अवमुक्त कराने विषयक

20-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अन्तर्गत कुल 13 अन्त्येष्टि स्थलों को विकास हेतु नगर निगम, फिरोजाबाद को नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-286/2015-4649/नौ-5-2015-197-बजट/2014, दिनांक 14-08-2015 द्वारा रुपये 367.00 लाख के सापेक्ष रुपये 50.86 रुपये की स्वीकृत प्रथम किस्त अवमुक्त की गयी है। यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य वर्तमान में किस स्थिति में है ? क्या सरकार उक्त हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि अवमुक्त कर अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

स्वीकृत अवशेष धनराशि रु0 316.14 लाख द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त की जा चुकी है। कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत धन अवमुक्त कराने विषयक

21-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 में नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद को शासनादेश संख्या 168/2018/1151-नौ-5-222 बजट/16 टी0सी0, दिनांक 31-03-2018 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रुपये 200.00 लाख (2 करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मद के अन्तर्गत अवरुद्ध निर्माण कार्यों को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद को शासनादेश संख्या-168/2018/1151-नौ-5-222 बजट/16, टी0सी0, दिनांक 31-03-2018 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रुपये 200.00 लाख (2 करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व में कराये गये कार्यों की जांच जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति द्वारा कराये जाने के उपरान्त शासन के पत्र दिनांक 28-03-2019 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने हेतु प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में नियमानुसार अवशेष कार्य कराते हुए भुगतान की कार्यवाही नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद टी0बी0 वार्ड में अमृत योजना के अन्तर्गत बन रहे पार्क का नाम दिवंगत स्व0 श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर रखने हेतु

22-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के टी0बी0 वार्ड (सरकारी अस्पताल) में अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पार्क का नाम दिवंगत स्व0 श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर रखने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास को नगर विकास मंत्री के पत्र संख्या 6026/मं0सं0 का0न0वि0/2018, दिनांक 05-10-2018 के माध्यम से निर्देशित करा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का निर्माण आरम्भ कर पार्क का नाम भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

नगर निगम फिरोजाबाद की आगामी सदन की बैठक में नामकरण हेतु प्रस्ताव रखा जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में नहरों की सफाई एवं सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त कराने विषयक

23-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में नहरों की स्थिति दयनीय एवं जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की नहरों की मरम्मत/सफाई कराकर सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत नहरों पर आवश्यकतानुसार नियमित रूप से अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्य कराकर नहरों का संचालन किया जाता है, जिससे सभी नहरों पर सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।

24-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

[दिनांक 23-07-2019 को अता0प्र0सं0-187 द्वारा उत्तरित]

विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत तिलहर-जैतीपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कराने हेतु

25-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत तिलहर-जैतीपुर से करकोर तक एवं कटरा-जलालाबाद मार्ग सोम थाना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण गन्ना विकास विभाग, शाहजहांपुर द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गड्ढा-मुक्त सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत तिलहर-जैतीपुर से करकोर तक लम्बाई 0.500 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 2000-01 में कराया गया था एवं कटरा-जलालाबाद मार्ग से सोम थाना मार्ग नहीं है बल्कि कटरा-जलालाबाद मार्ग से मथाना तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0 का निर्माण वर्ष 1988-89 गन्ना विकास परिषद् तिलहर शाहजहांपुर द्वारा कराया गया था।

वर्तमान में दोनों मार्ग गड्ढायुक्त हैं।

जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् के परिषद् बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्गों का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कटरा खुदागंज मार्ग से परमानन्दपुर मार्ग का निर्माण कार्य कराने विषयक

26-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कटरा-खुदागंज मार्ग से परमानन्दपुर मार्ग एवं कटरा-खुदागंज मार्ग से भुड़िया-अलियापुर मार्ग व कटरा-खुदागंज मार्ग से भोपतपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण गन्ना विकास विभाग, शाहजहांपुर द्वारा कराया गया है जो गड्ढा युक्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या गन्ना विकास विभाग, शाहजहांपुर द्वारा उक्त मार्ग गड्ढामुक्त सड़क योजना के अन्तर्गत सरकार गड्ढामुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत कटरा खुदागंज मार्ग से परमानन्दपुर मार्ग लम्बाई 0.600 कि0मी0 का निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 1990-91 में कराया गया था एवं कटरा-खुदागंज मार्ग से भुड़िया-अलियापुर मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 का निर्माण वर्ष 1996-97 गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा कराया गया था तथा कटरा-खुदागंज मार्ग से भोपतपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.5 कि0मी0 का निर्माण वर्ष 1992-93 में गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा कराया गया था। वर्तमान में तीनों मार्ग गड्ढायुक्त हैं।

जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् के परिषद् बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्गों का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मियों का विभिन्न बकायों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम पर उसके कर्मियों के एरियर, ग्रेच्युटी, नगदीकरण, राशिकरण व महंगाई भत्ता आदि मदों की कितनी धनराशि बकाया है ? क्या इस बकाये के भुगतान हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां, वर्तमान में धनराशि रु0 1080.40 करोड़ बकाया है।

जी हां।

निगम द्वारा कृत कार्य के सापेक्ष प्राप्त सेन्टेज की धनराशि से जल निगम कार्मिकों के वेतन/पेंशन, ग्रेच्युटी, नगदीकरण, एरियर व मंहगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

देश के 100 स्वच्छ शहरों में प्रदेश के अधिकतम् शहरों को शामिल कराये जाने विषयक

28-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने शहर देश के प्रथम सौ स्वच्छ शहरों की वर्तमान सूची में सम्मिलित हैं ? क्या प्रदेश के अधिकाधिक शहरों को उक्त सूची में शामिल कराने हेतु प्रदेश में स्वच्छता की विशेष योजना विभिन्न नगर निकायों में सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

देश के प्रथम सौ स्वच्छ शहरों में प्रदेश के 06 निकाय सम्मिलित हैं-गाजियाबाद-13, कानपुर-63, झांसी-68, वाराणसी-70, आगरा-85 एवं सहारनपुर-92 ।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के विषय में जारी मार्गदर्शिका के क्रम में प्रदेश के समस्त शहरों में कार्य किये जाने हेतु सतत् रूप से राज्य स्तर पर गठित मिशन निदेशालय (स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय) द्वारा कार्य किया जा रहा है एवं उक्त के सम्बन्ध में उत्तरोत्तर प्रगति हासिल की गई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 में देश के 73 शहर सम्मिलित थे, रैकिंग का विवरण इस प्रकार है-इलाहाबाद-22, लखनऊ-28, आगरा-47, वाराणसी-65, गाजियाबाद-67 एवं मेरठ-69 ।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में देश के 434 शहर सम्मिलित थे, रैकिंग का विवरण इस प्रकार है-वाराणसी-32 ।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में देश के 4203 शहर सम्मिलित थे, रैकिंग का विवरण इस प्रकार है-वाराणसी-29, गाजियाबाद-36, झांसी-60 एवं कानपुर-65 । प्रदेश के 03 नगरीय निकायों :-गाजियाबाद, अलीगढ़ एवं समथर को उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में देश के 4237 शहर सम्मिलित थे, रैंकिंग का विवरण इस प्रकार है-गाजियाबाद-13, कानपुर-63, झांसी-68, वाराणसी-70, आगरा-85 एवं सहारनपुर-92।

प्रदेश के 14 निकाय :-मथुरा-वृन्दावन, झांसी, उरई, मोहम्मदी, नदीगांव, मुरादनगर, गुलावटी, साहाबाद, धनौरा, पलियाकला, गौरा बरहज, फतेहपुर, चौरासी, जसराना, गाजियाबाद को उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।

सर्वेक्षण वर्ष 2018 में राज्यों के रैंकिंग में उ0प्र0 18वें स्थान पर था, परन्तु वर्ष 2019 के सर्वेक्षण में 10वें स्थान पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर, तहसील-डिबाई के कर्णवास से राजघाट के बीच कृषि भूमि के कटान को रोकने के समाधान हेतु

29-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर, तहसील डिबाई के कर्णवास से राजघाट के बीच सीताराम बम्बा के आश्रम के पास गंगा नदी के किनारे होने वाले कटान के कारण हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि एवं बहुत बड़ी संख्या में गांव जलमग्न हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त समस्या के समाधान हेतु रुपये 1127.46 लाख लागत की एक कटाव निरोधक परियोजना (तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 09-05-2018 को संस्तुति हो चुकी है) को स्थायी संचालन समिति की बैठक में स्वीकृति करवाकर तथा धनावंटन प्राप्त कर होने वाले कटाव निरोधक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, मेरठ के द्वारा मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश मेरठ को प्रेषित पत्रांक 1220/डीडीएम/आई0जी0आर0एस0, दिनांक 02-06-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। वर्षाकाल में कतिपय ग्राम व इन ग्रामों की कुछ कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती है।

जी हां।

कटाव निरोधक परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में संस्तुति उपरान्त दिनांक 20-11-2018 को सम्पन्न उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति की 51वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। सम्यक् विचरोपरान्त समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि पुनः परीक्षणोपरान्त स्थाई संचालन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अतः परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के बजरिया क्षेत्र में स्थित पुरानी सब्जी मण्डी के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

30-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के वार्ड संख्या-51 बजरिया क्षेत्र में स्थित पुरानी सब्जी मंडी जर्जर हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवंटियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए तीन रास्तों वाली इस पुरानी सब्जी मंडी में एक मल्टी स्टोरी कामर्शियल बिल्डिंग, काम्प्लेक्स तथा एक भूमिगत पार्किंग का निर्माण कराते हुए नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रति वर्ष लाखों रुपयों के राजस्व प्रदान करने वाला प्रकल्प देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत भूमि पर सब्जी मण्डी का संचालन किया जा रहा है, जिस पर नगर निगम, फिरोजाबाद की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में पुरानी तहसील कम्पाउण्ड के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

31-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के वार्ड संख्या-51 में स्थित पुरानी तहसील कम्पाउण्ड जर्जर एवं खंडहर है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर के दक्षिणी क्षेत्र की अत्यन्त घनी आबादी में स्थित इस विशाल भू-खण्ड पर जो वर्तमान में गन्दगी एवं आवारा जानवरों के विचरण का स्थान बना हुआ है, एक भूमिगत पार्किंग एवं उसके ऊपर पार्क विकसित कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जी हां।

प्रश्नगत भूमि नजूल भूमि है, जिस पर राजस्व विभाग का कब्जा है। उक्त के दृष्टिगत नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित किया जाना समीचीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में अमृत योजना के अन्तर्गत पार्कों की निर्माण गुणवत्ता की जांच एवं देरी के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु

32-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में वर्तमान में अमृत योजना में कितने पार्कों का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार किया जा रहा है ? क्या सरकार को अवगत है कि अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन इन पार्कों में किया जाने वाला निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चलने के कारण एवं खराब गुणवत्ता से आम जनमानस में सरकार की छवि खराब हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में बनने वाले पार्कों की निर्माण गुणवत्ता की जांच एवं देरी के दोषी ठेकेदार एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्तमान में नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 में 3 पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सैप वर्ष 2016-17 में 3 पार्कों अर्थात् कुल 06 पार्कों के पुनः निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य मै0 प्लान्ट्स केयर के द्वारा कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सैप वर्ष 2017-20 के अन्तर्गत 10 पार्कों के जीर्णोद्धार की स्वीकृति के सापेक्ष निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की गई है।

नगर निगम फिरोजाबाद में अमृत योजना के अन्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 एवं सैप वर्ष 2016-17 में कुल 6 पार्कों का कार्य मै0 प्लान्ट्स केयर को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से दिया गया था। कार्य की गति धीमी होने एवं कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को दिनांक 06-02-2019 को काली सूची में डाल दिया गया।

अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद में सैप वर्ष 2015-16 एवं सैप वर्ष 2016-17 के कुल 6 पार्कों की गुणवत्ता की जांच कराने हेतु जिलाधिकारी, फिरोजबाद को दिनांक 20-12-2018 को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा गठित जांच समिति द्वारा पार्कों की जांच की गई। जांच में पाई गई कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में ठेकेदार को नोटिस दिया गया। दिनांक 06-02-2019 को नगर आयुक्त ने अपने निरीक्षण में पुनः कमियों को देखते हुए सम्बन्धित ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के शाहपुर-भोजपुर बांध के 16 स्थानों को भरने के लिये योजना हेतु

33-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शाहजहांपुर-भोजपुर बांध के 16 स्थानों पर गैप को भरने के लिए बांध निर्माण की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

शाहपुर-भोजपुर बांध के विभिन्न रीचों में 15.880 कि0मी0 की लम्बाई में छूटे हुए 16 अदद गैप्स को पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 6961.49 लाख की तैयार कर स्थाई संचालन समिति की परिचालन की बैठक दिनांक 14-04-2018 में स्वीकृत होने के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदित कराये जाने की प्रक्रियान्तर्गत गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-इटवा-तलपुरवा बिश्कोहर मार्ग पर स्थित पुलों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

34-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी-इटवा-तलपुरवा-बिश्कोहर मार्ग पर बरगदवा और भिलोरी स्थित पुराने पुलों के चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत सेतुओं का चौड़ीकरण मानकों से आच्छादित नहीं है तथा पुलों की दशा संतोषजनक होने के कारण पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मथुरा एवं अलीगढ़ को जोड़ने वाले छाता-शेरगढ़-नौहझील मार्ग की मरम्मत/ पुनर्निर्माण हेतु

35-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा एवं अलीगढ़ को जोड़ने वाले छाता-शेरगढ़-नौहझील-बाजना-गौमत मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की दशा संतोषजनक है तथा वर्तमान में मार्ग के इस भाग में यातायात घनत्व चौड़ीकरण हेतु मानकों के अनुरूप नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत जैतीपुर, खण्डसार मार्ग से हवासपुर सम्पर्क मार्ग को गड्ढामुक्त करवाने हेतु

36-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत जैतीपुर खण्डसार मार्ग से हवासपुर सम्पर्क मार्ग डभौरा-सिमरा सम्पर्क मार्ग एवं सलेमपुर-साहमपुर सम्पर्क मार्ग से तिसुई मार्ग जिसका निर्माण गन्ना विकास विभाग, जनपद शाहजहांपुर द्वारा कराया गया है, गड्ढायुक्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या गड्ढामुक्ति सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त मार्ग को गन्ना विकास विभाग, शाहजहांपुर द्वारा गड्ढामुक्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत जैतीपुर-खण्डसार मार्ग से हवासपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.86 कि0मी0 का निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 2005-06 में कराया गया था। डभौरा-सिमरा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.213 कि0मी0 का निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 2004-05 में कराया गया था एवं सलेमपुर सम्पर्क मार्ग से तिसुई मार्ग लम्बाई 1.15 कि0मी0 जिसका निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 2003-04 में कराया गया था। वर्तमान में उक्त तीनों मार्ग गड्ढायुक्त है।

जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् के परिषद् बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्गों का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कटरा जलालाबाद मार्ग से साहमपुर सम्पर्क मार्ग को गड्ढामुक्त करवाने हेतु

37-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत कटरा-जलालाबाद मार्ग से साहमपुर सम्पर्क मार्ग व ग्राम बौरी से कोटा सम्पर्क मार्ग जिसका निर्माण गन्ना विकास विभाग, जनपद शाहजहांपुर द्वारा कराया गया है, गड्ढायुक्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या गड्ढामुक्ति सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त मार्ग को गन्ना विकास विभाग शाहजहांपुर द्वारा गड्ढामुक्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत कटरा-जलालाबाद मार्ग से साहमपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.75 कि0मी0 का निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 2003-04 में कराया गया था तथा बौरी से कोटा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2.00 कि0मी0 का निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 1990-91 में कराया गया था। वर्तमान में उक्त दोनों मार्ग गड्ढायुक्त हैं।

जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् के परिषद् बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्गों का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के पैकफेड विभाग में तैनात वर्तमान एम0डी0 के विरुद्ध जांच कराने विषयक

38-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैकफेड विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में तैनात वर्तमान एम0डी0 के विरुद्ध कितनी जांचें वर्ष, 2017 से लेकर दिनांक 04-04-2019 तक पूर्ण हो चुकी हैं तथा कितनी प्रचलित हैं ? क्या उक्त अधिकारी को पद से हटाकर निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उ0प्र0 राज्य सहकारी निर्माण निगम लिमिटेड (पैकफेड) के वर्तमान एम0डी0 श्री धीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध आलोच्य अवधि में 04 माननीय विधायकगण श्री पारसनाथ यादव, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री नीलरतन सिंह पटेल एवं श्री राम सुन्दर दास निषाद का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता से कराई गई थी। आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता द्वारा पत्र दिनांक 20-02-2019 के माध्यम से अपनी विन्दुवार जांच आख्या शासन में प्रस्तुत की गई, जिसमें शिकायतें बलहीन एवं निरस्त किये जाने योग्य पायी गई हैं। वर्तमान में किसी शिकायत की जांच होना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के रतन खण्ड आवासीय योजना में ग्रीन गैस कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच कराने विषयक

39-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन खण्ड आवासीय योजना, लखनऊ में ग्रीन गैस कम्पनी द्वारा वर्ष 2018-2019 में सड़कों को खोदकर पाइप लाइनें डाल

कर बिना बराबर व पूर्व की भांति किये ही छोड़ दिया गया है ? क्या यह सही है कि नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्य का भुगतान भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराकर सड़कों पर खोदे गये गड्ढे को पूर्व की भांति टाइल्स ईंट लगाकर सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त स्थल की अनुमति शासनादेश संख्या-760/नौ-9-18-101ज/2017, नगर विकास अनुभाग-9, दिनांक 30 मई, 2018 के क्रम में दिनांक 22-12-2018 को दी गयी, जिसमें रतनखण्ड की मुख्य सड़कें आदि नहीं काटी गयी हैं। उक्त कार्य हेतु साइट पटरी इण्टरलॉकिंग (सामान्य पटरी) का उपयोग करते हुए पाइप लाइन डाली जा रही है, जो कार्य प्रगति पर है।

स्थल पर दी गयी अनुमति के अन्तर्गत उक्त स्थल का अनुरक्षण कम्पनी द्वारा स्वयं किया जायेगा। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित कार्य के विरुद्ध कम्पनी द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में धरोहर धनराशि नगर निगम में जमा कराई गयी है। अनुरक्षण की समय-सीमा समाप्त होने के उपरान्त यदि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित कम्पनी की बैंक गारण्टी जब्त कर ली जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 विलरियागंज में छीही बाजार से पतार मोड़ होते हुए अन्जान सईद तक मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

40-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड विलरियागंज में छीही बाजार से पतार मोड़ होते हुए अन्जान सईद तक का पिच रोड मार्ग जर्जर हो जाने से जनमानस को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पिच रोड का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त था, जिसे पैच मुक्त करके सुगम यातायात योग्य कर दिया गया है।

मार्ग अनुरक्षण में है। अतः मार्ग के नव निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये धनराशि अवमुक्त कराने हेतु

41-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में धनराशि रु0 5 करोड़ स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो क्या सभी विधान सभाओं के प्रस्ताव के अनुरूप बजट अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यकतानुसार एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृतियां दी जा रही हैं।

आवश्यकतानुसार बजट अवमुक्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री संजय गर्ग-

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र कालपी में शेखपुर गढ़ा से नया पुरवा होते हुए मगरौल मार्ग को बनवाने हेतु

43-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में शेखपुर गढ़ा से नया पुरवां होते हुए मगरौल मार्ग जर्जर है जिसकी लम्बाई मात्र 3 कि0मी0 है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम शेखपुर गढ़ा कालपी मंगरौल से मैनपुरी सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 3.00 से निकलने वाले ग्रामीण मार्ग से जुड़ा है तथा कालपी मंगरौल मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 8.00 में गंगरौल ग्राम स्थित है। दोनों ही ग्राम पक्के सम्पर्क मार्गों से संतृप्त हैं। ग्राम नयापुरवा, ग्राम शेखपुर गढ़ा का एक मजरा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उक्त मजरे की आबादी 114 है। जनसंख्या घनत्व 250 से कम होने के कारण प्रश्नगत मजरे को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की वर्तमान नीति से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल सूर्य मन्दिर से कालपी तक मार्ग बनवाने हेतु

44-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में ऐतिहासिक सूर्य मन्दिर मदरालालपुर के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालपी से उक्त सूर्य मन्दिर तक मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 12 कि0मी0 है, बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

कालपी से ग्राम मदरालालपुर लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में ग्रामीण मार्ग-बबीना-हांसा मार्ग, हांसा-अभिरुवा मार्ग व अभिरुवा से मदरालालपुर सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है, जिसकी लम्बाई 12.50 कि0मी0 है। सम्पर्क मार्गों की दशा संतोषजनक है। मदरालालपुर से ऐतिहासिक सूर्य मन्दिर तक संरक्षित वन क्षेत्र है, जिसकी लम्बाई 700 मी0 है, जो वन विभाग के अधीन है। अतः लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में जोल्हूपुर मोड़ से मदारीपुर मार्ग के चौड़ीकरण करने हेतु

45-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में जोल्हूपुर मोड़ से मदारीपुर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 40 कि0मी0 है, जिसमें मात्र 12 कि0मी0 मार्ग का निर्माण/चौड़ीकरण हो गया है, शेष काम रुका पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवशेष मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जोल्हूपुर मोड़ से मदारीपुर मार्ग तक की लम्बाई 40.040 कि0मी0 है, जिसकी 12.00 कि0मी0 लम्बाई केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत पूर्ण है। शेष 28.04 कि0मी0 के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की लागत रु0 5545.42 लाख आंकलित है। मार्ग निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में यमुना नदी में सरैनी घाट पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

46-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में यमुना नदी में सरैनी घाट पर निर्माणाधीन पुल का कार्य वर्तमान में बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

पुनः पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्य बाधित है।

निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु

47-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत एक मात्र निकाय, नगर पंचायत बाजना अवस्थित है। निकाय क्षेत्रों हेतु शासन द्वारा संचालित डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था के लिये नगर पंचायत बाजना द्वारा नियमानुसार डी0पी0आर0/कार्य योजना उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मथुरा के शेरगढ़ से दलौता मार्ग के मरम्मत कार्य को कराने हेतु

48-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के शेरगढ़ से दलौता मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित धनराशि के सापेक्ष धन की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मथुरा में शेरगढ़-दलौता मार्ग की कुल लम्बाई 12.200 कि0मी0 है। इस मार्ग के कि0मी0 एक से 350 मीटर लम्बाई में सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति में है। यह कार्य 31-07-2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। शेष लम्बाई में मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के राया से नीमगांव तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत हेतु

49-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के राया से नीमगांव तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कार्य/चौड़ीकरण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित धनराशि स्वीकृत कर उक्त मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की पूर्ण लम्बाई में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक स्थिति में है। उक्त मार्ग को 3.75 मीटर से 7.00 मीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की लागत रु0 3232.00 लाख आंकलित है। विषयगत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के वि0स0 क्षेत्र मांट में नगरीय परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के सम्बन्ध में

50-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में बढ़ते हुये प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में नगरीय परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश के 09 शहरों में कुल 630 वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है, जिसमें मथुरा-वृन्दावन शहर के लिये कुल 50 इलेक्ट्रिक बस सम्मिलित हैं। उक्त 50 इलेक्ट्रिक बसों में में कुछ बसें मांट तक चलाये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल पम्पों से उठने वाले कैंसर कारक वायु प्रदूषण को रोकने हेतु योजना एवं बजट जानकारी सम्बन्धी

51-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेट्रोल पम्पों से उत्सर्जित कैंसर काजिंग फ्यूम्स जनित वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कारगर मैकेनिज्म सिस्टम लागू किए जाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के 07 शहर यथा आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद तथा मेरठ भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत आयल कम्पनियों को दिनांक 25-10-2018 को दिये गये निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है :-

300 किलोलीटर प्रतिमाह से अधिक विक्रय करने वाले पेट्रोल पम्पों में दिनांक 31-10-2018 तक या उससे पूर्व वेपर रिकवरी सिस्टम लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवशेष पेट्रोल पम्पों पर दिनांक 31-12-2018 तक या उससे पूर्व वेपर रिकवरी सिस्टम लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वितरण केन्द्रों, टर्मिनलों, रेलवे लोडिंग-अनलोडिंग सुविधाओं तथा हवाई अड्डों पर वेपर रिकवरी सिस्टम लगाये जाने हेतु समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रिटेल आउटलेट पर वाहनों में रिफ्यूलिंग के दौरान वाहनों के इंजन को बन्द रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0-161-163/2019 मेसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 बनाम आदित्य एन प्रसाद एण्ड अदर्स विद सिविल अलील नं0-256-258/2019 तथा सिविल अपील नं0-253-255/2019 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14-02-2019 पारित किये गये हैं, जिसमें निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है :-

लगाये जाने वाले वेपर रिकवरी सिस्टम स्टेज का विवरण	बढ़ाई गई समय-सीमा
स्टेज IA, 300 कि0ली0/माह से अधिक बिक्री वाले रिटेल आउटलेट पर	31-03-2020
300 कि0ली0/माह से अधिक बिक्री वाले रिटेल आउटलेट पर स्टेज IB एवं स्टेज-II	31-08-2019
300 कि0ली0/माह से कम बिक्री वाले रिटेल आउटलेट पर स्टेज IA एवं स्टेज-IB	31-03-2020
300 कि0ली0/माह से कम बिक्री वाले रिटेल आउटलेट स्टेज-II	31-09-2019

वेयर रिकवरी सिस्टम स्टेज IA-फिलिंग डिपो/टर्मिनल पर, स्टेज IB- रिटेल आउटलेट के अण्डरग्राउण्ड टैंक पर तथा स्टेज-II आयल डिस्पेंसिंग यूनिट पर स्थापित किये जाने हैं।

प्रदेश के आलू किसानों के हितार्थ दूसरे राज्यों की भांति राज्य आलू बोर्ड का गठन करने और अन्य सुविधायें देने सम्बन्धी

52-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-

क्या वन उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आलू किसानों के हितार्थ राज्य आलू बोर्ड का गठन करने, आलू अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने, गुजरात राज्य की तरह दो सौ रुपये प्रति कुन्तल भाड़ा व संरक्षण अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

आलू विकास बोर्ड के गठन किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, मोदीपुरम्, मेरठ पूर्व से ही स्थापित है। यह केन्द्र आलू उत्पादन से सम्बन्धित सभी विषयों पर अनुसंधान का कार्य कर रहा है।

उ0प्र0 राज्य मण्डी परिषद् द्वारा आलू उत्पादक कृषकों के लिये 150 कि0मी0 रु0 50/- प्रति कुन्तल अथवा 25 प्रतिशत तथा व्यापारियों के लिये 300 कि0मी0 से अधिक दूरी के परिवहन एवं विपणन पर रु0 50/- प्रति कुन्तल अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार आलू निर्यात पर रु0 200/कुन्तल अथवा परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो तथा ताज ब्राण्ड आलू निर्यात पर रु0 50/ प्रति कुन्तल अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह योजना दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक लागू है तथा इस अवधि में मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

वन वृक्षों के पत्तों का व्यवसायिक उपयोग तथा यूकेलिप्टिस व पापुलर की लकड़ी का बेहतर प्रबन्धन सम्बन्धी

53-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृक्षों के पत्तों व फसलों की पत्तियों से तैयार इकोफ्रेंडली दोना, पत्तल आदि के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने तथा यूकेलिप्टिस व पापुलर वृक्षों की लकड़ी की उचित बिक्री व प्रबंधन हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

वाह्य सहायतित ''उत्तर प्रदेश सहभागीय वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना'' के समाप्त होने के कारण वर्तमान में इकोफ्रेंडली दोना, पत्तल आदि के निर्माण व उपयोग को बढ़ावा देने की कोई योजना नहीं है।

''उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्धन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना'' वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक संचालित रही, जिसमें आय सृजन गतिविधियों के अन्तर्गत 12 जनपदों में 81 स्वयं सहायता समूहों द्वारा दोना, पत्तल निर्माण गतिविधि को आय सृजन हेतु अपनाया गया। यूकेलिप्टस व पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी की उचित बिक्री व प्रबन्धन हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम एक राजकीय संस्था है, जो राजकीय वृक्षों का वैज्ञानिक ढंग से विभिन्न उद्देश्य के अनुरूप लम्बाई व व्यासवार बोटे बनाकर प्रदेश में स्थापित स्थानीय विक्रय डिपो के माध्यम से ई-नीलाम/सार्वजनिक नीलाम के माध्यम से बिक्री व प्रबन्धन का कार्य करती है।

निजी क्षेत्र में यूकेलिप्टिस व पॉपुलर की बिक्री व प्रबन्धन का कार्य कृषकों द्वारा स्वयं किया जाता है तथा वन विभाग द्वारा समय-समय पर उन्हें तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

यूकेलिप्टस व पॉपुलर वृक्षों की बिक्री हेतु शासन द्वारा इन्हें छूट प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है ताकि किसान सुविधानुसार इसका विपणन बिना प्रतिबन्ध के कर सकें।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी गौहापुर मार्ग से गोविन्दपुर सम्पर्क मार्ग के गड्ढामुक्ति के सम्बन्ध में

54-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी गौहापुर मार्ग से गोविन्दपुर तथा हरिचचोरा, मोहनिया पहौरा सम्पर्क मार्गों का निर्माण गन्ना विकास विभाग शाहजहांपुर द्वारा कराया गया

है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त मार्ग गड्ढायुक्त होने से आवागमन बाधित है ? गड्ढा मुक्ति योजना से गड्ढा मुक्त सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी गौहापुर मार्ग से गोविन्दपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 का निर्माण गन्ना विकास परिषद् द्वारा वर्ष 2009-10 में कराया गया था तथा हरिचिचोरा मोहनिया पहौरा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 0.665 कि0मी0 का निर्माण गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा वर्ष 2005-06 में कराया गया था। वर्तमान में उक्त दोनों मार्ग गड्ढ़ायुक्त है।

जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत संबंधित गन्ना विकास परिषद् के परिषद् बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्गों का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 कलान के ग्राम लभारी से परोतन तक डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में

55-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के ग्राम लभारी से परोतन तक के मार्ग पं0 दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-216, वी0आई0पी0/नौ-4-18-21 टी0एस0/18, दिनांक 28-09-2018 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

56-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश को सम्बोधित, नगर विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-216, वी0आई0पी0/नौ-4-18-21 टी0एस0/18, दिनांक 28-09-2018 जो कि नगर निगम कानपुर में राजस्व निरीक्षक के पद पर तथ्यों को छिपा कर एवं असत्य शपथ-पत्र देकर नौकरी प्राप्त

किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-2/8334/रा0नि0/199-वै0 पत्रा0-17, दिनांक-12-07-19 द्वारा श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम, कानपुर को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी है।

जनपद गाजीपुर में गंगा नदी के तटबन्धों को मजबूत कराने विषयक

57-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में गंगा नदी में प्रति वर्ष बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि कटान में बह जाती है तथा लाखों जीव-जन्तु मवेशी, मानव, प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त क्षेत्र में गंगा नदी के तटबन्धों को मजबूत करने व बाढ़ नियन्त्रण हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा कोई तटबन्ध निर्मित नहीं किया गया है। बाढ़ नियत्रण हेतु कार्य योजना है।

जनपद गाजीपुर की तहसील जमनियां में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 व जमनियां पम्प हाउस को बाढ़ में कटाव से बचाने हेतु दो अदद परियोजनायें बनाकर पूर्ण कर ली गयी हैं। जनपद गाजीपुर में ही ग्राम शेरपुर- सेमरा एवं पुरैना, बड़हरिया, सोकनी, बयेपुर रफीपुर की सुरक्षा हेतु परियोजना स्वीकृत है। धनावंटन हो चुका है तथा कटाव निरोधक कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त भूमि कटान को रोकने हेतु चार अदद अन्य परियोजनायें गंगा बाढ़ नियत्रण आयोग, पटना द्वारा स्वीकृत की गयी हैं जिन पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड-बिलारी व विकास खण्ड-बनियाखेड़ा के 2 जिले में विभक्त क्षेत्रों की वन विभाग की परिसीमन समस्या दूर करने संबंधी

58-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मुरादाबाद के विकास खण्ड-बनियाखेड़ा (आंशिक) से सम्बन्धित 38 ग्राम पंचायतों का वन विभाग सम्बन्धी कार्य जिला-संभल से हटाकर जिला-मुरादाबाद से कराने तथा जिला-संभल के विकास खण्ड-बिलारी (आंशिक) से सम्बन्धित 28 ग्राम पंचायतों का वन विभाग सम्बन्धी कार्य जिला-मुरादाबाद से हटा कर जिला-संभल में कराना जनहित में सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

शासनादेश संख्या-2424/14-01-2011-30(29)-2011, दिनांक 08-06-2012 द्वारा संभल वन प्रभाग की सीमाएं राजस्व जनपद संभल की सीमाओं से बाधित हैं, अतः राजस्व जनपद की सीमाओं के परिवर्तन से वन प्रभाग की सीमा स्वतः परिवर्तित हो जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़कों के गडढ़ामुक्ति अभियान की प्रगति और जांच संबंधी

59-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान के अन्तर्गत गड्ढा मुक्त की गई सड़कों में पुनः गड्ढे हो जाने के लिए दोषियों के विरुद्ध दो वर्षों में दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। गडढा मुक्ति अभियान में विभिन्न अनियमितताओं हेतु पिछले दो वर्षों में 110 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/दण्डात्मक कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में हजरतगंज चौराहे से नरही बाजार होते हुए यूपीटेक तिराहे तक मार्ग के डामरीकरण/मरम्मतीकरण हेतु

60-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहे से नरही बाजार होते हुए यूपीटेक तिराहे तक का मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

रामतीर्थ मार्ग सब्जी मण्डी से टाइम्स आफ इण्डिया चौराहे तक जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा सीवर लाइन डाले जाने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

सड़क के डामरीकरण का कार्य जलकल विभाग द्वारा सीवर लाइन की टेस्टिंग एवं सुचारु रूप से संचालन के उपरान्त कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गणेश विहार कालोनी शंकर पुरवा में कच्चा मार्ग के पक्का करवाने के सम्बन्ध में

61-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के गणेश विहार कालोनी (कपरिया बाबा की मजार, जाहिरपुर) शंकर पुरवा प्रथम, वार्ड नं0-85, कल्याणपुर में अंग्रेज फार्म हाउस की पुलिया से चौरसिया जी के मकान तक रोड कच्चा, क्षतिग्रस्त है एवं जल निकासी न होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाली निर्माण सहित उक्त सड़क को पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

गणेश विहार कालोनी प्राइवेट कालोनाइजर्स सोसाइटीज द्वारा अनियोजित ढग से बसायी गयी कालोनी है जिसका कोई भी तलपटभू-विन्याससस मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। अनियोजित रूप से बसायी गयी कालोनी में किसी प्रकार का विकास कार्य कराये जाने का प्राथमिक दायित्व नगर निगम का नहीं है। प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा में है को दृष्टिगत कर जनहित में समय-समय पर धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

मीरपुर- मथुरा वाया पचहरा, खैर, अलीगढ़ अन्तर्जनपदीय सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

62-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मीरपुर-मथुरा वाया पचहरा, खैर-अलीगढ़ अन्तर्जनपदीय सड़क पुनर्निर्माण/मरम्मत/चौड़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित धनराशि को स्वीकृत कर उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत/चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मीरपुर-मथुरा वाया पचहरा मार्ग की कुल लम्बाई 11.85 कि0मी0 है। यह लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का 3.75 मीटर चौड़ाई का लेपित मार्ग है। इस मार्ग के मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन 0.350 कि0मी0 मार्ग के अतिरिक्त शेष भाग संतोषजनक स्थिति में है। मार्ग पर यातायात घनत्व चौड़ीकरण हेतु पर्याप्त नहीं है।

खैर-अलीगढ़ मार्ग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगतिमान है। यह कार्य दिनांक 31-12-1019 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

जनपद मथुरा को सैप्टेज मैनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत आच्छादित कराने के सम्बन्ध में

63-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा को सैप्टेज मैनेजमेन्ट योजना (2019-20) के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। अमृत योजनान्तर्गत जनपद-मथुरा में वर्ष 2019-20 में सैप्टेज मैनेजमेन्ट की कार्य योजना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार

जनपद मथुरा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में

64-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कम्पोस्टिंग प्लान्ट का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत स्थित नगर पंचायत बाजना जनपद-मथुरा में कम्पोस्टिंग प्लान्ट के निर्माण की योजना वर्तमान में नहीं है।

स्वस्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की भूमि प्राप्त हेतु कार्यवाही की जा रही है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त सुखे व गीले कचरे के प्रोसेसिंग हेतु मानकानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद मथुरा के मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना गोकुल बैराज पार्ट-2 तथा मथुरा सीवरेज योजना जोन को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

65-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना गोकुल बैराज पार्ट-2 तथा मथुरा सीवरेज योजना जोन-1 (मसानी) को पूर्ण

कराकर जनपद मथुरा में पेयजल व सीवरेज सिस्टम की पूर्ण व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद मथुरा में मथुरा पुनर्गठन पेयजल योजना (गोकुल बैराज) पार्ट-1 के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जनवरी 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। तदोपरान्त जोन-II धौली प्याऊ एवं जोन-III मानस नगर में जलापूर्ति की जा सकेगी।

मथुरा पुनर्गठन पेयजल योजना (गोकुल बैराज) पार्ट-2 के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु निविदा स्वीकृत की जा चुकी है तथा फर्म को अनुमति से संबंधित पत्र (एल0ओ0ए0) जारी किया जा चुका है

मथुरा सीवरेज योजना जोन-1 (मसानी) के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्यो को माह फरवरी,2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। तदोपरान्त उक्त जोन में सीवरेज सिस्टम की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर के द्वारा की गयी वैज्ञानिकों अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में

66-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर के द्वारा की गई वैज्ञानिकों की भर्ती दिनांक 12-11-15 या उसके आस-पास निदेशक, गन्ना शोध परिषद् द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त भर्ती की जांच आयुक्त, सहारनपुर मण्डल को प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग-1 द्वारा आदेशित किया गया जिसकी रिपोर्ट शासन को 9-3-2018 को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जी हां।

उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर में वर्ष 2015 में की गयी वैज्ञानिक भर्तियों की प्रारम्भिक जांच मण्डलायुक्त सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी से करायी गई। प्रारम्भिक जांच दिनांक 09-03-2018 में तत्कालीन प्रभारी निदेशक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसके आधार पर प्रभारी निदेशक के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-651/46-1-18-20 (11) /2016, दिनांक 05-06-2018 द्वारा विशेष

सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

उपरोक्तानुसार

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 कलान में ग्राम-रठेली से बदायूं सीमा लभारी गांव तक गड्ढामुक्त करने के सम्बन्ध में

67-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान में ग्राम-रठेली से बदायूं सीमा लभारी गांव तक तथा कुण्डरिया से रठेली तक गड्ढामुक्त योजना के अन्तर्गत सरकार उक्त को नवीनीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम रठेली से लभारी तक का सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का ग्रामीण मार्ग है। मार्ग की मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 19-20 में पूर्ण कर दिया जायेगा।

कुण्डरिया से रठेली तक मार्ग की लम्बाई 1.50 किमी0 है जिसमें से 1.05 किमी0 खण्डजा है तथा 0.45 किमी0 लेपित मार्ग है जिसका स्वामित्व पंचायती राज विभाग का है परन्तु ग्राम कुण्डरिया व ग्राम रठेली अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की वर्तमान नीति से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली शाहजहांपुर मार्ग को डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में

68-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली-शाहजहांपुर मार्ग से बतलैड़या सम्पर्क मार्ग गन्ना विकास विभाग, शाहजहांपुर से बनवाया गया, गड्ढायुक्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत बरेली-शाहजहांपुर मार्ग से बतलैड़या (शेरपुर) सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 का निर्माण वर्ष 1988-89 में गन्ना

विकास परिषद् तिलहर द्वारा कराया गया था। वर्तमान में मार्ग काफी क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त है। उक्त मार्ग के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्य कराने में लगभग अंकन रुपया 24.50 लाख की आवश्यकता होगी।

जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत संबंधित गन्ना विकास परिषद् के परिषद् बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्ग का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

जनपद आजमगढ़ में सठियांव चीनी मिल सत्र 2018-19 जनवरी में गन्ने की पेराई विषयक

69-श्री नफीस अहमद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सठियांव चीनी मिल में सत्र 2018 व 2019 में दिनांक 30-01-2019 तक कुल कितने टन गन्ने की पेराई की गई और उसके सापेक्ष गन्ना किसानों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है तथा कितना गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में स्थित सहकारी क्षेत्र की सठियांव चीनी मिल द्वारा दिनांक 30-01-2019 तक कुल 2.28 लाख टन गन्ने की पेराई की गई थी जिसके साक्षेप चीनी मिल द्वारा सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक कुल देय गन्ना मूल्य रुपया 54.59 करोड़ के साक्षेप रु0 29.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था तथा रु0 25.59 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष था।

उक्त दिनांक 30-01-2019 तक अवशेष गन्ना मूल्य रु0 25.59 करोड़ का सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र कटरा-शाहजहांपुर के अन्तर्गत ''गौहावर भरई रोड से अवा सम्पर्क मार्ग'' के गड्ढामुक्ति के विषयक

70-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ''गौहावर-भरई रोड से अवा सम्पर्क मार्ग'' का निर्माण गन्ना विकास विभाग-शाहजहांपुर से कराया गया है जो गड्ढायुक्त हो गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत गौहावर-भरई रोड से अवा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 0.600 कि0मी0 का निर्माण वर्ष 1993-94 में गन्ना विकास परिषद् तिलहर द्वारा कराया गया था। वर्तमान में मार्ग काफी क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त है। उक्त मार्ग के मरम्मत/सुदृढीकरण कार्य कराने में लगभग रु0 13.50 लाख की आवश्यकता होगी।

जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् के परिषद् बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्ग का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

जनपद इलाहाबाद के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा खोजापुर के मजरा बिजलीपुर में पुलिया का निर्माण कराने विषयक

71-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा खोजापुर के मजरा बिजलीपुर में पुलिया का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सोरांव के ग्राम सभा खोजापुर के मजरा बिजलीपुर में फूलपुर शाखा के कि0मी0 16.900 पर एक कदम पुलिया बनी हुई है, जो कि अच्छी अवस्था में है एवं आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है। इसी कदम पुलिया के स्थान पर पुल निर्माण की मांग की गयी है। इस कदम पुलिया के 400 मीटर डाउनस्ट्रीम में एक वी0आर0बी0 विद्यमान होने के कारण मांग स्थल पर वी0आर0बी0 निर्मित किया जाना विभागीय मानकों के अनुसार साध्य नहीं है।

जनपद लखनऊ स्थित उतरेटिया रक्षाखण्ड रायबरेली रोड से शिव-पार्वती मंदिर तक सड़क के निर्माण/मरम्मत विषयक

72-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उतरेटिया, रक्षा खण्ड, रायबरेली रोड के लेक व्यू अपार्टमेंट से शिव-पार्वती मंदिर तक की सड़क क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क को बनाये जाने में लगभग रु0 9.95 लाख का व्यय अनुमानित है। उक्त कार्य अवस्थापना निधि में प्रस्तावित किया गया था परन्तु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य कराया नहीं जा सका। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप विभिन्न योजनाएं लागू करने संबंधी

73-श्री मो0 फईम इरफान तथा हाजी इरफान सोलंकी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बदहाल सहकारी समितियों की हालत सुधारने हेतु वैद्यनाथन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर समिति कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति राजकोष से वेतन देने, उनका पुराना बकाया भुगतान करने, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष किए जाने तथा समितियों को घाटे से उबारने, आर्थिक सहायता का पैकेज देने जैसी सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वैद्यनाथन आयोग की सिफारिशों में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति कर्मियों को राजकोष से नियमित एवं पुराना बकाया वेतन भुगतान शासन द्वारा कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

वर्तमान में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्मिकों की कोई सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं है। वर्तमान में निबन्धक के परिपत्र सं0-सी-24/अधि0-7/दिनांक 30-08-2012 में प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्मिकों की सेवा अवधि 60 वर्ष निर्धारित है।

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति एवं उपभोक्ता सहकारी समिति स्वतंत्र निगमित निकाय है। जिनका प्रबन्धन समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध

कमेटी समिति के कर्मचारियों की सेवा संबंधी सभी प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होती है। समितियां अपने व्यवसाय से प्राप्त मार्जिन के आधार पर अपने कर्मचारियों को वेतन आदि मद में भुगतान करती है।

प्रो0 वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुरूप प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को घाटे से उबारने हेतु आर्थिक पैकेज प्रदान किया जा चुका है। उपभोक्ता सहकारी समितियां वैद्यनाथन रिपोर्ट से आच्छादित नहीं है।

प्रतिबन्ध के बावजूद भी बाजार में थर्माकोल व प्लास्टिक वस्तुओं की उपलब्धता समाप्त करने संबंधी

74-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लास्टिक और थर्माकोल से बने प्लेट और गिलास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के दृष्टिगत उनकी बिक्री प्रतिबन्धित करने के बाद भी बाजार में उनकी उपलब्धता समाप्त करने हेतु सरकार कोई विशेष अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

शासनादेश संख्या-एम0एस0-431/नौ-7-19-23(ज)/19, दिनांक 10-04-2019 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट इत्यादि पर अधिसूचना संख्या-1056/नौ-7-18-29(लखनऊ)/18, दिनांक 15-07-2018 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देष दिये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम का अतिथि गृह लखनऊ में कक्षों की संख्या के सम्बन्ध में

75-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम का अतिथि गृह लखनऊ में है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने कक्ष हैं और क्या कोई कक्ष अतिरिक्त है ? यदि हां, तो किन लोगों के लिए है तथा अन्य कक्षों का किराया कितना है एवं अधिकतम कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का कोई भी अतिथि गृह लखनऊ में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में मा0 विधायकों की स्वीकृत अधिष्ठापित सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक की स्थापना सम्बन्धी

76-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्र फिरोजाबाद में मा0 विधायकों के स्वीकृत अधिष्ठापित सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000 लीटर) स्थापना हेतु 50: धनराशि रुपये 47.98847 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 47.98847 अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता एवं वै0 सहा0 का मुख्य अभियन्ता (नागर) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को प्रेषित पत्र सं0-436/71, दिनांक 24-01-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुये शेष टी0टी0एस0पी0 स्थापना हेतु बची हुई 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जल निगम से अवशेष धनराशि अवमुक्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार धनराशि अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में स्वीकृत सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक अधिष्ठापित कराने सम्बन्धित

77-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शहरी क्षेत्र फिरोजाबाद में मा0 विधायकों को सबमर्सिबल पम्प विद स्टोरेज टैंक (1000 लीटर) अधिष्ठापित कराये जाने हेतु स्वीकृत कुल रुपये 181.79 लाख (102.48 लाख 79.31 लाख) के सापेक्ष अवमुक्त कुल रुपये 45.45 लाख (25.62 लाख 19.83 लाख) की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं कुल स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि रुपये 136.34 लाख अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता एवं वै0 सहा0 का मुख्य अभियन्ता (नागर) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को प्रेषित पत्र सं0-447/71 दिनांक 21-01-19 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुये शेष टी0टी0एस0पी0 की स्थापना हेतु बची हुई धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जल निगम से अवशेष धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन'' और संग्रहण ट्रान्सपोर्टेशन निष्पादन विषयक

78-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कूड़े का संग्रहण ट्रान्सपोर्टेशन निष्पादन हेतु कुल रुपये 61.44 करोड़ धनराशि की डी0पी0आर0 तैयार कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम, फिरोजाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सालिड बेस्ड मैनेजमेंट) हेतु निर्मित डी0पी0आर0 के औचित्य परीक्षण कराने पर विचार करेगी ? क्या उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, फिरोजाबाद का निदेशक क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ, प्रमुख सचिव, नगर विकास लखनऊ, निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या-48/सा0प्र0/2018-19, दिनांक 08-10-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं। नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 08-10-2018 द्वारा रु0 26.02 करोड़ का डी0पी0आर0 क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें रु0 11.823 करोड़ कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन के लिये, रु0 5.016 करोड़ प्रोसेसिंग वेस्ट टू कम्पोस्ट के लिये, रु0 4.30 करोड़ लैण्डफिल के लिये तथा रु0 10 लाख लीचेड ट्रीटमेंट प्लान्ट तथा अन्य व्यय हेतु रु0 4.70 करोड़, इस प्रकार कुल रु0 26.02 करोड़ की योजना उपलब्ध करायी गयी है।

नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा निगम फिरोजाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट) हेतु उपलब्ध करायी गयी डी0पी0आर0 सी0पी0एच0ई0 ई0पी0 मैनुअल के अनुसार न होने के कारण क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 16-11-2018 के माध्यम से उक्त डी0पी0आर0 को पुनरीक्षित किये जाने हेतु नगर निगम, फिरोजाबाद से अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये डी0पी0आर0 का परीक्षण क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र

लखनऊ द्वारा किया जा चुका है तथा इसकी स्वीकृति मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की आहूत बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2018 में प्राप्त भी हो चुकी है। इस प्रकार ''ठोस अपशिष्ट प्रबंधन'' हेतु कूड़े का संग्रहण एवं ट्रान्सपोर्टेशन की कार्यवाही हेतु आगणित धनराशि नगर निगम फिरोजाबाद को अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के वार्ड संख्या 19 में अम्बेडकर बगीची के आगे डा0 रामचन्द्र के मकान से मानवीर के मकान तक के मार्ग के डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में

79-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के वार्ड संख्या-19 में अम्बेडकर बगीची के आगे डा0 रामचन्द्र के मकान से मानवीर के मकान तक की गली पूरी तरह से कच्ची होने एवं नालियां नहीं होने के कारण उक्त गली एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या-ख-6, नं0 486155, दिनांक 02-02-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

उक्त कार्य 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यवृत्त दिनांक 14-02-2019 में स्वीकृत है। कार्य की निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में 29-01-2019 तक स्टाम्प शुल्क की अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में

80-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में 29-01-2019 तक 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की कितनी धनराशि अवशेष है ? क्या सरकार उक्त अवशेष धनराशि को नगर की अत्यन्त क्षतिग्रस्त कच्ची एवं टूटी-फूटी गलियों, नालियों को निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव तैयार करवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम फिरोजाबाद में दिनांक 29 जनवरी, 2019 तक 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के अन्तर्गत नगर निगम के खाते में कुल धनराशि रु0 4,10,31,111.00 अवशेष थी।

नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क (नगरीय अवस्थापना विकास निधि) के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से नगरीय क्षेत्र की कच्ची गलियों में इण्टरलॉकिंग, सड़क निर्माण, जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य कराये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं। कार्यो की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु गठित समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

81-श्री मो0 फईम इरफान-

[दिनांक 22-07-2019 को अता0प्र0सं0-140 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 खुदागंज के ग्राम भुतिया से ग्राम अमईयापुर सम्पर्क मार्ग पं0 दीनदयाल उपाध्याय के सम्बन्ध में

82-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम भुतिया से ग्राम अमईयापुर व विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम गोगेपुर से लोचननंगला तक सम्पर्क मार्गों का पं0 दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत सरकार डामरीकरण का कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम अभयपुर (अमईयापुर) पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। ग्राम भुतिया (भुतिया देहात माली) की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 258 है, को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम गोगेपुर पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। ग्राम लक्ष्मन नंगला उर्फ लोचन नंगला की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 133 है। 250 से कम आबादी के राजस्व ग्राम/मजरों को जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की नीति के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत कटरा फीडर से रम्मापुरी उत्तरी तक रोड निर्माण कराने के सम्बन्ध में

83-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कटरा फीडर से रम्मापुरी उत्तरी तक रोड लगभग 2 वर्ष पहले जे0सी0बी0 मशीन से तुड़वा दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रोड का पुनः निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत कटरा रेलवे फीडर मार्ग से रमापुर रहेरा सम्पर्क मार्ग तक (लम्बाई 2.00 कि0मी0) पुनः निर्माण हेतु एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा कार्य प्रगति में है।

जी हां।

अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष टॉपकोट स्तर का कार्य पूर्ण है, शेष कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की इकाई है, की स्थापना एथेनॉल का प्रयोग बढ़ाए जाने संबंधी

84-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की कितनी औद्योगिक इकाईयां वर्तमान में काम कर रही है ? क्या सरकार की प्रदेश में नई एथेनॉल उत्पादन इकाईयों की स्थापना करने तथा एथेनॉल का प्रयोग बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार -

वर्तमान में प्रदेश में गन्ने के रस से एथेनॉल बनाये जाने की कोई औद्योगिक इकाई कार्यरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा नव स्थापित चीनी मिल इकाई पिपराईच (गोरखपुर) में 120 के0एल0पी0डी0 क्षमता की आसवनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें पेराई सत्र के दौरान सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत सरकार द्वारा एथेनॉल बनाये जाने को बढ़ावा देने हेतु सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाये जाने की अनुमति चीनी मिलों को प्रदान की जा चुकी है एवं चीनी मिलों में नई एथेनॉल इकाईयां स्थापित करने अथवा स्थापित इकाईयों में क्षमता विस्तार किये जाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की भी योजना घोषित की गयी है। इच्छुक चीनी मिलें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में काशीराम आवास को आवंटित कराने विषयक

85-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में कितने पात्र नागरिकों को मान्यवर कांशीराम आवास आवंटन किये जाने हैं ? क्या सरकार इन आवासों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद में मान्यवर कांशीराम आवास योजना के अन्तर्गत 3228 आवास निर्मित हैं जिसमें 2991 आवास आवंटित किये जा चुके हैं। 237 आवास आवंटन हेतु शेष हैं।

पात्रता के आधार पर शेष 237 आवास आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के पारीछा बांध के दाहिने किनारे से निकली पुरानी गुरसराय मुख्य नहर की त्रुटिपूर्ण लाइनिंग को ठीक कराने के सम्बन्ध में

86-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में पारीछा बांध के दाहिने किनारे से निकली पुरानी गुरसराय मुख्य नहर की त्रुटिपूर्ण लाइनिंग से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त त्रुटिपूर्ण लाइनिंग ठीक कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

गुरसराय मुख्य नहर की टेल तक अर्थात् 52.4 कि0मी0 तक पानी पहुंचता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गुरसराय मुख्य नहर के 52.4 किमी0 लम्बाई के विरुद्ध 38.0 किमी0 की लाइनिंग की गई है, जो ठीक है एवं गुरसराय मुख्य नहर के टेल तक अर्थात् 52.4 किमी0 तक पानी पहुंचता है।

जनपद झांसी में मोंठ से समथर पड़ोखर इण्टर स्टेट मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु

87-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में मोंठ से समथर पड़ोखर इण्टर स्टेट मार्ग एवं गरौठा से मोती कटरा मार्ग क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो जाने के कारण यातायात दुरूह हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्गों में से गरौठा मोतीकटरा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्गों के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

मोंठ से समथर पड़ोखर इण्टर स्टेट मार्ग- इस मार्ग की दशा संतोषजनक है। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। गरौठा से मोतीकटरा मार्ग- इस मार्ग की लम्बाई 12.00 किमी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के कि0मी0 1से 7(850) के सापेक्ष 6.10 कि0मी0 की दशा संतोषजनक है व 0.750 कि0मी0 लम्बाई में सी0सी0 कार्य प्रगति में है। मार्ग का शेष भाग 5.150 कि0मी0 विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित है, जो क्षतिग्रस्त है। मार्ग के इस भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग ग्रामीण श्रेणी का होने के कारण चौड़ीकरण की योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में जंगीपुर वि0स0 क्षेत्र के ग्राम तकताजूद्दीन से मगई नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में

88-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तकताजूद्दीन से मगई नदी पर बाबूरायपुर गांव को जोड़ने हेतु पुल (छलका) का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मगई नदी पर छलका बनना सम्भव नहीं है। प्रचलित विभागीय व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण इलाके में पूर्व निर्मित सेतु के 10.00 किमी0 के अन्दर नया सेतु निर्माण नहीं किया जा सकता है जबकि प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 4-4 किमी0 की दूरी पर सेतु स्थित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर वि0स0 क्षेत्र के ग्राम सभा बघौल से सेखुवापुर तक शून्य से लेपन कार्य के सम्बन्ध में

89-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा बघौल से सेखुवापुर तक शून्य से लेपन स्तर तक जिसकी दूरी लगभग 2 कि0मी0 है, सरकार सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम बघौल से सेखुवापुर (भगौतीपुर) के मध्य कच्चा मार्ग है। बघौल व सेखुवापुर अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से संतृप्त है। सम्पर्क मार्गो से संतृप्त दो ग्रामों को परस्पर जोड़े जाने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर वि0स0 क्षेत्र में मरदह जलालाबाद आदि जगहों पर लेपन कार्य करने के सम्बन्ध में

90-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में मरदह जलालाबाद, बहलोलपुर, छड़ी से गहली बशारीखपुर डिहबाबा के स्थान तक जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग की दशा संतोषजनक है एवं यातायात सुचारु रूप से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर वि0स0 क्षेत्र के ग्राम सभा देवकठियां अखाड़ा से चक दाऊद तक मार्ग लेपन कराने के सम्बन्ध में

91-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम सभा देवकठिया अखाड़ा से चक दाऊद तक सम्पर्क मार्ग जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित ग्राम देवकठियां में अखाड़ा व चक दाऊद के मध्य कच्चा/पगडण्डी मार्ग है, परन्तु अखाड़ा एवं चक दाऊद पूर्व से ही अलग-अलग एकल लेपित

मार्गों से संतृप्त हैं, जिनकी दशा संतोषजनक है। सम्पर्क मार्गों से संतृप्त दो ग्रामों को परस्पर जोड़े जाने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर वि0स0 क्षेत्र के ग्राम सभा पिपनार कंचनपुर रविदास मन्दिर से मठिया तक लेपन कार्य के सम्बन्ध में

92-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम सभा पिपनार, कंचनपुर, रविदास मंदिर से मठिया होते हुए मरदह तक सम्पर्क मार्ग जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जर्जर होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पिपनार पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। मरदह पिपनार मार्ग के किमी0 4 से निकल कर उक्त ग्राम सभा का मजरा मठिया सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ा है। मजरा मठिया को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु 1.700 किमी0 लम्बाई से मार्ग निर्माण की आवश्यकता है। मार्ग के निर्माण हेतु अनुमानित रु0 71.40 लाख आंकलित है। उक्त मार्ग के संरेखण पर ग्राम कंचनपुर पड़ता है। मार्ग निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जसराना नवीन नहर परियोजना के सम्बन्ध में

93-श्री मनीष असीजा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जसराना नवीन नहर परियोजना की भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 85.57 प्रतिशत होने के बावजूद अपनी 200 क्यूसेक क्षमता में से 50 क्यूसेक पेयजल नगर निगम फिरोजाबाद को उपलब्ध कराने के बाद शेष बचे 150 क्यूसेक जल को अपने मुख्य उद्देश्य सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा परियोजना के अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु दिनांक 01-06-2015

से 31-05-2016 तक दिनांक 01-06-2016 से 30-04-2017 तक, 01-05-2017 से 31-05-2018 तक एवं 01-01-2018 से 31-05-2018 तक अनेक बार समय वृद्धि प्रदान करने के बावजूद योजना पूर्ण किये जाने का निर्धारित समय 31-05-2015 में विलम्ब किये जाने के कारण निर्माणदायी एजेंसी श्री अवंतिका कांट्रेक्टर (आई) लि0 बंजारा लि0, हैदराबाद को पत्रांक संख्या : 7255/मु0अ0/रामगंगा/परियोजना, दिनांक 24-10-2018 को डेबीटेबिल एजेंसी के माध्यम से कार्य पूरा कराने, कराये गये कार्यों में कमियां होने के कारण बाध्यकारी रूप से आर्थिक दण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने सम्बन्धी नोटिस जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माणदायी एजेंसी एवं विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां। फिरोजाबाद शहर को पेयजल आपूर्ति की प्राथमिकता के कारण जसराना नहर को बन्द करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस कारण परियोजना के अवशेष 2 प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं। उक्त नहर को 15 दिवस बन्द करने पर परियोजना के अवशेष 2 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे। तदोपरान्त नहर का पूर्ण क्षमता से संचालन कर वांछित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

परियोजना निर्माण के समय जिन कृषकों ने आपसी सहमति से एकल सर्किल दर पर भूमि का मुआवजा प्राप्त कर विभाग के पक्ष में बैनामा किया गया था, भूमि दरों में वृद्धि के आधार पर उनके द्वारा मुआवजा हेतु विरोध प्रदर्शन/आन्दोलन कर निर्माण एजेंसी के कार्यों को रोके जाने पर परियोजना की भौतिक प्रगति प्रभावित होने पर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) द्वारा फर्म के साथ गठित अनुबन्ध में समय-समय पर समयवृद्धि प्रदान की गयी। मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) के पत्र दिनांक 24-10-2018 द्वारा सम्बन्धित फर्म को परियोजना के अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु फिरोजाबाद शहर की पेयलज आपूर्ति हेतु नहर को बगैर किसी अवरोध के प्रतिदिन चलाये जाने के कारण नहर पर क्लोजर न मिल पाने से परियोजना के अवशेष कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं। परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुबन्धित निर्माण एजेंसी तैयार है, फलस्वरूप अन्य कोई डेबीटेबिल एजेंसी लगाने की आवश्यकता नहीं है।

परियोजना के कार्यों के विलम्ब के लिए कोई कार्मिक उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

94-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में अमृत योजना के अन्तर्गत विभव नगर, टंकी वाले पार्क निर्माण में बेहद घटिया गुणवत्ता के कार्य के कारण पार्क के पास से गुजरने वाले एक गरीब श्रमिक के बच्चे के सिर एवं छाती पर गम्भीर चोटें आने व उक्त पार्क की निर्माणाधीन फर्म प्लाट केयर/ठेकेदार कार्य की गुणवत्ता को नजरअंदाज करने वाले नगर निगम फिरोजाबाद के निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0 485953, दिनांक 22-01-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिलाधिकारी /नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या ख-6, नं0 485953, दिनांक 22-01-2019, जिलाधिकारी/नगर आयुक्त फिरोजाबाद कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-6, नं0486199, दिनांक 01-02-2019 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

95-श्री मनीष असीजा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में वार्ड संख्या-65 मोहल्ला अशरफगंज रोड नैनी चौराहे से लेकर बजरंग वाटिका तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-ख-6, नं0 486199, दिनांक 01-02-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां।

नगर निगम फिरोजाबाद में वार्ड संख्या-65 मोहल्ला अशरफगंज रोड नैनी चौराहा से लेकर बजरंग वाटिका तक का मार्ग फिरोजाबाद शहर का मुख्य मार्ग है, जिस पर भारी वाहनों का नियमित आवागमन रहता है। इस मार्ग पर सामान्य वाहनों के साथ ही भारी एवं व्यवसायिक वाहन भी चलते हैं यह मार्ग शहर के आन्तरिक सम्पर्क मार्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना, जो इस विभाग द्वारा संचालित है, के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार प्रश्नगत मार्ग का मरम्मत/सुधार सम्बन्धी कार्य कराया जाना अनुमन्य नहीं है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार

उपर्युक्तानुसार

जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ब्लाक मऊ आइमा मे दवाही से वसरेइयां तक नहर की माइनर सफाई कराने के सम्बन्ध में

96-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ब्लाक मऊ आइमा में दवाही से वसरेइयां तक नहर की माइनर की सफाई सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

28 फरवरी, 2019 को प्रश्नगत कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के वि0स0 क्षेत्र ''सोरांव'' में स्थित कस्बा को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में

97-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र ''सोरांव'' में स्थित सोरांव कस्बा को टाउन एरिया बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 में निहित प्राविधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण सोरांव कस्बा नियमानुसार नगर पंचायत नहीं बनाया जा सकता है।

जनपद प्रयागराज(इलाहाबाद) के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा हरिराम पट्टी उर्फ करनई से (मुबारकपुर) राजेपुर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

98-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र ''सोरांव'' के ग्राम सभा हरिराम पट्टी उर्फ करनई से (मुबारकपुर) राजेपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। सिकन्दरा बहरिया दान्दूपुर किमी0-15 कटनई एवं बीबीपुर होते हुए रज्जोपुर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत है जिसकी लम्बाई 15.50 किमी0 हैं। प्रश्नगत मार्ग उक्त स्वीकृत मार्ग का भाग है जिस पर लेपन स्तर का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में राजकीय नलकूप निर्माण निगम में 1.0 क्यूसेक से कम करके 0.5 क्यूसेक करने के सम्बन्ध में

99-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में सूखा व भू-जल स्तर में निरन्तर हो रही गिरावट को देखते हुए राजकीय नलकूप निर्माण निगम में सरकार 1.0 क्यूसेक से 0.5 क्यूसेक के नलकूप बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सिंचाई (यांत्रिक) विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-322/04-27-सिं0-5-89 टी0डब्लू0/98टी0सी0, दिनांक 04-02-2004 एवं सं0-2033/04-27-सिं0-5-25बाढ़/04, दिनांक 28-6-2004 के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शासनादेश संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04 आर0/2009, दिनांक 10-01-2018 में उल्लिखित अतिदोहित एवं क्रिटीकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्डों को छोड़ते हुए 01 क्यूसेक /50 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है।

इसी क्रम में अवगत कराना है कि डा0 राममनोहर लोहिया 2000 नवीन नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में 02 राजकीय नलकूप, 2017-18 में 12 राजकीय नलकूप एवं 2018-19 में 84 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया है वर्ष 2019-20 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 07 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना है।

उपरोक्त शासनादेश संख्या -322/04-27-सिं0-5-89टी डब्लू0/98टी0सी0, दिनांक 04-02-2004 एवं सं0-2033/04-27-सिं0-5-25बाढ़/04, दिनांक 28-06-2004 में दिये गये निर्देशानुसार सिंचाई यॉत्रिक विभाग द्वारा प्रदेश में 01 क्यूसेक से कम क्षमता के राजकीय नलकूपों का निर्माण नहीं कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

100-हाजी इरफान सोलंकी-

[दिनांक 23-07-2019 को अता0प्र0सं0-186 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक पोषक नहर के उत्तर भाग में सफाई के सम्बन्ध में

101-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के अन्तर्गत शारदा नहर के उत्तर भाग में स्थित विभागीय व प्राकृतिक ड्रेन में मिट्टी, गाद व घास फूस उग आने के कारण ड्रेनों से सही जल निकासी न होने से किसानों को सीपेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को समयसीमाबद्ध में सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक पोषक नहर के उत्तर भाग में कुल 22 ड्रेनों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 09 ड्रेनों की सफाई हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से महमूदाबाद तहसील स्थित पैतेपुर ड्रेन की सफाई का कार्य कराया गया है, अनुमोदित सूची के अनुसार शेष प्रस्तावित इमलिया तिलकपुर ड्रेन, गौरिया ड्रेन, महमूदाबाद ड्रेन, कुतुबपुर ड्रेन, मुसैदाबाद पैरलल ड्रेन, मुसैदाबाद क्रास ड्रैन, मुसैदाबाद साइड ड्रेन नं0-2 एवं सरैयां महीपत सिंह ड्रेन की सफाई का कार्य वर्षा ऋतु के पश्चात वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

102-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा उक्त में से कितने नलकूप संचालित हैं, कितने विद्युत खराबी से तथा कितने यांत्रिक खराबी से कितने समय से बन्द हैं व कितने नलकूप ध्वस्त/शून्य हो गये हैं ? क्या सरकार तहसील महमूदाबाद में सभी राजकीय नलकूपों को निश्चित समयसीमा में मरम्मत कराकर चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

दिनांक 01-04-2019 को जनपद-सीतापुर की तहसील-महमूदाबाद में कुल 103 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिसमें 92 राजकीय नलकूप चलित, 03 राजकीय नलकूप

असफल एवं 08 राजकीय नलकूप सुधारात्मक श्रेणी (विद्युत-तार/ट्रांसफार्मर चोरी) में वर्गीकृत हैं।

दिनांक 12-06-2019 को विभागीय नलकूप बन्दी के अनुसार तहसील-महमूदाबाद में विद्युत दोष से 02 राजकीय नलकूप बन्द थे, जिनको दोषमुक्त कराकर सिंचाईरत कर दिया गया है। यांत्रिक दोष से कोई राजकीय नलकूप बन्द नहीं था।

राजकीय नलकूपों का अस्थाई रूप से यॉत्रिक/विद्युत दोष से खराब होना एवं चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यॉत्रिक दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कराकर एवं विद्युत दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों से बैठक कर राजकीय नलकूपों को दोषमुक्त कराते हुए कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।

सूचनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असफल हुए राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण हेतु 1101 राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की योजना प्रचलित है जिसके अन्तर्गत जनपद सीतापुर में कुल 29 असफल राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण किया जाना है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में तहसील महमूदाबाद में 01 असफल राजकीय नलकूप का पुनःनिर्माण किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-2018 आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-18157180241560 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

103-श्री राम अचल राजभर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-2018, आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18157180241560 पर पंजीकृत, जो कि चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 21-08-2017 के अनुपालन में दिनांक 14-06-2019 को अयोजित टंकण परीक्षा में श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र, सफाई कर्मचारी, जोन-3, नगर निगम, लखनऊ निर्धारित अर्हता प्राप्त करने में असफल रहें जिसके कारण उन्हें द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 486185 दिनांक 02-02-2019 पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

104-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद का मुख्य नाला सर्कुलर रोड जाटव बस्ती के सामने लगभग 25 मीटर एवं मोहल्ला मोहम्मदगंज नादिर एण्ड कं0 कारखाने के पीछे लगभग 30-40 मीटर पूरी तरह से टूट गया है एवं इसके कारण जल निकासी में अवरोध होने के साथ-साथ टूटा हुआ नाला और अधिक क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो टूटे हुए मुख्य नाले के क्षतिग्रस्त हिस्सों के निर्माण कार्य कराने हेतु प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0 486185 दिनांक 02-02-2019, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

सर्कुलर रोड पर चौकी गेट चौराहे से शीशग्रान कब्रिस्तान तक क्षतिग्रस्त नाला सुधार कार्य हेतु 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यवृत्त दिनांक 12-09-2017 को आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आगणन धनांक 49,83,300.00 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त उक्त कार्य की ई-निविदायें पत्रांक संख्या-4963/पी0डब्लू0डी0/ई-निविदा सूचना/2017-18, दिनांक 24-10-2017 द्वारा आमंत्रित की गयी, जिसमें एकल निविदा प्राप्त होने के कारण कार्य की पुनः निविदायें पत्रांक-327/पी0डब्ल्यू0डी0/ई-निविदा सूचना/2018-19, दिनांक 01-10-2018, पत्रांक-364/पी0डब्ल्यू0डी0/ई-निविदा सूचना/2018-19, दिनांक 10-01-2019 एवं पत्रांक-374/पी0डब्ल्यू0डी0/ई-निविदा सूचना/2018-19, दिनांक 05-05-2019 के द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हो सकी। पुनःनिविदा मांगे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम फिरोजाबाद के सभी वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराने हेतु

105-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 की गाइडलाइन में दिये निर्देशों के अनुपालन में नगर के समस्त 70 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कराने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त 70 वार्डो में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22 वार्डो में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला उर्दू नगर में गली निर्माण एवं नाली निर्माण हेतु

106-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला उर्दू नगर में गली निर्माण एवं नाली निर्माण हेतु रुपये 103.27 लाख रुपये का प्रस्ताव जिलाधिकारी फिरोजाबाद का निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या 1806/डूडा/डी0पी0आर0/प्रेषण/2018-19 दिनांक 27-10-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जिलाधिकारी फिरोजाबाद के पत्र संख्या-1806/डूडा/डी0पी0आर0/प्रेषण/2018-19, दिनांक 27-10-2018 द्वारा मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद के मोहल्ला उर्दू नगर में गली निर्माण एवं नाली निर्माण हेतु रुपये 103.27 लाख का प्रस्ताव निदेशक, सूडा को प्रेषित किया गया था। निदेशक सूडा द्वारा उक्त परियोजना के परीक्षणोंपरान्त आगणित धनराशि रु0 82.60 लाख का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार ।

नगर विकास की अधिसूचना संख्या-1430/9-1-2018 -131सी/2013 दिनांक 31-7-2018 पर कार्यवाही हेतु

107-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 1430/9-1-2018-131सी/2013 दिनांक 31-07-2018 जो कि नगर पंचायत मक्खनपुर के गठन के सम्बन्ध में है, के अनुपालन में स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्र में अधिसूचना प्रकाशित कराते हुए आपत्ति, सुझाव आमंत्रित

कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रक्रिया सम्पन्न कराते हुए मक्खनपुर को नगर पंचायत घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

नगर पंचायत मक्खनपुर के गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के अन्तर्गत देवियापुर मार्ग में आदि मार्गों के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

108-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत देवियापुर पोखपुर मार्ग, मोडइचा मदरपुर विसवा मार्ग, पैतेपुर से चादपुर मार्ग, महमूदाबाद से पैतेपुर बेलहरा मार्ग, महमूदाबाद भगौली मार्ग महमूदाबाद से बाउपुर मार्ग, सरैया रेलवे स्टेशन से ठडरिया मार्ग जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सभी मार्गों पर मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के वि0स0क्षेत्र सोरांव के रजबहा नहर से उदयचनपुर माईनर के हेड के पास पुल निर्माण के सम्बन्ध में

109-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के सोरांव रजबहा नहर से उदयचनपुर माईनर के हेड के पास पुल निर्माण एवं उदयचनपुर माईनर पर सर्विस रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह,

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(1) सोरांव राजवाहा के कि0मी0 21.400 पर वी0आर0बी0 विद्यमान है, जिस कारण से प्रस्तावित स्थल कि0मी0 22.120 पर नयी वी0आर0बी0 निर्मित किया जाना विभागीय मानकों के अनुसार साध्य नहीं है।

(2) उदयचॉदपुर माईनर की कुल लम्बाई 1.400 कि0मी0 है तथा इसकी निस्सरण क्षमता मात्र 2 क्यूसेक की है। इस नहर पर सेवा मार्ग का कोई प्राविधान न होने के कारण सेवा मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

दयाल पैराडाइज से रेलवे अंडर पास होते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क मार्ग के मरम्मत कार्य कराने के सम्बन्ध में

110-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयाल पैराडाइज से रेलवे अंडर पास होते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क जाने वाला मार्ग अत्यन्त जर्जर व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

दयाल पैराडाइज से रेलवे अंडर पास तक का मार्ग वर्तमान में आवागमन हेतु समुचित अवस्था में है। रेलवे अंडर पास से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक का मार्ग भी सुदृढ़ अवस्था में है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बॉलीवुड फिल्मों के प्रदर्शन से पूर्व अनुमति देने हेतु विभिन्न मानक तय किये जाने संबंधी

111-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालीवुड निर्मित फिल्मों का प्रदेश में प्रदर्शन करने से पूर्व उनमें प्रदर्शित अश्लीलता, हिंसा व आपराधिक तरीकों के प्रयोग आदि का तयशुदा मानकों पर परीक्षण उपरांत ही अनुमति दिये जाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

समस्त बॉलीवुड फिल्मों को प्रदर्शन से पूर्व चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नियमानुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेन्सर सार्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रत्येक फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व क्रमशः अश्लीलता, हिंसा तथा आपराधिक प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में भी परीक्षण किया जाता है। चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा-5 बी में फिल्म प्रमाणीकरण के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत का प्रावधान है। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर ही परीक्षणोपरान्त फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सेंसर प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि फिल्म प्रमाणन सम्बन्धी कार्य भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची की संघ सूची (केन्द्रीय सूची) की एन्ट्री-60 का विषय है, जिस पर राज्य सरकार को विधि निर्मित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

नगर निगम फिरोजाबाद के पालीवाल ऑडीटोरियम का वातानुकूलन खराब होने के सम्बन्ध में

112-श्री मनीष असीजा

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के पालीवाल ऑडीटोरियम का वातानुकूलन खराब होने के कारण गर्मी के महीनों में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पालीवाल ऑडीटोरियम में वातानुकूलन की व्यवस्था ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम, फिरोजाबाद के पालीवाल ऑडीटोरियम में वातानुकूलन लगाये जाने हेतु नगर निगम, फिरोजाबाद की मा0 सदन की बैठक दिनांक 02-08-2018 में 60-60 टन के दो ए0सी0 चिलर प्लान्ट लगाये जाने हेतु, जिसका अनुमानित व्यय 75 से 80 लाख रुपये था, का प्रस्ताव रखा गया किन्तु, उक्त प्रस्ताव मा0 सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2017 से 2019 तक प्रदान धनराशि एवं लागू सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सम्बन्ध में

113-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कितनी धनराशि प्रदान की गयी है एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत प्रतिदिन निकलने वाले सैकड़ों टन कूड़ा-कचरा एवं गन्दगी का निस्तारण किस प्रकार कराया जा रहा है ? क्या सरकार अवगत है कि बिना ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के नगर निगम फिरोजाबाद में निकलने वाले सैकड़ों टन कूड़ा कचरा एवं गन्दगी नगरीय क्षेत्र एवं समीपस्थ क्षेत्रों में खाली प्लाटों में एवं सड़कों के किनारे कूड़ा-कचरा पड़ा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम फिरोजाबाद में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) की कार्यवाही शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

स्वच्छ भारत के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद को वर्ष 2017-18 में निम्न प्रकार धनराशि प्राप्त हुई है :-

मद	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
आई0एच0एच0एल0	रु0 277.84 लाख	रु0 159.44 लाख
सी0टी0/पी0टी0	रु0 3.92 लाख	
आई0ई0सी0	रु0 10.00 लाख	रु0 80.75 लाख
सी0बी0		
एस0डब्लूएम0		रु0 52.50 लाख

वर्तमान में नगर में उत्पादित कूड़े का निष्पादन कुतुबपुर चनौरा स्थित नगर निगम की लैण्डफिल साइट पर किया जा रहा है। जी नहीं। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े-कचरे एवं ठोस अपशिष्ट को नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन कर उक्त कूड़े का निष्पादन कुतुबपुर चनौरा स्थित नगर निगम की लैण्डफिल साइट पर किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में कतिपय मोहल्लों एवं सड़कों के किनारे स्थित ऐसे खाली प्लाट जिसमें भवन स्वामियों द्वारा नींव (बुनियाद) नहीं भरी गयी हैं, उनमें क्षेत्रीय लोगों द्वारा कूड़ा-कचरा डाल दिया जाता है, जिसे समय-समय पर नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर अपने संसाधनों से एकत्र करते हुए लैण्डफिल साइट तक पहुंचाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट का कार्य पूर्ण कराने विषयक

114-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नगर विकास, फिरोजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण न होने के कारण इस परियोजना में खर्च हो चुकी लगभग रुपया 180 करोड़ से अधिक की धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने फिरोजाबाद की सीवर परियोजना को समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं। शासनादेश संख्या-32/2015-6488/नौ-5-2014-183 बजट/2013 दिनांक 09-03-2015 द्वारा योजना हेतु रु0 16774.79 लाख स्वीकृत हुई थी, जिसके अन्तर्गत

158.79 कि0मी0 सीवर लाइन 03 नग एस0पी0एस0 तथा 02 नग एस0टी0पी0 (03 एम0एल0डी0 व 67 एम0एल0डी0) एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराये जाने का प्राविधान था। योजना में 158.79 कि0मी0 सीवर लाइन, 3 नग एस0पी0एस0 व 1 नग एस0टी0पी0 (03 एम0एल0डी0) का निर्माण कर डबरई (सिविल लाइन) के सीवर को शोधित किया जा रहा है एवं फिरोजाबाद शहर के सीवर को एस0पी0एस0 के माध्यम से यमुना के खादरों में पम्प किया जा रहा है।

योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0 लागत रु0 20280.68 लाख शासनादेश संख्या-457/2018-5274/नौ-5-18-183 बजट/2013 दिनांक 03-01-2019 द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजना पर वर्तमान तक रु0 16405.59 लाख की कुल धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका उपयोग करते हुए एस0टी0पी0, एस0पी0एस0 एवं राइजिंग मेन के कार्यो को छोड़कर समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगरीय सीवरेज योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु बजट प्राविधान नहीं है। अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट प्राविधान किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार अवशेष कार्यो को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में अन्त्येष्टि स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करवाते हुए आवश्यक निर्माण कार्य करवाने विषयक

115-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के सीमान्तर्गत कुल कितने अन्त्येष्टि स्थल हैं ? क्या सरकार इन अन्त्येष्टि स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करवाते हुए इनमें अन्त्येष्टि चबूतरे, रोड, बाउण्ड्रीवाल, बैठने का स्थान, पानी तथा प्रकाश व्यवस्था आदि कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम,फिरोजाबाद सीमान्तर्गत कुल 19 अन्त्येष्टि स्थल है।

नगर निगम, फिरोजाबाद सीमान्तर्गत स्थित कुल 19 अन्त्येष्टि स्थलों में से 14 अन्त्येष्टि स्थल के विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसके क्रम में कार्य प्रगति पर है शेष 05 अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में निर्णय निकाय से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की मण्डियों पर उरद और मूंगफली की खरीद की अवधि बढ़ाने विषयक

116-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में प्रदेश में मण्डियों पर उरद और मूंगफली के समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद की अवधि बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

खरीद की अवधि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-11-2018 से 90 दिन अर्थात् 29-01-2019 तक की अवधि निर्धारित की गयी थी, जो व्यतीत हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में किसानों की उपज हेतु वेयरहाउस या एफ0सी0आई0 के स्टोर बनवाने विषयक

117-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में किसानों की उपज रखने हेतु बड़े-बड़े स्टोर/वेयरहाउस सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जनपद झांसी में मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी समिति, चिरगांव, मण्डी समिति, मऊरानीपुर, विशिष्ट मण्डी समिति, झांसी एवं मण्डी समिति, मोठ में उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम को उपलब्ध करायी गयी भूमि पर (प्रति मण्डी 5,000 मै0 टन) कुल 20,000 मै0टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराने का निर्णय लिया जा चुका है।

गोदाम निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी से लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज को जोड़ने की परियोजना विषयक

118-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी से लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज को सड़क मार्ग से जोड़ने की कोई परियोजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं, जनपद झांसी से लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज सड़क मार्ग से जुड़े हैं।

मुरादाबाद, सम्भल व बरेली में बहने वाली मृतप्राय अरिल नदी को पुनर्जीवित किए जाने के उपाय करने सम्बन्धी

119-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद, सम्भल व बरेली में बहने वाली मृतप्राय अरिल नदी को जीवित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

अरिल नदी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु नदी के आन्तरिक सेक्शन से मिट्टी की खुदाई एवं ठेक हटाए जाने हेतु जनपद बरेली एवं बदायूं हेतु एक परियोजना तैयार की गयी है, जो मुख्य अभियन्ता समिति, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा और लोक भवन के बीच में एसकेलेटर के सन्दर्भ में

120-श्री हर्षवर्धन बाजपेई-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित लोक भवन और बापू भवन को एसकेलेटर युक्त एफ0ओ0बी0 अण्डरपास के माध्यम से मुख्य भवन से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। बापू भवन, फुट ओवरब्रिज के माध्यम से मुख्य भवन से पूर्व में ही जुड़ा हुआ है। लोक भवन एवं मुख्य भवन के मध्य भूमिगत लखनऊ मेट्रो विद्यमान होने के कारण अण्डरपास तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है तथा मुख्य भवन (विधान भवन) के आर्कीटेक्चरल व्यू के दृष्टिगत एफ0ओ0बी0 का प्राविधान किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय उद्यान विभाग में स्थायी मालियों को सातवां वेतनमान दिये जाने विषयक

121-श्री संजय गर्ग-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय उद्यान विभाग में स्थायी मालियों को सातवां वेतनमान दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय उद्यान विभाग में स्थायी मालियों को वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016, दिनांक

20-12-2016 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सातवां वेतनमान पुनरीक्षण, 2016 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर से अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए सम्भल तक बनने वाली नहर का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में

122-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर से अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए सम्भल तक फसलों की सिंचाई हेतु निर्माणाधीन नहर का अवशेष कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

नहरों का अवशेष निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में भूमिगत पाइप लाइनों के लीक डिटेक्शन का कार्य कराने विषयक

123-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में भूमिगत पाइप लाइनों के जी0पी0आर0 सर्वे तथा सैटेलाइट बेस्ड एण्ड एकॉस्टिक लीक डिटेक्शन सर्वे कराकर लीक डिटेक्शन का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान में देरी पर सरकारी व निजी चीनी मिलों द्वारा दिये गये ब्याज के सम्बन्ध में

124-श्री मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-118 के उत्तर के क्रम में क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 14 दिन से अधिक की देरी से गन्ना मूल्य भुगतान करने वाले सरकारी या निजी चीनी मिलों से कोई धनराशि बतौर ब्याज किसानों को दिलायी गयी है ? यदि हां, तो उसका वर्षवार व मिलवार ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

गन्ना मूल्य का भुगतान विलम्बित करने वाली प्रदेश की निम्नांकित चीनी मिलों द्वारा दिये गये ब्याज का पेराई सत्रवार विवरण निम्नवत् है :-

पेराई सत्र	नाम चीनी मिल	ब्याज के मद में भुगतान की गयी धनराशि (लाख रु0)
2016-17	1-गांगनौली-सहरानपुर	102.00
	2-शेरमऊ-सहारनपुर	72.00
	3-मलकपुर-बागपत	324.00
	4-मोदीनगर-गाजियाबाद	1958.00
	5-मोरना-मुजफफरनगर	0.27
2017-18	1-मोदीनगर-गाजियाबाद	2248.00

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के संदर्भ में प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय बुधवार के प्रश्न संख्या-31 के उत्तर के सम्बन्ध में

125-श्री मो0 फईम इरफान-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-31 के उत्तर के क्रम में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रो0 वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को घाटे से उबारने हेतु आर्थिक पैकेज कब और किस रूप में प्रदान किया गया है तथा उक्त पैकेज में दी गयी जनपदवार आर्थिक सहायता का विवरण क्या है ? क्या उक्त पैकेज के बाद समितियां घाटे और समस्याओं से मुक्त हो गयी हैं ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

केन्द्र सरकार के स्तर पर हुये विचार-विमर्श के उपरान्त वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी, 2006 को रिवाइवल पैकेज जारी किया गया जिसके क्रम में प्रदेश में रिवाइवल पैकेज को लागू करने के लिये दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 को राज्य सरकार, भारत सरकार एवं नाबार्ड के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ। आर्थिक पैकेज रु0 684.13 करोड़ वित्तीय सहायता के रुप में प्राप्त हुयी। उक्त पैकेज 50 जिला सहाकारी बैंकों से सम्बद्ध 4689 पैक्स पात्र समितियों को प्रदान की गयी। बैंकवार/जनपदवार आर्थिक सहायता का विवरण संलग्न[†] है।

जी नहीं।

[†] देखिये नत्थी (ग) पृष्ठ संख्या 279-280 पर।

126-श्री मो0 फईम इरफान-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में स्थित धार्मिक महत्व के शहरों में मांस, मछली, मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने विषयक

127-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित धार्मिक महत्व के प्रमुख नगरों में मांस, मछली तथा नशीले पदार्थों की खुले और छुपे रूप में बिक्री और प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश में स्थित नगर निकाय, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-541 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (F) की सुसंगत उपधाराओं के अन्तर्गत उपविधि (Bye Laws) बनाकर अपने-अपने क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों में यथा आवश्यकता मांस, मछली तथा मादक पदार्थों के विक्रय एवं उपयोग को प्रतिषेध कर सकते हैं।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रियल स्टेट कारोबारियों द्वारा बनायी जा रही कालोनियों के सत्यापन एवं लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी आदि रोके जाने हेतु

128-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर क्षेत्रों में रियल स्टेट कारोबारियों द्वारा निर्मित कालोनियों का शत-प्रतिशत सत्यापन की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के विकास प्राधिकरण वाले नगरों में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में रियल स्टेट कारोबारियों द्वारा निर्मित कालोनियों के स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन का प्राविधान है।

स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कालोनियों के विकास के उपरान्त रियल स्टेट कारोबारियों द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत प्राप्त करना अनिवार्य है। इस हेतु आवदेन प्राप्त होने पर विकास प्राधिकरणों द्वारा स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन के उपरान्त स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मौके पर विकास कार्य पाये जाने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नदियों का प्रवाह अविरल बनाये रखने हेतु सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकरी

129-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों में पानी का अविरल प्रवाह बनाए रखने हेतु सरकार की कोई विशेष योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगा नदी में अविरल धारा के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को गजट प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा तथा कानपुर बैराज से नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी में न्यूनतम प्रवाह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गजट दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के अनुसार निम्नवत् है :-

क्र0	बैराज की अवस्थिति	बैराज के सन्निकट निम्न धारा को निर्मुक्त करने वाला न्यूनतम प्रवाह (क्यूमैक्स में) (अक्टूबर से मई)	बैराज के सन्निकट निम्न धारा को निर्मुक्त करने वाला न्यूनतम प्रवाह (क्यूमैक्स में) (जून से सितम्बर)
1	भीमगौड़ा (हरिद्वार)	36	57
2	बिजनौर	24	48
3	नरौरा	24	48
4	कानपुर	24	48

महानगरों नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के भवनों के ऊपर लगे टावर्स के सम्बन्ध में

130-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में भवनों के ऊपर होर्डिंग्स, टेलीफोन टावर आदि लगाये जाते समय भवनों का स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टीफिकेट सम्बन्धित कम्पनी द्वारा फर्जी लगाये जाने से आंधी, तूफान, भूकम्प आदि आने पर होर्डिंग्स/टावर्स/भवनों के गिरने से काफी जान-माल की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी भवनों का स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टीफिकेट एम0टेक0 (स्ट्रक्चर) से कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भवन निर्माण एवं उपविधि-2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) के अध्याय-12 के प्रस्तर-12.2(II) में स्ट्रक्चर सेफ्टी हेतु प्राविधान किया गया है। साथ ही अध्याय-13 ''भूकम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षाएं'' के प्रस्तर-13.2 में भी उक्त प्राविधान किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपविधि के परिशिष्ट-10 पर दिये गये प्रारूप पर स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

भूकम्प जोन 3, 4, व 5 एवं स्ट्रक्चरल की योग्यता एम0टेक0 के सम्बन्ध में

131-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूकम्प जोन-3, 4 व 5 में आने वाले जर्जर सरकारी भवनों का समय-समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट सरकार द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो किस नियमावली के अन्तर्गत कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियमावली बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

लोक निर्माण विभाग के अधीन अनुरक्षित समस्त भवनों का वार्षिक निरीक्षण कराया जाता है।

लोक निर्माण विभाग के मेन्टेनेन्स मैनुअल पार्ट-2 के अन्तर्गत।

आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के बेतवा नदी के खिरिया घाट पर रपटा के स्थान पर 821 मीटर पुल निर्माण के सम्बन्ध में

132-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बेतवा नदी के खिरिया घाट पर रपटा के स्थान पर 821.00 मीटर का पुल बनाये जाने हेतु 8266.00 लाख रुपये की आगणित धनराशि सरकार स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु की अनुमानित लागत रु0 6500.08 लाख है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

झांसी के कुरेठा-कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर कोटरा में निर्माणाधीन सेतु के सम्बन्ध में

133-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुरूसराय कुरेठा-कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर कोटरा में निर्माणाधीन सेतु का शेष कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

134-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 19-07-2019 को अता0प्र0सं0-96 द्वारा उत्तरित]

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर टिकौली के निकट लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में

135-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर टिकौली के निकट लिफ्ट कैनाल बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद-झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर ग्राम ढिकौली के निकट प्रस्तावित स्थल पर जल गणना/जल उपलब्धता होने पर आवश्यकतानुसार 30/40 क्यूसेक क्षमता तक की लिफ्ट कैनाल के निर्माण हेतु साध्यता का अध्ययन कर परियोजना का गठन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मियों का बकाया भुगतान संबंधी

136-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम पर उसके कर्मियों के एरियर, ग्रेच्युटी, नगदीकरण, राशिकरण व मंहगाई भत्ता आदि मदों में दिनांक 24-04-2019 तक कितनी धनराशि बकाया है ? क्या सरकार इस बकाया का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां, दिनांक 24-04-2019 तक कुल धनराशि रु0 1018.75 करोड़ बकाया थी। माह अप्रैल, 2019 के वेतन/पेंशन धनराशि रु0 75.55 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

निगम द्वारा कृत कार्य के सापेक्ष प्राप्त सेन्टेज की धनराशि से जल निगम कार्मिकों के वेतन/पेंशन, ग्रेच्युटी, नगदीकरण, एरियर व महंगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाता है अतः सेन्टेज मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

137-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[01 गुरुवार को अता0प्र0सं0-144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र गरौठा के जर्जर गरौठा से मोती कटरा मार्ग, गरौठा से नेपान मार्ग के जीर्णोद्धार विषयक

138-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गरौठा से मोती मार्ग, गरौठा से नेपान मार्ग, शाहजहांपुर से पुलगाना मार्ग तथा अमगांव से खिल्ली मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

गरौठा से मोतीकटरा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

गरौठा से नेपान मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

शाहजहांपुर से पुलगहना मार्ग कच्चा है, परन्तु बुन्देलखण्ड विकास निधि से स्वीकृत एवं प्रगति में है।

अमगांव से खिल्ली मार्ग की कुल लम्बाई 3.700 कि0मी0 के सापेक्ष कि0मी0 1, 3, 4 (700) में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है। शेष एक कि0मी0 मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य करा दिया जायेगा।

गरौठा से मोती मार्ग-इस मार्ग का नाम गरौठा से मोतीकटरा मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 12.00 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के कि0मी0 1 से 7 (850) के सापेक्ष 6.10 कि0मी0 की दशा सन्तोषजनक है व 0.750 कि0मी0 लम्बाई में सी0सी0 कार्य प्रगति में है। मार्ग का शेष भाग 5.150 विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित है।

गरौठा से नेपान मार्ग-यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 0.900 कि0मी0 है। मार्ग की दशा सन्तोषजनक है तथा यातायात सुचारु रूप से चालू है।

शाहजहांपुर से पुलगहना मार्ग-यह मार्ग कच्चे स्तर का ग्रामीण मार्ग है तथा मार्ग की लम्बाई लगभग 3.00 कि0मी0 है। बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 26-02-2018 द्वारा रु0 174.19 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। निर्माण कार्य प्रगति में है।

अमगांव से खिल्ली मार्ग-उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बामौर ब्लाक के अन्तर्गत भदरवारा से देवरा के मध्य नाला के निर्माण के सम्बन्ध में

139-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बामौर ब्लाक के अन्तर्गत भदरवारा से देवरा के मध्य नाला/मार्ग का निर्माण एवं गुरसराय से कोटरा सम्पर्क मार्ग पर बेतवा नदी पर कोटरा पुल को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

कार्य को पूर्ण करने की लक्षित तिथि मार्च, 2020 है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्रांक : 1330/सा0उ0 एवं नि0सं0/2017-18 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

140-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के पत्रांक : 1330/सा0उ0 एवं नि0सं0 समिति/2017-18 का पत्र नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को मायानगर डालीगंज में अवैध दुकान को हटाये जाने विषयक था, दिनांक 08-10-2018 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

उक्त पत्र के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कराया गया। प्रश्नगत स्थल शंकरनगर मुख्य मार्ग पर भवन संख्या-495/1 के बगल गली में 3.55 मी0 x 3.30 मी0 साइज की दुकान

स्थित है, जिसमें श्री मेवालाल पुत्र जीत बहादुर द्वारा मिठाई की दुकान चलायी जा रही है। श्री मेवालाल को अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी विभागीय नोटिस दी गयी, जिसके जवाब में श्री मेवालाल द्वारा अभिलेखों सहित बताया गया कि दुकान का स्वामित्व श्री गोपाल वर्मा पुत्र स्व0 सूरजलाल वर्मा का है। स्थल पुरानी आबादी का क्षेत्र होने के कारण भू-स्वामी के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, सम्पत्ति/तहसीलदार को भू-स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करने हेतु अभिलेख दिये गये हैं। तहसीलदार की आख्या उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की वि0स0 क्षेत्र कटरा में डामरीकरण से वंचित मजरों का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में

141-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में कितने मजरे डामरीकरण से वंचित है ? क्या सरकार डामरीकरण से वंचित मजरों का डामरीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले मात्र 5 राजस्व ग्राम/मजरे डामरीकरण से वंचित हैं।

जी हां। डामरीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र कटरा से खुदागंज रोड के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

142-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में कटरा से खुदागंज रोड जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़क को गड्ढामुक्त योजना में सम्मिलित कराकर मरम्मत कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

पर्यावरण सुधार हेतु गत 2 वर्षों में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा उपलब्ध कराने सम्बन्धी

143-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में पर्यावरण सुधारने हेतु किए प्रयासों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां। पटल पर रखे जाने हेतु विवरण निम्न प्रकार है :-

प्रदेश में पर्यावरण सुधारने हेतु यथा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथा संशोधित प्रभावी हैं, जिनका सतत् अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

उ0प्र0 के अन्तर्गत 12 नदियों यथा यमुना, वरुणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू तथा सई नदी के प्रदूषित अंशों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जल गुणता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समिति एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित 'रीवर रीजुवेनेशन समिति' द्वारा किया जाता है।

जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों में समुचित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना तथा उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। अति प्रदूषणकारी प्रकृति के आसवनी उद्योगों के लिए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण के प्रावधान लागू हैं। समस्त प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित अनुश्रवण करते हुए दोषी इकाइयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 15 दिसम्बर, 2018 से जून, 2019 तक की अवधि में पाये गये कुल 469 दोषी इकाइयों के विरुद्ध कुल रु0 392.55 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। घरेलू, मल-जल के शोधन हेतु प्रदेश में 80 सीवेज उपचारी संयंत्र संचालित हैं, जिनका नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रदेश की प्रमुख नदियों यथा यमुना, वरुणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू तथा सई आदि की जल गुणता का अनुश्रवण 141 चिन्हित बिन्दुओं पर मासिक रूप से किया जा रहा है।

वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 15 नान-अटेनमेंट शहरों यथा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी एवं बरेली में वायु गुणता सुधार हेतु कार्य

योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समिति एवं प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'एअर क्वालिटी मानीटरिंग समिति' द्वारा किया जाता है।

वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना एवं निस्तारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। समस्त प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित अनुश्रवण करते हुए दोषी इकाइयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 के मध्य 1657 दोषी उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश के 24 शहरों में 72 स्थलों पर मासिक रूप से वायु गुणता का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 12 शहरों की वायु गुणता के अनुश्रवण हेतु सतत् परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित हैं।

वाहनों से जनित वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ में स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति की व्यवस्था स्थापित है। इसके अतिरिक्त वाहनों हेतु भारत स्टेज-4 मानक प्रभावी है।

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। प्रदेश के 33 शहरों में परिवेशीय ध्वनि स्तर के मापन का कार्य मासिक रूप से कराया जाता है। ध्वनि नियम, 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाउडस्पीकर तथा लोक-सम्बोधन प्रणाली के प्रयोग हेतु प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा लाउडस्पीकर तथा लोक-सम्बोधन प्रणाली आदि का प्रयोग रात्रि में किया जाना अनुमन्य नहीं है। ध्वनि नियम, 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 25-01-2018 के द्वारा समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को ध्वनि नियम, 2000 में वर्णित ''जिला मजिस्ट्रेट'' दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल पम्पों से उठने वाले कैंसर कॉजिंग फ्यूम्स जैसे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कारगर मैकेनिज्म सिस्टम लागू किये जाने सम्बन्धी

144-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल पम्पों से उठने वाले कैंसर कॉजिंग फ्यूम्स जैसे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कारगर मैकेनिज्म सिस्टम लागू किए जाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के 07 शहर यथा आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद तथा मेरठ भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ऑयल कम्पनियों को दिनांक 25-10-2018 को दिये गये निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है :-

300 किलोलीटर प्रतिमाह से अधिक विक्रय करने वाले पेट्रोल पम्पों में दिनांक 31-10-2018 तक या उससे पूर्व वेपर रिकवरी सिस्टम लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवशेष पेट्रोल पम्पों पर दिनांक 31-12-2018 तक या उससे पूर्व वेपर रिकवरी सिस्टम लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वितरण केन्द्रों, टर्मिनलों रेलवे लोडिंग-अनलोडिंग सुविधाओं तथा हवाई अड्डों पर वेपर रिकवरी सिस्टम लगाए जाने हेतु समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रिटेल आउटलेट पर वाहनों में रिफ्यूलिंग के दौरान वाहनों के इंजन को बन्द रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0-161-163/2019 मैसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 बनाम आदित्य एन प्रसाद एण्ड अदर्स विद सिविल अपील नं0-256-258/2019 तथा सिविल अपील नं0-253-255/2019 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14-02-2019 पारित किए गए हैं, जिसमें निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गयी है :-

लगाये जाने वाले वेपर रिकवरी सिस्टम स्टेज का विवरण	**बढ़ायी गयी समय-सीमा**
स्टेज IA, 300 कि0ली0/माह से अधिक बिक्री वाले रिटेल आउटलेट पर	31-03-2020
300 कि0ली0/माह से अधिक बिक्री वाले रिटेल आउटलेट पर स्टेज IB एवं स्टेज-II	31-08-2019
300 कि0ली0/माह से कम बिक्री वाले रिटेल आउटलेट पर स्टेज IA एवं स्टेज-IB	31-03-2020
300 कि0ली0/माह से कम बिक्री वाले रिटेल आउटलेट स्टेज-II	30-09-2020

वेपर रिकवरी सिस्टम स्टेज IA-फिलिंग डिपो/टर्मिनल पर, स्टेज IB-रिटेल आउटलेट के अण्डरग्राउण्ड टैंक पर तथा स्टेज II-आयल डिस्पेंसिंग यूनिट पर स्थापित किए जाने हैं।

सहारनपुर मण्डल में पटाखे निर्माण से जुड़े प्रतिष्ठानों को जारी एन0ओ0सी0 विषयक

145-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल में पटाखे बनाने वाले कितने प्रतिष्ठानों को सरकार ने दिनांक 29-11-18 तक पटाखा बनाने हेतु एन0ओ0सी0 जारी की है ? क्या सरकार प्रदूषण कम करने वाले पटाखों का निर्माण व विक्रय से सम्बन्धित जारी एन0ओ0सी0 की शर्तों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत जिला प्रशासन/मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जनपद सहारनपुर में 74, जनपद मुजफ्फरनगर में 13 एवं जनपद शामली में 27 प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी किये गये हैं।

जी हां।

आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रदूषण कम करने वाले पटाखों के निर्माण एवं विक्रय से सम्बन्धित जारी किये गये लाइसेंसों की शर्तों का जनपदवार विवरण पटल पर रखे जाने हेतु निम्नवत् है :-

जनपद सहारनपुर-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लड़ी वाले पटाखे प्रतिबन्धित होंगे।

उन पटाखों का विक्रय नहीं करेगा जिनमें एण्टीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रान्सियम का प्रयोग हुआ हो।

आतिशबाजी के ऐसे आइटम जिनमें क्लोरेट जैसे रंगीन/स्टार माचिस एवं रोल/डॉट कैप्स आतिशबाजी के निर्माण में प्रयोग किया गया है, को अपने अनुज्ञप्ति परिसर पर भण्डारण व विक्रय नहीं करेंगे।

प्राधिकृत आतिशबाजी जिन पर निर्माता के लेविल के साथ उसके फायरिंग एवं उसके कार्य का सम्पूर्ण निर्देश अंकित हो, का ही क्रय-विक्रय करे।

दुकान के अन्दर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध रखा जाये तथा दुकान में केरोसिन लैम्प/लालटेन/मोमबत्ती आदि को भण्डारण एवं विक्रय के समय न लाया जाये।

दुकान पैट्रोलियम प्रतिष्ठान, एलपीजी गोदाम डिपो, फुटकर विक्रय स्थल के 500 मीटर की परिधि में नहीं लगायी जायेगी।

दीपावली के बाद बिक्री से जो सामान बचेगा, उसे अगले दिन आतिशबाजी के थोक दुकानदार को वापिस कर दिया जायेगा।

श्रेणीयुक्त एकल पटाखों (संयुक्त पटाखों) के मामलों में उपरोक्त सीमा 05 लॉग 10 (एन) डेसिबल तक कम की जाय, जहां (एन) एक साथ पटाखों की संख्या है।

शांत क्षेत्र मे किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जायेंगे। शांत क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाले निर्माण व विक्रय से सम्बन्धित शर्तों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं0-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-10-2018 में विहित शर्तों का पालन करेंगे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना होती हो।

उक्त प्रतिबन्धों, शर्तों, सुझावों, निर्देशों एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों का पालन यदि आतिशबाजी विक्रेता द्वारा नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञा-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जनपद-मुजफ्फरनगर

लाइसेंसधारी विदेशों में बनाये गये पटाखों का भण्डारण एवं बिक्री नहीं करेंगे।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट याचिका (सिविल) सं0-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-10-2018 के प्रस्तर-42 के बिन्दु सं0 (1) उल्लिखित रिड्यूस्ड इमीसन (इम्प्रूव्ड क्रेकर्स) तथा ग्रीन क्रेकर्स जो उक्त निर्णय के प्रस्तर-41 में उल्लिखित सुझावों II व III में वर्णित है, केवल उन्हीं का विक्रय किया जायेगा तथा उससे भिन्न पटाखों की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी।

ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा जिनमें एण्टीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रान्सियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो।

जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

पटाखों को ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान इत्यादि के माध्यम से विक्रय नहीं किया जायेगा।

विशेष रूप से पैकेजों एवं विस्फोटकों पर चिन्हांकन के सम्बन्ध में विस्फोटक नियम, 2008 के नियम-15 एवं 84 में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

लाइसेंस धारक रिट याचिका (सिविल) सं0-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-10-2018 का अध्ययन करेंगे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना हो।

पूर्व में जारी आतिशबाजी के लाइसेंसधारकों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय व शासन के निर्देशों के क्रम में प्रदूषण कम करने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यालय के पत्र सं0-147/शस्त्र सहायक/आतिशबाजी-18, दिनांक 02-11-2018 के द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

जनपद-शामली

अग्निशमन विभाग से निर्गत सशर्त अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कारखाना विभाग से अनुमोदित ऑन साइट क्राइसिस मैनेजमेण्ट प्लान प्रस्तुत किया जाये।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित के अन्तर्गत अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2008 एवं ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इकाई द्वारा मात्र ग्रीन पटाखों का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा।

इकाई संचालन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने एवं उसकी पुष्टि होने पर प्रदत्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

लाइसेंसधारी विदेशों में बनाये गये पटाखों का भण्डारण व बिक्री नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश के एन0सी0आर0 में शामिल जनपदों (मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, शामली) में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-10-2018 के प्रस्तर-42 के बिन्दु सं0 (i) में उल्लिखित रिड्यूस्ड इमीसन (इम्प्रूव्ड क्रेकर्स) तथा ग्रीन क्रेकर्स जो उक्त निर्णय के प्रस्तर-41 में उल्लिखित सुझावों II व III में वर्णित है, केवल उन्हीं का विक्रय किया जायेगा तथा उससे भिन्न पटाखों की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी।

ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा जिनमें एण्टीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रान्सियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो।

जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

पटाखों को ऑनलाइन वेबसाइट (ई-कामर्स वेबसाइट) जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान इत्यादि के माध्यम से विक्रय नहीं किया जायेगा।

विशेष रूप से पैकेजों एवं विस्फोटकों पर चिन्हांकन के सम्बन्ध में विस्फोटक नियम, 2008 के नियम-15 का तथा त्योहारों के दौरान, आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकानों के सम्बन्ध में विस्फोटक नियम, 2008 के नियम-84 में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

लाइसेंसधारक रिट याचिका (सिविल) सं0-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-10-2018 का अध्ययन करेंगे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना हो।

यदि एल0ई0-5 की कोई शर्त मा0 उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय में दिये गये निर्देशों के विपरीत है, तो उसे उस स्तर तक निरस्त/संशोधित माना जायेगा जिस स्तर तक वह मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में भूमि कटान को रोकने एवं यमुना नदी में ठोकर का निर्माण के सम्बन्ध में

146-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम खेड़ा इस्लामपुर में यमुना नदी के पानी से किसानों की भूमि का कटान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की भूमि के कटान को रोकने हेतु उक्त क्षेत्र में यमुना नदी में ठोकर का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम खेड़ा इस्लामपुर एवं ग्राम खेड़ा हटाना में यमुना नदी द्वारा हो रहे कटान को रोकने के लिए जनपद बागपत में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम खेड़ा इस्लामपुर एवं ग्राम खेड़ा हटाना में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की लागत रु0 1147.50 लाख की बनायी गयी है।

परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत से लोनी-गाजियाबाद मार्ग तक यमुना नहर सड़क को चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में

147-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर की पटरी, बडौत से लोनी-गाजियाबाद मार्ग जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पटरी का चौड़ीकरण कर निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के यमुना नहर के पटरी के शुद्धिकरण कराने के सम्बन्ध में

148-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर की (किलोमीटर 162.00 से 169.00 तक) जर्जर पटरी का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

बागपत में मुख्य पूर्वी यमुना नहर के बड़ौत से किमी0 162.00 से किमी0 169.00 तक सड़क निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (पी0आई0यू0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बागपत द्वारा कराया जा रहा है। उक्त सड़क के निर्माण हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग को निर्गत किया जा चुका है।

जनपद हरदोई रोड योजना, सेक्टर-डी कालोनी, लखनऊ में सीवर की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में

149-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में बसन्तकुंज, हरदोई रोड योजना, सेक्टर-डी कालोनी में पड़ी सीवर लाइन का गन्दा पानी उक्त क्षेत्र की सड़क पर बह रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्दे पानी की निकासी हेतु प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बसन्तकुंज, हरदोई रोड योजना सेक्टर-डी में स्थल निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि कहीं भी सीवर लाइन का गन्दा पानी सड़क पर नहीं बह रहा है।

बसन्तकुंज, हरदोई रोड योजना में एस0टी0पी0 का निर्माण प्रस्तावित है।

लगभग 02 वर्ष।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा नदी सहित पूरे प्रदेश में बाढ़ के नुकसान से बचने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के ब्यौरे सम्बन्धी

150-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने हेतु सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में किए गए प्रयासों का ब्यौरा सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। बाढ़ सूचनाओं को एकत्र करने तथा जिला प्रशासन व अन्य विभागों से समन्वय रखने हेतु बाढ़ से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को मण्डल व जिला स्तर पर नोडल व समन्वय अधिकारी नामित किया जाता है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग ग्रुप का गठन एवं बाढ़ से पूर्व स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक तथा अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाढ समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं तथा आकस्मिक कटान की स्थिति में फ्लड फाइटिंग कार्य कराकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। बाढ़ प्रभावित जनपदों में नदियों के तटों पर बाढ़ से बचाव हेतु संगठनों के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत के अतिरिक्त गत दो वर्षों में बाढ़ से बचाव हेतु कुल 198 नयी परियोजनाएं लागत रु0 1096.78 करोड़ की स्वीकृति की गयी तथा कुल 185 परियोजनाएं लागत रु0 1337.68 करोड़ की पूर्ण की गयीं। वर्तमान में कुल 246 परियोजनाएं लागत रु0 2384.81 करोड़ की संचालित हैं जिन पर कार्य कराकर बाढ़ से बचाव के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गुरसराय मुख्य नहर के एरच, भस्नेही व गढ़वई रजबहों में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

151-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर के एरच, भस्नेह व गढ़वई रजबहों में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

रबी फसल में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गरौठा वि0स0 क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में

152-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के दौरान डायवर्जन सूचना पट्ट न लगाने एवं किनारे पर गहरी खायीं बनाने से मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदार ठेकेदारों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना हमीरपुर-राठ-गरौठा-चिरगांव-झांसी (एस0एच0-42) के गरौठा-चिरगांव मार्ग (द्वितीय पैकेज) (चैनेज 118.600 से 167.745 किमी0) में उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग के किमी0 126 में निर्माणाधीन लघु सेतु पर डायवर्जन बनाया गया है, जिसमें सुलभ यातायात हेतु समस्त यथा आवश्यक सुरक्षा के प्रबन्ध जैसे-मार्ग के दोनों ओर 120 मी0 पूर्व सूचना पट्ट, गतिसीमा सूचक 20 किमी0, सेवरान साईन इत्यादि किये गये हैं।

जनपद अलीगढ़ के सहकारी चीनी मिलों के गन्ना मशीनों के बदलने एवं उनके ठीक करवाने के सम्बन्ध में

153-श्री दलवीर सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा में पेराई सत्र 2018-19 में मशीनें पुरानी होने के कारण लगातार पेराई करने में अक्षम रही हैं ? यदि हां, तो मिल बन्द हो जाने के कारण कितना गन्ना मिल परिसर में बिना पेराई के तथा कितना गन्ना किसानों के पास अवशेष रहा है ? क्या सरकार उक्त चीनी मिल की अक्षम/क्षतिग्रस्त मशीनों को बदलकर नई मशीनों की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार राणा-

पेराई सत्र 2018-19 में चीनी मिल साथा के बायलर एवं टरबाइन में तकनीकी समस्या के कारण मिल रुक-रुक कर पेराई करती रही, जिसके कारण मिल को लगातार पेराई करने में कठिनाई हुई।

संचालन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों के सम्बन्ध में जांच संस्थित की गयी है जिसमें मिल परिसर में अवशेष गन्ने की जानकारी व कारण की भी जांच की जा रही है। चीनी मिल अचानक बन्द हो जाने के कारण कुल 11860.65 कुन्तल गन्ना चीनी मिल अनूपशहर को परिवहन कर भेजा गया। पेराई सत्र 2018-19 में किसानों के पास कोई पेराई योग्य गन्ना अवशेष नहीं रहा।

अक्षम/क्षतिग्रस्त मशीनों के उपकरणों की मरम्मत/बदलने की कार्य योजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के सहकारी चीनी मिल के चीनी की रिकवरी करने के सम्बन्ध में

154-श्री दलवीर सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा में पेराई सत्र 2018-19 में पेराई आउटसोर्सिंग कम्पनी से कराई गई

थी ? क्या सरकार बतायेगी कि अनुबन्ध के अनुसार उक्त कम्पनी को गन्ने की पेराई से कितने प्रतिशत चीनी की रिकवरी करनी थी ? क्या अनुबन्ध के अनुसार चीनी की रिकवरी न होने के कारण कम्पनी के भुगतान में कटौती की गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

हां।

साथा चीनी मिल समिति के संचालक मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए मिल में आफ सीजन मरम्मत एवं रखरखाव तथा पेराई सत्र 2018-19 का तकनीकी संचालन आउटसोर्सिंग से कराने हेतु मैसर्स ग्लोबल केन शुगर सर्विसेज प्रा0 लि0, नई दिल्ली को साथा चीनी मिल द्वारा अनुबन्धित किया गया।

आउटसोर्सिंग कम्पनी के साथ हुए अनुबन्ध में रिकवरी प्रतिशत प्राप्त करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था।

अनुबन्ध के अनुसार परफारमेन्स पैरामीटर प्राप्त न होने के कारण मिल द्वारा मैसर्स ग्लोबल केन शुगर सर्विसेज प्रा0 लि0, नई दिल्ली का रु0 115.99 लाख का भुगतान रोक लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम ऊदला इलियासपुर, तहसील कोल में स्थापित पशु वधशाला के पानी को रोकने के सम्बन्ध में

155-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम ऊदला इलियासपुर तहसील कोल में स्थापित पशु वधशाला का गन्दा पानी व मलबा अलीगढ़ नाला में डाले जाने से ग्राम बरौला की आबादी भाग के पीछे से गुजर रहे नाले में जगह-जगह गन्दगी जमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मै0 अल-हम्द एग्रो फूड्स प्रोडक्ट प्रा0 लि0, (स्लाटर हाउस), ग्राम ऊदला इलियासपुर, जी0टी0 रोड, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ में स्थापित एवं संचालित है। उक्त स्लाटर हाउस एक इन्टीग्रेटेड स्लाटर हाउस है। स्लाटर हाउस में 500 पशुओं का वध कर फ्रोजन बोनलेस मीट-95 टन/दिन, टैलों, पोल्ट्री फीड एवं सप्लीमेन्ट एवं ब्लड मील आदि का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिनका संचालन अनवरत रूप से नियमित किया जाता है। शुद्धिकरण उत्प्रवाह के अन्तिम बिन्दु पर उत्प्रवाह ऑनलाइन मानीटरिंग सिस्टम एवं वेब कैमरा स्थापित है। ऑनलाइन

मानीटरिंग सिस्टम एवं ई0टी0पी0 पर स्थापित वेब कैमरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के सर्वर से सम्बद्ध है। इकाई द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को इकाई के पास से गुजर रहे नाले में निस्तारित नहीं किया जाता है। इकाई से जनित शुद्धिकरण उत्प्रवाह को स्वयं द्वारा विकसित करनाल टेक्नालॉजी में सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा रहा है। इकाई द्वारा स्वयं की लगभग 14 एकड़ भूमि में यूकेलिप्टिस पेड़ रोपित कर करनॉल टेक्नोलॉजी विकसित की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में कोताना मार्ग के चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में

156-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बडौत में बड़ौत से कोताना मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने से जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का चौड़ीकरण कर निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत से बड़ौत कोताना (अन्य जिला मार्ग) की लम्बाई 10.00 कि0मी0 है। इस मार्ग की वर्तमान लेपित सतह पी0सी0 की है। इसका नवीनीकरण माह 03/2016 में कराया गया था तथा माह जून, 2019 में पैच मरम्मत करायी गयी है। वर्तमान में यह मार्ग पैच रहित है।

मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.75 मीटर है। मार्ग पर यातायात गणना के अनुसार यातायात 6168 पी0सी0यू0 है। मार्ग के यातायात घनत्व की दृष्टि में 2 लेन चौड़ीकरण करने हेतु रु0 1800.00 लाख की धनराशि आगणित है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बागपत में वन आच्छादित क्षेत्र जनपद के पूरे भू-भाग पर वृक्षारोपण कराने के सम्बन्ध में

157-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में वन आच्छादित क्षेत्र जनपद के पूरे भू-भाग का कितना प्रतिशत है ? क्या सरकार वन क्षेत्र के घटने व सड़क निर्माण आदि

के कारण पुराने पेड़ों के काटने के कारण पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए वृक्षारोपण हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाकर वृक्षारोपण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

भारतीय वन सर्वेक्षण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार जनपद बागपत में वनावरण जनपद के भौगोलिक क्षेत्र का 1.29 प्रतिशत है।

जी हां।

सरकार वृक्षारोपण हेतु प्रतिवर्ष व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाकर वृक्षारोपण कार्य को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2019-20 में भी वृक्षारोपण हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम प्रचलित है।

वर्ष 2019-20 में 22 करोड़ पौध रोपण की कार्यवाही प्रचलित है। वृक्षारोपण महाकुम्भ में व्यापक जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रचार-प्रसार हेतु आधुनिक प्रचार माध्यमों सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर एवं परम्परागत प्रचार माध्यमों-समाचार पत्रों, पर्यावरण रैलियों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं, जिंगल, प्रसार साहित्य एवं फिल्म के माध्यम से वृक्षारोपण हेतु प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार प्रचलित है।

वन महोत्सव (1 से 7 जुलाई, 2019) के अवसर पर सरकारी विभागों, संस्थाओं, कृषकों, विद्यार्थियों व जन सामान्य के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली एवं सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण कार्य के सम्बन्ध में

158-श्री नाहिद हसन-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की है तथा जनपद शामली व सहारनपुर में उपरोक्त अवधि में कुल कितनी धनराशि व्यय कर वृक्षारोपण किया गया है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण हेतु वन विभाग की मुख्य योजनाओं में रु0 267.2108 करोड़ धनराशि आवंटित की गयी है, जिसमें पौध रोपण (वृक्षारोपण) हेतु रु0 16.86 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। जनपद शामली व

सहारनपुर में उपरोक्त अवधि में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण पर व्यय हुई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	व्यय धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2	3	4
1	सहारनपुर	सहारनपुर	0.24
		शिवालिक	0.90
	योग	सहारनपुर	1.14
2	शामली	शामली	0.62
	योग	शामली	0.62

अन्य राजकीय विभागों को वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गयी धनराशि का विवरण विभाग में संधारित नहीं है।

जी हां, विवरण उपरोक्तानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के हाटा वि0स0 क्षेत्र में ग्राम सभा सुकरौली को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में

159-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा सुकरौली को नगर पंचायत का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद कुशीनगर के सुकरौली को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 22-08-2016 निर्गत करते हुए आपत्तियां/सुझाव मांगा गया था। उक्त के क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तिम अधिसूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा हाटा क्षेत्र की नहरों की सिल्ट सफाई में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में

160-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र हाटा की नहरों की सिल्ट सफाई में हो रही अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त

हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां। मा0 विधायक जी का शिकायती-पत्र दिनांक 10-12-2018, जो रबी फसली में असना माइनर की सिल्ट सफाई में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी, कुशीनगर के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-द्वितीय, देवरिया को प्राप्त हुआ है।

जी हां।

असना माइनर के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-द्वितीय, देवरिया द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए माइनर के किमी0 0.000 से किमी0 3.000 तक मानक के अनुरूप रबी फसली में सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश भर में नहर व रजवाहों के किनारे पूर्व निर्मित सड़कों के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

161-श्री दलवीर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहर व रजवाहों के किनारे निर्मित सड़कों की अनुरक्षण अवधि कितनी निर्धारित है ? क्या सरकार जनपद अलीगढ़ में अनुरक्षण अवधि में खराब होने वाली उक्त सड़कों के लिए दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहरों/राजवाहों की पटरी पर निर्मित सड़कों की अनुरक्षण अवधि दो वर्ष निर्धारित है। यदि अनुरक्षण अवधि दो वर्ष में सड़क खराब होती है, तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ही उस कार्य को सही कराये जाने का प्राविधान है।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2018-19 में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक नहरों/राजवाहों की पटरियों पर निर्मित सड़कों का कुल 100.06 किमी0 लम्बाई में गड्ढामुक्त एवं नवीनीकरण का कार्य कराया गया है, जो ठीक दशा में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के एक मात्र सहकारी चीनी मिल साथा के पेराई पर मरम्मत एवं धन व्यय के सम्बन्ध में

162-श्री दलवीर सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा के पेराई सत्र 2018-19 में मशीनों की मरम्मत पर कुल कितना धन

व्यय किया गया है ? क्या मरम्मत के उपरान्त भी चीनी मिल की मशीनों के सुचारु कार्य न करने के लिए दोषियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

सहकारी चीनी मिल साथा जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2018-19 में मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर कुल रु0 160.12 लाख की धनराशि व्यय हुई है।

साथा चीनी मिल का आफ सीजन मरम्मत एवं पेराई सत्र 2018-19 का तकनीकी संचालन आउटसोर्सिंग कम्पनी मैसर्स ग्लोबल केन शुगर सर्विसेज प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। मरम्मत के उपरान्त चीनी मिल के सुचारु रूप से न चलने के कारण चीनी मिल में कार्यरत प्रधान प्रबन्धक एवं मुख्य अभियन्ता जिनके समय में प्लाण्ट रिपेयर किया गया तथा जिनके द्वारा प्लाण्ट संचालित किया गया, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के धसान नदी पर विश्वामित्र तपोस्थली/झारखण्ड (गुढ़ा) में नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

163-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के धसान नदी पर विश्वामित्र तपोस्थली/झारखण्ड (गुढ़ा) में नदी पर पुल/रपटा का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर सेतु की अनुमानित लागत रु0 4208.00 लाख है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली के नगर पालिका परिषद् कैराना व उसके आसपास के भू-गर्भीय जल को संक्रमित होने से रोकने के सम्बन्ध में

164-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् कैराना जनपद शामली व आस-पास के भू-गर्भीय जल प्रदूषित होने की जांच करवा कर क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद-शामली में शहरी क्षेत्र में 3 नगर पालिका परिषद् एवं 7 नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 293 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। नगर पालिका परिषद् कैराना सहित सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के द्वारा नगरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद् कैराना, जनपद शामली (शहरी क्षेत्र) के पानी में अशुद्धि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर की कृषि भूमि को कृत्रिम झील के पानी से बचाने विषयक

165-श्री नाहिद हसन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर, ब्लाक कैराना में सीमान्त पट्टाधारकों की भूमि में समीप के नगर का पानी भर जाने से बनी कृत्रिम झील से पट्टाधारकों व अन्य ग्रामीणों की भूमि को बचाने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

166-श्री मो0 फईम इरफान-

[01 गुरुवार के अता0प्र0सं0-143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र के मो0 बल्देव विहार के मकान सं0-591अ/729 व 591अ/747 के सामने पक्की सड़क बनवाये जाने विषयक

167-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र के मो0 बल्देव विहार (कुम्हार मण्डी) के अन्तर्गत मकान संख्या-591अ/729 से 591अ/747 के सामने की लगभग 80 मीटर सड़क एवं नाली जर्जर होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन से परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर सड़क के स्थान पर पक्की सड़क एवं नाली सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

उक्त कार्य का कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में ही सम्भव है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के थाना झिंझाना के ग्राम कमालपुर में जहरीली शराब से हुई मृत्यु पर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने विषयक

168-श्री नाहिद हसन-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम कमालपुर थाना झिंझाना में जहरीली शराब के सेवन से पांच व्यक्तियों की मृत्यु व दो व्यक्तियों के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उनके गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दिलवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां। जनपद शामली में ग्राम कमालपुर, परगना बिडौली, तहसील ऊन में जहरीली शराब के सेवन से श्री जोगा सिंह पुत्र हजारा सिंह, श्री राजकुमार पुत्र बलजीत, श्री संजय कुमार पुत्र राजकुमार, श्री इन्द्रपाल पुत्र भोपाल उर्फ भोला, श्री धर्मपाल पुत्र शंकर, निवासीगण ग्राम कमालपुर की मृत्यु हो जाने से इन सभी व्यक्तियों के मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के दावे प्रबन्धक ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी, शामली को माह अगस्त में प्रेषित किये गये थे। उक्त दावों को इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा माह दिसम्बर, 2018 में निरस्त कर दिया गया था। दिनांक 20-12-2018 को जिलाधिकारी, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला दावा समिति की बैठक में उक्त दावों को पुनः स्वीकृत करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्धक, ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी, शामली को प्रेषित किये गये। कम्पनी द्वारा उक्त दावों की स्वीकृति हेतु दिनांक 08-01-2019 को मुख्यालय, देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दावे जिला समाज कल्याण अधिकारी, शामली को भेजे गये थे। उक्त दावों में से श्री प्रवेश पुत्र स्व0 श्री इन्द्रपाल, श्रीमती दर्शन पत्नी स्व0 श्री राजकुमार, श्री सुरेन्द्र भाई स्व0 श्री संजय, श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी स्व0 श्री जोगा सिंह एवं श्रीमती राजेश पत्नी स्व0 श्री धर्मपाल निवासी ग्राम कमालपुर विकास खण्ड ऊन जनपद शामली को परिवार की मुखिया के मृत्यु के उपरान्त आर्थिक सहायता हेतु रु0 30,000 की एक मुश्त धनराशि वर्ष 2018-19 में ही ई-कुबेर प्रणाली के द्वारा उनके बैंक खातों में आनलाइन हस्तान्तरित करायी जा चुकी है। श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजकुमार, श्री राजकुमार पुत्र श्री बलजीत व श्री जोगा सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह के आम आदमी बीमा योजना के दावे वरिष्ठ

शाखा प्रबन्धक, पेंशन एवं समूह बीमा विभाग, जीवन प्रकाश, प्रभात नगर, मेरठ को माह अगस्त, 2018 में प्रेषित किये जा चुके हैं।

उक्त घटना के लिए प्रथमदृष्टया उत्तरदायी अपराध निरोधक क्षेत्र का अतिरिक्त रूप से कार्य देख रहे आबकारी निरीक्षक श्री शोभित कुमार को क्षेत्र के प्रभार से मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। क्षेत्र में नियुक्त 03 आबकारी सिपाहियों व 02 प्रधान आबकारी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा बिडौली चौकी इन्चार्ज श्री कुंवर पाल सिंह, उप निरीक्षक, 01 प्रधान आरक्षी एवं 04 आरक्षियों को निलम्बित करते हुए थाना इन्चार्ज झिंझाना को लाइन हाजिर किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर अंकन रु0 50000000 की सड़कों के निर्माण विषयक

169-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर 5 करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण किये जाने के क्रम में जनपद शामली की कतिपय ग्रामीण सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-10-2018, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र गरौठा के पारीक्षा बांध से गुरुसराय मुख्य नहर के गढ़वहा रजवाहा नहर पर रजवाहा व एरच रजवाहा के टेल तक पानी पहुंचाने विषयक

170-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र के पारीक्षा बांध से गुरूसराय मुख्य नहर के गढ़वहा राजवाहा नहर पर रजवाहा व एरच रजवाहा के टेल तक एवं भरवेह बांध/बड़वार झील से बड़वार नहर के टेल तक कई वर्षों से पानी न पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गुरसरांय नहर प्रणाली की प्रस्तावित सींच 19230 हेक्टेयर के सापेक्ष 22000 हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। गुरसरांय नहर प्रणाली/बड़वार नहर प्रणाली में जल उपलब्धता के आधार पर नहरों का संचालन किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रबी 1426 फसली में एरच रजबहा में 20.880 कि0मी0 के सापेक्ष 20.440 तक, गढ़वई रजबहा में 19.400 कि0मी0 के सापेक्ष 8.60 कि0मी0 तक एवं भसनेह रजबहा में कि0मी0 11.800 के सापेक्ष कि0मी0 5.00 तक पानी पहुंचाया गया। बढ़वार नहर प्रणाली की कुल 09 नहरों में वर्ष 2018-19 रबी 1426 फसली में टेल तक पानी पहुंचाकर 5930 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करायी गयी। उक्तानुसार किसी कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के भू-जल दोहन के सम्बन्ध में

171-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थापित डाइंग की औद्योगिक इकाइयों द्वारा भू-उचयजल का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा भू-जल दोहन के लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन औद्योगिक इकाइयों द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर में डाइंग की 26 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनके द्वारा भूगर्भीय जल का प्रयोग किया जाता है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 02 औद्योगिक इकाइयां क्रमशः मैसर्स गीतांजलि इण्टरप्राइजेज एवं मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है। शेष 24 इकाइयों में से 18 औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया गया है तथा 06 इकाइयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन नहीं किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा शेष समस्त 24 इकाइयां, जिनके द्वारा केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से भूगर्भ जल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया, में से 22 इकाइयों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा 02 स्वयं से बन्द इकाइयों को बोर्ड की अनुमति के बिना संचालन नहीं किये जाने का निर्देश जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में 01-01-2019 से 31-03-2019 के बीच वायु प्रदूषण की जांच के सम्बन्ध में

172-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 01-01-2019 से 31-03-2019 के मध्य वायु-प्रदूषण की जांच की गई है ? यदि हां, तो वहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या और किस श्रेणी में है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बुलन्दशहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहां पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 17-11-2017 के अनुपालन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु काम्प्रेहेंसिव रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है। इस एक्शन प्लान में प्रदूषण के स्तर के अनुसार 16 विभागों हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित हैं।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में

173-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में पुराने टायरों से तेल निकालने वाली औद्योगिक इकाइयां स्थापित है ? यदि हां, तो कौन सी और उनके वायु प्रदूषण की जांच नियमित रूप से की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद, औद्योगिक क्षेत्र में पुराने टायरों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पायरोलेसिस ऑयल एवं ब्लैक कार्बन बनाने वाले चिन्हित उद्योगों का नाम व पता निम्नवत् है, जिनकी जांच कॉलम सं0-3 में अंकित तिथियों में की गयी :-

क्र0 सं0	उद्योगों का नाम व पता	जांच तिथि
1	2	3
1	मै0 आर0वी0 इण्डस्ट्रीज, डी-41, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	03-06-2019

1	2	3
2	मै0 ए0 एण्ड एस0 इण्टरप्राइजेज, एचसी-26, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	02-07-2019
3	मै0 श्री साईं इण्टरप्राइजेज, प्लाट नं0-सी-31, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।	02-07-2019
4	मै0 ए0एन0 इण्डस्ट्रीज, सी-32, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	11-06-2019
5	मै0 के0आर0 इण्डस्ट्रीज, सी-26, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	03-07-2019
6	मै0 सोमेश्वर एलायज प्रा0 लि0, सी-52, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	02-02-2019
7	मै0 वेव मैक्स पायरो प्रा0 लि0, ई-42/43, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	02-07-2019
8	मै0 श्रीमती ट्रेडर्स, ई-15, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	11-06-2019 (उद्योग विगत् 01 वर्ष से अधिक समय से बन्द है।)
9	मै0 इण्डियन इण्टरनेशनल, एम-7, 8, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	06-05-2019 (उद्योग विगत् 01 वर्ष से अधिक समय से बन्द है।)
10	मै0 आर0के0 पायरोलिस इण्डस्ट्रीज, बी-19ए, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	20-05-2019 (उद्योग विगत् 01 वर्ष से अधिक समय से बन्द है।)
11	मै0 पायरोलियम प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, के-3, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	20-05-2019 (उद्योग विगत् 01 वर्ष से अधिक समय से बन्द है।)

1	2	3
12	मै0 मो0 इस्लाम, प्लाट नं0-आर-31, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	20-06-2019 (उद्योग उखड़ चुका है।)
13	मै0 रायजादा एक्सपोर्ट, प्लाट नं0-डी-6, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।	20-06-2019 (उद्योग उखड़ चुका है।)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद में स्थापित डाइंग से जल प्रदूषण के सम्बन्ध में

174-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थापित डाइंग की औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जाने वाले पानी की जल-प्रदूषण की दृष्टि से जांच दिनांक 01-01-2019 से 31-03-2019 के बीच की गयी है ? यदि हां, तो किन इकाइयों की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

दिनांक 01-01-2019 से 31-03-2019 की अवधि में निम्नलिखित इकाइयों की जांच की गयी है :-

क्र0 सं0	डाइंग इकाइयों का नाम व पता
1	2
1	मै0 सौभाग्य प्रोसेसर्स प्रा0 लि0, सी-23/1/1-14, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।
2	मै0 लक्ष्मी ट्रेडर्स, सी-9, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।
3	मै0 चन्दौक टैक्सटाइल इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, इण्ड0 एरिया, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।
4	मै0 सत्यम शकुन्तलम इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, आर-65, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।
5	मै0 शान्ति डाइंग मिल्स, बी-10, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।

1	2
6	मै0 सनराइज टैक्सटाइल, डी-5, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।
7	मै0 भारत प्रिन्टस, सी-59, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।
8	मै0 ब्लूडक टैक्सटाइल प्रा0 लि0, 3/1, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।
9	मै0 सिन्डीकेट निट क्राफ्ट, डी-25, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गरौठा वि0स0 क्षेत्र के गौपुरा बुढावली, महरौली आदि ग्रामों में बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

175-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गौपुरा, बुढ़ावली, महरौली, मडैया, टोडी अहरौली, डामरोख, भुजोंद, जरहाखुर्द, पगरी आदि गांवों में सिंचाई हेतु मुख्य बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा से निकली भुजोंद माइनर को रजबहा बनाने की कार्य योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

उ0प्र0 सहभागी प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा-2(1)(त) के अनुसार 20 क्यूसेक से 500 क्यूसेक के मध्य डिस्चार्ज की नहरें ''रजबहा'' की श्रेणी में आती हैं। भुजौंद माइनर का शीर्ष डिस्चार्ज 26.30 क्यूसेक होने के कारण उपर्युक्त व्यवस्थानुसार उक्त माइनर रजबहा श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम कालोनी सेक्टर-एच में डिवाइडर एवं खुले नाले को पटवाने के सम्बन्ध में

176-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित जानकीपुरम् कालोनी सेक्टर-एच में सामुदायिक केन्द्र के सामने बना डिवाइडर (खुला हुआ नाला) जो कि मुकुन्द मिठाई शाप से होते हुए पहाड़पुर चौराहा कुर्सी रोड की ओर जा रहा है, में क्षेत्रीय जनता द्वारा घरों का कूड़ा फेंकने से नाला चोक हो गया है जिससे क्षेत्र में बीमारी व संक्रमण फैलने का

खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिवाइडर/खुले नाला को साफ कराते हुये उसे ऊपर से पटवाकर उसके ऊपर फेसिंग व हरियाली लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त नाले की सफाई का कार्य करा दिया गया है। उक्त नाले को ढक कर उसके ऊपर फेसिंग व हरियाली का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सिधौली के सभी नगर पंचायत में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने विषयक

177-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत नगर पंचायत सिधौली जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित है, के प्रत्येक चौराहे पर सरकार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्तमान में जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत नगर पंचायत सिधौली जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर स्थित है, के प्रत्येक चौराहे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की कार्य योजना संचालित नहीं है।

प्रदेश के पूर्वी/पश्चिमी इलाकों में स्थानीय कृषि उत्पादों के विषयक

178-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी/पश्चिमी इलाकों में स्थानीय कृषि उत्पादों को देखते हुए उत्पादों से सम्बन्धित करायी गयी मिलों की स्थापना की भांति बुन्देलखण्ड में भी किसानों के हित में आलू, दलहन, अदरक, तिलहन आदि कृषि उत्पादों से सम्बन्धित मिलों की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने की कोई नीति नहीं है। बल्कि निजी क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन तथा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का प्रख्यापन किया गया है। जिसमें प्रदेश के समस्त जनपद आच्छादित है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना या स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई की क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख तक का पूंजीगत अनुदान की सुविधा।

प्रदेश में फल एवं शाक-भाजी आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत इकाइयों को प्रदेश सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान की सुविधा।

सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर्स पार्ट्स हेतु बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज दर की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 05 वर्षों तक। अन्य मध्यम एवं वृहद इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर्स पार्ट्स हेतु बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज की दर का 07 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति।

पूंजीगत अनुदान एवं ब्याज उपादान सहित 05 वर्षों में अधिकतम धनराशि रु0 250.00 लाख की सीमा तक अनुमन्य है।

यदि बुन्देलखण्ड प्रक्षेत्र से आलू, दलहन, अदरक, तिलहन आदि पर आधारित कोई प्रस्ताव उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत प्राप्त होता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों द्वारा पैदा की जा रही इमारती व ईंधन की लकड़ी का लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित कर उसके सरकारी खरीद केन्द्र खुलवाने सम्बन्धी

179-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा पैदा की जा रही इमारती व ईंधन की लकड़ी का लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित कर उसके सरकारी खरीद केन्द्र खुलवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

राज्य वन नीति 2017 में प्राविधान नहीं है।

प्रदेश सरकार के शासनादेश को द्वितीय राजभाषा उर्दू में प्रकाशित कराने सम्बन्धी

180-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी होने वाले समस्त शासनादेशों को सरकार द्वितीय राजभाषा उर्दू में भी प्रकाशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-4171/21-89-1-1980, दिनांक 7 अक्टूबर, 1989 में निर्दिष्ट प्रयोजन क्रमांक 3 एवं 4 के अधीन शासनादेशों की द्वितीय राजभाषा उर्दू में भी प्रकाशित किये जाने के निर्देश समय-समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से दिये गये हैं। (अधिसूचना प्रति अनुलग्न है।)†

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद सिद्धार्थनगर के वि0स0 क्षेत्र डुमरियागंज के वि0खं0 डुमरियागंज में उक्त ताल को साफ एवं सौन्दर्यीकरण कराने हेतु

181-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड डुमरियागंज में ग्राम अगया के उत्तरताल में बरसात के बाद जलभराव के कारण सैकड़ों बीघे की फसल के नुकसान की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ताल तथा नाले को जल निकासी हेतु साफ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विकास खण्ड डुमरियागंज में ग्राम अगया के उत्तर व माली मैनहा (नगर पंचायत डुमरियागंज) के बीच एक तालाब है। तालाब से जो नाला निकला है उसमें एक तरफ ग्राम सभा अगया के किसानों की जमीन है तथा दूसरी तरफ माली मैनहा (नगर पंचायत डुमरियागंज) के किसानों की जमीन है, बीच में नाला स्थित है। नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थित नाले की सफाई बरसात से पूर्व कराया गया है। जल निकासी की समस्या वर्तमान में नहीं है। बरसात के बाद नगर पंचायत परिक्षेत्र में नाला पक्का बनवा दिया जायेगा। जिससे भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

प्रदेश के नगरों की सड़कों पर भीड़ घटाने मेट्रो ट्रेन जैसी सुविधायुक्त बसें विशेष कालोनियों और दफ्तरों के मध्य चलाने सम्बन्धी

182-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों की सड़कों पर कारों व निजी वाहनों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन जैसी बेहतर सुविधायुक्त बसें कालोनियों और दफ्तरों के मध्य चलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या-281 पर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खानपान और ठहरने की सुविधाओं से सम्पन्न रैन बसेरों के निर्माण के सम्बन्ध में

183-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या नगरीय रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य भोजन और रात्रि विश्राम जैसी सुविधाओं से युक्त कहां और कितने रैनबसेरों का निर्माण सरकार द्वारा किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें स्थायी आश्रय गृहों का निर्माण एवं संचालन का प्राविधान है। 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य 43 शहरों (संलग्नक-1†) में 4730 शहरी बेघरों हेतु 74 आश्रय गृहों का निर्माण पूर्ण कराकर संचालित किया गया है। योजनान्तर्गत सभी आश्रय गृहों में रात्रि विश्राम हेतु मूलभूत सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं। आश्रय गृहों में सामुदायिक भोजनालय हेतु किचन सामग्री, गैस चूल्हा, सिलेण्डर भी उपलब्ध कराया गया है। सामुदायिक किचन का संचालन स्थानीय स्तर पर किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शहरों की आवश्यकतानुसार अस्थाई आश्रय गृहों की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में पिछली सरकार की विकास निधि शुरू करने के सम्बन्ध में

184-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्वरित विकास निधि से शुरू कराये गये जो कार्य अब तक अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर में ग्राम नरैनी से ग्राम मुस्तफापुर उर्फ भूरापुर मार्ग पर बने अधूरे पुल एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

---

† देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या-282-284 पर।

प्रश्नगत कार्य नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-76/35-4-2012, दिनांक 21-01-2013 द्वारा स्वीकृत किया गया था और स्वीकृत लागत रु0 314.01 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। कार्य का पुनरीक्षित आगणन रु0 446.68 लाख आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज, दुबग्गा से चारबाग तक बसें संचालित करने के सम्बन्ध में

185-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज से चारबाग व दुबग्गा/आलमबाग तक सिटी बस सटल से संचालन हो रहा था ? क्या सरकार द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि गरीब मजदूर, छात्र-छात्राओं, नौकरी पेशा लोगों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मोहनलालगंज-निगोहा तक सिटी बस का पुनः संचालन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां, अध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 11-12-2018 में लिये गये निर्णयानुसार नगरीय बस सेवाओं को नगर सीमा के बाहर संचालित किये जाने पर रोक लगा दी गयी है।

उक्त मार्गों पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन कराये जाने के कारण यात्रियों को असुविधा नहीं हो रही है।

जी नहीं, क्योंकि उक्त मार्ग पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की अदालतों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी को भी अधिकारिक प्रयोग की भाषा का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी

186-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की अदालतों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी को भी अधिकारिक प्रयोग की भाषा का दर्जा दिये जाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार, सरकार के भाषा विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2135/21-11-(49)-67, दिनांक 28-10-1970 के प्रस्तर-5 के अनुसार, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज (इलाहाबाद) द्वारा दिये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि हिन्दी में दिये जाने वाले ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश का मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में जारी किया जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-272 की शक्तियों के अधीन उक्त संहिता के प्रयोजनों के लिए सरकार की अधिसूचना संख्या-858/21-3/(1)-74, दिनांक 30-03-1974 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की भाषा, अधिसूचना के प्रस्तर (1), (2) व (3) में दी गयी प्रकार की कार्यवाहियों के लिए देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा अवधारित की जा चुकी है।†

प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय बुधवार के निर्धारित प्रश्न सं0-158 के उत्तर के सम्बन्ध में जनपद शाहजहांपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण विषयक

187-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय बुधवार के निर्धारित प्रश्न सं0-158 के उत्तर में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, उप निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली, बदायूं तथा उप निदेशक, मण्डल मुरादाबाद, भूमि संरक्षण इकाई, बिजनौर, चांदपुर, अमरोहा, सम्भल का भी चार्ज है ? यदि हां, तो दिनांक 01-04-2015 से 20-02-2019 तक उपरोक्त सभी कार्यालय में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब, किस-किस कार्यों के लिये आयी तथा उसके सापेक्ष क्या-क्या कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद सहारनपुर नगर निगम में पूरे के पूरे फेरी वालों और रेहड़ी वालों को पुलिस वालों ने जबरन उजाड़ दिया है और वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। वहां पर कोई वेण्डिंग जोन उनके लिए न चिन्हित किया गया है और न ही उन्हें

---

† देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या-285-289 पर।

आवंटित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विशेषतः सहारनपुर को संज्ञान में लेते हुए क्या इस बारे में विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जनपद सहारनपुर की अलग से सूचना मंगानी पड़ेगी लेकिन जो हमारे पास सूचना है वह हम आपको दे देते हैं। आपकी बात मैंने समझ ली है और उसको हम अलग से दिखवा भी लेंगे। मान्यवर, जो सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या जनपद सहारनपुर में आइडेंटिफाई हुई है वह पंजीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या 8,140 है, जिसमें से पथ विक्रताओं को जारी प्रमाण-पत्रों की संख्या 4 हजार, पथ विक्रेताओं को जारी परिचय पत्रों की संख्या (चार) 4 हजार है। मान्यवर, यह हमारे पास सूचना है और इसके प्रति आपकी जो जिज्ञासा है इसको हम अलग से दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

[12:20] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 जुलाई, 2019 को नियम-300 के अन्तर्गत 02 सूचनाएं प्राप्त हुयीं।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 100-100 हैण्डपम्प न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा और श्री संजय गर्ग की विधान सभा एवं विधान परिषद् के सभी सदस्यों के अनुरोध पर पूर्व की भांति इस वित्तीय वर्ष में 100-100 हैण्डपम्प न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आप दोनों बहुत पुराने सदस्य हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, जानकार हैं यह विषय नियम-300 में सीधी तरह से नहीं आता है और अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेतागण अनुपूरक पर बोलेंगे तो उसमें यह विषय आ सकता है। इसलिए यह सूचना अग्राह्य है।

उ0प्र0 सरकार के मंत्री द्वारा अध्यक्ष पीठ पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की दिनांक 23 जुलाई, 2019 को उ0प्र0 सरकार के मंत्री द्वारा अध्यक्ष पीठ पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ऐसी कोई बात नहीं थी और जो भी बात थी वह अध्यक्ष पीठ पर कोई आरोप नहीं था, किसी पर आरोप नहीं था और जो भी बात थी वह शब्द वापस ले लिए गए हैं तो अब कार्यवाही में वह शब्द ही नहीं बचे हैं। इसलिए यह उसमें पोषणीय नहीं है।

[12:24] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूं।

विपक्ष द्वारा नियम-300 की सूचना पुनः सुने जाने की मांग

(श्री राकेश प्रताप सिंह के अपने स्थान से अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

उस पर खत्म हो गया है वह कार्यवाही में नहीं है। आपके पास असंशोधित प्रति है, संशोधित नहीं है। अब हो गया, आप बैठिए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधान सभा से जुड़ा मामला है, विधान सभा की कार्यवाही से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

उसको अग्राह्य कर दिया है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

अध्यक्ष जी, यह सिर्फ पीठ के सम्मान का मामला नहीं है यह हमारे भी सम्मान से जुड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

फिर हमको कहना पड़ेगा कि नहीं लिखा जायेगा। अपने राकेश की किसी बात को हम कहें कि नहीं लिखा जायेगा, यह ठीक नहीं होगा।

(श्री राकेश प्रताप सिंह का अपने स्थान से निरंतर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

आपकी कोई बात हम यह कहें कि नहीं लिखी जायेगी तो यह हमारे प्रेम और आपके आदर के बीच में बड़ा गड़बड़ होगा। अब मुझे नियम-301 की सूचनाएं पढ़ने दीजिए, आप बैठिए। अब हो गया, आप बैठ जाइए।

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमेशा पीठ से परम्परा रही है कि जो भी माननीय सदस्य नियम-300 में कोई बात रखना चाहतें हैं तो माननीय अध्यक्ष उसको सुनते हैं और ग्राह्य करना या न ग्राह्य करना वह माननीय अध्यक्ष के ऊपर है लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि यह नयी परम्परा है कि श्रीमन् आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। मैं केवल इनकी बात नहीं कह रहा हूं जितनी भी नियम-300 की सूचनाएं आयी हैं मैं शुरू से देख रहा हूं कि आप पहले ही खारिज कर दे रहे हैं तो श्रीमन् कृपा करके इस पर विचार कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है, आपके सुझाव पर विचार कर लेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनाएँ लेते हैं। आज दिनांक 24.07.2019 को कुल 49 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें से 22 सूचनायें माननीय सदस्यों की स्वीकार की गयीं। पहली सूचना मा0 श्री रवि कुमार सोनकर की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अन्तर्गत महादेवा-लालगंज मार्ग तथा देइसाड से बानपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भइया' की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन आई0टी0आई0 का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ससुर खेखरी नदी में रानीपुर दामपुर व मखेउवा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री गौरीशंकर की जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन में ग्राम सिहारी दाउदपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पाँचवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत गजरौला नगर के एम0डी0ए0 स्थित पार्कों के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना डा0 मन्जू शिवॉच की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर अन्तर्गत खिदोड़ा गाँव में बसों का नियमित संचालन बन्द होने से स्कूली छात्रों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत खजुरी गढ़ी रासो नगरिया मार्ग से ब्रहम नगला मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की सड़कों की मरम्मत व खड़न्जा बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत आई स्पर्श योजना की शेष धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिडौली के अन्तर्गत कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर कतिपय ब्लाकों के अन्तर्गत चेकडैम व ट्यूबवेल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना डा0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत कतिपय मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री अविनाश त्रिवेदी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बी0के0टी0 के अन्तर्गत राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत ग्राम सुराजपुर के पुल की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध

में है। सोलहवीं सूचना डा0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद एवं परगना तहसील सहारनपुर के ग्राम मोहम्मदपुर माफी की कतिपय भूमि को मण्डलायुक्त, सहारनपुर के आवासीय/अनावासीय भवन के लिये आरक्षित करने से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम सभा सरउज बड़ेवर में गोमती नदी पर नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री हरिओउम यादव की जनपद फिरोजाबाद अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में कतिपय सुविधाओं हेतु धनराशि जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद-रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत विकास खण्ड दीनशाह गौरा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा अन्तर्गत मुगलसराय भुपौली चहनिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना चौ0 उदयभान सिंह की जनपद आगरा की तहसील किरावली के विकास खण्ड फतेहपुर सिकरी में सिंचाई हेतु उटंगन नदी से जल संरक्षण योजना के अन्तर्गत पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

माननीय सदस्य श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री रवि शर्मा, श्री ओम कुमार, श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री संजय, श्री बाबूराम पासवान, श्री रामपाल वर्मा, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री धनन्जय कन्नौजिया, श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री ओमकार सिंह, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री उमा शंकर सिंह, श्री बम्बा लाल, श्री राम अचल राजभर, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री विपिन कुमार डेविड, श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, श्री बृज भूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री बहोरन लाल मौर्य, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री असलम अली, श्री सीताराम वर्मा, श्री योगेश वर्मा की सूचनाएं अस्वीकार की गईं। स्वीकृत सूचनाएं संलग्न हैं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अन्तर्गत महादेवा, लालगंज मार्ग तथा देइसाड से बानपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि कुमार सोनकर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महादेवा-लालगंज मार्ग, एवं देइसाड से बानपुर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण इस मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे आवागमन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग में बड़े-बड़े गडढ़े होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। इसी प्रकार से देवरांव पुल से चन्दो ग्राम जाने वाला मार्ग, मोहटा घाट पुल से बाबा भदेश्वरनाथ से पिपरागौतम मार्ग, जो वर्षा के कटान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इन क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जनपद एवं शासन स्तर पर प्रयास करने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने के कारण आवागमन में हो रही परेशानियों एवं दुर्घटनाओं के कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त क्षतिग्रस्त मार्गो का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन आई0टी0आई0 का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के विकास खण्ड समरेर में छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एक आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण गत वर्ष से कराया जा रहा है परन्तु कई वर्ष बीतने के बाद भी अभी आई0टी0आई0 कालेज भवन का निर्माण अधूरा है। विद्यालय भवन समय से पूर्ण न होने के कारण इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है। कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विद्यालय के भवन निर्माण में अभी भी कई वर्ष बीत जायेंगे। छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु इस विद्यालय में भवन का निर्माण अविलम्ब पूर्ण कराकर पठन-पाठन कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र दातागंज के निर्माणाधीन आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराकर पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ससुर खदेरी नदी में रानीपुर दामपुर ग्राम मखेउवा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, जनपद फतेहपुर अन्तर्गत विधान सभा 243, खागा के खखरेरू कोट मार्ग में ससुर खेखरी नदी में पुल रानीपुर दामपुर ग्राम मखेउवा के मध्य यमुना सहायक नाले में पुल के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण न होने के कारण वर्षा ऋतु में आस-पास के ग्रामों का आपस में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। प्रतिवर्ष लोगों को उपरोक्त नदी, नाले को पार करने में जलधारा में बहकर मृत्यु होती रहती है। जनहित में खखरेरू कोट मार्ग में ससुर खदेरी नदी में पुल रानीपुर दामपुर ग्राम मखेउवा के मध्य यमुना सहायक नाले पर पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन में ग्राम सिहारी दाउदपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 221-उरई जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-जालौन में ग्राम-सिहारी दाउदपुर मुख्यालय उरई से 15 कि0मी0 की दूरी पर है एवं तहसील जालौन से 18 किमी0 दूरी पर है। ग्राम सिहारी दाउदपुर के आस-पास लगभग 20 गांव में कोई बालिका इण्टर कालेज नहीं है। इसलिए जनहित को देखते हुए राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त स्थान पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत गजरौला नगर के एम0डी0ए0 स्थित पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

महोदय, जनपद अमरोहा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-धनौरा के गजरौला नगर की एम0डी0ए0 कालोनी में पार्कों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है। जिसके कारण कालोनीवासियों को सुबह-शाम घूमने एवं बच्चों को खेलने-कूदने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त पार्कों के सौन्दर्यीकरण को लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार सम्बन्धित अधिकारियों से मांग की गयी लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जनहित में उक्त पार्कों का सौन्दर्यीकरण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर अन्तर्गत खिदौड़ा गांव में बसों का नियमित संचालान बन्द होने से स्कूली छात्रों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मन्जू शिवॉच-

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद, विधान सभा क्षेत्र-57, मोदीनगर के अन्तर्गत खिदौडा गांव में सुबह एवं शाम तक विद्यार्थियों को सही समय पर बस न मिलने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल, कालेजों के लिए बसें संचालित समय से कराए जायें क्योंकि मोदीनगर खिदौड़ा मुकारी मार्ग पर बसें सही समय पर संचालित न होने से स्कूल, कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को बहुत परेशानी होती है, पहले दिन में पांच बार बस सेवाएं चलती थीं लेकिन अब बसों का फेरा घटा दिया गया है। जिसके कारण विद्यार्थी टैम्पो, जीप व उनके छतों पर चढ़कर विद्यालय जाने को मजबूर होते हैं। यह बसें गाजियाबाद तथा हापुड़ डिपो से संचालित होती हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बसों का नियमित संचालन हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत खजुरी गढ़ी रासो नगरिया मार्ग से ब्रहम नगला मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खजुरी गढ़ी रासो नगरिया मार्ग से बम्हनी चौकी होते हुए कुठला से ब्रहम नगला मार्ग त्वरित आर्थिक विकाश योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में रोड बनी थी, जो बिल्कुल खराब हो गयी हैं तथा वर्तमान में यह मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गयी है। इस बरसात के मौसम में वाहन चलना तो दूर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हैं। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में सम्बन्धित अधिकारियों से पत्राचार किया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त मार्ग का मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अबिलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की सड़कों की मरम्मत व खड़ण्जा बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों पर मरम्मत और खडण्जा का कार्य कराया जाना अति आवश्यक है जो निम्न है :-

1-ग्रामसभा जरगो में डा0 इन्द्रदेव कुमार के बगीचे से सनपुरा रामजी पाण्डेय के बगीचे तक लगभग 400 मीटर।

2-ग्राम रानीपुर अंगद यादव के घर से भोला यादव के घर तक मिट्टी खड़न्जा का कार्य लगभग 500 मीटर।

3-सुहवल महदेवा गाजीपुर वारा टी0बी0 रोड से शशिकान्त यादव के एवं वीरेन्द्र यादव के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।

4-रानीपुर कैथवलिया चटटी से मनोज पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।

5-ग्रामसभा घाटमपुर गड्ढा 96 में राजदेव यादव के घर से शंकर जी के मन्दिर तक मिट्टी खड़न्जा एवं पुलियां निर्माण कार्य लगभग 250 मीटर।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य के कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत आई स्पर्श योजना की शेष धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत आई स्पर्श योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ग्राम पोखरा कलां, खपूरा, मीरानगर में विभिन्न कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गयी थीं, टेण्डर हो गये थे व स्वीकृत कार्य का 50 प्रतिशत रिलीज होकर 50 प्रतिशत कार्य भी हो चुका है। शेष 50 प्रतिशत धन आवंटित किया जाना आवश्यक है जिससे की उपरोक्त तीनों के अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें। यह लोक महत्व का है और जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा उन्नाव के विकास खण्ड-हिलौली अन्तर्गत मौरावां-गुरुबक्सगंज मुख्य मार्ग से ग्राम भैया खेड़ा-ओडहा खेड़ा होते हुए विश्वनाथ खेड़ा तक लम्बाई लगभग 3.00 किमी0 कच्चा एवं जर्जर है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त कच्चे एवं जर्जर मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराये जाने का कई बार अनुरोध किया गया है, पर अभी तक उक्त मार्ग का नवनिर्माण कार्य नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद जौनपुर के कतिपय ब्लाकों के अन्तर्गत चेकडैम व ट्यूबवेल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लीना तिवारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं जनपद जौनपुर की भूमि ऊबड़ खाबड़ है। जिससे सिंचाई में काफी परेशानी होती है। सई नदी पर चेकडैम बन जाय तो किसानों की फसलों की सिंचाई काफी सुविधाजनक हो जायेगी तथा क्षेत्र में जहां पर सिंचाई के कोई माध्यम नहीं हैं उन क्षेत्रों में ट्यूबवेल को स्थापित कर दिया जाय, तो सिंचाई की समस्या से निजात मिल सके।

<u>चेकडैम निर्माण हेतु स्थल</u>

1-ब्लाक-रामनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तेजगठ व ग्राम सभा जलालापुर

2-ब्लाक-रामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा ढाठर व ग्राम सभा नूरपुर

<u>ट्यूबवेल स्थापित हेतु स्थल</u>

1-ब्लाक-मड़ियाहूं के अन्तर्गत ग्राम सभा सुबासपुर-देल्हुपुर के मध्य

2-ब्लाक-रामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सरेरी, अड़ियार, नोनरा, सरायडीह, सैदीपुर, पाल्हनपुर, सेहरा कठार, गन्धौना, परमालपुर, जयसिंहपुर, पट्टीजियाराय, सुबासपुर

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सदन में चेकडैम का निर्माण एवं ट्यूबवेल स्थापित कराने जाने की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत कतिपय मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनीता लोधी राजपूत-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के डिबाई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जलालपुर मजरा सुरजपुर मखैना, परगना व तहसील डिबाई में लगभग 300 मीटर एक रास्ता है, जिस पर काफी पुराना खड़न्जा है। उक्त मार्ग जलालपुर, हिरनभूड़ व छतुरिया, मखैना लिंक रोड को जोड़ता है। उक्त मार्ग का डामरीकरण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभिजीत सिंह सांगा-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद कानपुर नगर की बिठूर विधान सभा मां गंगा के किनारे है जहां पर बहुत से मार्ग कच्चे हैं क्योंकि यहां पर अधिकतर बाढ़ हर वर्ष आ जाती है। इन मार्गों के बन जाने से लाखों लोगों को फायदा होगा। कई जनपदों के लोग यहां से गुजरते हैं। सुरौली मुख्य मार्ग से छतरपुर तक नई सड़क बनवाने की दूरी लगभग 800 मी0, बिनोर से पलरा मार्ग दूरी 3.5 किलोमीटर, बैरईगढ़ से तिवारीपुर (सांडा) तक सभी नये मार्ग बनवाने हेतु आपके आदेश से इन मार्गों के बन जाने से आम जनमानस को बहुत ज्यादा लाभ होगा।

अतः इस प्रश्न पर जल्द कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बी0के0टी0 के अन्तर्गत राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अविनाश त्रिवेदी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में मात्र 100 शैय्या की सुविधा उपलब्ध है किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेन्टर न होने से समय से उचित उपचार न हो पाने के कारण दुर्घटनाओं से मृत्यु हो रही है। ऐसी परिस्थिति में राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर बनाया जाना जनहित में आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के उक्त विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सुराजपुर के पुल की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी का ध्यान जनहित की उपरोक्त समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टौंस नदी में बाढ़ के कारण ग्राम सुराजपुर को जोड़ने वाले पुल के दोनों किनारों की अप्रोच रोड पानी के बहाव के कारण बह गयी, गांववासियों का उधर से आना-जाना प्रभावित है। बच्चे व बच्चियां स्कूल नही जा पा रहे हैं।

ये पुल गांव वालों के चन्दे से बना था नदी के बहाव की चौड़ाई के हिसाब से कुछ कम है। स्थिति ये है कि पुल के पूरब तरफ 15 मीटर और पश्चिम तरफ 10 मीटर पुल को बढ़ाना होगा।

अगर ऐसा न किया गया तो हर बाढ़ के अवसर पर फिर कटान होगी और समस्या खड़ी होगी।

माननीय मंत्री जी से जनहित में निवेदन है कि उपरोक्त कार्य को जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें, इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।]

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 संगीता बलवंत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-375, सदर गाजीपुर की ग्राम सभा चकताहा, तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम-चकताहा, चकसलेम, चकफरीद, हैंसी लखीमपुर, भागलपुर नगवा उर्फ नवापुरा, शक्करपुर फत्तेहपुर, अटवा, जल्लापुर, निजामपुर, पारा, शहवाजाकुली, चौधरी, अरखापुर आदि ग्राम सभाएं अति पिछड़ी ग्राम सभाएं हैं। इन ग्राम सभाओं के बच्चों को माध्यमिक कक्षा से लेकर 12 (इण्टर मीडिएट) तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 8 से 10 कि0मी0 तक की दूरी पड़ती है, जिसके कारण अधिकांश बच्चे माध्यमिक तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। खासकर क्षेत्र की छात्राओं को मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' को शिक्षण संस्थान के अभाव में वंचित रहना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सभा चकताहा, तहसील मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के उक्त ग्राम के अन्तर्गत कन्याओं/ बालिकाओं की शिक्षा हेतु एक विद्यालय माध्यमिक एवं उससे उच्च स्तर का शिक्षण संस्थान स्थापित कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।]

जनपद एवं परगना तहसील, सहारनपुर के ग्राम मोहम्मदपुर माफी की कतिपय भूमि को मण्डलायुक्त, सहारनपुर के आवासीय/ अनावासीय भवनों को आरक्षित करने से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर में स्थित उपरोक्त खाता संख्या-169 जिसका रकबा-1.4030 हेक्टेयर है, पूर्व बन्दोबस्त 1325 फसली अर्थात् वर्ष 1919 ई0 में जोहड़ के रूप में अंकित है तथा 1359 फसली अर्थात् वर्ष 1952 ई0 में भी खसरे में जोहड़ दर्ज है। वर्ष 1372 फसली अर्थात् वर्ष 1965 ई0 में चकबन्दी के उपरान्त आकार पत्र-45 में श्रेणी-3 क के रूप में अंकित है, जिसे जलमग्न भूमि मानते हुए सिंघाड़ा आदि पैदा करने के लिए आसामी पट्टे के रूप में सकटू पुत्र फकीरा के नाम अंकित कर दिया। अतः उपरोक्त खसरा नं0-169 जो सहारनपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, सैकड़ो सालों से जोहड़ के रूप में दर्ज चला आ रहा है, जिसमें आस-पास की कालोनियों का पानी भी गिरता है तथा मौके पर आज भी जोहड़ है जिसमें जलकुम्भी आदि मौजूद हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा विगत में निर्गत निर्णयों के अनुसार जोहड़ की भूमि की नौइयत किसी भी सूरत में बदली नहीं जा सकती है क्योंकि जोहड़ भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। लगातार गिरता हुआ भूमिगत जल का स्तर भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस सम्बन्ध में कई बार शासनादेश भी जारी हुए हैं। जल संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में है। नियमतः ज0वि0 अधि0 की धारा-132 के अनुसार भी जोहड़ की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है। पुराने ज0वि0अधि0 व वर्तमान में लागू भू-राजस्व संहिता की नियमावली में दिये गये प्राविधानों का गलत अर्थ निकाल कर उपरोक्त जोहड़ को मण्डलायुक्त, सहारनपुर के आवासीय/अनावासीय भवन के लिए आरक्षित करना न्याय संगत नहीं है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए न्यायोचित कार्रवाई हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम सभा सरउज बड़ेवर में गोमती नदी पर नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर के 372-विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम सभा सरउज बड़ेवर में गोमती नदी पर नये पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यह पुल लगभग 50 गांवों को जोड़ेगा तथा छात्र-छात्राओं विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी। जनहित को देखते हुए उक्त पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कतिपय सुविधाओं हेतु धनराशि जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिओउम यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद फिरोजाबाद में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को विगत वर्षों से परिषद्रीय विद्यालयों की भांति सभी सुविधायें जैसे मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें व निर्धारित यूनीफार्म की सुविधा शासन द्वारा प्राप्त होती थी, किन्तु वर्ष 2019-20 में छात्र-छात्राओं को यूनीफार्म के लिए धनराशि जारी नहीं की गयी है, जबकि परिषद्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को धनराशि जारी हो चुकी है।

अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0 में परिषद्रीय विधालयों के कक्षा-5 उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं व निर्धन वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। इनमें भेदभाव होने से उनमें हीन भावना जागृत होती है तथा वे कुण्ठाग्रस्त हो जाते हैं और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश लेने में रुचि नहीं लेते, परिणामस्वरूप छात्र-छात्राओं की संख्या घटने लगती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत विकास खण्ड दीनशाह गौरा में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार जनपद रायबरेली में वि0ख0 दीनशाह गौरा में नरायनपुर बन्ना से जैकी का पुरवा (भीरनपुर) तक 1 कि0मी0, कल्याणपुर बेंती से एकडला होते हुए नेवादा पट्टी सम्पर्क मार्ग तक 4 कि0मी0 व वि0ख0 जगतपुर में ग्रा0स0 हरदी में फुटहा पुल से पुरे पंचम सिंह तक 350 मी0, ग्रा0स0 उड़वा में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विशुनपुर पक्की सड़क तिराहे से बृजलाल पटेल के दरवाजे तक 300 मी0 एवं जगतपुर सलोन मार्ग दौलतपुर से पूरे तिवारी मजरे रामगढ़ तक पक्की सड़क 1.5 कि0मी0 व वि0ख0 रोहनियां में ग्रा0स0 सरायं अख्तियार में पक्की सड़क से सरायं अख्तियार तक 500 मी0 एवं गंगेहरा से शिव मन्दिर तक 500 मी0 सड़क व ग्रा0स0 खिरोधरपुर में कमालपुर रोड से कांजी के पुरवा से बसवई होते हुए खिरोधरपुर तक 800 मी0 मार्ग जो अत्यन्त खराब है, कच्चा मार्ग होने के कारण लोगों का आवागमन ठप है। उपरोक्त मार्ग के निर्माण के लिए मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों को अनेकों बार अवगत भी कराया गया परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अतः जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाये।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा अन्तर्गत मुगलसराय भुपौली चहनिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नरायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में स्थित मुगलसराय भुपौली चहनिया मार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त मार्ग पंडित दीनदयाल नगर रेलवे स्टेशन (मुगलसराय) को जोड़ने तथा गंगा नदी पर बने बलुआ घाट पर पुल एवं सैदपुर घाट पर पक्के पुल को जोड़ने का कार्य करता है। जिससे कई जनपदों के लोगों का आवागमन रहता है। वर्तमान समय में उपरोक्त मार्ग जर्जर स्थिति एवं गड्ढों में तब्दील हो गया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त मार्ग जर्जर होने के कारण क्षेत्र की जनता को आने-जाने में काफी असुविधा होती है। जबकि चाहे स्टेशन जाना हो या बनारस चिकित्सा के लिये जनता को जाना पड़ता है, जनपद का मात्र एक ही मार्ग है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण को सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा की तहसील किरावली के विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में सिंचाई हेतु उटंगन नदी से जल संरक्षण योजना के अन्तर्गत पानी की उपलब्धता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 उदयभान सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार द्वारा जल संरक्षण की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसी क्रम में आगरा जनपद की तहसील किरावली के विकास

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खण्ड फतेहपुर सीकरी के ग्राम सिरौली के अन्तर्गत पहाड़ कटान से लगभग कई एकड़ भूमि में एक बड़ा गड्ढा बन गया है जिसके पास से राजस्थान-करौली पांचना बांध, घना पक्षी विहार होता हुआ विख्यात उटंगन नदी में बरसात के दिनों में अतिरिक्त पानी मेरी विधान सभा क्षेत्र में बहता हुआ आगे की ओर चला जाता है यदि उटंगन नदी से बरसात के अतिरिक्त पानी के बहाव को मोड़ते हुए सिरौली पहाड़ कटान में डाल दिया जाये तो एक बड़े भू-भाग के लिए जल का संचय किया जा सकेगा जिससे एक बड़े भू-भाग की कृषि योग्य भूमि को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा एवं जमीनी वाटर लेवल में भी बढ़ोत्तरी हो जायेगी।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उटंगन नदी के बहाव को रोकते हुए अथवा मोड़कर पहाड़ कटान में जल संचय किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

[12:26] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का चौबीसवाँ प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का चौबीसवाँ प्रतिवेदन, जो जनपद-कुशीनगर, मिर्जापुर, मेरठ, मऊ एवं सिद्धार्थनगर की जिला एवं ग्राम पंचायतों की अनियमितताओं की शिकायतों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का पच्चीसवाँ प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का पच्चीसवाँ प्रतिवेदन, जो जनपद-बलिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर तथा लखनऊ की जिला एवं ग्राम पंचायतों की अनियमितताओं की शिकायतों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

(इसी मध्य 12 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का छब्बीसवाँ प्रतिवेदन †

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का छब्बीसवाँ प्रतिवेदन, जो झाँसी मण्डल के जनपद-ललितपुर की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सत्ताइसवाँ प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का सत्ताइसवाँ प्रतिवेदन, जो सहारनपुर मण्डल के जनपद-मुजफ्फरनगर की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का अट्ठाइसवाँ प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का अट्ठाइसवाँ प्रतिवेदन, जो कानपुर मण्डल के जनपद-कानपुर देहात, इटावा तथा औरैया की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का उन्तीसवाँ प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-18) का उन्तीसवाँ प्रतिवेदन, जो कानपुर मण्डल के जनपद-कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद तथा कन्नौज की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का तीसवां प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का तीसवां प्रतिवेदन, जो अलीगढ़ मण्डल के जनपद-एटा की जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का इकतीसवां प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का इकतीसवां प्रतिवेदन, जो अलीगढ़ मण्डल के जनपद-अलीगढ़ तथा कासगंज की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का बत्तीसवां प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का बत्तीसवां प्रतिवेदन, जो लखनऊ मण्डल के जनपद-लखनऊ की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का तैंतीसवां प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का तैंतीसवां प्रतिवेदन, जो लखनऊ मण्डल के जनपद-लखनऊ की जिला पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का चौतीसवां प्रतिवेदन†

डा0 सोमेन्द्र तोमर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2017-2018) का चौंतीसवां प्रतिवेदन, जो आगरा मण्डल के जनपद-फिरोजाबाद की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो पंचायती राज विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

(पुकारे जाने पर माननीय सदस्या श्रीमती रजनी तिवारी सदन में उपस्थित नहीं थीं)

श्रीमती रजनी तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित चार याचिकाएं (व्यपगत) †

1-जनपद हरदोई के विकास खण्ड पिहानी में कुइयां पुलिया से बिजगवां कला होते हुए अहेमी करावां सम्पर्क मार्ग तक निर्माण के सम्बन्ध में श्री सज्जन तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद में अन्टवा से शंकरपुर तक लगभग 1500 मी0 सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्यामू व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद में शाहाबाद-पाली मार्ग से कालागाढा फिरोजपुर खुर्द मार्ग पर लगभग 3000 मी0 सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुनील राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

4-जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद में ग्राम कछेलिया-खनिगवां मार्ग से ठेहापुर के मध्य लगभग 500 मी0 अवषेश भाग सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री पप्पू द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित आठ याचिकाएं†

1-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत बधुधरन शेरगढ़ मार्ग से ब्योधां में ठाकुरद्वारा मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत पुलिस चौकी अहलादपुर को उच्चीकृत कर पुलिस थाना बनाये जाने के संबंध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

3-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत पुलिस चौकी धौराटाण्डा को उच्चीकृत कर पुलिस थाना बनाये जाने के संबंध में श्री सूरज पाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

4-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम-जटौआ से जफरापुर तक पक्की सड़क बनाये जाने के संबंध में श्री बद्री प्रसाद मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

5-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के खितौसा से पन्थरा तक पक्की सड़क (लेपन कार्य) तथा नाले पर लघु सेतु बनाये जाने के संबंध में श्री शंकर लाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

6-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के सेमीखेड़ा से सलार नगला तक शेष भाग में पक्की सड़क/लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री छेदा लाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

7-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम-मैमोर की गौटिया तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री परमानन्द व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

8-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम-अब्दुल्लापुर माफी से रजपुरा माफी तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राममूर्ति व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री असलम अली, सदस्य विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं

1-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड-हापुड़ के ग्राम-जोगीपुरा से ग्राम सरावा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अली व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड-धौलाना के ग्राम मदापुर से ग्राम भोवापुर होते हुए रिलाइन्स रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री तौहीद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

3-माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद हापुड़ के विकास खंड-धौलाना के ग्राम-पिपलेड़ा मदरसे से भूडगढ़ी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री कामिल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम अटौला, ब्लाक खरखौदा में सत्यवीर के मकान से श्मशान घाट तक सड़क नाली सहित बनाने के सम्बन्ध में श्री पंकज वअन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम भटीपुरा नारायणपुरी मोहल्ले में इन्द्रजीत शर्मा के मकान से कन्या पाठशाला तक सी0सी0 टाईल्स का पक्का रास्ता बनाने के सम्बन्ध में श्री दीपक काजला व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम बहलोलपुर, ब्लाक माछरा, ग्राम बहलोलपुर में नाला बनाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम किनानगर, ब्लाक रजपुरा, ग्राम-किनानगर पचपेड़ा मार्ग पर किनानगर से खोंजापुर मार्ग लगभग 2.5 किमी0 तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम खड़खड़ी, ब्लाक-खरखौदा में ग्राम खड़खड़ी से बधौली वाले मार्ग पर 170 मीटर सीमेंटेड सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित तीन तथा जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र हरचन्दपुर में तहसील स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद रायबरेली के वि0ख0 सताव, ग्राम कोरिहर में नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय लेखा परीक्षा उ0प्र0 में कतिपय समस्याओं के निराकरण एवं रिक्त पदों को

† छापा नहीं गया।

भरे जाने के सम्बन्ध में श्री मूलचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद रायबरेली के अन्तर्गत गुरूबक्शगंज के आस-पास 20 किमी0 में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इटावा के ग्राम मानिकपुर बिशु एवं ग्राम उदी व ग्राम पछांयगांव में स्थित जर्जर पशु चिकित्सालय का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इटावा के मानिकपुर मोड़ से बाईपास का निर्माण यमुना एक्सप्रेस-वे में जोड़ने के सम्बन्ध में श्री राज व अन्य निवासीगण जनपद इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इटावा के ग्राम रूरा के निकट यमुना नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री उमेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बस्ती के विकास खण्ड कुदरहा के अन्तर्गत कुदरहा-मुन्डेरवा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश अग्रहरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बस्ती के विकास खण्ड कुदरहा के अन्तर्गत मनोरमा नदी पर सेल्हरा-ठोकवा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसवारे चौहान वअन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर क्षेत्र के बिहार, गिरजा नगर उपकेन्द्र एवं त्रिभुवन खेड़ा उपकेन्द्र को संचालित कराये जाने व क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धित अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(2) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम असरेंदा भैंरेश्वर धाम स्थित सई नदी में मोहनलालगंज, लखनऊ से गिरने वाले गन्दे नाले को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम हल्दीकला में पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम ढकियाडाम में डाम की टूटी पुलिया का निमार्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा मंशापुर में बाबा डम्मरदास की तपोस्थली में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद झांसी में पारीछा बांध से निकली गुरसराय मुख्य नहर से गढ़वई रजबहा एवं जखैरा माइनर में पर्याप्त पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अन्जनी नन्दन व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद प्रयागराज, विकास खण्ड हण्डिया के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे एन0एच0-2 से रहीम पट्टी प्रधानमंत्री सड़क तक लगभग 04 किमी0 क्षतिग्रस्त मार्ग का नवनिर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी, तहसील भीटी के ग्राम पंचायत भीटी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री किशन लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका[†]

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा, तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत विकास खण्ड मरौरी में ग्राम घियोना को पिपरिया भजा से अलग राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, आज की कार्य सूची में मद सं0-28 पर प्रिंट इस याचिका में त्रुटिवश पीलीभीत की जगह महराजगंज प्रिंट हो गया है, कृपया इसको ठीक करा दें।

(इसी समय 12 बजकर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 जुलाई, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 24 जुलाई, 2019 से दिनांक 26 जुलाई, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 25 जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 एवं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं,

2-दिनांक 26 जुलाई, 2019 को नियम-103 के चर्चाधीन एवं प्रस्तुतीकरण हेतु सभी प्रस्ताव ले लिए जायं।

तद्नुसार दिनांक 24 जुलाई, 2019 से दिनांक 26 जुलाई, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जुलाई, 2019</u>

24 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
25 गुरुवार	1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :- (क) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (ख) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 (ग) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

[†] छापा नहीं गया।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

(ङ) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

26 शुक्रवार 1-विधायी कार्य।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

3-(क) मा0 सदस्यों द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा :-

क्रम सं0	मा0 सदस्य का नाम/ प्रस्तुतीकरण का दिनांक	प्रस्ताव
1	2	3
1.	श्री विनय शंकर तिवारी 22 दिसम्बर, 2017	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।
2.	श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू 22 दिसम्बर, 2017	यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।
3.	श्री अजय कुमार लल्लू 22 दिसम्बर, 2017	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर में बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।
4.	श्री देवमणि द्विवेदी 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर ''कुश भवनपुर'' किया जाये।
5.	श्री जवाहर लाल राजपूत 21 दिसम्बर, 2018	मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किए जाने की कार्य योजना बनायी जाय।

1	2	3
6.	श्री जवाहर लाल राजपूत 21 दिसम्बर, 2018	मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद-झांसी की ब्लाक मोंठ के ग्राम लोहागढ़, ब्लाक गुरसराय के ग्राम एवनी तथा ब्लाक बामौर के ग्राम ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाये।
7.	श्री जवाहर लाल राजपूत 21 दिसम्बर, 2018	मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद-झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढवई, भसनेह तथा एरच राजबहों में टेल तक पानी पहुंचाया जाये।
8.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
9.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
10.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
11.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
12.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

1	2	3
13.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आशा कर्मियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
14.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
15.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।
16.	श्री अजय कुमार लल्लू 21 दिसम्बर, 2018	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।
17.	प्रिंस वीर विक्रम सिंह 21 दिसम्बर, 2018	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद-शाहजहांपुर के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण कटरा बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराया जाए।

(ख) मा0 सदस्यों द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-

क्रम सं0	मा0 सदस्य का नाम	प्रस्ताव
1	2	3
1.	श्री संजय कुमार	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।

1	2	3
2.	श्री संजय कुमार	इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् भरवारी स्थित बन्द पड़े अस्पताल बल्लभराम सालिगराम मेहता का अधिग्रहण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित कराया जाये।
3.	प्रिंस वीर विक्रम सिंह	यह सदन जनपद शाहजहाँपुर के अर्न्तगत मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में स्थित विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम पंचायत बुधवना के ग्राम जिराऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना कराई जाय।
4.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि मथुरा के राया में मथुरा-अलीगढ़ रेलवे मार्ग पर रेलवे फाटक पर घंटों लगने वाले जाम की समस्या के निवारण हेतु उपरिगामी सेतु बनवाया जाय।
5.	श्री जवाहर लाल राजपूत	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के गिरते भू-जलस्तर को ठीक करने हेतु तालाबों/पोखरों से अतिक्रमण हटवा कर उनका पुनरुद्धार करवा कर उनमें प्रचुर मात्रा में जल संचयन की व्यवस्था करायी जाय।
6.	श्री जवाहर लाल राजपूत	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड की नदियों से मानकों के विपरीत बालू/मौरंग के अंधाधुंध खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान एवं गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए बालू/मौरंग के खनन मानकों का पुनर्निर्धारण करते हुए उनके पालन हेतु एक प्रभावी योजना बनायी जाय।
7.	श्री बृजेश कुमार प्रजापति	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड में प्रतिवर्ष पड़ रहे सूखे के कारण गिर रहे जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए।
8.	श्री बृजेश कुमार प्रजापति	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के नागरिकों का पलायन रोकने हेतु बुन्देलखण्ड में ही रोजगार मुहैया कराया जाए।

1	2	3
9.	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया	यह सदन प्रस्ताव करता है कि हाटा क्षेत्र के मुख्यालय से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर भारी वाहनों के आवाजाही से जनता को सड़क पार करने में हो रही असुविधा एवं बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए हाटा कस्बे के यात्री स्टेशन पर अण्डरपास बनाया जाए।
10.	श्री संजय कुमार	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र में बढती बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु क्षेत्र में UPSIDC द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करायी जायें।
11.	डॉ0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि बढ़ती आबादी के कारण उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में विकसित हुए नवीन आवासीय क्षेत्र के बीच आ चुके शमशान भूमि के कारण कालोनी वासियों को हो रही समस्या के दृष्टिगत पुराने शमशान घाटों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी योजना बनायी जाए।
12.	डॉ0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में सूर्योपासना के महापर्व छठ पर होने वाली श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के दृष्टिगत गोमती नदी के तट पर गोमती रिवर फ्रण्ट योजनान्तर्गत घाटों का निर्माण कराया जाए।
13.	डॉ0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि व्यापक जनहित में लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर से लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर, इंजीनियरिंग कालेज, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रबन्ध संस्थान मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाय।
14.	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ में ओ0डी0ओ0पी0 अर्न्तगत चयनित आंवला के किसानों को प्रोत्साहित करने व आंवला के गुणकारी विभिन्न उत्पादनों की पहचान देश विदेश में कराने हेतु जनपद-प्रतापगढ़ में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाए।

1	2	3
15.	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज अन्तर्गत ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थल, भयहरणनाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित कर उसका सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाये।
16.	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ में गरीबों, बेरोजगारों, नौजवानों के मुम्बई, दिल्ली आदि बड़े शहरों में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ की ए0टी0एल0 फैक्ट्री की भूमि पर एक उद्योग की स्थापना की जाए।
17.	डॉ0 नीरज बोरा	यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में बढ़ती आबादी व होने वाले जल संकट के दृष्टिगत भविष्य में सबको पानी उपलब्ध कराने के लिए कुर्सी रोड और घैला के पास एक-एक वाटर वर्क्स की स्थापना करायी जाय।
18.	श्री ज्ञान तिवारी	यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ के जानकीपुरम के सेक्टर-एच में जल निकासी के लिए क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों एवं नालियों का पुनर्निर्माण यथाशीघ्र कराया जाय।
19.	श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के पश्चिम शरीरा पी0एच0सी0 को उच्चीकृत करके सी0एच0सी0 एवं चम्पहा बाजार में पी0एच0सी0 स्थापित करायी जाय।
20.	श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी स्थापित करायी जाये।
21.	श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के चम्पहा बाजार एवं विकास खण्ड कौशाम्बी के धर्मपुर में 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन को स्थापित कराया जाये।

1	2	3
22.	श्री लाल बहादुर	यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर में राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय महिला इण्टर कालेज एवं राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।
23.	श्री संजय कुमार	जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् भरवारी में भरवारी कोतवाली की स्थापना करायी जाय।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक सूचना, जो मा0 अध्यक्ष जी ने आज सदन को दी है, से यह सदन सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मन्त्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मा0 मनीष असीजा जी, आप अपनी याचिका प्रस्तुत करिये।

श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद के कांच निर्मित टेबल वेयर, किचन वेयर आदि एवं सिरोमिक्स, पोर्सलीन, बोन चाईना आदि से निर्मित टेबल वेयर एवं किचन वेयर, आदि घरेलू वस्तुओं की टैक्स (जी0एस0टी0) दरों में अन्तर को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री हेमन्त अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019[††]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

[†] छापी नहीं गयी।

[††] दिनांक 24 जुलाई, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019[†††]

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री नंद गोपाल गुप्ता "नंदी")-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नंद गोपाल गुप्ता "नंदी"-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019†

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश कुमार)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

[†††] दिनांक 16 अगस्त, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक मांगों को कल मेरे मंत्रि-मण्डल के सहयोगी वित्त मन्त्री श्री राजेश अग्रवाल जी ने इस सम्मानित सदन के सम्मुख रखा है और मुझे बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बजट का जो आकार होना चाहिए, विगत दो वर्ष के दौरान वह आकार एक निश्चित स्वरूप लेता हुआ दिखायी दे रहा है। हमने जब फरवरी में वित्तीय वर्ष 2019-2020 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया था उस समय उसका आकार रु0 4,79,701.10 करोड़ का था और उसका प्रथम अनुपूरक रु0 13,594.87 करोड़ रुपये का, यहां पर कल हमारे सहयोगी ने इस सदन में रखा है। कुल मिला करके रु0 4,93,295.97 करोड़ का यह बजट हो गया यानि लगभग 5 लाख करोड़ का इस वर्ष का बजट है और आगे रु0 5 लाख करोड़ की सीमा को भी उत्तर प्रदेश का बजट लांघेगा। यह एक शुभ संकेत है और मुझे प्रसन्नता है कि विभिन्न विभागों ने अपनी कार्य योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना भी प्रारम्भ किया है। महोदय, यह वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। खासतौर पर जब हम बात करते हैं तो वर्ष 2019 के प्रारम्भ में ही दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कुम्भ को आयोजित करने का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त हुआ था। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास से हजारों वर्षों की इस विरासत ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। 'यूनेस्को' ने कुम्भ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। कुम्भ के इस आयोजन में तैयारियों को ले करके हमारे नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना वहां के लिए बनी थी, उन्होंने प्रभारी मंत्री के रूप में जिस कुशलतापूर्वक वहां पर कार्य किया और सभी संबंधित विभागों ने मिल करके एक टीम वर्क के रूप में उसे एक नई ऊंचाईयां दी। कुम्भ के इस आयोजन ने अपने आपको एक यूनिक इवेण्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। कुम्भ के आयोजन के साथ बहुत सारे रिकार्ड जुड़ गये। खासतौर से कुम्भ का 'लोगो' पहली बार जारी हुआ। कुम्भ के आयोजन के साथ 72 देशों के राजदूतों ने अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय ध्वज को कुम्भ परिक्षेत्र में स्थापित करके इसे वैश्विक मान्यता दी। यू0एन0ओ0 से जुड़े हुए 193 देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधियों ने कुम्भ के आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और साथ ही साथ भारत के भी 6 लाख से अधिक गांवों से 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने कुम्भ के आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित की। महोदय, यह पहला आयोजन था कि मौनी अमावस्या के दिन 24

करोड़ श्रद्धालु किसी आयोजन में सहभागी बने। हमारे मंत्रीगण या जो भी पदाधिकारी वहां गये उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया। जो भी व्यक्ति वहां गया वह चुपचाप एक सामान्य श्रद्धालु के रूप में डुबकी लगाते हुए, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए आस्था का प्रदर्शन करते हुए चुपचाप अपने घर में आया।

अकेले मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में साढ़े पांच करोड़ श्रद्धालुजनों ने प्रयागराज कुंभ में संगम के पवित्र तट पर स्नान किया और पहला कुंभ था जिसमें कहीं कोई गन्दगी नहीं थी, कोई दुर्व्यवस्था नहीं थी कोई भगदड़ नहीं थी। प्रशासन ने पुलिस ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस पूरे आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमारे पास कुंभ के आयोजन को ले करके लगभग डेढ़ वर्ष का समय था और उस डेढ़ वर्ष के दौरान प्रयागराज में 9 फ्लाई ओवर बने, 6 अंडर पास बने, 264 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ। कुम्भ के क्षेत्रफल को भी 1700 हेक्टेयर से बढ़ा करके 3200 हेक्टेयर करने और ईको फ्रेंडली टॉयलेट्स दे करके स्वच्छता का जो एक मानक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय इन सभी लोगों ने प्रस्तुत किया 1,22,500 से अधिक टॉयलेट्स बना करके। स्वच्छता की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। सैकड़ों वर्षों के बाद प्रयागराज में, प्रयागराज की पहचान से जुड़ी उसकी बातों को देश और दुनिया के सामने लाना। महर्षि भारद्वाज के आश्रम और उनके पार्क के पुर्नोद्धार का कार्य, उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना, अक्षयवट के दर्शन को सैकड़ों वर्षों के बाद फिर से श्रद्धालुजनों के लिये खोलना, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से फिर से इस कार्य को आगे बढ़ाना एक बड़ा आयोजन करने का अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने इसमें सहभागिता की। प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी रही और उसका परिणाम था कि कुशलतापूर्वक इस भव्य आयोजन को करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सुरक्षा के लिहाज से, स्वच्छता के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से, हरेक दृष्टि से अगर आप देखेंगे कुम्भ ने एक नये मानक स्थापित किये हैं इतने बड़े आयोजन में। यह प्रदेश सरकार की और प्रदेश के परसेप्शन को बदलने की एक पहल जो प्रारम्भ हुई कुंभ के आयोजन को भी कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। इस दौरान पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रवासी भारतीय दिवस भी सम्पन्न हुआ 21, 22 और 23 जनवरी को दुनिया की सबसे पुरानी नगरी, हमारी आध्यात्मिक नगरी काशी में। महोदय, काशी का आयोजन अपने आप में दिव्य था, भव्य था। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, पन्द्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो हम लोगों ने जब यह प्रस्ताव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, भारत सरकार के सामने रखा तो बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे कि कुम्भ के आयोजन के लिये सरकार के मंत्रीगण देश के अलग-अलग राज्यों में क्यों आमंत्रण देने के लिये जा रहे हैं। कैसे आप संभालेंगे ऐसी व्यवस्था को और उसी प्रकार की बात प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान भी कही कि कुंभ भी हो रहा है और उसी दौरान प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी हो रहा है

और इतने बड़े आयोजन को उत्तर प्रदेश कैसे आयोजित कर पायेगा। क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन अब तक या तो देश की राजधानी में हुआ है या फिर किसी स्टेट कैपिटल में। आप उससे बाहर उसको ले जाना चाहते हैं, कैसे हो पायेगा। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पन्द्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन काशी में बहुत भव्यता के साथ में और अब तक के सफलतम आयोजनों में से एक आयोजन प्रवासी भारतीय दिवस का भी उत्तर प्रदेश के अन्दर सम्पन्न हुआ। (मेजों की थपथपाहट) जिसमें 76 देशों के अप्रवासी भारतीय या भारतवंशी लगभग 7 हजार से अधिक की संख्या में उन्होंने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की। यह भव्य आयोजन सम्पन्न हुए इस वर्ष के प्रारम्भ में और उसके बाद लोकतंत्र का महापर्व भी हम सबके सामने आया। लोकतंत्र के इस महापर्व पर माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के इस महापर्व ने देश और दुनिया के सामने एक बार पुनः साबित किया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर 1 लाख 63,000 बूथों पर चुनाव हुए और 1 लाख 63,000 बूथों में से एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अन्दर लोकतंत्र के प्रति आमजन की भावनाओं को प्रदर्शित करने का इससे बड़ा और कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन का रूप होती है और उसने इस बात को साबित किया है। उसने सारी दीवारों को तोड़ा है। उसने जातिवाद की दीवारों को तोड़ा, उसने क्षेत्र और भाषा की दीवारों को तोड़ा, उसने मत और मजहब की दीवारों को तोड़ा और उसने लोकतंत्र को सही मायने में उत्तर प्रदेश के अन्दर स्थापित किया। 1 लाख 63,000 बूथों पर कुशलतापूर्वक 7 चरणों में चुनाव सम्पन्न हुए। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए थे और वेस्ट बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। हमारे यहां 7 चरणों के चुनाव में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। एक भी बूथ पर दोबारा मतदान की नौबत नहीं आयी और वेस्ट बंगाल में हर चरण में भीषण हिंसा हुई। भीषण हिंसा के साथ-साथ वहां पर व्यापक रूप से नरसंहार भी होते हुए लोगों ने देखा है। यही अन्तर है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता और आम मतदाता के मन में लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास जगा, उस विश्वास के साथ-साथ प्रशासनिक मशीनरी की कुशलता भी इस अवसर पर हम सबको देखने को मिली है।

लोकतंत्र के महापर्व का क्या परिणाम सबके सामने आया है देश और दुनिया ने इसको देखा है। वास्तव में नेतृत्व अगर ईमानदारी के साथ जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है तो जनता फिर पीछे नहीं हटती है। वह हर प्रकार की दीवारों को तोड़ने में कोई संकोच नहीं करती है और लोकतंत्र के इस पर्व ने साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन, महागठबंधन पता नहीं क्या-क्या गठबंधन बन रहे थे, सब ध्वस्त हुए, सब टूटे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 80 में से 64 सीटें जीतने में सफल रही। पूरे देश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 303 सीटें प्राप्त की और अपने सहयोगियों के साथ 353 सीटों को जीतने में सफल हुई। यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की ताकत को हम लोगों को समझना होगा। लोकतंत्र की वही

ताकत है, जिसने विकास को समझा है। यह जो हमारा बजट है, हमारी जो अनुपूरक मांग है, हमारी जो सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स हैं, यह भी उसी ताकत का अहसास कराने के साथ-साथ जनता की उस ताकत का ही प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा है, जो हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने कल इस सदन में सबके सामने रखा है। सचमुच लोग बड़ी-बड़ी घोषणायें करते थे, बड़े-बड़े दावे करते थे। आज तो मुझे लगता है कि देश की संसद में भी तलाक पर कोई प्रस्ताव आने वाला है, लेकिन गठबंधन का तलाक पहले ही हो चुका है। हम तब भी कहते थे कि आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पूरी ईमानदारी तथा पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने देश और दुनिया के अन्दर भारत की छवि को सुधारने के साथ-साथ देश के अन्दर जिस एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है, मुझे लगता है कि इसके सामने कोई ठहर नहीं पायेगा और तब भी हमने कहा था कि ''चिराग जिसे आंधियों ने पाला हो, उसे हवा के झोंके बुझा नहीं सकते।'' मैंने तब भी इस बात को बार-बार कहा था कि हमें परवाह इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कौन गठबंधन कर रहा है कौन महागठबंधन कर रहा है। कौन किस रूप में आ रहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस बात को कहा था जिस अन्त्योदय की बात की थी समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में जो बात जो सोच हमें प्रदान की थी उस सोच को अमली जामा हमें पहनाना है। केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता है केवल मंत्रि-मण्डल नहीं करेगा एक-एक सदस्य जो इस सदन में बैठा है इस सदन में उच्च सदन में या फिर निचले स्तर पर भी त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों की समाज के प्रत्येक तबके की भी शासन प्रशासन से जुड़े हुए प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी और प्रदेश से जुड़ी हुई 23 करोड़ जनता की भी सहभागिता उसी रूप में है। इस दौरान अगर कार्य नहीं होते तो यह परिणाम इस रूप में हम सबके सामने नहीं आते नहीं आ सकते थे। जब कभी मुझे प्रदेश के अन्दर जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग हमसे पूछते थे बंगाल में पूछते थे कि हम बी0जे0पी0 को यहां वोट देंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिन्ता मत करिए आप जितना देंगे हम उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लेकर आ जाएंगे। हम लोग अन्य राज्यों में जाते थे यही प्रश्न हमसे होता था और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की लाज को बचाया है। उस लोक लाज को एक बार पुनः लोकतंत्र के सामने स्थापित किया और कह दिया कि जो विकास करेगा उसके साथ जनता होगी।

उसे झूठी घोषणाओं से मतलब नहीं उसे नारों से मतलब नहीं उसे फालतू के धरने प्रदर्शन और राजनीतिक प्रकार के किसी भी प्रोपोगण्डा से मतलब नहीं है। उसने करके दिखाया है। उसने अपना फैसला सुना दिया है मुझे लगता है कि इस फैसले को सभी को अपने सिर माथे पर रखकर सिरोधार्य करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति अपनी इन भूमिकाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनियां की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य इस देश की जनता के

सामने रखा है और बड़ा लक्ष्य इस रूप में रखा है कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में फाइव ट्रिलियन डालर की इकोनामी कैसे बनेगा। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। यह केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है यह केवल भारत सरकार के मंत्रिमण्डल की ही जिम्मेदारी नहीं है। 130 करोड़ लोगों को भी इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा देश खुशहाल होगा तब जब भारत की इकोनामी दुनियां की इकोनामी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए एक नेतृत्व करती हुई दिखाई दे। फाइव ट्रिलियन डालर अपना एक बड़ा लक्ष्य है और इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर प्रदेश अपने को कहां पा रहा है। आज हम कहां पर हैं हम याद करेंगे कि हमारी सरकार को दो वर्ष चार माह का कार्यकाल हमारा 19 जुलाई को सम्पन्न हुआ है। हमें याद करना चाहिए 21-22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में आए थे। इसी राजधानी में आए थे और इन्वेस्टर समिट के समय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को हमारे सामने रखा था कि यू0पी0वन ट्रिलियन डालर की इकोनामी कब बनेगा। इसको एक चैलेंज के रूप में लो और मुझे लगता है कि चैलेंज इस सदन को स्वीकारना चाहिए और इस चैलेंज के साथ अपने को सम्बद्ध करना चाहिए। क्योंकि वन ट्रिलियन डालर की इकोनामी उत्तर प्रदेश बने यह उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता या आने वाले समय में इस आबादी को बढ़ना है इनके समृद्धि के लिए इनकी खुशहाली के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए यह आवश्यक भी है और इस दिशा में जो प्रयास प्रारम्भ होने चाहिए। हम लोगों के हर एक बजट में आपने देखा होगा, उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये हम लोगों ने जो प्रयास प्रारम्भ किये हैं उसी की कड़ी में हमारा बजट रहा है और यह अनुपूरक मांगें भी किसी न किसी रूप में उसी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत प्रयास किये जाने बाकी हैं और अगर हमें सचमुच उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है तो उस दिशा में बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है उसमें उत्तर प्रदेश उस लक्ष्य से अभी बहुत पीछे है। जो हमारी रफ्तार है अगर हम इसी रफ्तार से चलेंगे तो इसमें कम से कम 12 से 15 वर्ष लग जायेंगे और मुझे लगता है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें वक्त की रफ्तार से तेज अपनी रफ्तार करनी पड़ेगी और उस रफ्तार से जब हम लोग अपने आपको आगे बढ़ायेंगे तो वह रफ्तार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करेगी। आज हम लोग जहां पर हैं, पिछले पांच वर्ष में भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमी को यानि 55 वर्षों में भारत की इकोनॉमी वन ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है और पांच वर्ष में वन ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है, उस प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। हम छोटी-छोटी चीजों पर राजनीति करने लगते हैं। हर एक चीज में खैरात बांटने की हमारी प्रवृत्ति हो चुकी है। हम हर एक चीज को राजनैतिक नजरिये से देखने लगते हैं। कम से कम अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। समाज के लिये, एक लम्बे भविष्य के लिये एक स्थायी और

सुनियोजित विकास हो सके, समेकित विकास हो सके, उस दिशा में हमारे द्वारा क्या प्रयास किये जाने हैं, इस पर की जाने वाली पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उस दिशा में आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, हमारी जो जी0डी0पी0 है वह केवल 15 लाख 42 हजार 432 करोड़ रुपये की है। हमें अगर इसे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि इसके लिये हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे और उस प्रयास में जिन क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जिसको ले करके हम लोग अभी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रयास प्रारम्भ हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में अनेक नये सुधारात्मक उपाय करते हुए हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये हैं और उसके काफी अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोग तो यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह सारे कार्य सम्भव हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को देश की सबसे अच्छी इकोनॉमी बनाने में अच्छा योगदान दिया जा सकता है, हर एक व्यक्ति का उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है और खासतौर पर इस सदन की तो सबसे बड़ी भूमिका इसमें है, लेकिन इसके लिये हम सबको अपने स्तर पर एक नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है।

अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत शीघ्र आगामी पांच वर्ष के दौरान वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनें तो हमारा प्रयास होना चाहिये कि इस दौरान अलग-अलग सेक्टर में चाहे वह रियल इस्टेट का हो, ट्रेड ट्रांसपोर्ट का हो, होटल का हो, स्टोरेज का हो, वित्तीय सेवाओं का हो या फिर प्रोफेसनल सर्विसेज का हो, यह सभी जो क्षेत्र हैं इन सबके साथ-साथ एग्रीकल्चर है, लाइट सेक्टर है, माइनिंग है, उद्योग है, बिजली है, वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, इन सभी सेक्टर में हम लोगों को आने वाले पांच वर्ष के लिये एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि 70 हजार करोड़ रुपये से ले करके एक लाख करोड़ रुपये तक अलग-अलग सेक्टर में अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी तब जाकर भारत इतने कम समय में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन असम्भव नहीं है वह सम्भव है उसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश के अन्दर 'यूपी इन्वेस्टर्स समिट' का हम लोगों ने आयोजन किया था, उससे पहले हमारी जो टीम यहां पर आई थी और उन्होंने इसका नाम रखा था 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' तो नाम तो अच्छा था। मैंने टीम से पूछा कि इसमें कितने का निवेश होगा। तो उन्होंने कहा कि पचास हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा तो मैंने कहा कि सबसे पहले यह नाम बदल दिया जाये। 'ग्लोबल इन्वेस्टर समिट' नाम अगर रखना है तो इसके लिए हमारा प्रयास अगर कम से कम दस लाख करोड़ रुपये के निवेश का हो तो ही हम यह नाम रखें और अगर नहीं हो सकता है तो फिर हम लोग इस नाम को अभी यू0पी0 के लिए ही लोकल स्तर पर 'यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट' ही रखें। फिर मैंने कहा कि यह पचास हजार करोड़ रुपये तो बहुत कम हैं तो उन्होंने कहा कि यू0पी0 में कोई आएगा ही नहीं, यू0पी0 में लोग आना ही नहीं चाहते हैं, तो मैंने कहा कि आप इन चीजों से उभरिये। हमें इससे उभरना होगा, कौन नहीं यू0पी0 में आना चाहता है। देश के अन्दर जितनी अच्छी

कनेक्टीविटी हमारे पास है, जितना जल संसाधन हमारे पास है, जितना मैनपॉवर हमारे पास है और जितनी बेहतर सुविधा हम दे सकते हैं कोई और नहीं दे सकता है आप यह मान कर चलिए (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) और हम लोग सबसे अच्छी सुरक्षा भी देंगे। महोदय, हम लोग जब मार्च, 2017 में सत्ता में आए थे तो हमने देखा कि सैमसंग कम्पनी भाग रही थी, टी0सी0एस0 भाग रही थी तथा तमाम अन्य कम्पनियाँ भी यहां से पलायन का रास्ता अपना रही थीं। हम लोगों ने उन लोगों को बुलाया और पूछा कि क्यों पलायन कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि हमें यहां का वातावरण ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि वातावरण का मतलब क्या है, आप पॉलिटिकल एटमॉसफेयर की बात कर रहे हैं या फिर यहां के सामान्य मौसमी वातावरण की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वातावरण ठीक नहीं है इसलिए हमारी कम्पनी ने बांइअप करने का निर्णय लिया है। हमने उनसे कहा कि इससे पहले आपकी कम्पनी ने क्या निर्णय लिया है, आपके हेडऑफिस ने क्या निर्णय लिया है, आपके डायरेक्टर्स ने क्या निर्णय लिया है, यह पुरानी बात हो गयी है। आपसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है और अब हम लोग सत्ता में आ चुके हैं। हम लोग पिक एण्ड चूज तो नहीं करेंगे लेकिन हां, फोकस सेक्टर की हमारी पॉलिसी होगी और पिछली सरकारों ने भी अगर उस पॉलिसी के अन्तर्गत कोई कार्य किया होगा तो सरकार उस पॉलिसी को लागू करेगी। आप निश्चिंत होकर यहां पर समय दीजिए और काम करिए। आज सैमसंग जिसने तीन हजार करोड़ रुपये का यहां पर निवेश किया था पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है और सैमसंग मोबाइल फोन बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आज उत्तर प्रदेश के अन्दर है। टी0सी0एस0 जो लखनऊ से भाग रही थी वह आज लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों पर भी अपना बड़ा निवेश कर रहा है।

ऐसे ही अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि हमें विश्वास है और इस विश्वास का सम्मान भी होना चाहिए, इसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इस विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जब बातचीत हुई इतने अच्छे परिणाम आए हमारी टीम देश के अन्दर अलग-अलग राज्यों में गयी वहां पर उन्होंने उद्यमियों के साथ रोड-शो किए, निवेशकों के साथ बैठकें की, अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए स्टेप होण्डरर्स के साथ वह लोग बैठे और उसके परिणाम कितने अच्छे आए जब यू0पी0 इन्वेस्टर समिट हुआ तो उस समय लगभग पौने पांच लाख करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 उत्तर प्रदेश में हुए हैं और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एम0ओ0यू0 हुए हैं। लोग बोलते थे कि एम0ओ0यू0 होते रहते हैं यह तो एक औपचारिकता है तो हमने कहा कि केवल होते ही नहीं हैं यह जमीन पर भी उतरेंगे और हम लोगों ने जुलाई, 2018 में 62 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का एक दिन में उनका शुभारम्भ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही राजधानी लखनऊ में कराया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूँगा कि इसी 28 जुलाई को 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को फिर से हम एक नए निवेश के दूसरे चरण की योजना के

अन्तर्गत इस योजना को यहां पर अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया था उसमें बहुत सारे उद्यम जो शुरू हुए थे उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है, बहुत तेजी से कार्य चल रहा है और 65 हजार करोड़ रुपये के अभी परसों यहां पर कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निवेश अलग हैं। एक नई कार्य संस्कृति जब प्रारम्भ होती है तो उस कार्य संस्कृति के साथ हर एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिये और मुझे लगता है कि यह संस्कृति उत्तर प्रदेश के लिए है। देश की इकोनामी को 5 बिलियन डालर की इकोनामी बनाने में उत्तर प्रदेश का भी योगदान है क्योंकि देश का हर छठां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है। अगर दुनिया के अन्दर भारत सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अन्दर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। इस युवा प्रदेश की ऊर्जा का लाभ देश की इकोनामी को भी आगे बढ़ाने में किया जा सके इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ होने हैं। उस प्रयास के क्रम में दिनांक 28 जुलाई, 2019 को भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का यहां पर आगमन होगा। देश के बड़े-बड़े उद्यमी और निवेशक इस अवसर पर आयेंगे और 65000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ एक जगह पर प्रारम्भ होगा और हम पूरे प्रदेश के विकास को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। महोदय, इसके साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में दो वर्ष के दौरान जो कार्य प्रारम्भ हुये सचमुच उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है और उस प्रोग्रेस को देखेंगे तो पायेंगे कि हम लोगो ने कुछ क्षेत्रों में इस काम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर डेवलपमेण्ट की योजनाओं को फोकस किया हो और उसमें वित्तीय अनुशासन का ध्यान न रखा हो। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन पूरी तरीके से किया है और हम लोगो ने एफ0आर0बी0एम0 की जो हमारी सीमा है वह तीन प्रतिशत से नीचे ही रखी है। वह सीमा 2.97 पर आज भी टिकी हुई है और वित्तीय अनुशासन का एक नया उदाहरण उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया है। कल माननीय सदन में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान अनेक बातें उठीं। कल यहां पर नेता प्रतिपक्ष और हमारे ग्राम्य विकास मंत्री के बीच में कुछ तीखी झड़पें भी हुईं। इन झड़पों को हमें व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना चाहिये। यह सब लोकतंत्र की शोभा होती है। अगर मर्यादित तरीके से बहस होती है तो उस बहस को भी हमें लोकतंत्र का हिस्सा मानना चाहिये। इसे व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के रूप में नहीं लेना चाहिये और आरोप-प्रत्यारोप व्यक्तिगत होने भी नहीं चाहिये। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और हर एक व्यक्ति की मर्यादा है और हर एक का सम्मान है। लोकतंत्र में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है लेकिन एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल तो हम सबको रखना ही होगा और इस मर्यादा का पालन करते हुए हर व्यक्ति कार्य करता है। मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ग्राम्य विकास विभाग ने विगत दो वर्ष के दौरान देश के अन्दर बहुत अच्छी प्रगति की है, बहुत अच्छा कार्य किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 1281000 गरीबो को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये हैं जिसमें 1243000 आवास बनकर तैयार हो गये हैं और गरीबों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। एस0ई0सी0सी0 के सर्वे के बाद बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो आपदा के कारण, कहीं अग्निकाण्ड की घटना घटित हो गई, कहीं बाढ़ के कारण या किसी अन्य आपदा के कारण, या फिर एस0ई0सी0सी0 के सर्वे में छूट गये थे और बहुत विपन्न परिवार थे तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि आपदा प्रभावित परिवारों में या फिर बनटांगियां गावों में निवास करने वाले परिवारों को जिन्हें आजादी के बाद कभी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, थारू ट्राइब्स हैं, मुसहर जाति से जुड़े हुये लोग हैं, कोल जाति से जुड़े हुये लोग हैं या फिर अन्य ट्राइब्स हैं जिनको सुविधा का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है उनके लिए भी हमने मुख्य मंत्री आवास योजना स्वीकृत की थी। मुख्य मंत्री आवास योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने 50 हजार से अधिक परिवारों को एक-एक आवास उत्तर प्रदेश के अन्दर उपलब्ध करवाया है। यह आवास उन लोगों को मिले हैं और उन गरीबों को उन आवास की राशि उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बनाने की कार्यवाही भी तेजी के साथ प्रदेश के अन्दर सम्पन्न हुई है। यह कार्य जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश जो कभी 17वें, 18वें नम्बर पर था आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में नम्बर एक स्थान पर है। मा0 अध्यक्ष जी, उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भी हर गरीब के पास जिसके पास अपना आवास नहीं है उसे आवास मिले। विगत दो वर्ष के दौरान इस अभियान को आगे बढ़ाया गया है और नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्र में 12 लाख 89 हजार 243 परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध करवाया है। जिसमें से 2 लाख 52 हजार आवास अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश के अन्दर प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी विकास मंत्रालय भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण में नम्बर एक पर फिर से पूरे देश के अन्दर आया है। पहले हमारा कहीं स्थान नहीं था। देश के अन्दर अलग-अलग राज्यों ने इसमें प्रोग्रेस की थी। जब हम लोग वर्ष 2017 में आये थे तो किसी ने 2 लाख आवास बना दिये थे, किसी ने 3 लाख आवास बना दिये थे, किसी ने 4 लाख बना दिया था, किसी ने 50 हजार बना दिया था, किसी ने 25 हजार बना दिया था। उत्तर प्रदेश के अन्दर यह केवल फाइलों में ही चलता रहा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 12 लाख 89 हजार से अधिक परिवारों को एक-एक आवास स्वीकृत किया जा चुका है और इन आवासों के साथ कुल 2 लाख 52 हजार आवास बनकर तैयार भी हो गये हैं। स्वच्छ भारत मिशन में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी छलांग लगाई है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर हम देखेंगे तो विगत दो वर्षों के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ 21 लाख 62 हजार से अधिक ग्रामीणों को एक-एक शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया है, जिसमें वर्ष

2017-18 में 44 लाख 10 हजार 903, 2018-19 में 1 करोड़ 41 लाख 51 हजार 599 और इस वर्ष अब तक 36 लाख से अधिक शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किये जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में इन शौचालयों की बड़ी भूमिका है। खासतौर पर यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शहरी क्षेत्रों में भी इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। लगभग 9 लाख 48 हजार 356 शौचालय जिसमें से 8 लाख 86 हजार व्यक्तिगत शौचालय, 36 हजार सामुदायिक शौचालय, 26 हजार 63 सार्वजनिक शौचालय बनाये गये हैं। यह शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की स्थिति है, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी सामुदायिक और सार्वजनिक तीनों प्रकार के जो शौचालय बनाये गये, वह हैं।

महोदय, डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी और देश के लोकतंत्र का परिणाम उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। उन्होंने आज से 50 वर्ष पहले एक बात कही थी कि जो सरकार इस देश के गरीबों को, इस देश की माताओं को दो चीजों की व्यवस्था कर देगा एक चूल्हे के लिए ईंधन की व्यवस्था और दूसरा खुले में शौच से मुक्ति से लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था कर देगी तो उस सरकार को 50 वर्षों तक आने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है कि डा0 राम मनोहर लोहिया जी के उस स्वप्न को साकार किया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने। मान्यवर, कौन सोचता था कि किसी गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा जलेगा, कोई सोचता था ? अकेले उत्तर प्रदेश के अन्दर 1 करोड़ 31 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में एक-एक रसोई गैस का सिलेण्डर मिला। स्वच्छ भारत मिशन के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 90 लाख से अधिक शौचालय निर्मित हुए हैं। जिसमें से 2 करोड़ 21 लाख शौचालय बनाने का कार्य विगत 02 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने सम्पन्न किया है। यह वह तस्वीर है जो किसी को संकुचित दायरे मे कैद करके नहीं रखती है। डा0 लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उनकी विरासत को भुनाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन डा0 लोहिया की भावनाओं का प्रतिनिधित्व सही मायने में कौन कर रहा है ? केन्द्र में मोदी जी की सरकार ने साबित कर दिया है कि वास्तव में जन भावनाओं का सम्मान किस रूप में होना चाहिए, क्या उसके भाव होने चाहिए और उस भाव को आगे बढ़ाने का कार्य सफलतापूर्वक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत कुशलतापूर्वक उत्तर-प्रदेश में किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छ भारत मिशन में भी व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में उत्तर-प्रदेश देश के अन्दर नंबर-1 स्थान पर फिर से आ गया है। वर्ष 2017 के पहले देश में उत्तर-प्रदेश का स्थान 23वां व 24वां था। इस बात को लोग कहते थे कि क्या उत्तर-प्रदेश इस लक्ष्य को पूरा कर पायेगा। आज आप गांवों में चले जाईये। हमारे लिए शौचालय बनाने का कार्य नहीं है, यह शौचालय हमारे लिए नारी गरिमा के सम्मान एवं रक्षा का दायित्व भी रहता है और यह शौचालय उन तमाम प्रकार की बीमारियों से, जो बीमारियां असमय तमाम प्रकार की जल-जनित और विषाणु-जनित बीमारियों से तमाम लोगों को निगल जाती थीं। उन बीमारियों से मुक्ति का

भी माध्यम बना है। कितना सशक्त माध्यम बना है, कितना बेहतर माध्यम बना है। अगर हम देखें और इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में, खुले में शौच, आप पूर्वी उत्तर-प्रदेश में या फिर हमारे तराई के क्षेत्र में देखें इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौतों का कारण क्या था ? इसका कारण गंदगी एवं अशुद्ध पेयजल था और जब सरकार ने पहल प्रारम्भ की, आंकड़े तेजी के साथ नीचे गिरे। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जब स्वच्छता पर ध्यान दिया गया तो उसके परिणाम सामने आयें। एक तो हमने राशि बचाई वह अलग विषय है। उपचार के लिए 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अन्दर 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को उत्तर-प्रदेश के अन्दर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया है और साढ़े 10 लाख परिवारों को उत्तर-प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्वयं उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है।

हम लोग इस बारे में कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला कोई-भी परिवार इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। आने वाले समय में यदि कोई छोटा होगा तो उसको बोलिये कि इंतजार करिये, उसका भी नंबर आयेगा, उसको भी हम अवश्य कवर करेंगे, किसी को भी हम वंचित नहीं रहने देंगे। सरकार भेदभाव नहीं करती है, हम चेहरा देखकर के सेलेक्शन नहीं करते हैं। गरीब, गरीब है उस गरीब को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन योजनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ उस गरीब तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार, जिससे हम उन योजनाओं के बारे में सही ढंग से उसके सामने इस बात को रख सकें और यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन के साथ-साथ आयुष्मान भारत ने, मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना ने इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था कि एक गरीब के घर में भी बिजली का लट्टू जलेगा, कोई सोचता था। बड़े-बड़े नारे लगते थे, बड़ी-बड़ी घोषणायें होती थीं, लोगों को नई-नई उपाधियां मिलती थीं, किसी ने सोचा नहीं। विगत 02 वर्ष में 01 लाख 21 हजार मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक करोड़ आठ लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम ऊर्जा विभाग ने उत्तर प्रदेश के अन्दर किया है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी।) अभी मजरों से बाहर भी एक मकान, दो मकान, चार मकान जहां-तहां बिखरे पड़े हैं उस पर हमारी कार्य योजना चल रही है, उसको भी आच्छादित करेंगे। कल यहां पर विद्युतीकरण के बारे में चर्चा हो रही थी कि सरकार ने क्या किया है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कल राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में कह रहे थे। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में अन्तर यही है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में एक गांव में, दस मजरे होते थे तो मुख्य एक मजरे में विद्युतीकरण का काम होता था बाकी नौ मजरों को छोड़ दिया जाता था और उसको यह मान लिया जाता था कि यह संतृप्त हो गया है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के माध्यम से यह तय किया

गया कि मुख्य मजरा ही नहीं, उससे जुड़े हुए एवं ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी मजरे होंगे सभी आच्छादित होंगे और इन सबको लेकर दो वर्ष में एक लाख इक्कीस हजार से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य कुशलतापूर्वक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने किया है। आप जो कह रहे थे कि हम बिजली के तारों को जमीन के अन्दर दबाकर लेकर गए, आप नहीं लेकर गए, ये आई0पी0डी0एस0 (इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेन्ट स्कीम) योजना के अन्तर्गत, शहरी क्षेत्रों में ऊपर जो बिजली के तार चल रहे हैं उसको किसी भी घटना-दुर्घटना से बचाने के लिए अण्डरग्राउंड केबिलिंग के कार्य के लिए भारत सरकार ने, सौभाग्य योजना तो बाद में आई, पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आई0पी0डी0एस के अन्तर्गत इस योजना का पैसा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का कार्य किया था। मुझे लगता है कि यह बात जानकारी में आनी चाहिए और इस बात की जानकारी हो तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं आपके संज्ञान में इस बात को ला रहा हूं। महोदय, गरीबों के लिए कितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती थीं और मुझे तो देखकर ताज्जुब हो रहा था कि जब कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं मिला तो राजभवन और विधान भवन के सामने एक पार्टी के लोगों ने कटे हुए आलू यानी कोल्ड स्टोरेज में जो आलू सड़ जाता है, उन आलुओं को ट्रॉली में भरकर और कन्नौज से लाकर यहां पर गिराने का काम किया और दिखाने का कार्य किया कि लोग कितने परेशान हैं।

खैर, कन्नौज की जनता ने जवाब दे ही दिया है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी।) लेकिन विगत दो वर्ष चार माह के दौरान आपने देखा होगा किसान कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा है, क्योंकि पहली बार किसान को उसी उपज का दाम दिया जा रहा है और ये प्रयास किया गया है कि उसका भरपूर लाभ उसे मिले। अगर हम गन्ना किसानों की ही बात करें तो वर्ष 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक देखेंगे तो कुल पचास से पचपन हजार करोड़ रुपए का भुगतान इन वर्षों में गन्ना किसानों का हो पाता था लेकिन महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत दो वर्ष चार माह के दौरान गन्ना किसानों का सत्तर हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी।) बन्द पड़ी चीनी मिलों को चलाने का काम प्रारम्भ हुआ है, निजी क्षेत्र की जो चीनी मिलें बन्द थीं वे भी प्रारम्भ हुईं एवं इसके साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य प्रारम्भ हुआ है। एक चीनी मिल बन्द होती है तो वहां का किसान या कर्मचारी ही नहीं तबाह होता बल्कि वहां का पूरा मार्केट प्रभावित होता है। छोटे-छोटे व्यापारियों, ठेला-खुमचा आदि लगाने वाले, एवं समाज का एक अन्य बड़ा तबका उससे प्रभावित होता है लेकिन हम लोग कभी भी इसको समझने का प्रयास नहीं करते कि उद्योग बन्द न हों, उसको चलाने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है लेकिन अपनी छोटी, संकीर्ण राजनीति के चलते कुछ लोग अनावश्यक रूप से उन चलते हुए उद्योगों को बन्द करते हैं। उस उद्योग में कार्य करने वाला कर्मी तो तबाह होता ही है, परेशान होता ही है, इन झूठे नारों में चल करके वह अपने आप को, अपने परिवार को तो बर्बाद करता ही है, समाज का एक बड़ा तबका भी

उससे बेहाल होता है। प्रदेश सरकार ने उन निजी क्षेत्र की भी कई चीनी मिलों को चलाया है, गन्ना विभाग ने इस दौरान चलाने का कार्य किया। इसके साथ हमने कोआपरेटिव की चीनी मिलों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम इस दौरान हम लोगों को देखने को मिले हैं और बहुत अच्छे परिणाम इस दौरान हम लोगों ने गन्ना मिलों के साथ देखे हैं। दूसरा हम आभारी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, अब केवल मॉलिसिस से ही एथनॉल नहीं बनेगा, बल्कि आपको जितनी चीनी की आवश्यकता है, आप उतनी चीनी बनाइये, अगर चीनी की आवश्यकता नहीं है तो शुगरकेन से सीधे एथनॉल बनाने की भी सुविधा आपको दी जा रही है। इसका परमीशन भी हमें मिल गया है, उसका पैसा भी ज्यादा दिया जा रहा है और उस पैसे के क्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास इस दिशा में प्रारम्भ हुआ है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में प्रदेश के अन्दर देश ने उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा एथनॉल आपूर्तिकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन किया है। 40 चीनी मिलें और उससे जुड़ी हुई जो डिस्टिलरी हैं, कुल 48 ऐसे एथनॉल उत्पादन डिस्टिलरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे पास हैं और जिन से हम लोग प्रतिवर्ष 119.89 करोड़ लीटर वार्षिक एथनॉल का उत्पादन करने की क्षमता कर सकते हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इकोनामी में एक बहुत बड़ा अंश आने वाला है जो किसानों के जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ-साथ खांडसारी उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे, पिछली सरकारों ने लाइसेंस बन्द कर दिए थे, वह परेशान थे। मेरे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज से जुड़े हुए लोग आए थे, जब गन्ना विभाग ने खांडसारी उद्योग के बारे में निर्णय लिया था कि हम इनको लाइसेंस फ्री करेंगे। खांडसारी का उद्योग कोई लगाना चाहता है, उसको हम लाइसेंस फ्री करेंगे, वहां ऑन-लाइन लाइसेंस की पूरी सुविधा उपलब्ध करायेंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लाइसेंस फ्री करने के साथ पिछले 25 वर्षों में खांडसारी इकाइयों के केवल 86 लाइसेंस स्वीकृत हुए थे और विगत 02 वर्ष के दौरान हम लोगों लाइसेंस को पूरा फ्री किया। एक खांडसारी उद्योग में 8, 10, 15, 20 तक लोग कार्य कर सकते हैं, इतने लोगों को रोजगार मिलता है और हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया।

साथ-साथ महोदय, अगर हम इन सभी सेक्टर्स में देखेंगे तो किसानों ने आन्दोलन नहीं किया। बहुत सारे लोगों के लिए तो यह चीजें बहुत चौंकाने वाली हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन न करे। किसान को लगा कि वास्तव में उनकी स्वयं की सरकार आयी है, उनकी हितैषी सरकार आयी है। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, आलू इन सब का समर्थन मूल्य, जगह-जगह क्रय-केन्द्र स्थापित करना, उनसे पर्याप्त मात्रा में उनकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर खरीदने की व्यवस्था करना और इस कार्य को सरकार ने सफलतापूर्वक इस दौरान प्रदेश के अन्दर लागू किया और उसके परिणाम भी हम सब के सामने प्रदेश के अन्दर देखने को मिले हैं कि किसान आज खुशहाल है, किसान तेजी के साथ आगे

बढ़ रहा है। किसान को जो नई-नई सुविधाएँ मिलनी प्रारम्भ हुई हैं, उन सुविधाओं का परिणाम भी आज हम सब के सामने देखने को मिल रहा है। महोदय, इसके साथ ही बहुत बड़े-बड़े नारे लगते थे, हम लोग जब आए थे, दिसम्बर, 16 और जनवरी, 17 के प्रारम्भ में मान्यवर, जब हम लोग आए थे। दिसम्बर वर्ष 2016 और जनवरी 2017 के प्रारम्भ में कुशीनगर जनपद में भूख से कुछ मौतें हुई थीं और यह समाचार यदा-कदा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी देखने को मिलता था। मैं उस समय सांसद था गोरखपुर से मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं गया था। मैं देखता था और पूछता था उन लोगों से कि आप लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है क्या ? वह कहते थे कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। हमने पूछा कि कहां गया आपका राशन कार्ड तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मिलता ही नहीं था और कुछ लोगों को मिला भी था तो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए दबंगों को, दिखाते थे कि सामने जो घर है हमारा राशन कार्ड उनको उपलब्ध करा दिया है। यह चीजें लोग करते थे और हम लोगों ने जब इसकी जांच करवाई तो 36 लाख राशन कार्ड फेक पाए गए थे और फिर हम लोगों ने अभियान चलाया था कि जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे। राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मुझे प्रसन्नता है। 3 करोड़ 55 लाख 67 हजार 895 परिवारों को राशन कार्ड प्रदेश सरकार ने इस दौरान उपलब्ध कराए। इसमें 40 लाख 92 हजार 531 अन्तयोदय के हैं और 3 करोड़ 14 लाख 75 हजार 364, यह पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हैं। अगर आप इनको यूनिट में देखेंगे तो यूनिट में 13 करोड़ 82 लाख 42 हजार 104 यूनिट जिसमें 2 रुपये किलो गेंहूं, 3 रुपये किलो चावल इन सभी परिवारों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ किया है, लेकिन समस्या थी कि कोटेदारों से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि सारी चीजें वहीं से तो प्रारम्भ होती हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ई-पॉश मशीनें लगाईं और ई-पॉश मशीन आज प्रदेश के अन्दर सभी 80 हजार कोटे की दुकानों में लग चुकी हैं और उसका सफलतापूर्वक सम्पादन का कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। प्रदेश के अन्दर हम यह व्यवस्था भी देने जा रहे हैं और कुछ जनपदों में हमने प्रारम्भ भी कर दिया है कि लाभार्थी चाहे जिस भी दुकान से वह अपना राशन ले सकता है, क्योंकि राशन कार्ड को उसके आधार के साथ जोड़ने और फिर उसको सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

दूसरी यह भी व्यवस्था दी गई है कि वह लाभार्थी जहां राशन लेगा, अन्तयोदय परिवारों से जुड़े हुए बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो राशन की दुकान तक नहीं जा सकते। सप्ताह के अंतिम यानि कि प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में उन परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था किसी नोडल अधिकारी के माध्यम से कोटे दुकान के माध्यम से इस कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए और यह कार्य सफलतापूर्वक प्रदेश के अन्दर कुछ परिवारों में प्रारम्भ भी हुआ है। टेक्नोलॉजी पर फोकस जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं वैसे ही नहीं करते। टेक्नोलॉजी बड़ा आधार है भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के साथ-साथ एक गरीब को उसका हक

दिलाने में और साथ-साथ राजस्व की बचत करने में। ई-पॉश मशीन 13 करोड़ 82 लाख 42 हजार 104 लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन साथ-साथ हमने इस दौरान ई-पॉश मशीन लगाने के बाद 657 करोड़ रुपए की बचत भी की है। इतना खाद्यान्न दूसरे देशों में बिक जाता था या काला बाजारी का शिकार हो जाता था। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग है। महोदय, इसी प्रकार से प्रदेश के अन्दर अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे कार्य इस रूप में सामने देखने को मिले। खासतौर पर किस तरीके से हम लोग नया कार्य कर सकते हैं। एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट प्रदेश के अन्दर जितनी भी लगी हैं इसमें प्रदेश सरकार ने या नगर विकास ने एक भी पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने ई0एस0ल0 के साथ एक समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि दो वर्ष में 7 लाख 95 हजार 443 स्ट्रीट लाईट को रिप्लेस किया और उसकी जगह एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगाई। इसके कारण 280 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष बिजली की बचत भी हो रही है और 3 सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष इसके माध्यम से राजस्व की बचत भी नगर विकास विभाग को एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगवाने से इनके माध्यम से इसका भी लाभ यहां पर प्राप्त हुआ है। महोदय, उन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिल सकता है, मैं इसकी एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत करना चाहता हूं। खासतौर पर कुछ पेंशन की योजनाएँ पेंशन हैं। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसे हम विधवा पेंशन भी कहते हैं और दिव्यांग जन पेंशन। पेंशन की योजनाओं में आज के दिन पर हम लोग कुल 40 लाख 71 हजार 158 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दे रहे हैं। निराश्रित महिलाओं में 21 लाख 69 हजार निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन उपलब्ध करा रहे हैं। दिव्यांगजनों में भी 09 लाख 84 हजार 709 दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो अभियान चला करके लोगों की पात्रता का चयन करना और पात्रता के आधार पर उनको पेंशन देना है। हमने इन तीन प्रकार की पेंशन की योजनाओं को फोकस किया। हमने पार्टी के नाम पर या जाति के नाम पर पेंशन की योजना नहीं चलाई। हमने इसको वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के साथ ही जोड़ा। दिव्यांगजन की पेंशन को 300 रुपये से 500 रुपये किया। वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपये से 500 रुपये किया। निराश्रित महिला पेंशन के लिए हमने आयु सीमा समाप्त कर दी क्योंकि निराश्रित महिला तो निराश्रित महिला ही है, उसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। आज इतने लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ वर्तमान में सरकार करा रही है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, हमने जब यह योजना लागू की थी तो इसी सदन में बहुत सारे लोग हंस रहे थे। प्रतिपक्ष के हमारे बहुत सारे मित्र हँस रहे थे, यह गरीब का अपमान है लेकिन महोदय, मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस दौरान 68 हजार 108 गरीब कन्याओं की शादी मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से कराई गई है। हमने इसकी राशि को बढ़ाया है, 35000 रुपये से 51000 रुपये किया है। साथ ही साथ श्रम विभाग के द्वारा भी

10,316 बालिकाओं की शादी कराई गई है। श्रम विभाग ने भी अपने स्तर पर प्रत्येक शादी के लिए 55,000 रुपये की राशि दे करके इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न किया था। मैंने स्वयं भी श्रम विभाग के कुछ कार्यक्रमों में भागीदारी की थी और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन आयोजनों को वहां पर सम्पन्न किया था। महोदय, प्रदेश के अन्दर अगर हम समाज कल्याण विभाग के अनुदान की राशि के बारे में देखेंगे तो दो वर्षों में 38729 कन्याओं को शादी के लिए अनुदान अलग से उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, छात्रवृत्ति है। महोदय, अगर आप छात्रवृत्ति का ही देखें तो विगत दो वर्षों के दौरान वर्ष 2016-2017 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के अन्तर्गत पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चों में कुल 05 लाख 19 हजार 596 छात्र-छात्राओं को यह स्कॉलरशिप मिलती थी।

यानि पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के अन्तर्गत और दशमोत्तर छात्रवृत्ति में यह सुविधा 13 लाख 64 हजार 70 छात्र-छात्राओं को उपलब्ध होती थी। महोदय, हमें यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पूर्वदशम् छात्रवृत्ति में वर्ष 2017-2018 में 05 लाख 19 हजार 596 से बढ़ा करके हम लोगों ने 07 लाख 58 हजार 520 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई है। ऐसे ही दशमोत्तर छात्रवृत्ति में 13 लाख 64 हजार 70 से बढ़ करके आज 18 लाख 78 हजार 452 पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर आप अनुसूचित जाति-जनजाति के बारे में देखेंगे तो यह संख्या और भी बढ़ती है। हम लोगों ने काफी बड़ी संख्या में ऐसे छात्र-छात्राओं को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश के अन्दर किया है। महोदय, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बहुत आवश्यक है और सिंचाई को अगर हम आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। ड्रिप इरीगेशन साथ जोड़ेंगे तो क्षेत्रफल में ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सकती है। विगत दो वर्ष के अन्दर बाण सागर परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, पथरई बांध परियोजना, गुण्टा बॉध परियोजना, जमरार बांध परियोजना, मौधा बांध परियोजना, पहुंज बांध परियोजना और लहचुरा बांध परियोजना इन सभी परियोजनाओं का कार्य हमारी सरकार ने सम्पन्न किया है जिसमें 216666 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की क्षमता इसके माध्यम से किसानों को प्राप्त हुई और 186545 कृषक इससे लाभान्वित हुए। महोदय, साथ ही साथ इस वर्ष के अन्त तक यानि इस वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं को हम पूरा करने जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य हमने निर्धारित किया है इसमें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, रसिन बांध परियोजना, चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, जाखलौन पम्प नहर की क्षमता पुनर्स्थापित ललितपुर की रतौली बेयर परियोजना बण्डई बांध परियोजना, मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, कोल पहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, शहजाद बॉध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रेक्चरिंग परियोजना जो रामगंगा, बेतवा, शारदा संगठन आदि से संबंधित है इन सबके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो हम लोग इन परियोजनाओं के माध्यम से 1030312 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन

की क्षमता प्रदेश के अन्दर उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिससे 1837899 कृषक सीधे-सीधे इन योजनाओं के पूरा होने पर इसका लाभ प्राप्त कर लेंगे यह प्रक्रिया प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने प्रारम्भ की है। महोदय, इसके साथ ही यदि आप कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रदेश के अन्दर जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल तीन एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर फंक्शन में थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन 6 एयरपोर्ट फंक्शन में हैं यानि लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर तो हैं ही साथ-साथ कानपुर, आगरा और प्रयागराज ये नये एयरपोर्ट फंक्शन में आए हैं। इसके साथ ही बरेली, हिण्डन, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, म्योरपुर, चित्रकूट, झांसी, कुशीनगर और अयोध्या में 11 नये एयरपोर्ट हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और जिस पर हमारा प्रयास है कि तेजी के साथ इसको आगे बढ़ायें साथ ही गाजीपुर, मेरठ और सरसांवा (सहारनपुर) इन तीन एयरपोर्ट के विकास के लिए भी हमें जैसे ही इनके लिए क्लीनचिट मिलेगी, इस पर भी काम करने में हम लोग रुचि दिखा रहे हैं ताकि हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ सके। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर में नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य हो उसके लिए 20 वर्ष से बातचीत चल रही थी लेकिन मैच फिक्स नहीं हो पा रहा था।

हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने पूरी पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ, ग्लोबल बिडिंग की कार्यवाही हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ा दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ से केवल 15 शहर जुड़े हुए थे, आज 21 शहर लखनऊ से जुड़े हैं, वाराणसी में पहले 8 शहर जुड़े थे और अब 19 शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। गोरखपुर में पहले केवल एक सिटी से कनेक्टिविटी थी और अब 5 सिटी के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। आगरा तीन शहरों से जुड़ चुका है और प्रयागराज में 5 नई उड़ाने वहां पर चल रही हैं, कानपुर में 2 उड़ाने यानि कि 25 शहरों की जो हमारी कनेक्टिविटी थी दो वर्षों में यह बढ़कर 55 शहरों की हुई है। उड़ान योजना के अन्तर्गत इस योजना में प्रदेश को यह सफलता भी प्रदेश के अन्दर प्राप्त हुई है। प्रदेश के अन्दर हरेक व्यक्ति का योगदान है और मुझे लगता है कि उस प्रत्येक के श्रम को सम्मान मिले और हम उसके कार्य की प्रशंसा करने की भी थोड़ी आदत डाल सकें, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा हो। उसको हम प्रोत्साहित कर सकें और उस प्रोत्साहन के ही क्रम में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ग्राम चौकीदार, जिसे हम ग्राम प्रहरी कहते हैं, रसोइया, होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान इन सबके मानदेय में भी वृद्धि की है। वित्तीय अनुशासन को बनाये रखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक प्रदेश के अन्दर किया। रसोइया कुल 1 हजार रुपये पाता था हमने उसमें और वृद्धि करते हुए उसको 15 सौ रुपये किया। होमगार्ड 375 रुपये प्रतिदिन पाता था हमने उसे 500 रुपये प्रतिदिन किया। उनका प्रशिक्षण भत्ता 200 रुपये था हमने उसको 260 रुपये किया। ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न

कुछ किया है। सबसे बड़ा कार्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए किया गया है। हमारे 14 लाख कर्मचारी हैं जिनकी प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका है, उस भूमिका को पहले नजरअंदाज करते थे। वर्ष 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई। महोदय, न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद स्कीम से जुड़े हुए कर्मचारियों का जो अंशदान राज्य सरकार के स्तर पर जाना था वह वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2017 तक किसी ने दिया ही नहीं। उनके खाते भी नहीं खोले गये। उनको कोई सुविधा प्राप्त हो इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। यह तो अच्छा हुआ कि समय रहते सारा कुछ सामने आ गया। वही कर्मचारी अगर रिटायर होता तब पता लगता तो रिटायरमेण्ट के समय उसको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सरकार ने तो अपना शेयर दिया ही नहीं। हमारी सरकार ने ही यह शेयर दिया यानि उनका शेयर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर सरकार ने 14 प्रतिशत कर दिया है। इसमें सरकार पहले 10 प्रतिशत शेयर देती थी अब 14 प्रतिशत देगी। उत्तर प्रदेश की इस पहल पर भारत सरकार ने भी यह संशोधन किया और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपने कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत शेयर देने जा रहा है और जिसने वह शेयर दे दिया है। साथ ही साथ पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के एकाउण्ट भी खोलने प्रारम्भ कर दिये हैं और इसमें युद्धस्तर पर कार्यवाही चल रही है। साथ ही साथ सरकार का अंशदान वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2017 तक का भी और वर्ष 2019 तक का भी, इन सभी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ हमारी सरकार पर पड़ा लेकिन हमारी सरकार ने निःसंकोच इस बोझ को लिया है और हमने कर्मचारियों का एक-एक पाई उनके एकाउण्ट में देने की कार्यवाही को किया है। एन0पी0एस0 से आच्छादित इस प्रक्रिया को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया है। महोदय, इस दौरान प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालयों में भी अच्छा काम हुआ है।

नकलविहीन परीक्षा की कार्यवाही माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो की ही गयी लेकिन साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बनाने की मांग थी उसमें प्रदेश में श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की कार्यवाही हमारी वर्तमान में प्रचलित है और इस कार्यवाही को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी की जो पहली कर्मभूमि रही है जनपद बलरामपुर, वहां एक सैटेलाइट सेंटर जिसे हम लोग मेडिकल कालेज के रूप में विकसित करेंगे, इस कार्यवाही को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है और शीघ्र ही उसके शिलान्यास की कार्यवाही भी सरकार प्रारम्भ करने जा रही है। दो नए विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय जनपद सहारनपुर में और दूसरा आजमगढ़ में, इन दो विश्वविद्यालयों के लिए भूमि चयनित करने की प्रक्रिया चल रही है। भूमि चयन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के साथ ही हमने उसके लिए बजट की व्यवस्था भी अपने मूल बजट में की है। हम इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए जहां पूरी तरह तैयार हैं वहीं मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रदेश के अन्दर 51 नये महाविद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान की है और जिसमें 23 महाविद्यालय जिन पर भवन निर्माण की राशि को जहां

जमीन की सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गयी हैं वहां पर भवन की राशि भी रिलीज कर दी गयी। 193 इण्टर कालेज और 01 हाई स्कूल की स्थापना इन 02 वर्षों के दौरान हुई। 21 नवीन पॉलिटेक्निक और 26 नवीन पॉलिटेक्निक की स्थापना अभी प्रक्रिया के अन्तर्गत है, इस कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 64 नये आई0टी0आई0 को स्थापित किया गया है, जिसमें से 43 नये आई0टी0आई0 उसमें संचालित भी कर दिये गये हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अगर आप देखेंगे, वर्ष 2017-18 में 26 सी0एच0सी0, वर्ष 2018-19 में 31 सी0एच0सी0 और मार्च, 2017 से अब तक 04 नये सी0एच0सी0 अतिरिक्त स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें कार्यवाही हमारी आगे बढ़ चुकी है। वर्ष 2017-18 में कोई 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वर्ष 2018-19 में 27, ये कार्य हमारे पूरे हो चुके हैं। महोदय इसके साथ ही अगर आप मेडिकल एजुकेशन में देखेंगे तो बहुत बड़ा कार्य इसमें हुआ है। आप अनुमान करेंगे, हमने सप्लीमेन्टरी डिमान्ड में भी 14 नये मेडिकल कालेज के लिए धन की व्यवस्था, टोकन मनी की व्यवस्था हमने कर दी और भारत सरकार के पास हम अपना प्रस्ताव भेज दिये हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो 14 नये मेडिकल कालेज के लिए भारत सरकार के पास गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज के रूप में हम स्थापित करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम प्रस्ताव भेज चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने दूं तो वर्ष 1947 से 2016 के बीच प्रदेश में कुल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई। वर्ष 2017 से अब तक हम लोग 13 मेडिकल कॉलेज साथ-साथ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नोयडा और राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूँ इनको भी क्रियाशील करते हुए इनमें प्रवेश की प्रक्रिया हमने 5 जो वर्ष 2016-17 में स्वीकृत हुये थे, उनमें प्रवेश की प्रक्रिया, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा और राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूँ में इनमें प्रवेश की प्रक्रिया इस सत्र में प्रारम्भ कर दी गयी है। 08 राजकीय मेडिकल कॉलेज एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, मिर्जापुर इन सभी में इस प्रक्रिया को इसलिए निर्माणाधीन है और 14 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए हम लोग अपना प्रस्ताव भेज चुके हैं। महोदय साथ ही वर्ष 2019-20 में, इस सत्र में, प्रदेश में 1010 एम0बी0बी0एस0 की नयी सीटों में बढ़ोत्तरी की गयी। क्योंकि इन सभी मेडिकल कॉलेजेस को हम सक्रिय कर चुके हैं, इनको फंक्शन में ला चुके हैं, इनमें सभी में प्रवेश हो रहे हैं तो 1010 सीटें नयी बढ़ेंगी। इसके साथ ही एम्स, गोरखपुर और एम्स, रायबरेली इन सब पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है और 50-50 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया इस सत्र में इन दोनों एम्स में भी प्रारम्भ हो चुकी है।

एक बड़ा कार्य मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि जो ये छात्र प्रवेश लेने जा रहे हैं, इनके साथ हमारा एक बॉण्ड भी भरा जा रहा है और वह यह कि उनकी डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रदेश के रिमोट एरिया में अपना कुछ समय देना पड़ेगा जिससे गाँव की पी0एच0सी0 में, सी0एच0सी0 में वह कुछ समय दे सकें। पी0जी0 करने की अनुमति भी इसी आधार पर उनको मिलेगी और पी0जी0 के बाद भी उनका कुछ समय प्रदेश

को प्राप्त होगा जिसे हम रिमोट एरिया में जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं की अभिवृद्धि में कुछ योगदान किया जाना है उसमें भी इसको किया जा सकता है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अन्दर जो हमारी निर्यात की स्थिति थी, इतना बड़ा प्रदेश, भारत की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है लेकिन निर्यात हमारा कितना था 3.77 प्रतिशत वर्ष 2016-17 में। कैसे हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ होगी ? केवल 3.77 प्रतिशत का निर्यात था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार की कार्यपद्धति और कार्य की पारदर्शिता और ईमानदारी का परिणाम है कि आज यह बढ़कर 28.18 प्रतिशत हुआ है। हम लोगों ने 2018-2019 में 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का निर्यात प्रदेश से किया है और साथ ही साथ 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि एक वर्ष में प्रदेश ने हासिल की है और देश के अन्दर निर्यात करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर आ गया है। यानि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में नम्बर एक पर आया है। निवेश और रोजगार में भी प्रदेश के अन्दर अच्छे कार्य हुये हैं। अगर हम 2016-17 की तुलना में 2018-19 में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को देखें तो हमारा एक लाख 16 हजार करोड़ रुपये का निवेश इस दौरान प्रदेश के अन्दर हुआ। साथ ही साथ रोजगार सृजन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसमें काफी वृद्धि हुयी है।

निजी क्षेत्र में 2016-17 में कुल 23 हजार करोड़ का तथा 2018-19 में 50 हजार करोड़ का हुआ है और रोजगार सृजन भी 16 लाख से बढ़कर 28 लाख हुआ है। यानि 28 लाख लोगों को इस निवेश के माध्यम से रोजगार की सुविधा भी इसमें प्राप्त हुयी है।

महोदय, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से खासतौर पर यू0पी0 स्किल मिशन के माध्यम से प्रदेश के अन्दर एक लाख 71 हजार 36 लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुयी, उनका सेवायोजन यानि प्लेसमेंट हुआ और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस जो हमारे आदरणीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 24 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ किया। 24 जनवरी, 2018 को हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी इस अभिनव योजना को प्रारम्भ किया और मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना का शुभारम्भ हम लोगों ने अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के कर-कमलों से किया और इस समिट के माध्यम से हम लोगों ने 4 हजार 95 लाभार्थियों को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध करवाया।

इसके बाद मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और मेरठ में ओ0डी0ओ0पी0 की समिट आयोजित की गयी और इसके माध्यम से कुल एक लाख 91 हजार 191 लाभार्थियों को 18 हजार 344.87 करोड़ का ऋण वितरित किया गया और दस लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। 16 हजार 965 लाभार्थी इनके माध्यम से लाभान्वित हुये हैं यानि एक बड़ा माध्यम मिला है नौजवानों को रोजगार और आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के लिये। इसके

साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर विभिन्न नौकरियां, जो प्रदेश के अन्दर सरकारी क्षेत्र की थी जैसे पुलिस की भर्ती में पुलिस कांस्टेबिल की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, बेसिक शिक्षा परिषद् है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालयों का है, हमारे तकनीकी संस्थानों का है इन सभी में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अन्दर लगभग सवा दो लाख से अधिक प्रदेश के नौजवानों को नौकरी भी उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश के अन्दर सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है और पूरी पारदर्शी तरीके से इस काम को सम्पन्न किया गया है।

प्रदेश ने अपने राजस्व की स्थिति को भी बहुत सुदृढ़ बनाने की दिशा में अच्छे कदम बढ़ाये हैं। हमारे यहां का राजस्व 2016-17 में कुल 85 हजार 966 करोड़ का था और यह आज बढ़कर एक लाख 20 हजार 227 करोड़ रुपये तक पहुंचा है और अगर हम लोग विभिन्न वर्षों में देखेंगे और वाणिज्य कर को देखेंगे तो वाणिज्य कर 49 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर आज 70 हजार करोड़ तक पहुंचा है। एक्साइज में 14 हजार करोड़ से लगभग 24 हजार करोड़ तक पहुंचा है। स्टाम्प और निबन्धन में 11 हजार 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 15 हजार 700 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। परिवहन में 5 हजार करोड़ से बढ़कर लगभग 7 हजार करोड़ पहुंचा है। भूतत्व एवं खनिकर्म में 1500 करोड़ रुपये से बढ़ करके 3165 करोड़ तक पहुंचा है और मण्डी में भी काफी वृद्धि इस क्षेत्र में देखने को मिली है। अगर हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो काफी वृद्धि हर एक क्षेत्र में यहां पर करने की एक स्थिति हम लोगों ने इस दौरान बनाई है, क्योंकि सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व में भी वृद्धि आवश्यक है और प्रदेश के अन्दर इस दिशा में काफी अच्छे प्रयास हुए हैं और देश के अन्दर अगर हम जी0एस0टी0 की बात देखेंगे तो एस0जी0एस0टी0 उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। महोदय, वास्तव में पर्यटन विकास की दिशा में बहुत सम्भावनायें उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं और मेरा शुरू से मानना रहा है कि जितनी सम्भावनायें उत्तर प्रदेश के अन्दर पर्यटन के क्षेत्र में हैं। वह स्पीचुअल टूरिज्म का हो, ईको टूरिज्म का हो, वाइल्ड लाईफ टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो या किसी भी प्रकार का हो, आप देखेंगे कि बहुत सम्भावनायें उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं। हमने उन सम्भावनाओं को कभी पहचानने का प्रयास नहीं किया। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हित में उन सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य अगर ईमानदारीपूर्वक किया गया होता तो लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से रोजगार और इसके माध्यम से प्लेसमेंट की सुविधायें हम उपलब्ध करा सकते थे। आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के सुन्दरीकरण और उस क्षेत्र के पर्यटन विकास की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बहुत अभिनव कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पर्यटन में बहुत कुछ कर सकता है। प्रयागराज कुम्भ उसका एक उदाहरण है और प्रयागराज कुम्भ के बाद जो कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है, आज वाराणसी, काशी अपनी पुरातन काया को रखते हुए एक नये कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने जिस रूप में आई है, वही स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी है। हम लोगों ने एक विकास बोर्ड मथुरा-वृन्दावन का बनाया है। मथुरा-वृन्दावन को विकास

बोर्ड के माध्यम से और उस विकास बोर्ड ने वहां के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखते हुए, वहां के समग्र विकास की जो कार्य योजना ले करके कार्य प्रारम्भ किया है। उसी तर्ज पर हम लोग प्रदेश के अन्दर अयोध्या के लिए, विन्ध्यवासिनी देव धाम के लिए, इसके साथ-साथ शुकतीर्थ, मुजफ्फरनगर के लिए, चित्रकूट के लिए, नैमिष के लिए, अन्य ऐसे जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं, उन सभी के लिए इस प्रकार के विकास बोर्ड बनाने की एक प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारम्भ की है और इस कार्यक्रम को जहां हम लोग आगे बढ़ायेंगे।

बजट में और इस अनुपूरक बजट में भी जहां इसके लिए प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ एक नई पर्यटन संवर्धन की योजना, हम लोग चाहते हैं, हर एक जगह सम्भावनायें हैं, यह सम्भावना यहां पर जो मौजूद माननीय विधायकगण हैं, इनकी अपनी विधान सभा सीटों पर भी होगी। वहां पर भी कोई न कोई ऐसा केन्द्र जरूर होगा जिसके थोड़े-बहुत विकास करने से वहां पर पर्यटन की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है और मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन की एक नई योजना की आज हम यहां पर घोषणा कर रहे हैं, इसमें सभी माननीय विधायकगण अगर अपना प्रस्ताव देंगे (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गईं) तो मुझे प्रसन्नता होगी कि इस पर्यटन संवर्धन की योजना के माध्यम से आपके गांव में, आपकी विधान सभा सीट में, किसी एक पयर्टन केन्द्र को विकसित करके, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ आपकी निधि होगी, कुछ जन सहयोग से, कुछ सी0एस0आर0 से, अलग-अलग योजना से ले करके, क्योंकि किसी भी योजना की सफलता के लिए जन-सहभागिता का बहुत बड़ा रोल होता है। उस जन-सहभागिता को अगर हम उसके साथ जोड़ेंगे तो हमें व्यापक सफलता उसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है और हम लोग उसके माध्यम से उस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सम्भावनायें हैं, हम लोगों ने 2017 में दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में किया था और विगत वर्ष दीपोत्सव के कार्यक्रम में कोरिया गणराज्य की फर्स्ट लेडी अपने पूरे एक बड़े डेलीगेशन के साथ उस आयोजन में सहभागी हुई थीं। आज कोरिया तक बहुत अच्छे सम्पर्क और संवाद इन सांस्कृतिक सम्बन्धों के माध्यम से बने हैं। इस बार भी हमारा प्रयास है कि कोई एक देश अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े। ऐसे ही बरसाना की होली के साथ, होलिकोत्सव का कार्यक्रम बरसाना में होता है, उन तीर्थ स्थलों का भी विकास हो सके, देश और दुनिया उसके साथ जुड़ना चाहती है, हम उन सम्भावनाओं को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। देव दीपावली काशी के अन्दर कितनी भव्यता के साथ सम्पन्न होता है। कुम्भ का आयोजन अपने आप में एक यूनिक इवेन्ट प्रयागराज की धरती से बन करके पूरे देश और दुनिया के अन्दर उत्तर प्रदेश की एक नई छाप दे चुका है। हमारे पास इस प्रकार के अनेक अवसर हैं, इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए भी और अन्य क्षेत्रों में भी। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस मामले में भरपूर सहयोग इस पूरे आयोजन के साथ करने जा रही है। महोदय, खन्ना जी बहुत चिन्तित हैं और खास तौर पर उनके द्वारा एक बात कही जा रही है और मुझे भी

वास्तव में सदन के सामने वह बात रखनी भी है, उन्होंने याद दिला दिया है इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के अन्दर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और उन 100 शहरों के विकास के लिए बहुत अच्छी योजना बनी है जिसमें 10 सिटी उत्तर प्रदेश की भी हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के अन्दर नगर निगमों की संख्या देखें तो यह 17 है, चयन 10 का होना था 10 का हो गया लेकिन 7 अभी छूटे हैं। तो हम लोगों ने इस सेप्लीमेंट्री डिमांड में इस बात का प्रावधान किया है कि जो 7 छूटे हुए हमारे शहर हैं इनको हम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा भी धनराशि देंगे, उस नगर निकाय के साथ मिल करके कार्यक्रम बनायेंगे और उसके लिए धनराशि का प्रावधान इसके साथ किया जा रहा है। इससे इन शहरों में बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ ही मल्टीलेविल पार्किंग की व्यवस्था, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कन्ट्रोल सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करना, वहां पर नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, यह सारे कार्य इसके साथ ही हम लोग जोड़ कर आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने अनुपूरक बजट में इस बात का प्रावधान भी इसके साथ किया है।

महोदय, अभी यूनियन बजट में भारत सरकार ने प्रत्येक घर नल की एक योजना प्रारम्भ की है। यानि कि पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर एक घर तक हो सके, यह एक बड़ा कार्य भारत सरकार प्रारम्भ करने जा रही है और हम लोगों ने इसकी शुरुआत पहले ही बुन्देलखण्ड से कर दी है। बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में पहले चरण में अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मूल बजट में 9 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिसमें से 3 हजार करोड़ रुपए पहले ही हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बुन्देलखण्ड के प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइप पेयजल योजना के माध्यम से होगी, इस योजना को आगे बढ़ाने की कार्यवाही हम लोग प्रारम्भ कर चुके हैं। साथ-साथ अन्य योजनाओं के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। हमारा प्रयास है भारत सरकार के जलशक्ति मंत्री को मैंने यहां पर आमन्त्रित किया था और उनके साथ हमारी बैठक भी हो चुकी है। हम लोगों ने चार चरणों में इस योजना को तैयार किया है। पहले चरण में बुन्देलखण्ड, दूसरे चरण में विन्ध्य क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्जापुर जनपद, तीसरे चरण में आर्सेनिक फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र और चौथे चरण में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम से प्रभावित जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में पाइप पेयजल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम को हम मिशन मोड के साथ लेने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्यवाही प्रारम्भ होने जा रही है। यह कार्यक्रम प्रदेश के अन्दर एक बड़ा अभियान होगा, खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए जिनकी बीमारियों का आधा कारण प्रदूषित जल है। अगर हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर तक कर लें, तो हम आधी बीमारियां दूर कर सकते हैं। यह आवश्यक भी है। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार इसमें पहले ही पहल कर चुकी है। इसके साथ-साथ हम लोग अपना प्रस्ताव भी भारत सरकार के

पास सबमिट कर चुके हैं कि किन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महोदय, मैं इन चीजों को हमेशा देखता हूं। हम एक नई योजना प्रारम्भ करना चाहते हैं और वह योजना प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए और भी महत्वपूर्ण है। यहां पर अभी भी कुछ क्षेत्रों में भ्रूण हत्या की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। यह बहुत दुःखद स्थिति है कि बालक और बालिका के बीच अभी भी इस युग में लोग भेद कर रहे हैं। इस भेद को मुक्त करने के लिए सरकार ने पहले एक ''सामूहिक मुख्य मंत्री विवाह'' की योजना प्रारम्भ की थी। ''मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना'' के आंकड़े मैंने आपको उपलब्ध भी कराये थे। अभी तक इस योजना के तहत 68 हजार से अधिक विवाह हुए हैं। लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें शामिल होते हैं। मुझे कई ऐसे आयोजनों में शामिल होने और उसे देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैंने देखा कि लोगों की हिचक दूर हुई है और सामूहिक रूप से लोग सामने आये हैं। समाज स्वयं सामने आकर ''दहेज मुक्त विवाह'' अभियान के साथ जुड़ रहा है। यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। सरकार ने इस योजना के तहत जो राशि दी, उस राशि को कन्या के नाम पर जमा करके बाकी का खर्चा समाज ने स्वयं उठाना प्रारम्भ कर दिया है। समाज में यह एक अच्छा भाव पैदा हुआ है। ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' के इस अभियान को एक नई गति मिली है। अगस्त महीने में हम एक तिथि तय करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उस तिथि में सभी मा0 विधायकगण ''मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना'' कार्यक्रम के साथ जुड़ें। हम इस कार्यक्रम को लांच करने जा रहे हैं, जिसमें 1200 करोड़ रुपये हमने मूल बजट में इस योजना के लिए रखे हैं। जिसमें बालिका के जन्म होने पर एक निश्चित राशि उसके नाम पर जायेगी। बालिका जब एक वर्ष की होगी, तब उसका पूर्ण टीकाकरण का सर्टीफिकेट दिखाने पर एक निश्चित धनराशि उस परिवार को उपलब्ध होगी या बालिका के नाम पर जमा हो जायेगी। पहली कक्षा में प्रवेश करने पर एक निश्चित राशि उस बालिका के नाम पर उपलब्ध कराएंगे। छठवीं कक्षा में जाने पर हम एक निश्चित राशि उस बालिका के एकाउन्ट में फिर देंगे। नौवीं कक्षा में जाने पर एक निश्चित राशि उस बालिका के एकाउन्ट में फिर देंगे और बारहवीं कक्षा पास होने पर फिर एक निश्चित राशि यानि रु0 15000/- एक बालिका के नाम पर अलग-अलग चरणों में देने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' ''मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना'', ये सारे कार्यक्रम जब देंगे, तो पूरी समग्रता के साथ उन सभी योजनाओं को, जिसमें एक बालिका के समग्र विकास के साथ-साथ बालक और बालिका के साथ होने वाले भेद-भाव को भी हम दूर कर सकेंगे। साथ ही उन सभी कार्यक्रमों को इसके माध्यम से सफलता मिलेगी। जैसे 'पुष्टाहार कार्यक्रम' है, 'नेशनल न्यूट्रिशियन मिशन' है, 'सबरी संकल्प अभियान' है और 'किशोरी बालिका योजना' है। इन सभी योजनाओं को भी इसके माध्यम से एक नई गति प्राप्त होगी और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं और मैं चाहूंगा इस पूरे अभियान के साथ पूरा मा0 सदन और सभी मा0

सदस्य अगर जुड़ सकेंगे तो इसके माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा और हम लोगों को एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए, संरचना की अभिवृद्धि के लिए जो कार्यक्रम प्रारम्भ हुए हैं, ''सबका साथ, सबका विकास'' योजना के अन्तर्गत 7948 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण सड़क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दो लेन मार्ग से जुड़ी हुई 26 तहसील मुख्यालयों में से 07 तहसील मुख्यालयों का कार्य पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार दो लेन मार्ग से जुड़ी विकास खण्डों को जोड़ने के लिए प्रथम फेज में 81 विकास खण्डों में से 31 विकास खण्डों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 9722 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 79 दीर्घ सेतु, 26 रेलवे उपरगामी सेतु और 92 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य भी अब तक पूर्ण किया जा चुका है। एशियन डेवलेपमेंट बैंक के साथ मिल करके 08 मार्गों के सापेक्ष 06 मार्गों का कार्य प्रारम्भ किया जा चका है और जो शेष बचे 02 मार्ग हैं, उन पर भी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार से विश्व बैंक परियोजना के 04 मार्ग, जिसमें 01 पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है शेष में निविदा की कार्यवाही अंतिम चरण में चल रही है। केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से भी 54 मार्गों में से 09 मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 117 प्रमुख जिला मार्ग और अन्य जिला मार्गों को दो लेन के मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही, जिसमें 52 कार्य इसमें भी पूर्ण किये जा चुके हैं। हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट में जो हम लोगों ने मेरिट के टॉप टेन छात्र-छात्रायें थीं, यानि प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों के लिए भी एक योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना में 2017 में 24 मेधावी छात्र/छात्राओं और 2018 में 89 मेधावी छात्र/छात्राओं के निवास स्थलों को तथा 2019 में 174 मेधावी छात्र/छात्राओं के गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लिया गया है। 2017-18 में 37 हजार कि0मी0 लम्बाई के, 2018-2019 में 20110 कि0मी0 के मार्गों को गड्ढामुक्त या उनके नवीनीकरण के कार्य को भी इस दौरान सम्पन्न किया गया है। महोदय, प्रदेश के अन्दर आधारभूत इकाई हमारे अच्छे मार्ग हैं और उन अच्छे मार्गों के साथ ही हम समय के साथ उन्हें विकास की योजनाओं के साथ जोड़ सकें। खासतौर पर जैसे यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के समय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के अन्दर डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरीडोर की घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे पर कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और हमारा प्रयास है कि अगस्त, 2020 में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मूल एक्सप्रेस-वे को यातायात के लिए उपलब्ध करा देंगे। (डा0 संग्राम यादव द्वारा अपने आसन पर बैठे हुए कुछ कहने पर)

हां, आप नोट कर लें, बहुत शौक से नोट कर लें।

(डा0 संग्राम यादव द्वारा कहा गया कि मान्यवर, लिंक एक्सप्रेस-वे भी बने।)

हां, लिंक एक्सप्रेस-वे भी बनने जा रहा है। आपको धन्यवाद। बुन्देलखण्ड को भी हम एक्सप्रेस-वे के साथ जोड़ रहे हैं। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 90 फीसदी लैंड बुन्दलेखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए हम लोग क्रय कर चुके हैं और हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और हमारा प्रयास है कि आगामी दो-ढाई महीने के अन्दर हम इस कार्य के शिलान्यास आदि की प्रक्रिया पूरी करते हुए इसके दोनों ओर औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को डिफेन्स कॉरीडोर से संबंधित कार्यक्रम को भी आगे बढ़ायेंगे। डिफेन्स कॉरीडोर के लिए भी तीन हजार हेक्टेयर से भी अधिक लैण्ड हम लोग अब तक ले चुके हैं। एक प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखायी दे रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अन्दर पश्चिम को मध्यांचल और पूरब तक जोड़ने के लिए एक गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के सर्वे के कार्य को भी हमारी सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। (मेजों की थपथपाहट) हमने बजट में भी इसका प्राविधान किया है और इन कार्यक्रमों को हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर अन्य तमाम योजनाओं के साथ जो कार्यक्रम प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ हुये हैं इन कार्यक्रमों को खासतौर पर जब प्रदेश के अन्दर मैंने विभिन्न प्रकार के योजनाओं की बात की। तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ एक नया परसेप्शन देश के अन्दर दिया है। कुम्भ और चुनाव, प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का कुशलतापूर्वक सम्पन्न होना उसी कड़ी का हिस्सा है। बहुत अच्छे ढंग से सारे आयोजन हुए। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में जब मीडिया के एक रिपोर्टर ने एक प्रवासी भारतीय से पूछा उन्होंने कहा कि काशी में आपको अच्छा क्या लगा ? उन्होंने कहा कि मुझे, काशी में। मैं काशी में आकर तो अभिभूत हूं क्योंकि जो सुना था उसके विपरीत मुझे यहां अच्छा देखने को मिला। विगत 5 वर्षों में काशी कितना बदला है। काशी की सड़कें, काशी को झूलते हुए तारों से मुक्ति, काशी के घाटों की सुन्दरता, गंगा की अविरलता, काशी विश्वनाथ मंदिर, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में यहां के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी सौन्दर्यीकरण की योजना जिस तत्परता के साथ आगे बढ़ी है, यह चीजें तो वास्तव में हम सभी अप्रवासी भारतीयों के लिये और भारतवंशी परिवारों के लिये प्रेरणादायी है ही लेकिन उसने कहा कि यह सब चीज तो अच्छी थी लेकिन मुझे यहां पर सबसे अच्छा लगा पुलिस का व्यवहार। उनसे पूछा गया कि क्या ? तो उसने कहा कि बाहर जो मैं सुनता था उसके ठीक विपरीत हमने यहां पर देखा। जब भी हम कहीं किसी भी रूट से जाते थे तो पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया, जिस तरह का उनका शिष्टाचार था वह अभिनव था। कुम्भ के आयोजन में भी जो लोग गये उन लोगों ने इस बात की चर्चा की कि वास्तव में यह एक परसेप्शन है। यह परसेप्शन किस रूप में सामने आ रहा है।

यह एक-एक व्यक्ति की भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं और उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व हम किस रूप में कर रहे हैं यह चीजें इस रूप में की गईं और प्रदेश के अन्दर इस दौरान कुशलतापूर्वक कार्यक्रम बढ़े हैं। उन कार्यक्रमों का परिणाम है कि हमने उस दौरान अपने कुछ जवानों को खोया है, कुछ पुलिस अधिकारियों को भी खोया है। मुझे यह बताते हुए

प्रसन्नता है कि उस दौरान 9549 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 6214 तो दुर्दान्त अपराधी थे जिन पर पहले से बहुत बड़े-बड़े पुरस्कार घोषित हुए थे। इसमें 1384 अपराधी पुलिस कार्यवाही में घायल भी हुए हैं और लगभग 90 दुर्दान्त अपराधी जो पुरस्कार घोषित अपराधी थे, जो समाज की सुरक्षा के लिये खतरा बने हुए थे, पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गये। इसके साथ ही एक बड़ी संख्या 1 अरब 95 करोड़ 54 लाख 7 हजार 688 रुपये की जो सम्पत्ति थी, इन अपराधियों से जब्त भी की गई। इतनी बड़ी सम्पत्ति को जब्त करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा 16,165 अभियुक्त जिन्होंने अपनी जमानतें निरस्त करवा करके आत्म समर्पण भी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्दर उन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्दर चाहे वह एस0टी0एफ0 की कार्यवाही रही हो, ए0टी0एस0 की कार्यवाही रही हो या फिर प्रदेश के अन्दर सिविल पुलिस के द्वारा चुनाव को सकुशल सम्पन्न करवाने में दिये जाने वाले योगदान का रहा हो या फिर प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था के साथ-साथ साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति को भी सुदृढ़ बनाये रखने के लिये जो कार्यक्रम किये गये उन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक यहां प्रदेश के अन्दर लागू किया गया और इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर चाहे वह डकैती की घटना रही हो, लूट, हत्या, बलवा, गृह-भेदन, रोड होल्ड-अप, फिरौती, अपहरण, दहेज हत्या, बलात्कार की जितनी भी घटनाएं हो इन सभी में उल्लेखनीय कमी भी इस दौरान देखने को मिली है। स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अन्दर इन सभी कार्यक्रमों को सम्पन्न करने और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक है पुलिस भर्ती की प्रक्रिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है। अपने स्वार्थों के लिये उत्तर प्रदेश की पी0ए0सी0 की कई कम्पनियां समाप्त कर दी गईं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने फिर से उसको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। इस दौरान हम लोगों ने 71 हजार 520 पदों पर आरक्षियों की और 3 हजार 156 पदों पर सब इंस्पेक्टर की नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की है। 59,000 आरक्षियों की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगर हम अपराधों की स्थिति को देखेंगे तो डकैती में 32.93 प्रतिशत, हत्या में 32.21 प्रतिशत, लूट में 32.21 प्रतिशत, बलवा में 31.93 प्रतिशत की कमी आयी है। महिला संबंधी अपराधों में बलात्कार की घटनाओं में 32.59 प्रतिशत, दहेज मृत्यु में 6.71 प्रतिशत, शीलभंग में 13.51 प्रतिशत, अपहरण में 29.25 प्रतिशत, छेड़खानी की घटनाओं में 20.37 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न से संबंधित मामलों में हत्या से संबंधित 22.90 प्रतिशत, आगजनी में 31.58 प्रतिशत, बलात्कार में 21.89 प्रतिशत, गम्भीर चोट में 11.18 प्रतिशत की कमी आयी है और अन्य मामलों में भी जो अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़े होते हैं, उनमें 9.73 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस बल का उपयोग बेहतर तरीके से ''इको फ्रेंडली'' पुलिस की स्थापना की जा सके। इसके लिए उस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है। इस पर कार्यवाही आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारम्भ की है। इसमें हम लोगों ने विगत दो वर्षों में 2 हजार 568 उपनिरीक्षकों और

9 हजार 293 मुख्य आरक्षी और 35 हजार 35 पदों पर हम लोगों ने प्रमोशन की कार्यवाही को सम्पन्न किया है। मुख्य आरक्षी से निरीक्षक स्तर पर 46 हजार 896 कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है। अग्निशमन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2 हजार 65 कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये गये हैं। कारागार विभाग में भी 3 हजार 638 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्रदेश के अन्दर राज्य का अपना आपदा मोचन बल हो, इसके लिए एस0टी0आर0एफ0 के गठन की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी कर दी है। दो चरणों में हम लोगों ने इस कार्य को किया है।

पहले चरण में तीन कम्पनियों का गठन हम लोग पूरा कर चुके हैं, दूसरे चरण में तीन कम्पनियों के गठन की प्रक्रिया के लिए भी हम लोगों ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया है। 36 नवीन थानों और 13 नवीन चौकियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, 2 साइबर थाने, 75 विद्युत और 10 सतर्कता थाने, 4 महिला थाने और 4 ई0ओ0डब्ल्यू0 थानों की स्थापना भी इस दौरान प्रदेश के अन्दर की गयी है। 4 जनपदों हापुड़, सम्भल, अमेठी और शामली में महिला थाने नहीं थे, इनमें एक-एक महिला थाने की स्थापना की गयी है। 68 नए अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही भी इस दौरान आगे बढ़ायी गयी है और साथ ही साथ पी0ए0सी0 की 3 महिला बटालियन, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला बटालियन की स्थापना और शामली के कांधला और कैराना के मध्य एक पी0ए0सी0 वाहिनी की स्थापना की कार्यवाही के लिए भी इस बजट में हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। 7 जनपद जिनमें अब तक पुलिस लाइन नहीं है, अमरोहा, औरैया, अमेठी, शामली, हापुड़ और सम्भल आदि जनपदों में पुलिस लाइन स्थापित करने की कार्यवाही हम लोगों ने आगे बढ़ा दी है और इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। वाराणसी में आर0ए0एफ0 की एक नई वाहिनी की स्थापना के लिए भी हम लोगों ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। महोदय इस दौरान हम लोगों ने तमाम अन्य कार्यवाही प्रारम्भ की है जिसमें खास तौर पर हेड कांस्टेबुल, कांस्टेबुल एवं उसके समतुल्य पदधारक हैं उनके लिए वर्दी भत्ता रु0 2250 से बढ़ाकर रु0 3000 रुपए करने और चतुर्थ श्रेणी और उसके समतुल्य पदधारकों के लिए रु0 1500 से बढ़ाकर रु0 2000 करने की कार्यवाही भी प्रदेश सरकार ने की है। साइकिल भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपया किया गया है। जो पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कोमा में चले जाते हैं उन्हें असाधारण पेंशन की व्यवस्था में संशोधन किया गया है साथ-साथ सभी पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने और माता-पिता को दी जाने वाली राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की कार्यवाही हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर अपने पुलिस बल के लिए किया है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि पुलिस कर्मियों के अपंग या दिव्यांग होने पर अग्नि सेवा कर्मियों के राहत एवं बचाव के दौरान उनके दिव्यांग होने पर उन्हें भी दी जाने वाली राशि में काफी बढ़ोत्तरी प्रदेश सरकार ने की है इस दौरान हम लोगों ने डायल 100 के रिस्पांस टाइम को 34 मिनट से

घटाकर 12.12 मिनट करने में सफलता प्राप्त की है। साथ-साथ यू0पी0 100, 112 इमरजेंसी नम्बर, 102 एम्बुलेंस सेवा, 101 अग्निशमन सेवा एवं जी0आर0पी0 सेवा के साथ एकीकरण का कार्य इन सबको जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। महोदय इसके साथ ही एण्टी रोमियो स्क्वायड इसने 20 लाख 13 हजार 830 स्थानों पर 69 लाख 24 हजार 26 लोगों को चेक किया 3639 अभियोग पंजीकृत किये 13, 855 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की और 24 लाख 30 हजार 658 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इसके साथ ही वांछित अपराधियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने में पुलिस ने इस दौरान काफी सफलता प्राप्त की है।

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यू0पी0 ट्रैफिक पुलिस ने अपना एक ऐप लांच किया है जो प्रदेश के अन्दर इन सभी कार्यक्रमों जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को आगे बढ़ाने और सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसके माध्यम से ई-चालान की व्यवस्था जिसमें लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, मेरठ इन सब जगह ई-चालान की व्यवस्था वहां पर लागू करने की व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है। प्रदेश के अन्दर अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग के गठन के पीछे मंशा पुलिस के आधुनिकीकरण कुम्भ के आयोजन को हम इसलिए सफलतापूर्वक सम्पन्न कर पाए क्योंकि वहां पर हम लोगों ने इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के साथ-साथ आर्टीफिसिएल इंटेलीजेंस का भी प्रयोग करते हुए पूरे आयोजन में टेक्नालाजी का भरपूर उपयोग किया और इसके साथ उनकी अपनी भी समस्याएं हैं सरकार ने पहले अपने मूल बजट में भी पुलिस लाइन में रहने वाले आरक्षियों या पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी थाने में रहने वाले आरक्षी महिला हों या पुरुष इन सबके लिए आवासीय सुविधा की न्यूनतम स्थिति थी इसको सुदृढ़ करने की दिशा में पहले से धनराशि की व्यवस्था की है साथ ही साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें इसके साथ साथ हम लोगों ने जहां प्रदेश के अन्दर 1535 थानों में से 1348 थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे हम लगा चुके हैं 185 थानों में यह कार्यवाही इस समय प्रचलित है इसके साथ ही सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की योजना है इसमें थानों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों को कम्प्यूटराइज कर नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ने की व्यवस्था इस योजना में डाटा फीडिंग थाना स्तर पर होगी तथा शिकायतकर्ता को एफ0आई0आर0 की कम्प्यूटरीकृत प्रति दी जायेगी। इस प्रक्रिया को भी हमनें तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। भारतीय दण्ड संहिता यानि उत्तर प्रदेश दण्ड संहिता की धारा में आवश्यक संशोधन करते हुए 06 जून, 2019 को अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बिल की व्यवस्था का प्राविधान भी उत्तर प्रदेश के अन्दर हो गया है, जिसको इमरजेंसी के दौरान लोगों ने जबरदस्ती इस प्राविधान को ले लिया था, मुझे लगता है कि वह व्यवस्था भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अन्दर लागू कर दी है। साथ ही साथ प्रदेश के अन्दर

अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम इस दिशा में भी सरकार ने आगे बढ़ाए हैं। मुझे विश्वास है कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अन्दर एक बेहतर व्यवस्था देने का कार्य प्रारम्भ हुआ है। महोदय, मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रदेश सरकार ने अन्य तमाम क्षेत्रों में भी कार्य किये हैं खासतौर पर किसानों से जुड़े हुए निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिये भी हमारी कार्य योजना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है। किसी समय उत्तर प्रदेश में 69 डेरियां हुआ करती थीं, लेकिन कुप्रबन्धन और कुशासन के कारण वह एक समय बन्द हो गयी थीं, उन डेरियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और 14 डेरियों पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इसके अलावा प्रदेश के अन्दर अन्य सामान्य प्रक्रिया को बहाल करने की दिशा में भी बेहतर प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से इस बात के लिये आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के अन्दर आवश्यक कार्यों के लिये कहीं भी धनराशि की कमी नहीं है और प्रदेश सरकार प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अन्दर विकास कराने के लिये और प्रदेश को देश की एक सुदृढ़ इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं चाहूंगा कि पूरा सदन और खासतौर पर प्रतिपक्ष के हमारे मित्रगण भी अगर एक सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश के विकास की इस पहल में अपना योगदान दे सकेंगे तो एक बेहतर स्थिति हमें प्रदेश के अन्दर बनाने में और उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने स्थापित करने में, देश के सामने स्थापित करने में व्यापक सफलता प्राप्त हो सकती है।

अलग-अलग सेक्टर में बहुत सारे कार्य हुए हैं और मैं इस बात के लिये आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं अपने सहयोगी वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी को वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम अनुपूरक मांगों को सदन के पटल पर रखने के लिये और प्रत्येक तबके के हितों का ध्यान रखने, उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिये, प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिये उन्होंने जिन अच्छी अनुपूरक मांगों को यहां पर रखा है, बजट को इससे पहले प्रस्तुत किया था, उसके लिये मैं उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में अपनी बातों को रखने और सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ भावी योजनाओं के बारे में भी अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिये मैं आपका भी आभारी हूं। धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष के द्वारा मेजें थपथपाई गयीं।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम गोविन्द जी, नेता प्रतिपक्ष।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं।)

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, इतना लम्बा, तथ्यहीन, आधारहीन, ढपोरशंखी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, रोजगार विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, छात्राओं विरोधी जो भाषण हुआ है माननीय नेता सदन का वह उबाऊ था। आज अनुपूरक बजट पर बहस होनी है। क्यों अनुपूरक बजट लाया गया, क्या आवश्यकता पड़ी इस बजट को लाने की इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं बोला है। मूल बजट पास हुआ, आचार संहिता लागू हो गयी, दो माह का समय चुनाव तथा गणना में लग गया, मूल बजट का पैसा खर्च ही नहीं हुआ। मा0 वित्तमंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री जी तो वित्तमंत्री हैं नहीं वह तो आपका हक छीन कर भाषण दे देते हैं आपको अनुपूरक बजट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? कैसी आवश्यकता पड़ी ? श्रीमन् हम मूल बजट पर ही बोलेंगे मुख्य मंत्री जी के जैसा उबाऊ भाषण नहीं बोलेंगे। यह प्रस्तावित अनुपूरक बजट है जो कि तेरह हजार पांच सौ चौरानबे करोड़ आठ हजार सात सौ चौदह लाख रुपये का है। केन्द्रीय योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि एक हजार एक सौ पैंतालिस करोड़ पांच सौ निन्यानबे लाख है। केन्द्रांश को घटाने पर शुद्व व्यय भार की धनराशि बारह हजार चार सौ उन्चास करोड़ दो हजार सात सौ चौबीस लाख रुपये है। आप पैसे ही नहीं खर्च कर पाये ? और अनुपूरक बजट लेकर आ गये केवल प्रदेश की जनता को यह जताने के लिए कि आप बहुत काम करते हैं, चौबीस घण्टे काम करते रहते हैं। आप हर बजट में अनुपूरक बजट लाते हैं किन्तु जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपको दो-चार उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, आबकारी विभाग में अब तक केवल 24.40 प्रतिशत पैसा खर्च किया गया है, आवास विभाग में 5.56 प्रतिशत, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) में 6.12 प्रतिशत, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) में 25.3 प्रतिशत, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) में 14.85 प्रतिशत तथा उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) में 33.29 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है चूँकि माननीय नेता सदन ने बहुत लम्बा भाषण दिया है इसलिए थोड़ा लम्बा भाषण मैं भी देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो पहले कहा था कि हम संक्षेप में बोलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके कहने का मतलब है कि जितना लंबा भाषण मा0 नेता सदन ने दिया है उतना ही हम संक्षेप में बोलें ? मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 नेता प्रतिपक्ष आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही बोलिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 नेता सदन, इसीलिए तो आपने इतना लम्बा भाषण दिया है ताकि स्वास्थ्य के कारण राम गोविन्द चौधरी ज्यादा न बोल पायें। इसीलिए आपने छक्का मारा है, लेकिन आपका यह छक्का चलने वाला नहीं है अगर क्रिकेट में सत्ता जोड़ दिया जाये तो विपक्ष की तरफ से सत्ता भी मार दिया जायेगा। (सदन में हंसी) मा0 अध्यक्ष जी, ठीक है सब विभागों का उदाहरण मैं नहीं दूँगा क्योंकि इसमें आठ पेज हैं जिसको पढ़ने में बहुत देर हो जायेगी सभी विभागों ने 50 प्रतिशत से नीचे ही पैसा खर्च किया है जिसमें अधिकांश विभागो ने 16, 17, 15, 14 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की है। जब यह स्थिति है तो फिर अनुपूरक मांग की आवश्यकता क्यों आ गई और आप इसे लेकर क्यों आये हैं। हर विभाग ने 50 प्रतिशत से कम धनराशि खर्च की है जिसमें केवल दो-तीन विभागो ने ही 40 प्रतिशत की धनराशि खर्च की है, अन्य ज्यादातर विभागो ने 25, 20, 18, 15 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की है। ऐसे विभागों की सूची बहुत लम्बी है नहीं तो मैं यहां पर उसे पूरा पढ़ देता। मूल बजट में जो धनराशि आवंटन हुई थी उसमें बहुत कम पैसा खर्च हुआ है जैसे 15 परसेण्ट, 16 परसेण्ट, 10 परसेण्ट, 12 परसेण्ट। केवल दो ही ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 40 परसेण्ट धनराशि खर्च किया है और 50 प्रतिशत धनराशि तो किसी भी विभाग ने खर्च ही नहीं किया है। कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक एवं रेशम विभाग ने 9.86 प्रतिशत धनराशि खर्च की है, इसी के अन्तर्गत भूमि विकास तथा जल संसाधन विभाग ने 3.04 प्रतिशत धनराशि खर्च की है। माननीय नेता सदन ने ग्राम्य विकास विभाग की बहुत बड़ाई की है। कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग में 5.19 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। जब 5.19 प्रतिशत धनराशि खर्च हो रही है तो भी आपने इतनी बड़ाई कर दी है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास का खाका कैसा होगा। कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत दुग्धशाला विभाग में 8.76 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। सबसे कम खर्च करने वाले विभागो का मैं अब विवरण रख रहा हूं। कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सहकारिता विभाग में 5.57 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। नागरिक उड्डयन विभाग के विषय में आपने अभी बहुत ढ़िढोरा पीटा है कि इसको इससे जोड़ दिया, उसको उससे जोड़ दिया। मेरा कहना है कि सरकार तो हवाई जहाज है ही, हवाई बातें, हवाई योजना, हवाई भाषण और इसके सिवा सरकार के पास कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, नागरिक उड्डयन विभाग में 0.49 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। माननीय नेता सदन जी जब पूरे प्रदेश को आपने हवाई जवाब से जोड़ दिया है तो उसमें खर्च हुआ है 0.49 प्रतिशत।

इसी तरह नियोजन विभाग में 4.85 प्रतिशत, परिवहन विभाग में 9.04 प्रतिशत खर्च हुआ है। पयर्टन विभाग की भी आपने बड़ी बड़ाई बतियाई है उसमें मात्र 4.48 प्रतिशत खर्च हुआ है। मुस्लिम वक्फ विभाग में 7.76 प्रतिशत खर्च हुआ है, महिला एवं बाल विकास विभाग में 10.02 प्रतिशत खर्च हुआ है, राजस्व विभाग के अन्तर्गत दैवीय विपत्तियों में जिसमें किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और किसान की मृत्यु हो जाती है, उसमें 3.08 प्रतिशत धनराशि

का खर्च हुआ है। इस पर भी आप कह रहे हैं कि सरकार बड़ा काम कर रही है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में 5.21 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। लोक निर्माण विभाग जो भवन बनाता है उसमें 0.64 प्रतिशत खर्च हुआ है। विधान परिषद् में खर्च हुआ है 0.21 प्रतिशत। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में खर्च हुआ है 8.57 प्रतिशत। समाज कल्याण की आपने बहुत बड़ाई बताई है उसके अन्तर्गत विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 8.47 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण में 4.95 प्रतिशत धनराशि खर्च हुई है। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में 10.99 प्रतिशत खर्च हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग में 2.01 प्रतिशत खर्च हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें सबसे कम खर्च हुआ है मैंने उसकी गणना की और आपके माध्यम से माननीय नेता सदन और माननीय वित्त मंत्री जी को बताया है। मेरी सारी बातों का तात्पर्य यह है कि कोई भी विभाग अपने बजट की 50 प्रतिशत धनराशि भी खर्च नहीं कर पाया। मा0 अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी का भाषण कुम्भ से शुरू हुआ। मैं एक बात और रख दूं, अन्त में जो मैंने नहीं कहा था। सरकार ने 2019-20 के कुल बजट की अभी तक लगभग 22 प्रतिशत स्वीकृतियां जारी की हैं। इस हाउस से जो बजट पास हुआ और विभाग की जो स्वीकृतियां जारी हुई हैं वह केवल 22 प्रतिशत हैं और मूल बजट का केवल 18 प्रतिशत खर्च हुआ। सरकार को मितव्ययी होना चाहिए जो सरकार नहीं हो रही है। नेता सदन ने जिसकी चर्चा की कि कर्मचारियों का जो अंश जमा होता है। मान्यवर, अनुपूरक बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ? हमने बजट में जिन कामों की व्यवस्था की है अगर वह पूरा नहीं हुआ है तो उसको पूरा करने के लिए हम अनुपूरक बजट ले आते हैं। अनुपूरक बजट पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं और नये मद ले लिए जबकि नये मद लेने का कोई प्राविधान नहीं है। मूल बजट में नये मद लिये जाते हैं। अनुदान संख्या-001 मद संख्या-2415 कृषि विभाग इसमें आपने 9 करोड़ नये काम के लिए ले लिया। अनुदान संख्या-103 मद संख्या-4515 ग्राम्य विकास विभाग इसमें आई स्पर्श योजना के तहत 9.77 करोड़ ले लिया। अनुदान संख्या-0105 मद संख्या-2403 और 4403, मद संख्या-2403 इसमें आपने 9.42 करोड़। पं0 दीन दयाल अनुदान संख्या-105 मद संख्या-2403 और 4403 मद संख्या-2403 पं0 दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के अधीन कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस हेतु रुपये 3.35 करोड़ आपने ले लिया। अनुदान संख्या-2025 मद संख्या-2070 मद संख्या-4055 जनपद हाथरस में 50.41 करोड़ आपने ले लिया। मान्यवर, मेरा कहने का मतलब है कि अनुपूरक में नये मद लेने का प्राविधान नहीं है। आपको इन मदों को मूल बजट में ले आना चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है तो मूल बजट आता तो उसमें ले आते यह अनुपूरक की परिभाषा है। आपने तो इसकी परिभाषा ही बदल दी। मान्यवर, मैंने केवल थोड़ा सा कहा है क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता हूं।

आपने कहा भी है स्वास्थ्य का ख्याल रखिए इसलिए आपकी बात का आदर करना जरूरी है, नहीं तो आपने मदों में बहुत लिया है। मान्यवर, मा0 नेता सदन और मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण अर्ध कुम्भ से किया और यह जनाया कि हमने दुनिया में अपना कुम्भ के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम रौशन किया है। इन्होंने व्यवस्था तो अच्छी किया, लेकिन बड़ा खर्चीला किया। मान्यवर, छोटी-छोटी कुटी, जंगल, पहाड़, कन्दरा में रहने वाले लोग थे, उनके लिए 5-स्टार होटल की तरह टेण्ट लगा करके लुभाने का कार्य किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कुम्भ में 5-स्टार की सुविधा संत-महात्माओं को दी जाय। जो वहां पर एक महीने के लिए मुक्ति पाने के लिए जाते हैं, उनको सुविधा दी गई इससे मुझे कोई हर्ज नहीं है और साधु लोग भी महान हैं कि वह ले लिये। हमने कुम्भ में 800 करोड़ खर्च किया और आपने 3200 करोड़ खर्च किया है। हमने वर्ष 2013 में कुम्भ लगाया उसमें 800 करोड़ खर्च हुआ और यह अर्द्ध कुम्भ है इसमें 3200 करोड़ रुपये खर्च हुआ, बड़ी अनियमितता है। श्रद्धा में बड़ा खर्च कर दिया। अर्द्ध कुम्भ की परिकल्पना कहीं नहीं है। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, पुराण, वेद कहीं पर भी अर्द्ध कुम्भ को कुम्भ बनाने का प्राविधान नहीं है। इस सरकार ने सनातन धर्म का मखौल उड़ाया है। आदिकाल से देवी-देवता, पुराण, वेद में, चर्चा है, कुम्भ एवं महा-कुम्भ की। खैर ये तो सन्त हैं इसलिए इन्होंने अपने से ही जोड़ा और अर्द्ध कुम्भ को कुम्भ कर दिया जो सनातन धर्म का अपमान है, हिन्दुओं का अपमान है। दूसरा कुम्भ का आयोजन कोई मामूली आयोजन नहीं है। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और दुनिया के कई देशों में घूमा और अपनी किताब में लिखा भी है कि कुम्भ एक ऐसा आयोजन है कि बिना चिट्ठी-पत्री लिखे, बिना किसी को बुलाये, इतने असंख्य लोगों की हाजिरी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इस सरकार ने उसकी महानता को भी नष्ट कर दिया है। मा0 नेता सदन ने अपने भाषण में उल्लेख किया है। मा0 मंत्री लोग कार लेकर घूमते रहे कि आईये कुम्भ में, आईये कुम्भ में। जैसे कुम्भ खत्म हो गया हो और यह नया कुम्भ लगा रहे हों। उसकी गरिमा को भी चौपट कर दिया है। कुम्भ में बिना बुलाये ही लोग आते हैं। मा0 नेता सदन के मठ में 14 जनवरी को फंक्शन होता है, क्या उसमें किसी को बुलाया जाता है ? सब अपनी श्रद्धा से आते हैं, उसमें किसी को मठ की तरफ से चिट्ठी तो जाती नहीं है। वहां पर लोग श्रद्धा से आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। हमारे क्षेत्र में मेला लगता है वहां कोई किसी को नहीं बुलाता है लेकिन करोड़ों में लोग आते हैं।

कुम्भ में आज तक कोई भी किसी को नहीं बुलाया है, अरबों में लोग आते हैं। आप चिट्ठी लेकर दौड़ा रहे हैं कि गर्वनर साहब आप आईये, राष्ट्रपति जी आप आईये, प्रधानमंत्री जी आप आईये, एम्बेस्डर साहब आप आईये। इस सरकार ने कुम्भ की गरिमा को खत्म कर दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, 'राम-राम जपना, पराया काम अपना' जो काम मा0 मुलायम सिंह यादव जी, मा0 अखिलेश यादव जी एवं मा0 मायावती जी ने अपनी सरकारों में किया, उसी काम को अपना बताकर के पीठ थपथपा रहे हैं। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने शौचालय के बारे

में बताया है। इस प्रदेश में शौचालय के विषय में सबसे पहले किसने सोचा ? आप नहीं सोचें, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा, देश के मा0 प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोचा। हिन्दुस्तान की राजनीति में मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले शौचालय के विषय मे सोचा और काम किया। जब 1989 में वे पहली बार मुख्य मंत्री बने तो इसी सदन में उनका भाषण हुआ, उसे निकलवाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि जब हम लोग गाड़ी से चलते हैं, सड़क के किनारे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां शौच के लिए बैठी रहती है, लाइट पड़ती है तो खड़ी हो जाती हैं, फिर लाइट पड़ती है तो खड़ी हो जाती हैं, लाज के मारे बहुएं घर से निकलती नहीं और दिन में जब उनका पेट भारी होता है, बाहर नहीं जा पाती तो बीमार पड़ जाती है। उन्होंने व्यवस्था किया कि हर गरीब आदमी को मैं साढ़े तीन हजार रुपए का लोन दूंगा और कुछ अपना पैसा लगाकर शौचालय बनाने का काम किया जाए। काम हुआ भी और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसको आगे बढ़ाया। जब मैं पंचायतीराज मंत्री था तो कम-से-कम तीस गांवों में स्वच्छ शौचालय बनवाकर ओडीएफ किया। अब आप आए हैं तो ऐसा बोल रहे है कि शौचालय बनवाने का काम इस धरती पर आप ही शुरू किए हैं। हां, एक काम जरूर आपने किया कि आपने अधिक शौचालय बनाए, अधिक आवास भी बनाए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन ऐसे बनाया। प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, अखिलेश यादव प्रदेश में मुख्य मंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी बाद में भाजपा की सरकार आ गयी, आपने तो न मुलायम सिंह को पैसा दिया, न अखिलेश यादव को पैसा देने का काम किया, आपने पैसा नहीं दिया। अगर केंद्र सरकार ने दिया होता तो आज आपको शौचालय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, शौचालय बन चुके होते। (सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर) सुनिए, जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तब हम लोगों में से कोई नहीं बोला। संसदीय ज्ञान तो होना चाहिए, आप लोग खड़े होकर जवाब दीजिएगा, इसलिए वाद-विवाद होता है। अगर हमारी बात गलत है तो आप खड़े होकर प्रतिवादित करिए और आपकी बात गलत होगी तो हम खड़े होकर प्रतिवादित करेंगे। इंदिरा आवास को ही इन्होंने प्रधानमंत्री आवास की संज्ञा दिया है। इंदिरा आवास को माननीय अखिलेश यादव जी ने एक लाख छियासी हजार के लगभग रुपया दिया था, बाद में इन्होंने धनराशि बढ़ाकर उसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री आवास योजना।

यह भी इनकी योजना नहीं है, बहुत पहले से यह योजना चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इंदिरा आवास योजना के साथ-साथ माननीय अखिलेश यादव जी जब थे तो तीन लाख सतहत्तर हजार रुपए में लोहिया आवास बनाने का काम प्रदेश के अन्दर किया था और लाखों आवास बने थे। इन्होंने अलग से कुछ किया नहीं। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की बात की, वो तो जब से विभाग बने हैं तब से पेंशन मिल रही है। हर सरकारें उसे बढ़ाती रहती हैं। केंद्र सरकार की योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन दिया जाता है अलिखेश यादव ने पचास लाख महिलाओं को अलग से पांच-पांच सौ रुपए देने का काम किया। आपने

अलग से क्या किया। मुख्य मंत्री जी ने लड़कियों की बात की, इस देश में, हम देश की बात कह रहे हैं और देश के साथ-साथ दुनिया की बात कह रहे हैं, अमेरिका हो, इंग्लैण्ड हो, रूस हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, किसी के दिमाग में कभी नहीं आई, माननीय मुलायम सिंह जी के दिमाग में आई कि जो बेटी हाई स्कूल पास करेगी उसको हम तीस हजार रुपया देंगे चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग की हो और अखिलेश यादव जी की सरकार ने उसको चालू रखा और ये कहा कि जो छात्र-छात्राएं इण्टरमीडिएट पास करेंगे, सभी जाति, धर्म एवं वर्ग के लोगों को हम लैपटॉप देंगे और दिया भी। आपने तो कहा भी दिया भी नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि 'राम-राम जपना, पराया काम अपना'। माननीय अध्यक्ष जी, 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया', भारी-भरकम बजट और मैं जानता हूं, यह तमाम विधायक, विधान सभा के सदस्य बैठे हैं, भले ही सत्तापक्ष के लोग हमको झुठलाने के लिए कुछ भी कह दें। अगर आत्मा से पूछेंगे तो मैं ही आपके माध्यम से उनसे पूछूँगा कि आपके क्षेत्र में 10 कि0मी0 सड़क इस सरकार के आने के बाद बनी है क्या ? कोई प्राइमरी स्कूल बना है क्या ? कोई हास्पिटल बना है क्या ?

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहिए, यह ठीक नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो फिर बजट का पैसा हुआ क्या ? यह बजट पैसे वालों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। किसान की बात हो रही थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ज्यों सत्ता में आए, किसानों का ऋण माफ करने के लिए एक योजना चलायी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप पर छोड़ता हूं, आज की ही डेट में आप एक सर्वदलीय कमेटी बना दें, वह गांव-गांव में जांच कराये कि कितना किसानों का कर्जा माफ हुआ, कागज में नहीं, प्रैक्टिकल। आलू की बात की, ठीक है, फिरोजाबाद में लोगों ने सिखा दिया, सिखा तो गोरखपुर में भी दिया था। जनता कब किसको सिखायेगी, जनता महान है, उसको नहीं नकारता। किसान का आलू सड़ा, आलू का किसान बर्बाद हो गया। धान की खेती करने वाले किसान को बिचौलियों ने उसका धान खरीद करके बर्बाद कर दिया। गेहूं की खेती करने वाले किसान को बिचौलियों ने उसका गेहूं खरीद कर बर्बाद कर दिया। आज भी आत्म-हत्या बुन्देलखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं, इतने बड़े विकास के बाद ? माननीय नेता सदन जब भाषण दे रहे थे तो लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया है, अब कुछ बाकी ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। सब पूरे के पूरे काम हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि आप कम बोलिए, मैं उनकी बात का आदर करता हूं।

(कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही के कुछ कहने पर)

हम आपके उतना सत्य बोल नहीं सकते। हम आपकी तरह सत्य बोलेंगे तो धराशायी हो जायेंगे। आप ही की यह क्षमता है कि असत्य भी बोलिए, वह सत्य मान ली जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रचण्ड बहुमत की बात कही। यह प्रचण्ड बहुमत जनता का नहीं है, ई0वी0एम0 माई का आशीर्वाद और कृपा है। नहीं तो अध्यक्ष जी, क्या बात है कि देश की सारी विरोधी पार्टियां एक स्वर से मांग कर रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाय। चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है ? यहां बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनायी है। विरोधी पार्टियों द्वारा दो-दो चुनाव से पहले बैलेट पेपर से चुनाव की मांग हो रही है, क्यों नहीं हो रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जायें तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जायेगी, कोई बचा नहीं पायेगा।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था कि ''दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है'' (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, यह इसी गलतफहमी में रहे हैं, मान्यवर, आगे से यह अपोजीशन वाले जो आवश्यक यहां पर संख्या है, वह नहीं जुटा पायेंगे, इसी गलतफहमी में रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इनका दिल बहलाने के लिए भागे-भागे आ गए ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मित्र हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता इनके अन्दर नहीं है। दौड़ कर आ गए। पता नहीं चाय पिए कि नहीं पिए, दौड़ कर आ गये। (हंसी) मान्यवर, कानून व्यवस्था इस लोक सभा के चुनाव के बाद जितनी बदत्तर हुई उतनी उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप बोलते रहिए पूरे हाउस का मनोरंजन होता रहता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक बात कह दें कि 'राम-राम जपना पराया काम अपना'। एक उदाहरण सुन लीजिए संसदीय कार्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा नेता सदन ने कि मा0 प्रधानमंत्री की कृपा से यूनेस्को ने कुंभ के लिए गिनीज बुक में लिख दिया है और यूनेस्को ने इसकी बड़ी चर्चा की। मा0 अध्यक्ष जी, यूनेस्को ने जो चर्चा की वह वर्ष 2013 के कुंभ की। उस समय इनका तो कुंभ ही नहीं लगा था, कुंभ तो इनका लगा बाद में और यूनेस्को ने पहले ही इसको प्रमाणित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिया। क्या अब इतना भी असत्य हाउस में बोला जाएगा ? इनका कुंभ लगा है वर्ष 2019 में अर्ध कुंभ और बैठक हुई है 4 से 9 दिसम्बर वर्ष 2017 में। जिसमें वर्ष 2013 में हुए कुंभ पर चर्चा हुई थी यूनेस्को में और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कृपा से यूनेस्को में नाम चला गया। 'राम-राम जपना पराया काम अपना'। हॉवर्ड विश्वविद्यालय में जहां बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी वहां बैठते थे, संसदीय कार्य मंत्री हमारी सरकार में भी यह जोड़ी-जोड़ी लगी है संसदीय कार्य मंत्री, नगर विकास मंत्री वह भी संसदीय कार्य मंत्री आजम खां साहब और मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को सफलतापूर्वक कुंभ का आयोजन के लिए हॉवर्ड विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, अमेरिका में जो दशा हुई थी उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे कि वहां एयरपोर्ट से लेकर और विश्वविद्यालय जाने तक क्या हुआ था, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मॉरीशस के प्राइम मिनिस्टर आए थे और वहां उन्होंने कुंभ की दशा देखी थी वर्ष 2013 में तो उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया था। यह प्रमाणित सत्य है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह न तो अखबार में आया है, ना किसी चैनलों में इसकी खबर दी गई, ना किसी पत्रिका में आया जरूर यह मोदी थे जब वह नहा रहे थे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा नेता सदन से कि हमारे गौरव की मर्यादा को रखिए सदन में असत्य प्रलाप मत करिए। यह हमारे मुख्य मंत्री नेता सदन हैं, नेता सदन मुख्य मंत्री बाद में हैं। हमारे योगी पहले हैं। मा0 अध्यक्ष जी, 30 फरवरी 2019 से 17 जुलाई 2019 तक के लखनऊ से प्रकाशित अखबारों और पत्रिकाओं में देखिए हत्याएं 2017 से 2019 में 97, मुख्य मंत्री जी के कागज में क्राइम घटा है। बलात्कार, छेड़छाड़ 64/39, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी 361, साइबर क्राइम 45, इस प्रकार कुल घटनाओं की संख्या दिनांक 20 फरवरी से 17 जुलाई 2019 तक 606 रही। मान्यवर, यह केवल लखनऊ का आंकड़ा है, जहां सरकार है, मा0 मुख्य मंत्री हैं, जहां बी0जे0पी0 है, जहां सभी विभागाध्यक्ष हैं, यहां की यह हालत है। दिनांक 20 फरवरी, 2019 से 17 जुलाई, 2019 तक लखनऊ में फिर अलग से घटनाएँ हुईं। 40 हत्याएँ, बलात्कार व छेड़छाड़ 20/29, डकैती, लूट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी 328, साइबर क्राइम 45 यानी कुल 462 घटनाएँ रहीं। आज सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इतने लोग जो बड़े अपराधी थे, उनको एकाउण्टर में मारकर धराशायी कर दिया गया। इतने लोगों ने आत्म समर्पण कर दिया, मैं मानता हूं किया होगा। इतने लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया, जो बचे थे वे प्रदेश के बाहर भाग गए तो फिर ये अपराध कौन कर रहा है, ये घटनाएँ कैसे हो रही हैं ? अभी नेता सदन ने कहा कि क्राइम करने वाले सारे लोग उत्तर प्रदेश से भाग गए तो फिर क्राइम कौन कर रहा है ? इसका

जवाब मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया। मा0 अध्यक्ष जी, देखिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपस में कुछ बात कर रहे हैं। सुनिए, आपस में मत बतियाइए। मान्यवर, ऐसे ही देखे-देखाई भाजपा के लोगों ने बुलन्दशहर में एक दरोगा की हत्या कर दी और उसमें जो पहले मुख्य मुलजिम बना, बाद में उसे फाइनल कर दिया कि वह मुलजिम है ही नहीं। जब एस0पी0 को घर में छुपना पड़ा हो तो क्राइम कैसे रुकेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 अखिलेश यादव जी ने क्राइम को ठीक करने की कोशिश की थी। हुआ हो या न हुआ हो, हम उसमें नही जाते क्योंकि कोई भी कोशिश ही कर सकता है। मुख्य मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं रुक रहा है। मा0 अखिलेश यादव जी ने इसके लिए ईमानदारी से कोशिश की थी। दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था 100 नम्बर डायल शुरू की। यहां के अधिकारियों ने वहां 06 महीने की ट्रेनिंग की और उसे यहां पर लागू किया।

पहले हर थाने में एक गाड़ी रहती थी और अगर कोई फोन करे कि साहब यहां मार हो गई, डकैती पड़ गई तो दरोगा जी तुरन्त वर्दी पहने, गाड़ी पर बैठे लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती थी, दरोगा जी गाड़ी ठेलते-ठेलते हांफ जाते थे, जाते-जाते थक जाते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने हर थाने में दो-दो नई गाड़ियों की व्यवस्था की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत-आबरू बचाने के लिए 1090 की व्यवस्था की। आप उसी को ईमानदारी से आगे बढ़ा देते तो 1090 के बदले आपने एण्टी रोमियो स्क्वाड की स्थापना की। लेकिन अभी चार-पांच दिन पहले ही खबर आई कि उसी टुकड़ी की एक महिला के साथ एक सिपाही ने बलात्कार कर दिया। (सदन में हँसी फिर शेम-शेम की आवाजें)

मा0 अध्यक्ष जी, चूँकि ये हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, हमारे नेता सदन हैं, प्रदेश के मुखिया हैं इसलिए मैं कुछ अधिक न कह करके यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी, छात्र विरोधी, रोजगार विरोधी, छात्रा विरोधी, पुरुष विरोधी, महिला विरोधी है। यह केवल पैसे वालों के पक्ष का बजट है। इस अनुपूरक बजट को लाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये मूल बजट का ही पैसा खर्च नहीं कर पाए। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने आपको पढ़कर भी सुनाया कि मूल बजट 50 परसेण्ट से भी कम खर्च हुआ, जो अब तक का सबसे कम खर्च है तो फिर इस अनुपूरक बजट का औचित्य क्या है ? इसलिए मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक बजट पर जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह 13594.87 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। अभी मान्यवर, फरवरी माह में 4 लाख 79 हजार करोड़ का मूल बजट प्रस्तुत किया गया था,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन महीना हुआ और सरकार की प्लानिंग में कमजोरी के कारण, सरकार की सोच में पारदर्शिता न होने के कारण इतनी जल्दी अनुपूरक बजट लाना पड़ा। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 4 लाख 79 हजार करोड़ रुपये का मूल बजट और 13594 करोड़ का अनुपूरक मिलाकर 4 लाख 93 हजार करोड़ रुपये कुल हुआ और इस तरह हम 5 लाख करोड़ से ऊपर पार करेंगे। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें जितने का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है उसकी हम कहां से प्राप्ति करेंगे उसका भी उल्लेख किया जाता है। इस अनुपूरक में 1145 करोड़ तो केन्द्रीय सहायता में इजाफा हुआ जिसके कारण ये होगा लेकिन 12449 करोड़ का कोई प्रोविजन नहीं है कि कहां से इसको वित्त पोषित किया जायेगा। इन्होंने कहा कि अनउत्पादक खर्चों में कमी करके पूरा करने का आश्वासन दिया है यानि ये 12 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त नहीं हुआ, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा बल्कि ये उसमें तमाम विभागों में कटौती करके इसको पूरा करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने दिखावे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ अपनी बातें रखने का काम इन मामलों में हम नम्बर एक हैं, इन मामलों में हम नम्बर एक हैं। मेरा यह मानना है और प्रदेश के लोगों का यह मानना है कि मिथ्या प्रचार के माध्यम से ब्राण्डिंग करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नम्बर एक पर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। करीब ढाई घण्टे तक अनुपूरक बजट पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार रखने का काम किया और अनुपूरक बजट के बारे में कुछ भी बताने का काम नहीं किया कि आखिर उन्हें अनुपूरक बजट क्यों लाना पड़ा ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार भारी-भरकम बजट तो लाती है लेकिन उसमें बाद में कटौती करने का काम किया जाता है। अभी आप लोगों के सामने और सदन के सामने मैं यह आंकड़े रखना चाहता हूं कि 3 लाख 84 हजार करोड़ का बजट प्रॉविजन था और खर्च 3 लाख 68 हजार करोड़ रुपये ही यानि करीब 50000 करोड़ रुपया कम व्यय किया गया। मान्यवर, इसी तरह से वर्ष 2018-19 में जो बजट माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मान्यवर, उसमें फरवरी तक जो खर्च हुआ था वह 4 लाख 79 हजार करोड़ के मुकाबले 12 फरवरी, 2019 तक मात्र 283382 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था अब वास्तविक आंकड़ा आ गया होगा माननीय वित्त मंत्री अपने उत्तर भाषण में बता देंगे कि वर्ष 2018-19 में एक्चुअल कितना आपने खर्च किया है जिससे इस सदन के संज्ञान में आ जाए और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसकी जानकारी हम सभी लोगों को मिल जाए। मान्यवर, इसके साथ-साथ जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, उन्होंने बहुत प्रकाश डाला कि हम कुल कितना बजट खर्च पाएं हैं, कहीं 5 प्रतिशत, कहीं 3 प्रतिशत, कहीं 6 प्रतिशत। इस तरह से जुलाई से अब तक की जो स्थिति है उसमें हम साढ़े 3 माह में बहुत ही कम खर्च कर पाए हैं। मैं उसको प्रत्येक विभागवार गिना कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना कम खर्च करने के बाद भी हमें अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से इसकी कोई बहुत आवश्यकता

नहीं थी। मान्यवर, दूसरी बात जो राजस्व प्राप्तियां हैं जिसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया कि हमने 85 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ करने का काम किया है तो वर्ष दर वर्ष प्राप्तियां बढ़ती हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने भी जब बजट प्रस्तुत किया था तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं या जो बजट घाटा था मान्यवर, छठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद भी वर्ष 2012 में सबसे कम जो डेफसिट हमारा हुआ था उसी तरह से हम लोगों ने राजस्व प्राप्तियां बढ़ायी थीं लेकिन अभी कल की तारीख तक जो इनकी राजस्व प्राप्तियां हैं वह कुल टारगेट का केवल 6 प्रतिशत है। 28 हजार 804 करोड़ रुपये की अभी तक राजस्व प्राप्तियां हुईं। मान्यवर, मैंने एक्चुअल फिगर निकालकर आपके सामने रखने का काम किया। मान्यवर, दूसरी तरफ मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही ढिंढोरा पीटा है और कई-कई मामलों में नम्बर एक की बात की है। किसान के बारे में इन्होंने कहा है कि हमने कृषि उत्पादन बढ़ाने का काम किया लेकिन प्रत्येक दिशा में यह सरकार फेल हुई है। चुनाव जीतना निश्चित रूप से जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि ई0वी0एम0 का तो असर है ही लेकिन साथ ही साथ मिथ्या प्रचार के द्वारा जो ब्रॉन्डिंग करने का काम किया गया उसका परिणाम है। उससे आप इतना गर्व महसूस करने का काम न करें। निश्चित रूप से देश की जनता समय-समय पर निर्णय लेती है और मिथ्या प्रचार बहुत लम्बे समय तक नहीं चल पाता। अभी आपका चल रहा है निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन जो अनुपूरक बजट है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जिक्र किया कि हमने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का काम किया। मान्यवर, एक प्रश्न आज ही लगा था वह 9वें नम्बर पर था जिसे माननीय नरेन्द्र वर्मा जी ने पूछा था कि क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गांव की बसावटें ऐसी हैं जिनको लेपन स्तर की सड़क से आज तक नहीं जोड़ा गया है ? इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रदेश में गांव की लगभग 34 हजार 6 सौ 51 बसावटें लेपन स्तर की सड़कों से जोड़े जाने हेतु शेष हैं। मान्यवर, यह इस बात का उल्लेख है कि हम अन्तिम पायदान तक नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरी तरफ यह सरकार पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रही है। अनुसूचित जाति के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष भी अनुसूचित जाति के तमाम छात्रों की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। इस अनुपूरक बजट में मद संख्या-80 जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के हितों के लिए काम होता है उसमें एक भी नया पैसा छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए अनुपूरक लाने का काम नहीं किया गया यानि उनके साथ घोर अन्याय करने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार मानती है कि अनुसूचित जाति के लोग हमारे हितैषी नहीं हैं, हमारी पार्टी के समर्थक नहीं हैं इसलिए अनुदान संख्या-80 में एक पैसे का भी इजाफा अनुपूरक लाने का काम इस पूरे 13 हजार 5 सौ 94 करोड़ के बजट में नहीं किया गया। दूसरा मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्गों के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया है। कल हमारी एक माननीया सदस्य श्रीमती सुषमा पटेल ने एक प्रश्न किया था क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वर्तमान में प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर सहित अन्य शैक्षणिक पदों पर अन्य पिछड़े वर्ग का

27 प्रतिशत कोटा पूर्ण है। यदि हां, तो इन शैक्षणिक पदों की कुल संख्या कितनी है ? इसका उत्तर आया, जी नहीं। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कुल शैक्षणिक पदों में मान्यवर जो इन्होंने दिया है कि 2116 पद शैक्षणिक पद हैं, जिसमें से 1162 पद ही केवल भरे गये हैं, उस अन्य पदों को भरे जाने का इस अनुपूरक या पूर्ण बजट में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि हम 2116 पद भरेंगे और इसमें पिछड़े वर्गों की जो संख्या है वह 237 है, जबकि रिजर्वेशन के अनुसार 400 होनी चाहिए। मान्यवर इतना ही नहीं सबसे शर्म की बात है महात्मा ज्योतिबा राव फुले विश्वविद्यालय, रूहेलखण्ड में प्रोफेसर के पद पर जीरो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में प्रोफेसर के पद पर जीरो, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में प्रोफेसर के पद पर जीरो, जन नायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया में प्रोफेसर के पद पर जीरो, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या में प्रोफेसर के पद पर जो पिछड़े वर्ग की संख्या-1 है। मान्यवर, इसी तरह से प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह रज्जू भईया विश्वविद्यालय, प्रयागराज में प्रोफेसर के पद पर जीरो, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में प्रोफेसर के पद पर जीरो, दीनदयाल उपाध्याय, विश्वविद्यालय, गोरखपुर जहां से माननीय मुख्य मंत्री जी आते हैं, प्रोफेसर के पद पर पिछड़े वर्ग की संख्या जीरो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर जीरो, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में प्रोफेसर के पद पर एक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) में प्रोफेसर के पद पर जीरो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रोफेसर के पद पर जीरो, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में प्रोफेसर के पद पर जीरो, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर जीरो, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर जीरो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में प्रोफेसर के पद पर जीरो, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर जीरो, यह है पिछड़े वर्गों के हितैषी अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने की माननीय मुख्य मंत्री जी कार्य योजना, जिसके कारण 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत तमाम भर्तियां कर ली गयीं। जबकि केन्द्र सरकार ने उस पर रोक लगाने का काम किया था अब संशोधन भी हो गया है। 200 प्वाइंट का हो गया है, रोस्टर।

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

श्री फागू चौहान भी महामहिम राज्यपाल बना दिये गये हैं।

***श्री सुखदेव राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी यह तो ऐसे समझा रहे हैं, एक सेना का जवान बार्डर पर शहीद हो गया बेचारा और उसको यहां पर गोली लग गयी थी। एक संवेदना इन्हीं की तरफ से व्यक्त करने गया। घर वालों से पूछ रहे हैं कि साहब कैसे इनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कनपटी पर गोली लग गयी थी। ऐसे संवेदना वाले पिछड़ों के दुख व्यक्त कर रहे हैं। किसी ने कहा बहुत अच्छा हुआ भगवान ने आँख बचा दिया, जो कुछ हुआ सो हुआ। शहीद हो गये बेचारे, मर गये और कह रहे हैं कि भगवान कम से कम अखियां तो बचा दिया उसकी। ऐसे गवर्नर बना दिये और प्रोफेसर खा गये सब। गोली लगी यहां देखने वाला कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, आँख बच गयी उसकी। यह संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उनकी और यह गवर्नर बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, वर्मा जी समाप्त कीजिए। आप दोनों बाद में बात कर लीजियेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 चौधरी लक्ष्मी नारायण जी अगर किसी चौहान को मुख्य मंत्री बना देते तो मैं उसको बधाई देता। गवर्नर की ताकत और शक्ति आप जानते हैं, मैं उस पर इस सदन में चर्चा करके कोई बात नहीं रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए हमने कहा कि चौधरी साहब और राजभर जी अलग बात कर लें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यही तो मिथ्या प्रचार है, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव के पहले दिखाने के लिये श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और जब मुख्य मंत्री बनाने की बारी आई तो वह नहीं बनाये गये। इससे पता चलता है कि यह पिछड़ों के कितने हितैषी हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर अपनी बात कहिये। आप उनका संज्ञान न लीजिये।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी जारी रहने पर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पौने तीन घन्टे के उबाऊ भाषण के बावजूद भी विपक्ष के एक भी सदस्य ने चूं नहीं किया और हम बोल रहे हैं तो इनको पच नहीं पा रहा है। अरे भाई आप खड़े होइयेगा और अपनी बात कह लीजियेगा। हमारी बात सुनने की आदत डालिये। मैं कोई अनर्गल या असत्य बात नहीं कह रहा हूं।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी जारी रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहे। वर्मा जी आप बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता बसपा ने जो बात कही है, वह सही है। लोकतंत्र की मर्यादा रखना इस सदन का काम है। नेता सदन बैठे हैं और नेता सदन के बैठे होने के बाद भी उनकी पार्टी के लोग विरोधी पार्टी के नेताओं के भाषण में टीका-टिप्पणी करें तो यह संसदीय नहीं हो सकता और वास्तव में माननीय नेता ने जितनी देर भाषण किया, किसी ने इधर से चूं तक नहीं किया। तो माननीय नेता सदन थोड़ा इन लोगों को भी अनुशासित रखिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

सच सुनने की आदत डालिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह तो हम भी कह सकते हैं कि आप एक भी शब्द सच नहीं बोले हैं तो आगे जब बोलेंगे तो इधर से भी टीका-टिप्पणी होगी लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सदन की मर्यादा को रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आप मूल विषय पर बोलिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। असत्य बोलने में या प्रवचन देने में जितना तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, उतना हमारा नहीं है। मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा कि अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं, उसका मैंने उदाहरण दिया। यह मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि जो माननीय मंत्रीगणों के द्वारा इसी सदन में जवाब दिया गया है उनके उत्तर से ही मैंने यह बात निकालकर यहां कही है अगर वह उत्तर भी गलत हो तो निश्चित रूप से मेरी बात असत्य है। इसलिये मान्यवर, मैं इस बात की आपके माध्यम से चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने जो संख्या बताई, उसके संबंध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमें याद है कि 2007 में 21 लाख लोगों को वृद्धा, निराश्रित और विधवा पेंशन मिलती थी। 2012 के पहले 67 लाख लोगों को वह पेंशन मिलने लगी और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जुड़ाया है वह भी 67 लाख से जरा सा ही ज्यादा होता है। 47 लाख प्लस 21 लाख और 6 लाख। यह 67 लाख से थोड़ा ही ज्यादा है यानि पिछले ढाई सालों में वृद्धा, निराश्रित और विकलांग पेंशन में कोई भी ज्यादा वृद्धि करने का काम नहीं किया गया है। हम लोगों ने मुख्य मंत्री आर्थिक मदद योजना के तहत

30 लाख परिवारों को उस समय 400 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 साल वाले लोगों को 30 लाख बढ़ाकर उसका नाम बदलकर देने का काम किया। मान्यवर, हमने सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के तहत 25 हजार रुपया ग्यारहवीं में पहुंचने वाली बालिका को और साइकिल देने का काम किया था। मुख्य मंत्री महामाया बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 20 हजार रुपया जमा करके पैदा होते ही गरीब की बेटी को बिना भेदभाव के, कि वह जब 18 साल की होगी तो एक लाख मिलेगा, योजना शुरू करने का काम किया था। मान्यवर, कांशीराम शहरी आवास योजना, आज इस प्रदेश के किसी भी शहर में आप चले जाइये, तीन मंजिला मकान दिखाई पड़ रहा है, उसकी शुरुआत करने का काम किया गया था। मान्यवर, आज तमाम जगहों पर यह सरकार पक्षपातपूर्ण कैसे है कि तमाम शहरों में मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना कहीं-कहीं पूरी भी हो गई और कहीं-कहीं आंशिक काम बचा हुआ है, उसको पूरा करके गरीबों को आवंटित करने का काम है। मान्यवर, जैसे हमारे वहां टाण्डा में ही कांशीराम शहरी आवास योजना पूरी तरह से बन कर तैयार है और आज साढ़े सात साल हो गये, उसका आवंटन भी नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से उस दिशा में पहल करनी चाहिए, जो सरकार के पैसे के द्वारा बना है, किसी की जेब से नहीं बना है, वह गरीब लोगों को मिल जाये। इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी कदम उठाने का काम करिये। यह आपसे अपील करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हो गया वर्मा जी ?

श्री लाल जी वर्मा-

अभी नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बोलिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसी तरह से हमने महामाया आवास योजना शुरू करने का काम किया था। यह सारी योजनायें आज बन्द कर दी गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करने का काम किया। निश्चित रूप से इनका प्रयास है, लेकिन जितना ही माननीय मुख्य मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, उतना ही अपराध प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। अभी शाहजहांपुर में जिस तरह से फिल्मी अन्दाज में दौड़ाकर एक शिक्षक के मुंह में बन्दूक की नाल डालकर उसको मारा गया। पहले वह कक्षा में घुस गया, बच्चों को धमकाया, जब वह कक्षा से निकल कर फील्ड में भागने लगा, वहां पर उसको पकड़कर, उसके मुंह में पिस्टल डालकर उसको मार दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डायल-100 जो पहले 34 मिनट लेता था, वह 12 मिनट में पहुंचने लगा। मान्यवर, तो सोनभद्र में यह 12 मिनट में क्यों नहीं पहुँच पाया ?

दो घण्टे तक कोई भी पुलिस का सहयोग उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाया अन्यथा यह 10 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी हों, अगर आपने यह कामयाबी हासिल किया है कि 12 मिनट में फोर्स पहुंच जाती है तो वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाई, इसकी जांच कराकर जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, मैं चाहूंगा कि उनको दण्ड मिलना चाहिए। इस बात के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, दूसरी तरफ कई साल हो गये, दो साल चार महीने हो गये हैं, हम हर साल जिला योजना पास करते हैं और जिला योजना के माध्यम से विधायक लोग प्रस्ताव देते हैं, जिला योजना के मेम्बर प्रस्ताव देते हैं। उसके लिए बजट एलोकेट किया जाता है, लेकिन दो साल चार महीने में, अभी मैंने पिछले सत्र में सवाल लगाया था, किसी जिले में 16 लाख, किसी जिले में 32 लाख, किसी जिले में 34 लाख जिला योजना के माध्यम से खर्च हुआ। जिला योजना को भी पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया गया है। मान्यवर, दूसरी तरफ एक पक्षपातपूर्ण बात का भी मैंने जिक्र किया कि अनुसूचित जाति के पिछले वर्ष के तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने उत्तर भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी जरूर बतायें कि उन छात्रों की छात्रवृत्ति को पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध यह करने का काम करेंगे कि जिससे अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। मान्यवर, दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में एक नई योजना लाने का काम किया था कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में 5 करोड़ के हिसाब से कार्य कराया जायेगा, सड़कों का निर्माण किया जायेगा, विधायकों/प्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर, वह अच्छी योजना थी, हम उसकी सराहना करते हैं। मान्यवर, लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ सत्तापक्ष के विधायक से तो प्रस्ताव लिया जाता है और विपक्ष के विधायक से प्रस्ताव नहीं लिया जाता है, यानि यह पक्षपातपूर्ण है और कहते हैं कि हम अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे, किस तरह से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे ? क्या हमारे क्षेत्र के लोगों ने कोई पाप किया है, जिसके कारण हमारे प्रस्ताव को लेने का काम नहीं करेंगे ? मान्यवर, इसी तरह से आपने कहा कि पाइप लाइन पेयजल योजना के तहत् हम हर घर को आच्छादित करने का काम करेंगे। अभी कल ही जब प्रश्न आया था और उस प्रश्न के उत्तर में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने कहा था कि 1300 गांवों में हम ओवरहेड टैंक का निर्माण कर रहे हैं। 1 लाख 8 हजार राजस्व ग्राम हैं प्रदेश में, इसमें से 13 सौ जगह पर हैण्डपम्प लगाया गया है अगर इस गति से मा0 मुख्य मंत्री जी हम चलेंगे तो कितने वर्षों में हर गांव तक पहुंच पायेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि पेयजल जरूरी है और जब पेयजल जरूरी है तो निश्चित रूप से उसके लिए जरूरत है कि अगर आप पाइप लाइन के माध्यम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हर विधान सभा में एक-एक हजार इंडिया मार्का हैण्डपम्प जो डीप बोरिंग के माध्यम से हो उसकी आप व्यवस्था करने का काम करें जिससे लोगों को पेयजल मुहैया हो सके। इस बार तो सौ भी नहीं दिये, मूल बजट के समय दिया ही नहीं, हमने सवाल उठाया तो कहा कि आप लोग हल्ला मचा रहे थे इसलिए नहीं दिया, हम लोग हल्ला मचा रहे थे सत्तापक्ष के लोग

तो नहीं मचा रहे थे, आप यही घोषणा कर देते कि जो लोग सदन में हैं केवल उनके क्षेत्रों में सौ-सौ नल लगेगा, लेकिन वह भी आपने देने का काम नहीं किया और कह रहे हैं कि पैसा किसी मामले में रुकावट नहीं बनेगा। दूसरी तरफ मा0 मुख्य मंत्री जी गोरखपुर से आते हैं वहां पर मेडिकल कॉलेज भी है उसकी कमियों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। फैकल्टी की जो कमी थी किस तरह से उसके रिकग्नाइजेशन का संकट आया था, हम लोगों ने उसको पूरा करने का काम किया था। आज आप नये-नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करके वाहवाही लूट रहे हैं लेकिन एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई के अलावा, केन्द्र में आपकी सरकार है, एम0सी0आई0 का उतना कन्ट्रोल नहीं रह गया है, मान्यता ले लेंगे क्लास चला देंगे लेकिन फैकल्टी कहां से लायेंगे। अभी आपने हमारी बात को जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सामने रखा तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि फैकल्टी ही नहीं मिल रही है तो जो आपके पहले से ही संचालित मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए फैकल्टी लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। 50 हजार रुपए देते हैं संविदा पर टीचर रखने का, स्वास्थ्य विभाग अपने यहां एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर रखता है तो उसको सवा लाख रुपया दे रहा है और चिकित्सा शिक्षा विभाग एम0डी0, एम0एस0, डी0एम0 और एम0सी0एच0 को रख रहा है और संविदा टीचर को 50 हजार रुपया दे रहा है, कहां से आपको फैकल्टी मिलेगी। आप कह रहे हैं कि पैसा रुकावट नहीं बनेगा, अगर आप इन सारे मेडिकल कॉलेजों को दिल से संचालित करना चाहते हैं तो पहला काम कीजिए कि जो संविदा पर 50 हजार रुपए का वेतन लेक्चरर का निर्धारित किया है उसको बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपया करने का काम करें तभी जाकर आपको फैकल्टी में लोग मिलेंगे और वह मेडिकल कॉलेज संचालित हो पायेंगे अन्यथा पीठ थपथपाने से कोई काम होने वाला नहीं है। एम0एस0 और एम0डी0 की पढ़ाई सात साल बाद भी अम्बेडकरनगर में शुरू नहीं हो पायी जबकि एम0बी0बी0एस0 का कोर्स रिकग्नाइज्ड है उसके बाद भी नहीं शुरू हो पाया क्योंकि फैकल्टी की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए आपको काम करना है। अभी हमने एम0ओ0 की वहां नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध किया तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ही डॉक्टर नहीं हैं तो हम मेडिकल कॉलेज को कैसे देंगे तो निश्चित रूप से फैकल्टी कैसे मिल सके उस दिशा में अगर आप बिना सोचे निर्णय लेने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमने ऊर्जा विभाग की चर्चा की, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने इतने करोड़ कनेक्शन दिया। मेरा एक विषय मा0 मुख्य मंत्री जी ध्यान से सुन लेंगे। आपने कनेक्शन दिया और निःशुल्क कनेक्शन दिया तो आखिर इस किसान ने क्या पाप किया है, वह धरती के सीने को चीरकर पूरे देश को अन्न देने का काम किया है उसी के बल पर हम आत्मनिर्भर हुए हैं। मा0 चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जब कृषि मंत्री थे तो भारत सरकार ने हमें बुलाकर दो बार कृषि उत्पादन में नम्बर-1 पर आने के लिए पुरस्कार भी देने का काम किया था। निश्चित रूप से किसान ने अपने उत्पादन को बढ़ाया है। अगर उसको निजी नलकूप के लिए बिजली लेना है, पहले तीन सौ मीटर फ्री कनेक्शन मिला करता था, कोई खर्च उससे नहीं

लिया जाता था, अब उसे अगर तीन सौ मीटर की दूरी का भी कनेक्शन लेना हो तो 1 लाख 5 हजार रुपया लगेगा तीन हार्सपॉवर का कनेक्शन लेने के लिए। मा0 मुख्य मंत्री जी आप सभी को फ्री में दे रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं तो क्या किसान इतना निरीह है, किसान इतना बेचारा है, किसान ने इतना कोई अपराध कर रखा है कि उसको आप फ्री में देने का काम नहीं कर सकते, कम से कम 300 मीटर की दूरी तक उसको फ्री कनेक्शन देने का काम करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, दूसरी बात स्वच्छता अभियान की है। आपने शौचालय बनवा दिया।

***ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-**

वर्मा जी, अभी जो आप कनेक्शन की बात कर रहे थे, उसमें रु0 68000/- की छूट है।

श्री लाल जी वर्मा-

आप उसको पुनः देख लें। रु0 68000/- छूट के बाद भी रु0 68000/- पड़ रहा है। माननीय मन्त्री जी, आप स्वयं इसकी जांच कर लें। 300 मीटर का एस्टीमेट रु0 एक लाख छः हजार बनता है। रु0 68000/- छूट के पश्चात् भी उतनी ही धनराशि किसान को देनी पड़ती है। अनुरोध है कि उसको आप निःशुल्क करा दें। रु0 10-15 हजार तक तो वह दे सकता है। मान्यवर, दूसरी बात मैं स्वच्छता पर कर रहा था। स्वच्छता हम लोग भी चाहते हैं। मान्यवर, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आज भी गांव में रहता हूं। बरसात के समय जब आप गांव की सड़कों पर अपने वाहन से गुजरिये, तो आपकी गाड़ी बदबू करने लगती है, गाड़ी के बगल में खड़े होने पर गाड़ी से दुर्गन्ध आती है। इसका कारण यह है कि जो रु0 12000/- का शौचालय बन रहा है, उसमें कौन बैठना चाहेगा। आप स्वयं इसकी जानकारी करा लीजिये कि कितने लोग उसका सही-सही सदुपयोग कर रहे हैं। रु0 12000/- में आप शौचालय बनाकर ओ0डी0एफ0 घोषित करना चाह रहे हैं, यह सम्भव नहीं है। उसकी संख्या कम कर दीजिये, लेकिन रु0 12000/- को कम से कम रु0 25000/- करके उसको उपयोग लायक बनाइये। मान्यवर, आप भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहते थे, आपने भी देखा होगा। हम जिन सड़कों पर जाते थे, वह सड़कें किस तरह की थीं। मान्यवर, इसलिए हम निश्चित रूप से यह मानते हैं कि इस सरकार की प्लानिंग ठीक नहीं है। अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों तथा किसानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसलिए मैं इस अनुपूरक मांग का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती आराधना जी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक बजट पर मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सरकार ने अभी चार माह पहले पौने पांच लाख करोड़ का बजट रखा था। जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि अगर उसका आंकलन किया जाए तो 25 प्रतिशत से भी कम बजट खर्च किया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप लोग आपस में वार्ता न करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी सरकार ने 1359487/- लाख का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में आय-व्यय के बीच में बहुत अन्तर है। बजट में राजस्व का जो घाटा दिखाया गया है उसे पूरा करने के लिए सरकार ने कोरी कल्पना की है। यह कभी भी हकीकत में नहीं बदल सकती है। इसका नतीजा यह होगा कि या तो योजनाओं में कटौती की जायेगी या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर बोझ डाला जायेगा। यह आर्थिक रूप से ईमानदारी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

दाहिनी तरफ बहुत से मा0 सदस्य कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर वार्ता कर रहे हैं। अगर वार्ता ज्यादा जरूरी है तो लॉबी में चले जाएं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने इस अनुपूरक बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। यह अनुपूरक बजट पूरी तरह से लोक-लुभावन लगती है, परन्तु सच्चाई यह है कि जो धनराशि इसके लिए आवंटित की गयी है यह पूरी तरह से वास्तविकता से परे है। इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि इन योजनाओं को पूरा करने में सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश लगभग 23 करोड़ की आबादी का प्रदेश है जो 2 लाख 40 हजार 928 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है। अगर लोक निर्माण विभाग के बजट को हम देखते हैं तो इसमें कुल रुपया छः सौ पांच करोड़ दिया है। जिसमें रुपया चार सौ पांच करोड़ केवल पुल के निर्माण के लिए दिया है और दो सौ करोड़ सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस अपर्याप्त बजट का जो प्रावधान किया गया है, इससे सरकार की सड़कों का जाल बिछाने की परियोजना कैसे पूर्ण होगी ? पिछले बजट में सरकार ने 250 से 500 की आबादी वाले गांव/बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए लगभग रु0 46 करोड़ के बजट की बात कही थी, जिसमें चौरासी सौ गांवों/बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य था, किन्तु इसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। पिछले बजट में जरूर बात की गयी थी, परन्तु इस बजट में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं भी उसकी चर्चा नहीं की गयी है और न ही लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों के रख-रखाव का भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, यह किसान विरोधी बजट इसलिए है क्योंकि आज 70 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश के किसानों की है जो खेती पर निर्भर है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो उसके खेत की सिंचाई है, वह पूरी तरह से सिंचाई विभाग पर निर्भर करता है। मैंने देखा और मुझे दुःख लगा कि सिंचाई विभाग को इस बजट के अंतिम पृष्ठ पर जगह दी गयी है और केवल 834 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि 834 करोड़ रुपये के सिंचाई के अनुपूरक बजट में से 800 करोड़ केवल विद्युत देयों के लिए है, बचा 34 करोड़ रुपये जो कुछ योजनाओं में दिया जायेगा। हर तरह से किसानों की पूर्ण निर्भरता चूंकि नहरों पर है उसका कोई जिक्र नहीं है कि सिल्ट की कैसे सफाई होगी, नहरों का रख-रखाव कैसे होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई धनराशि उसके लिए नहीं दी गयी है।

सरकार द्वारा प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गयी है जिसके लिए टोकन मनी मात्र एक-एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है इससे सरकार की इच्छाशक्ति दिखायी देती है। अब इतनी छोटी धनराशि से मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं की जा सकती। यह एक और झुनझुना पकड़ाया है प्रदेश सरकार ने और यह पूरी तरह से हास्यास्पद है। वर्तमान में जो चिकित्सालय चल रहे हैं जैसा कि मा0 वर्मा जी ने कहा इनमें डॉक्टर नहीं हैं और न ही पैरा मेडिकल स्टाफ है। नये मेडिकल कॉलेज खोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि जो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज हैं या अस्पताल हैं, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 हैं उसमें डॉक्टरों की सुविधा व पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती कर दी जाए, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 23 सितम्बर, 2018 से प्रदेश में लागू की गयी 'आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' जिसके लिए 1738 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस योजना में मात्र 114.50 करोड़ रुपये ही सरकार व्यय कर पायी। इस तरह से धनराशि आवंटित करके सरकार व्यय नहीं कर पा रही है। इससे कितने लोग लाभान्वित हुए यह सहज अन्दाजा लगाया जा सकता है। अध्यक्ष जी, लखनऊ मेट्रो की बात की गयी। लखनऊ में यात्रियों को सुगम यातायात के लिए, उन्हें सुविधा देने के लिए लखनऊ मेट्रो महत्वाकांक्षी योजना थी जिसकी शुरुआत की गयी। पिछली बजट में सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपायी कि हमने उसका विस्तार कर दिया किन्तु इस सप्लीमेंटरी बजट में लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मान्यवर, प्रदेश में बिजली का संकट हमेशा बना रहता है। 905 करोड़ रु0 का प्रावधान बजट में किया गया है, जिसमें से 600 करोड़ उदय योजना से हुये पावर कारपोरेशन के नुकसान की भरपायी के लिए केवल दिया गया है। 305 करोड़ में भी जो योजनायें शामिल की गयी हैं उसमें नई इकाई खोलने की कहीं कोई सरकार ने बजट व्यवस्था नहीं की है। अध्यक्ष जी, यह सरकार किसान, नौजवान विरोधी सरकार है, जिनके उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगारपरक् बनाने के लिए बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों के लिए

बजट में कोई प्रावधान नहीं है। गन्ना किसानों का अभी लगभग 8500 करोड़ रुपया बकाया है। बेरोजगार नौजवानों के लिए नई नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए कोई नई भर्तियां न ही निकाली हैं और जो निकाली भी हैं वह सरकार की अनियमितताओं के कारण या तो रुक गयी हैं या फिर ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से न्यायालय में लम्बित हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे का जिक्र किया गया, बड़ा अफसोस होता है कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसको सरकार कहती है उसमें मात्र 15 करोड़ रुपया दी गयी है जो बहुत कम है। इतनी कम धनराशि में कोई एक्सप्रेस-वे निर्मित नहीं किया जा सकता। एन0पी0एस0 की बात सरकार ने कही है, एन0पी0एस0 के लिए 10,000 करोड़ की आवश्यकता है किन्तु मात्र 5004 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। यह आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम धनराशि है और इसका लाभ किसको मिलेगा और कौन वंचित रहेगा यह बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाली है। स्वच्छता की बात करी अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

बस एक मिनट अध्यक्ष जी। जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि शौचालय जो 12 हजार रुपये में बन रहे हैं। मैं उससे आगे बढ़कर एक बात कहना चाहती हूं कि शौचालय में जब तक पानी की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक शौचालय नहीं चल सकते हैं। यहां इंसान के पीने के लिये पानी नहीं है, जानवरों के लिये पानी नहीं है। शौचालय में सरकार कैसे व्यवस्था करेगी ? अगर इसकी धनराशि 25 हजार रुपये नहीं की गई तो शौचालय न आज काम आ रहे हैं न भविष्य में काम आयेंगे। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि सरकार बजट पर बजट ला रही है पर नौजवानों के लिये जो इन्होंने वायदा किया था लैपटाप देने का। पिछले बजट में तो विकल्प था लेकिन इस बजट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

दो मिनट में अपनी बात खत्म करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने पहले एक मिनट कहा था। चलिये बोल लीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

लैपटाप की घोषणा सरकार ने की थी। एक बजट आया दूसरा सप्लीमेन्टरी बजट आया पर लैपटाप का इस बजट में भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। अन्त में मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहती हूं कि अपराध की बात, जो कि सबसे बड़ा और गम्भीर

मुद्दा है। बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं और इस बात को मानने के लिये सरकार तैयार नहीं है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह की घटनायें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन जायेगा। मैं अपने आप को नेता विरोधी दल, नेता बसपा से सम्बद्ध करते हुए इस सप्लीमेन्टरी बजट पर अपना विरोध दर्ज करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे थे सोचा था उनके सामने बोल दूंगी।

श्री अध्यक्ष-

अब तो चले गये अब क्या बोलना।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आप हैं, आप हम लोगों की बात पहुंचा दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं। यहां बहुत सारे नये विधायक बैठे हैं। ज्यादातर सत्ता पक्ष में हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपकी बात हो गई थी। पटेल जी अपनी बात कहें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं। मैं सबकी बात कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष-

सबकी बात भी आप बोल चुकी हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

पिछली बार संज्ञान में लिया था माननीय मुख्य मंत्री जी ने कि सभी नये सदस्यों के लिये घर की बात कही गई थी कि उनको आवास मिल जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया था इसी सदन में। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि हम सभी, मैं पुराने सदस्यों की नहीं जिनको मिल चुका है, पर जो नये सदस्य इस सदन में आये हैं उनको मिलना चाहिए। इसके लिये आप सबकी सिफारिश कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आवास का मतलब जो यहां पर दारुलशफा में मिलता है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, मैं प्लाट की बात कर रही हूं जिस पर वह अपना घर बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

वह तो नेता प्रतिपक्ष के पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, हम तो पुराने लोग हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, कुछ लोगों को मिला है, जिनको नहीं मिला है मैं उनकी बात कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय अलग से लाने वाला है। पटेल जी खड़े हैं बड़ी देर से।

***श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रस्तावित अनुपूरक बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय नेता सदन के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को जो उन्होंने 1359487/- रुपये उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये आपने प्रस्तावित किया है इसके लिये आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इससे पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और कृषि हर क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मेरी समझ में यह नहीं आती है कि हमारे तमाम ऐसे साथी यहां पर हैं जो सरकारों में रहे हैं, जब सरकारों में रहते हैं तो उनको यह बातें याद नहीं रहती हैं हम इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिये निकले हैं। इस देश को विश्व गुरू बनाने के लिये निकले हैं और इस देश में हम सब लोग चाहते हैं यह देश जातियों का देश न रहे, यह इंसानों का देश बन जाय। मान्यवर, यह इन्सानों का देश बन जाए, लेकिन साथियों की तरफ से बार-बार अगड़ा-पिछड़ा, ऊंच-नीच, नफरत की बात आती है। इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछड़ों के कल्याण के लिए इस एन0डी0ए0 की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके यह दिखाने का काम कर दिया है कि यह सरकार पिछड़ों की हितैषी है। इसके पूर्व में तमाम लोग सरकारों में रहे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात किसी के द्वारा नहीं की गयी। यह जब सत्ता में रहते हैं तभी इनको पिछड़ों की याद आती है। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इससे निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है, उस नारे को चरितार्थ करते हुए इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा और हर तबका इस बजट से खुशहाल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री ओमप्रकाश राजभर जी (नहीं हैं।)

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा गम्भीर प्रश्न मेरी नजर में उठा दिया है। संवैधानिक दृष्टि से भी इसके लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया कि इस बजट के अन्दर किसी नई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मद को नहीं लिया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कन्सटीयूशन ऑफ इंडिया का पेज नं0-52 आर्टिकिल 202-206 पढ़ देता हूं।

205. Supplementary, Additional or excess grants- (1) The Governor shall-

(a) If the Amount Authorised by Any law made in Accordance with the provisions of Article 204 to be expended for A particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when A need has Arisen during the current financial year for supplementary or Additional expenditure upon some new service not contemplated in the Annual financial statement for that year.

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप इसका हिन्दी में अनुवाद करें।

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, दूसरा यूपी बजट मैनुअल जिसका 1.07 पेज पर लिखा हुआ है-

SUPPLEMENTARY ESTIMATES

162. Supplementary grants or Appropriations are required in the following cases :

(ll) When need has Arisen for incurring expenditure, whether voted or charged, upon some new service, scheme or item not contemplated in the Appropriation of Act .

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यहां की भाषा हिन्दी है, इसलिए इसका हिन्दी रूपान्तरण कर दिया जाए।

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यहां की भाषा हिन्दी है, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन जो डाक्यूमेन्ट्स मेरे पास हैं, वह मैंने पढ़ा।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अंग्रेजी में आपके लिए बताया गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे लिए जरूरत नहीं थी, मुझे मालूम था कि लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो लोक सभा के लिए 115 का सब-सेक्शन है, उसको लिया जा सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, लिया जा सकता है, लेकिन जब मूल बजट का पैसा खर्च हो जाए तब।

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के पृष्ठ-48 पर 115 आर्टिकिल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान यदि (क) अनुच्छेद-114 के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी। किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई हो किसी नयी सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गयी हो।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने इसीलिए यह नहीं कहा था।

श्री राजेश अग्रवाल-

मैंने आपकी बात नहीं की मैं नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह एकैडमिक डिस्कसन है। आर्टिकिल 115 में स्पष्ट प्रोवीजन है कि नई मद ले सकते हैं।

श्री राजेश अग्रवाल-

अध्यक्ष जी एक बड़ी अच्छी कहावत है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा।

श्री अध्यक्ष-

यह भानुमती कौन हैं।

श्री राजेश अग्रवाल-

यह ढूंढने का विषय है। कुनबा जोड़कर कुछ हो ही नहीं रहा है। समस्या यह है कि अनर्गल प्रलाप करने से सच को मोड़ा नहीं जा सकता है। सच सच रहेगा अभी कुछ विषय और आए।

श्री अध्यक्ष-

अभी यह ई0बी0एम0 को माता जी कहे हैं तो इस पर क्या कहेंगे।

श्री राजेश अग्रवाल-

अभी वर्मा जी ने कहा कि अनुत्पादक खर्चों की कमी कैसे कटौती करके पूरा करेंगे। मान्यवर, अनुत्पादक व्यय हमेशा फाइनेंस में चले आ रहे हैं। आप वित्त मंत्री भी रहे हैं इसलिए टेक्निकली आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बचत का भी एक आइटम होता है।

दूसरा बचत के साथ साथ राजस्व की बढ़ोत्तरी बराबर हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा कि किस तरह से हमने कितनी तेजी से जी0एस0टी0 भी बढ़ाया है हमने फण्ड भी बढ़ाया है और हमें पूरी-पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से राजस्व में बढ़ोत्तरी और धनराशि की व्यवस्था करेंगे। तद्नुसार उसकी व्यवस्था की जाएगी। एक विषय और आया जो माननीय वर्मा जी ने कहा था जिसके लिए वास्तव में वह बहुत गम्भीर रहते हैं पटेल जी ने तो उसके विरोध में कहा लेकिन अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना में हमने अनुदान संख्या-83 में दिया है। अनुपूरक में 9,612 लाख रुपए का कुल प्राविधान किया गया है। निश्चित रूप से यह उसकी प्रतिपूर्ति करता है। यह कह देना कि उसमें नहीं है यह ठीक नहीं है। अभी तक जो वास्तविक आंकड़े मेरे पास हैं 2018-19 के अन्दर अभी तक जो मेरे पास हैं वह कुल 4 लाख 28 हजार 384.52 करोड़ रुपए का कुल बजट था जिसमें आज बिल्कुल अनन्तिम जो वास्तविक आंकड़े हैं 2018-19 के उसके अनुसार 3 लाख 90 हजार 667.52 करोड़ रुपए का है। कौन से कागज लिए जाते हैं किसको बताया जाता है मैं नहीं जानता। यह निश्चित रूप से जो अनुपूरक बजट हमने दिया है वह बजट इस प्रदेश के लिए तेजी से विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। बहुत विस्तृत जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दी गई है। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि यह लोकहित में दिया हुआ अनुपूरक बजट है इसके अन्दर अनेक व्यवस्थाएं हैं इनके माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज आपने और बताई थी मैं उसके बारे में भी बड़ा चिन्तित हो गया था चिन्ता के बाद मैंने देखा और कम्परेटिवली चार्ट लेने के बाद मुझे पता चला जैसे उद्योग विभाग का भारी और मध्यम उद्योग है इसमें 37.30 प्रतिशत का खर्च अब तक हो चुका है। इसी तरह से सिंचाई विभाग का निर्माण विभाग उसमें 23.58 अथवा कुल बजट का 23.58 प्रतिशत खर्च कर चुके हैं। शिक्षा विभाग में जो माध्यमिक शिक्षा है इसमें कुल बजट जो था वह 11534.66 करोड़ था अर्थात् 24.87 प्रतिशत अभी तक हम खर्च कर चुके हैं। गृह विभाग पुलिस में भी हमारी यही स्थिति है। छोटे से समय के अन्दर 24.28 प्रतिशत हम व्यय कर चुके हैं। हमने उच्च शिक्षा विभाग में जहां 26.33 प्रतिशत खर्च किया है। वहीं गृह विभाग के होमगार्ड डिपार्टमेंट के अन्दर 27.14 परसेंट खर्च किया है। मान्यवर, मैं बड़े विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि सूचना विभाग में कुल बजट 502.69 करोड़ रुपये का था और उनका कुल वास्तविक व्यय 219.07 करोड़ हुआ अर्थात् 43.58 परसेंट का खर्च हमने सूचना विभाग में किया है। इसी तरह कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग विशेष रूप से जो पशुधन का विभाग है जिसके अन्दर हमने कुल 1,878.97 करोड़ रुपया दिया था उसमें 458.35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है अर्थात् कुल बजट का 24.39 परसेंट खर्च किया है। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्दर भी अगर 430 करोड़ रुपया दिया था तो उसका भी हम 40.29 परसेंट खर्च कर चुके हैं। आपके विधान सभा सचिवालय के लिये भी 26.41 प्रतिशत अगर खर्च हुआ है तो वित्त विभाग के लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि में भी हमारा 24.95 प्रतिशत खर्च हुआ है। हमने गन्ने के विकास के लिये चीनी उद्योग के अन्दर

40.21 प्रतिशत खर्च किया है तो आबकारी विभाग के अन्दर भी हमारा 28.83 प्रतिशत खर्च हुआ है। कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, पंचायती राज से संबंधित जो विभाग हैं उसके अन्दर 36.7 प्रतिशत खर्च किया है। कार्मिक विभाग के अन्दर भी हमारा 28.89 प्रतिशत खर्च हुआ है। खेल विभाग के अन्दर भी हमारा 25.43 प्रतिशत खर्च हुआ है। गन्ना विकास विभाग के अन्दर भी 21.20 प्रतिशत खर्च हुआ है। गृह विभाग के नागरिक सुरक्षा में 22.34 परसेंट खर्च हुआ है। गोपन विभाग के अन्दर भी 26.18 प्रतिशत खर्च हुआ है। मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आंकड़े आंकड़ों की दृष्टि से प्रेजेन्ट होने चाहिये। यह जनहित में दिया गया बजट है। इसमें विभिन्न प्रकार के बजट की जो आवश्यकता थी जैसे इस बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के अन्दर पर्यटन को सबसे महत्वपूर्ण मानकर हमने उसके विकास की बात की है। हमनें सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन की भी बात की है। हमनें उसके अन्दर मदरसों की भी बात की है तो यह ऐसा एक लोकहितकारी बजट है इसलिये मैं इसे पारित कराने के लिये सभी से और विशेष रूप से मा0 नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप बोलिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 04 लाख 28 हजार करोड़ के बजट में 03 लाख 90 हजार करोड़ रुपया केवल पिछले वर्ष का खर्च हुआ।

श्री अध्यक्ष-

हां उन्होंने तो विभागवार भी बताया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह तो इस साल का बता रहे हैं। यह पिछले वर्ष का था यानी 38 हजार करोड़ रुपया जो मूल बजट था उससे कम व्यय हुआ। इसी तरह से पिछले साल 50 हजार करोड़ कम था, अबकी 38 हजार करोड़ है तो दिखाने के लिये तो भारी-भरकम हो जाता है और बाद में तमाम विभागों में कटौती करके और केवल 03 लाख 90 हजार करोड़, यह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 38 हजार करोड़ रुपया हमने कम दिया।

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, खाते की मितव्ययिता है। अगर मैं आपके सामने का निकालूंगा तो विषय अलग हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

तो अब इतना सच बोलने के बाद अब आप लोग समर्थन कर रहे हैं क्या ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा तो खत्म हो गयी, अब विभागवार मांग रखा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, आप अगर सहमत हों तो इकट्ठा पुटअप करा दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक साथ पुटअप करा दीजिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, एक साथ पुटअप करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं कि एक साथ रखो तो समर्थन कर सकते हैं।

(सदन में हंसी)

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी पांच करोड़ और नल की घोषणा कर दें। मा0 मंत्री जी, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की घोषणा तो कर दीजिये।

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 वर्मा जी, पिछले अनुभव बड़े कटु हैं। हम भी इसी तरह कहते रहते थे कि हमारे लिये भी सड़क दे दें।

(कई सदस्यों के एक साथ अपने-अपने स्थानों पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग क्यों खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइये।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या-03 लगायत 04, 07 लगायत 11, 13, 15, 18, 24 लगायत 26, 31, 35 लगायत 37, 40, 42, 44 लगायत 45, 47 लगायत 49, 57 लगायत 60, 62, 65, 67 लगायत 75, 78 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा 94 का विवरण

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03 लगायत 04, 07 लगायत 11, 13, 15, 18, 24 लगायत 26, 31, 35 लगायत 37, 40, 42, 44 लगायत 45, 47 लगायत 49, 57 लगायत 60, 62, 65, 67 लगायत 75, 78 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये तेरह हजार पांच सौ चौरानवे करोड़ सत्तासी लाख चौदह हजार (रुपये 13594,87,14,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये स्वीकार की जाए।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 6,76,00,000 रुपये (छः करोड़ छिहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 2093,98,13,000 रुपये (दो हजार तिरानवे करोड़ अट्ठानवे लाख तेरह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 1,53,10,000 रुपये (एक करोड़ तिरपन लाख दस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 905,36,22,000 रुपये (नौ सौ पांच करोड़ छत्तीस लाख बाईस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 47,15,000 रुपये (सैंतालीस लाख पन्द्रह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 29,00,00,000 रुपये (उन्तीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 9,77,00,000 रुपये (नौ करोड़ सतहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 22,77,00,000 रुपये (बाईस करोड़ सतहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 240,00,00,000 रुपये (दो सौ चालीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 50,41,27,000 रुपये (पचास करोड़ इकतालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 250,00,00,000 रुपये (दो सौ पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 83,13,95,000 रुपये (तिरासी करोड़ तेरह लाख पंचानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 15,56,27,000 रुपये (पन्द्रह करोड़ छप्पन लाख सत्ताईस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 2175,46,00,000 रुपये (दो हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ छियालीस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 36,57,69,000 रुपये (छत्तीस करोड़ सत्तावन लाख उनहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 237,00,00,000 रुपये (दो सौ सैंतीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 163,00,00,000 रुपये (एक सौ तिरसठ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये (चार करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 217,00,00,000 रुपये (दो सौ सत्रह करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 320,58,00,000 रुपये (तीन सौ बीस करोड़ अट्ठावन लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 201,00,00,000 रुपये (दो सौ एक करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 11,43,26,000 रुपये (ग्यारह करोड़ तैंतालीस लाख छब्बीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 118,62,44,000 रुपये (एक सौ अठारह करोड़ बासठ लाख चौवालीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 3000,00,00,000 रुपये (तीन हजार करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये (बीस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 4,77,01,000 रुपये (चार करोड़ सतहत्तर लाख एक हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 6,79,49,000 रुपये (छः करोड़ उन्न्यासी लाख उन्चास हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,50,00,000 रुपये (तेरह करोड़ पचास लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 12,50,00,000 रुपये (बारह करोड़ पचास लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1300,00,00,000 रुपये (एक हजार तीन सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 561,23,16,000 रुपये (पांच सौ इकसठ करोड़ तेईस लाख सोलह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 183,02,00,000 रुपये (एक सौ तिरासी करोड़ दो लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत 160,00,00,000 रुपये (एक सौ साठ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये (तीन लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 14,00,00,000 रुपये (चौदह करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 66,25,16,000 रुपये (छियासठ करोड़ पच्चीस लाख सोलह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 10,30,87,000 रुपये (दस करोड़ तीस लाख सत्तासी हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 96,12,00,000 रुपये (छियानवे करोड़ बारह लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 7,05,97,000 रुपये (सात करोड़ पांच लाख सत्तानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 4,80,00,000 रुपये (चार करोड़ अस्सी लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 834,84,00,000 रुपये (आठ सौ चौंतीस करोड़ चौरासी लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03 लगायत 04,07 लगायत 11,13,15,18,24 लगायत 26, 31, 35 लगायत 37, 40, 42, 44 लगायत 45, 47 लगायत 49, 57 लगायत 60, 62, 65, 67 लगायत 75, 78 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये तेरह हजार पांच सौ चौरानवे करोड़ सत्तासी लाख चौदह हजार (रुपये 13594,87,14000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और धनराशि स्वीकृत हुई)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2019–2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2019–2020 का अनुपूरक) अधिनियम, 2019 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2019–2020 के लिए 13594,87,14,000 रूपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2020 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 13594,87,14,000 रुपये (रुपये तेरह हजार पाँच सौ चौरानवे करोड़ सत्तासी लाख चौदह हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो ।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी :	500.00	--	500.00
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	376.00	--	376.00
		पूंजी :	300.00	--	300.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	7898.13	--	7898.13
		पूंजी :	201500.00	--	201500.00
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	153.10	--	153.10
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	60000.00	--	60000.00
		पूंजी :	30536.22	--	30536.22
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	पूंजी :	47.15	--	47.15
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	2900.00	--	2900.00
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी :	977.00	--	977.00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	1127.00	--	1127.00
		पूंजी :	1150.00	--	1150.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	पूंजी :	24000.00	--	24000.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूंजी :	1.00	--	1.00
25	गृह विभाग (कारागार)	पूंजी :	5041.27	--	5041.27
26	गृह विभाग (पुलिस)	पूंजी :	25000.00	--	25000.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा	पूंजी :	8313.95	--	8313.95

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
	एवं प्रशिक्षण)				
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	5000.00	--	5000.00
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	400.02	--	400.02
		पूंजी :	1156.25	--	1156.25
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	130646.00	--	130646.00
		पूंजी :	86900.00	--	86900.00
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	62.69	--	62.69
		पूंजी :	3595.00	--	3595.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	18000.00	--	18000.00
		पूंजी :	5700.00	--	5700.00
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	1100.00	--	1100.00
		पूंजी :	15200.00	--	15200.00
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	100.00	--	100.00
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	400.00	--	400.00
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	2200.00	--	2200.00
		पूंजी :	19500.00	--	19500.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	2000.00	--	2000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	पूंजी :	32058.00	--	32058.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	पूंजी :	20100.00	--	20100.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	173.43	--	173.43
		पूंजी :	969.83	--	969.83
60	वन विभाग	पूंजी :	11862.44	--	11862.44

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	300000.00	--	300000.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	20.00	--	20.00
67	विधान परिषद् सचिवालय	पूंजी :	477.01	--	477.01
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	453.51	--	453.51
		पूंजी :	225.98	--	225.98
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	1350.00	--	1350.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	250.00	--	250.00
		पूंजी :	1000.00	--	1000.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	130000.00	--	130000.00
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	53622.16	--	53622.16
		पूंजी :	2501.00	--	2501.00
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	15802.00	--	15802.00
		पूंजी :	2500.00	--	2500.00
74	गृह विभाग (होमगार्डस)	राजस्व :	16000.00	--	16000.00
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	3.00	--	3.00
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	300.00	--	300.00
		पूंजी :	1100.00	--	1100.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	482.34	--	482.34
		पूंजी :	6142.82	--	6142.82
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	1030.87	--	1030.87

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1170.00	--	1170.00
		पूंजी :	8442.00	--	8442.00
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	70.00	--	70.00
		पूंजी :	635.97	--	635.97
86	सूचना विभाग	राजस्व :	5000.00	--	5000.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	30.00	--	30.00
		पूंजी :	450.00	--	450.00
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	80000.00	--	80000.00
		पूंजी :	3484.00	--	3484.00
	योग :	राजस्व :	838120.25	--	838120.25
		पूंजी :	521366.89	--	521366.89
	महायोग :		1359487.14	--	1359487.14

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि सभी मा0 सदस्यों को पांच करोड़ रुपये की सड़क देने की बात थी उसमें अपोजीशन के सदस्यों से भी प्रस्ताव ले लिया जाये। माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा कर दें कि हैण्डपम्प भी दिया जायेगा।

[04:40] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं। आज दिनांक 24-07-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 90 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ऊंचाहार में विद्युत समस्या के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ 84 के अन्तर्गत फर्जी अभिलेखों के आधार पर चल रही उचित दर की दुकान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत फर्जी प्रविष्टि की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर स्थित काली नदी पर पुलों का अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में, तथा पांचवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के ग्राम बन्थर में औद्योगिक क्षेत्र में फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत टिकैतराय तालाब में 2 शेड एवं शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की उ0प्र0 सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयानुसार वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में तथा आठवीं सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत में बंगाली नागरिकों को कृषि भूमियों पर उत्तराधिकार एवं अन्य अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत राजस्व गांवों को निर्वाचन क्षेत्रों के गठन हेतु सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के कल्लरपुर गुर्जर के पास पूर्वी यमुना नहर पर बने पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डॉ0 संग्राम यादव की जनपद आजमगढ़ के सी0ओ0/

एस0ओ0सी0 चकबन्दी कार्यालय में तैनात पेशकार श्री तौकीर मेंहदी रिजवी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की ट्रामा सेन्टर, पी0जी0आई0 और मेडिकल कालेज लखनऊ में मुफ्त इलाज दिये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की बी0एन0 इण्टर कालेज, भगवन्तनगर, हरदोई से सेवानिवृत्त दफ्तरी के देयों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के किसानों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त भी ट्यूबवेल कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में विकास कार्यों में जनप्रतिनिधि का शिलापट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली में बरसात के पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री बाबू राम पासवान की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद हाथरस स्थित एम0 जी0 पालीटेक्निक में कम्प्यूटर प्रोगामर व कार्याशाला अनुदेशक की नियुक्तियों में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर में आवारा कुत्तों के हमलों को रोके जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर में मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका परिषद् में हिन्दू इण्टर कालेज में फर्जी तरीके से की गयी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के थाना कसया में अवैध शराब के व्यापार में पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों की संलिप्तता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत सोनौरा द्वितीय पम्प कैनाल के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के तालकटोरा में कतिपय कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

1-श्री प्रभात कुमार वर्मा

2-श्री सीताराम वर्मा

3-श्री पूरन प्रकाश

4-श्री प्रेम सागर पटेल

5-श्री गौरीशंकर

6-श्री धनन्जय कन्नौजिया

7-श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल

8-श्रीमती मंजू त्यागी

9-डॉ0 मंजू शिवाच

10-श्री जवाहर लाल राजपूत

11-प्रिंस वीर विक्रम सिंह

12-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर

13-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा

14-श्री विरेन्द्र कुमार

15-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव

16-श्री नफीस अहमद

17-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव

18-श्री नाहिद हसन

19-श्री पारस नाथ यादव

20-श्री आशुतोष उपाध्याय

21-श्री विजेन्द्र सिंह

22-डॉ0 अरूण कुमार

23-श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल

24-श्री रवि शर्मा

25-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल

26-श्री अवस्थी बाला प्रसाद

27-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया

28-डॉ0 श्याम बिहारी लाल

29-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा

30-श्री सत्यवीर त्यागी

31-श्री संजय

32-श्री आलमबदी

33-श्री महेन्द्र पाल सिंह

34-श्रीमती कृष्णा पासवान
35-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी
36-श्री जटाशंकर त्रिपाठी
37-श्री विपिन कुमार डेविड
38-श्री वीरेन्द्र सिंह राणा
39-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी
40-डॉ0 नीरज बोरा
41-डॉ0 डी0सी0 वर्मा
42-श्री मो0 रिजवान
43-श्री योगेश वर्मा
44-श्री पवन केडिया
45-श्री प्रमोद उटवाल
46-डॉ0 जी0एस0 धर्मेश
47-श्री तसलीम अहमद
48-श्री हरिओम यादव
49-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
50-श्री मसूद अख्तर
51-श्री बम्बा लाल
52-श्री लालजी वर्मा
53-श्री हाकिम लाल बिन्द
54-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव
55-श्री आजाद अरिमर्दन
56-श्री पंकज गुप्ता
57-श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी
58-श्री उज्जवल रमण सिंह
59-श्री संजय प्रताप जायसवाल
60-श्री असलम अली
61-पं0 राधाकृष्ण शर्मा
62-श्री दिनेश चौधरी
63-श्री अविनाश त्रिवेदी

जनपद गोरखपुर मे सीवर सिस्टम डालने में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत ....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[दी गयी सूचना में जनपद गोरखपुर में सीवर सिस्टम डालने में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों से अवगत कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है :-

''गोरखपुर नगर विधान सभा के झारखण्डी क्षेत्र के अपर तथा लोवर जोन में जल निगम के द्वारा नन्दानगर, करगढ़िया, सैनिक कुंज, सैनिक विहार, झरनाटोला से लेकर झारखण्डी मंदिर तक 140 कि0मी0 लम्बी सीवर लाइन डाली जा रही है। करीब 54 किलोमीटर सीवर डाली जा चुकी है। सीवर डालने का काम बहुत ही बेतरतीब तरीके से चल रहा है। विभाग को चरणबद्ध तरीके से क्रमवार सड़कें काटनी चाहिए थीं, वहां सीवर डाल कर, वहां की सड़कें बना देनी चाहिए थीं। लेकिन जल निगम ने सारी सड़कें एक साथ काट डाली और कहीं भी मानक के अनुरूप काम पूरा नहीं किया। यहां तक कि सड़कों की गैपिंग करके उनका लेवल तक नहीं लिया गया और मनमाने तरीके से ऊपर-नीचे मेनहोल डाल दिये गये, सड़कें बन भी जायेंगी तो वहां हमेशा जल जमाव होगा।

आज के इस वैज्ञानिक युग में सड़क खोदकर सीवर लाइन डालने का काम बहुत पुरानी तकनीक है। ट्रेन्च लेस सिस्टम (बिना गड्ढे खोदे जमीन के नीचे लाइन) उत्तर प्रदेश में उपलब्ध होने के बावजूद खुले गड्ढे खोदकर अब तक विकसित हुई सारी सड़कों को बर्बाद कर देना, समझ के परे है। जल निगम पूरी सड़क तो बनाता भी नहीं है। सिर्फ खोदे हुए गड्ढों को निहायत घटिया तरीके से तथाकथित सड़क बना कर पहले से और भी खराब कर दे रहा है।

यह सम्भव है कि ट्रेन्च लेस सिस्टम में लागत अधिक आती हो तो लेकिन सीवर लाइन डालने के बाद, उन सड़कों को पुराने स्वरूप में पहुंचाने के लिए नये सिरे से बनाये जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाली सड़कों की लागत को अगर जोड़ दिया जाय तो सस्ती पड़ेगी। जरूरत है कि गोरखपुर में ट्रेन्च लेस सिस्टम से ही सीवर लाइन डाली जाय, स्वीकृत योजना को इस पद्धति के लिए पुनरीक्षित किया जाय और नई योजनाएं ट्रेन्च लेस सिस्टम से ही स्वीकृत की जायं।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय को कार्य प्रणाली नियमावली के नियम-51 के तहत सदन में उठाने तथा सरकार को 'वक्तव्य' देने के लिए निर्देश दिया जाय।''

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन 'ए' उत्तरी भाग (स्वीकृत रुपये 72.27 करोड़) तथा गोरखपुर सीवरेज योजना दक्षिणी भाग (स्वीकृत लागत रुपये 101.82 करोड़) में क्रमशः 55.77 किमी0 तथा 80.27 किमी0 कुल 136.04 किमी0 लम्बाई में विभिन्न व्यास के सीवर पाइप विभिन्न गहराई में डाले जाने के प्राविधान के सापेक्ष वर्तमान तक प्रश्नगत योजनाओं के अन्तर्गत मानक के अनुसार क्रमशः 39 किमी0 दरगहिया, सैनिक कुंज, सैनिक विहार इत्यादि क्षेत्रों में तथा 20 किमी0 मालवीय नगर, दिव्य नगर, न्यू सिंघडिया, आदर्श नगर इत्यादि क्षेत्रों में इस प्रकार कुल लगभग 59.00 किमी0 लम्बाई में सीवर लाइन बिछायी जा चुकी है।

उपरोक्त दोनों योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा काटी गयी सड़क की अस्थाई पुनर्स्थापना कराकर जनसाधारण के चलने योग्य बना दिया गया है। सम्बन्धित सड़क/गलियों में पूर्व से जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वर्षा के पानी से कार्य के दौरान यदा-कदा कीचड़ हो जाता है जिसे भी ससमय दूर कराया जाता है तथा वर्षा की अधिक सम्भावना होने पर कार्य बन्द भी रखा जाता है ताकि जनमानस को कोई खास असुविधा न होने पाये। सीवर लाइन बिछाते समय जो रोड कटिंग की जाती है उसमें सीवर लेईंग कार्य में सीवर पाइप लेईंग, मेनहोल निर्माण, सीवर कनेक्टिंग चैम्बर, टेल इण्ड पर जोड़ने के पश्चात् उसकी टेस्टिंग एवं उसके उपरान्त सीवर हाउस कनेक्शन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। जिसके पश्चात् मौसम अनुकूल होने पर काटी गई सड़क का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। सीवर लाइन बिछाने के पश्चात मेनहोल बनाते समय मेनहोल का टाप लेविल वर्तमान/निकट भविष्य में प्रस्तावित रोड लेविल के अनुसार रखा जाता है जिसे स्थाई रूप से सड़क पुर्नस्थापना के समय अगर कहीं मेन होल लेविल में अन्तर पाया जाता है तो उसे तत्काल लेविल कर दिया जाता है। प्रश्नगत क्षेत्र में सड़कों के मौजूदा लेवल के अनुरूप ही मेनहोल का लेविल रखा गया है।

मात्र असामान्य स्थितियों में यथा रेलवे क्रासिंग, नगर क्रासिंग, अत्यधिक भारी यातायात वाली चौड़ी सड़कों की क्रासिंग अथवा ट्रेन्च खोदते समय समीपस्थ घरों आदि के गिरने की सम्भावना आदि विशेष परिस्थितियों में ही ट्रेन्च लेस विधि द्वारा कार्य कराया जाता है। व्यवहारिक रूप से सीवर पाइप लेईंग एवं मेनहोल निर्माण के पश्चात् (ओपेन तथा ट्रेन्चपेलेस

विधि द्वारा) मेनहोल से सीवर कनेक्टिंग चैम्बर जोड़ने एवं सीवर कनेक्टिंग चैम्बर को सीवर हाउस कनेक्शन में जोड़े जाते समय ट्रेंच लेस विधि में भी कुछ रोड की कटिंग अपरिहार्य है। ट्रेन्चलेस विधि द्वारा सीवर लेईंग का कार्य ओपेन विधि द्वारा सीवर लेईंग के कार्य से अपेक्षाकृत काफी महंगा है तथा इसमें अपेक्षाकृत समय भी अधिक लगता है जिससे योजना के कार्यों में विलम्ब होना स्वाभाविक होगा।]

जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19.07.2019 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में लगभग .....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[8-10 लाख आबादी वाला नगर फिरोजाबाद अपने कांच चूड़ी/उत्पादों के लिए पूरे भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मेहनतकश श्रमिक, निम्न मध्यमवर्गीय एवं उद्योग/व्यापार व्यसाय से जुड़े नागरिक निवास करते हैं। लाखों की संख्या में फिरोजाबाद के यह नागरिक अपने क्षेत्रों/मोहल्लों की सड़कों, गलियों एवं जल निकासी हेतु नाले/नालियों की सुविधा के लिए नगर निगम फिरोजाबाद पर निर्भर हैं। परन्तु नगर निगम फिरोजाबाद को उत्तर प्रदेश शासन/नगर विकास विभाग द्वारा पिछली सरकारों की तुलना में अधिक एवं पर्याप्त मात्रा में धन आवंटन करने के बावजूद वित्तीय कुप्रबन्धन एवं विभागीय शिथिलता के चलते नगर के लाखों नागरिक नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उक्त परिस्थितियों के कारण बरसात के मौसम में स्थितियां बद से बदतर हो गयी हैं। अभी हाल में दिनांक 08-07-2019 को फिरोजाबाद में बरसात के दौरान नगर का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया है और अनेक क्षेत्रों के नागरिकों के घर/मकान ध्वस्त हो गये, अनेक लोग घायल हो गये (किशन नगर मोहल्ले में मकान गिरा-गृह स्वामिनी जयश्री देवी, इनकी पुत्री रोशनी उम्र 10 वर्ष एवं पुत्र सत्यम उम्र 14 वर्ष गम्भीर रूप से घायल हो गये, मोहल्ला विजय नगर ए0के0 टाकीज के पीछे छारबाग में शिशुपाल राठौर का मकान गिर गया, अब्बास नगर गली नम्बर-8

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में मोहम्मद अली/अनीसा बेगम का मकान गिर गया आदि अनेक स्थानों पर नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ा)

यदि शासन द्वारा विकास हेतु भेजी गयी धनराशि का समय पर उपयोग कर लिया जाता तो लाखों नागरिकों को होने वाली असुविधा व जान-माल का नुकसान कमोबेश न के बराबर होता। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नगर निगम फिरोजाबाद में राज्य वित्त आयोग मद में साढ़े तीन करोड़ रु0, 13वें वित्त आयोग में दो करोड़ रुपया (दो वर्षों से लम्बित), 14वें वित्त आयोग में अड़तालिस करोड़ रुपया (वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 से लम्बित), अवस्थापना निधि में 5.20 करोड़ रुपया (दो वर्षों से लम्बित), मा0 मुख्य मंत्री नाला सुधार योजना में पांच करोड़ रुपया (लगभग 2-3 वर्षों से लम्बित), जल निकासी हेतु मा0 मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना में 80 लाख रुपया (लगभग दो वर्षों से लम्बित), कुल लगभग 64 करोड़ रुपये की धनराशि जो कि शासन द्वारा केवल विकास कार्यों के लिए प्रदान की गयी थी, पिछले 2-3 वर्षों से विभागीय शिथिलता एवं अकर्मण्यता के चलते निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है।

नगर निगम, फिरोजाबाद के आसफाबाद क्षेत्र में ओम नगर, राठौर नगर, शांती नगर, सती नगर, मोती नगर मोहल्लों की गलियां, हिमायुंपुर क्षेत्र के नगला पचिया, नगला मोती, हिमायुंपुर नई आबादी की गलियां, रहना क्षेत्र के गायत्री मन्दिर के पास की गलियां, रहना बगिया की ठार, रहना प्राथमिक पाठशाला से नाले की पुलिया तक की गलियां, इन्द्रानगर, पारासर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, ममता नगर मोहल्ले की गलियां, ककरऊ क्षेत्र के आनन्द नगर, न्यू रामगढ़, यमुना नगर, गंगा नगर, झलकारी नगर मोहल्लों की गलियां, सैलई क्षेत्र के रविदास नगर, प्रेमनगर सी0डब्ल्यू0आर0 के पास की गलियां, सैलई मरघटी के सामने की गलियां, नगला पीपरिया, ठारपूठा-गायत्री नगर सांती रोड पर सधली नगर, अम्बे मोहल्लों की गलियां, प्रेमपुर रैपुरा क्षेत्र के बासठ गांव नई आबादी, बासठ गांव अम्बेडकर पार्क, विजय नगर (ए0के0 टॉकीज के पीछे छारबाग), ओम नगर (मिलन वाटिका के पास गलियां) संत नगर 60 फुटा रोड के पीछे की गलियां, स्वामी लालता नन्द स्कूल (संत नगर के पीछे की गलियां) मोहन नगर, कन्हैया नगर (साईं मन्दिर के पीछे), फुलवाड़ी, मायापुरी टंकी के पास की गलियां, मोहन विहार से मायापुरी टंकी की गलियां, टापाकला टंकी के पास की गलियां, रानी नगर, काशीराम विहार, टापा खुर्द, नगला पानसहाय, कोटला रोड/बम्बा बाईपास स्थित किशन नगर, सरिता नगर, कुशवाह नगर, महादेव नगर, दयाल नगर, द्वारिका पुरी, सुदामा नगर, ढोलपुरा, भाऊ का नगला, लालपुर दुर्गेश नगर, अब्बास नगर, दीदामई, कश्मीरी गेट, रहमत नगर, छपरिया मोहल्ला, उर्दू नगर, हबीब गंज, बगदाद नगर, ताडों वाली बगिया, आजाद नगर, छारबाग प्रजापति धर्मशाला वाली गलियां, विश्नु का नगला, महताब नगर, दतौजी आदि बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों/मोहल्लों की सड़कें/गलियां पूरी तरह कच्ची/बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में हैं एवं जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण पहले से ही स्थायी जल भराव जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। यहां निवास करने वाले नागरिक आने वाली वर्षा ऋतु के समय बेहद तकलीफ का सामना

करने को मजबूर हो गये हैं तथा इन क्षेत्रों में जल भराव के चलते किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है।

व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इन कच्चे/बेहद क्षतिग्रस्त एवं जल निकासी की व्यवस्था न होने वाले मोहल्ले/क्षेत्रों में अवस्थापन सुविधाएं (सड़क/गली/नाली/नाला) उपलब्ध कराये जाने की महती आवश्यकता है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 08-07-2019 को नगर फिरोजाबाद में रात्रि में लगभग 03:00 बजे से मूसलाधार बरसात प्रारम्भ हुई जो कि प्रातः 05:00 बजे तक अनवरत् हुई। प्रातः 08:00 बजे से पुनः लगभग एक से डेढ़ घण्टा तेज बारिश हुई। इस दौरान नगर में जल भराव के चिन्हित स्थलों, रेलवे पुल के नीचे व अन्य निचले क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा डी-वाटरिंग सेट लगाकर जल निकासी सुनिश्चित करायी गयी। चूंकि उक्त दिनांक 08-07-2019 को एक दिन में सामान्य से अधिक लगभग 116 मि0मी0 बारिश हुई। एक दिन में इतनी बारिश होने से नगर में जगह-जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई एवं शहर के निचले क्षेत्रों में कतिपय भवनों के गिरने की घटना भी हुई है। मोहल्ला किशन नगर, विजय नगर ए0के0 टाकीज के पीछे, अब्बास नगर इत्यादि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मोहल्ला नगर के निचले क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जहां हर वर्ष बरसात के दौरान जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यद्यपि नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मोहल्ला किशन नगर व ऐसे अन्य मोहल्लों में शनैः-शनैः विकास कार्य कराते हुए मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है, परन्तु दिनांक 08-07-2019 को शहर में हुई अत्यधिक बरसात (अति वृष्टि) के कारण एवं मोहल्ला किशन नगर निचला क्षेत्र होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई एवं कतिपय भवन के गिरने की घटना घटित हुई है, नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा बरसात के दौरान एवं बाद में भी इन क्षेत्रों में डी-वाटरिंग सेट लगाकर जल निकासी की व्यवस्था करायी गयी।

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का कर्मचारियों का 7वें वेतन आयोग का एरियर व अन्य देयकों का लगभग 05 करोड़ रु0 बकाया चल रहा है। साथ ही नगर निगम फिरोजाबाद गठन के उपरान्त जलकल विभाग, निर्माण विभाग, मार्ग प्रकाश एवं कार्यशाला विभाग में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न ठेकेदारों से कराये गये कार्यों का लगभग 10 करोड़ रु0 बकाया चल रहा है। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग में कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

शासन द्वारा 13वें वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मण्डलायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नगर के विभिन्न मोहल्लों, क्षेत्रों में जल निकासी, नाला/नाली निर्माण, सड़क निर्माण, कब्रिस्तान सुधार, शवदाह गृह सुधार कार्य, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जलापूर्ति व्यवस्था, मार्ग प्रकाश व्यवस्था

इत्यादि से सम्बन्धित लगभग 419 कार्य जिनकी लागत लगभग 79,82,00,000.00 (उन्यासी करोड़ बयासी लाख रु0) की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें लगभग 319 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें से 131 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 78 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अवशेष 110 कार्य निविदा प्रक्रिया में हैं। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवशेष धनराशि 6,96,89,141.00 रु0 के प्रस्ताव आगामी समिति की बैठक में रखे जायेंगे।

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत दिनांक 12-09-2017 एवं 15-02-2018 को मण्डलायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में कुल 10 कार्य लागत 2,03,64,000.00 (दो करोड़ तीन लाख चौंसठ हजार) की समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। अवशेष धनराशि 2,76,00,000.00 के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव आगामी समिति की बैठक में समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

मा0 मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना वर्ष 2017-18 में नगरीय सीमान्तर्गत कुल 52 सड़क सुधार के कार्यों को कराये जाने हेतु शासन द्वारा कुल 2400 लाख रु0 की परियोजना स्वीकृत की गयी थी। परियोजना की कुल लागत 2400.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 1200.00 लाख एवं द्वितीय किस्त के रूप में 200 लाख रु0 कुल 1400.00 लाख रु0 की धनराशि नगर निगम फिरोजाबाद को प्राप्त हुई है। प्राप्त धनराशि 1400 लाख में से 1388.64 लाख रु0 का उपभोग कर लिया गया है।

मा0 मुख्य मंत्री नगरीय जल निकासी योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में नगर फिरोजाबाद में जल निकासी हेतु विभिन्न नालों के निर्माण से सम्बन्धित कुल 41 परियोजनाओं की कार्य योजना हेतु धनांक 1654.36 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत सभी कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम में 13 ग्राम सभाओं के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र जो कि निचले क्षेत्रों में फैली हुई है, में अवस्थापना सुविधाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं। यद्यपि नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अपने सीमित संसाधनों से इन क्षेत्रों को शनैः-शनैः मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में समस्त अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने हेतु वृहद् धनराशि की आवश्यकता है, जिसे नगर निगम अपने सीमित संसाधनों से आच्छादित करने का प्रयास कर रहा है। नगर निगम, फिरोजाबाद के समस्त मोहल्लों, बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है एवं निरन्तर प्रयासरत है।]

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी से इस उत्तर के संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी कृपापूर्वक वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारो की तुलना में हमारे नगर निगम में पर्याप्त समुचित धनराशि भेजी हुई है। मैंने नियम-51 में इसी भावना से यह बात उठाई थी। आज लगभग 64 करोड़ रुपया नगर निगम

के खाते में पड़ा हुआ है लेकिन समय से उसको विकास कार्यों में न लगाने के कारण वहां पर जल भराव की समस्या है और नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। मैंने जिस दिन नोटिस लगाया था उसी दिन नोटिस में एक शब्द का प्रयोग किया था कि मुझे आशंका है कि जल भराव के कारण कोई अनिष्ट भी हो सकता है। कल की घटना की जानकारी मैंने आपको दी है कि वहां पर दो बच्चों की मृत्यु हुई है और 12-14 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें जो उत्तर आये हैं यदि उन्हें आप देखें तो हर जगह तथ्यों को छिपाया गया है। जैसे अभी 14वें वित्त आयोग में 48 करोड़ रुपये हमारे नगर निगम के खाते में है लेकिन यह हमें बता रहे हैं कि 419 कार्यों की स्वीकृति ली है और 319 कार्य स्वीकृत हुये हैं, 131 का कार्य पूरा हुआ है और 110 निविदा प्रक्रिया में है। हमारा इसमें कहना यह है कि वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 से यह जो प्रक्रिया चल रही है यह बहुत लम्बी है। इसी प्रकार अवस्थापना निधि में पांच करोड़ बीस लाख रुपया पड़ा हुआ है और यह उत्तर में लिख रहे हैं कि हम टेण्डर निकाल रहे हैं और यह अभी प्रक्रिया में है। हमारा यह कहना है कि इसी सदन में आज अतारांकित प्रश्न संख्या-80 में विभाग यह उत्तर दे रहा है कि चार करोड़ दस लाख रुपये दिनांक 29 जनवरी, 2019, अभी शेष बकाया है और इसके बाद और पैसा आप दे चुके हैं। यदि नियम-51 का उत्तर आप देखें तो अवस्थापना के लिए यह लोग लिख रहे हैं कि दिनांक 12-09-2017 और 15-02-2018 को मण्डलायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में कुल दस कार्य लागत दो करोड़ तीन लाख चौंसठ हजार की समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और अवशेष धनराशि दो करोड़ छिहत्तर लाख के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव आगामी समिति की बैठक में रखे जायेंगे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि वहां पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी कृपापूर्वक हमारे यहां पर पर्याप्त धनराशि भेज रहे हैं तो सही वित्तीय प्रबन्धन और ठीक ढंग से काम कराकर उस पैसे को लगाकर जनता के कार्य में उपयोग किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मार्च में एक व्यवस्था परिवर्तन की गयी है कि अभी तक यह पावर मण्डलायुक्तों की थी। अब उनके स्थान पर महापौरों को यह पावर दे दी गयी है कि उनकी अध्यक्षता में इसके ऊपर निर्णय दिया जाएगा। आज ही अभी इस सदन के बाद टेलीफोनिकली भी और लिखित रूप से उनसे पूछ भी लेंगे। इसमें जितनी शीघ्रता हो सकती है उतनी शीघ्रता की जाएगी और समुचित निर्देश भी उनको दे दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप इसे दिखवा लीजिए।

जनपद लखनऊ में नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आवासीय कालोनियों के बीच चल रही डेरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[नम्बर-4216(एम0बी0)/1997 में पारित आदेश दिनांक 27-05-1999 के अनुपालन में नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित दूध डेरियों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा कैटिल कालोनी/नगर निगम सीमा से बाहर विस्थापित करने के पश्चात तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ-पत्र दाखिल किया गया कि समस्त दूध डेरियों को कैटिल कालोनी/नगर निगम सीमा के बाहर विस्थापित किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-05-2000 में आदेश पारित किये गये कि यदि दूध डेरियां पुनः स्थापित होती हैं, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी का होगा।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अवैध दूध डेरियों के सम्बन्ध में लखनऊ नगर निगम द्वारा समय-समय पर विभाग में प्राप्त शिकायतों के क्रम में पुलिस बल प्राप्त होने पर विशेष अभियान चलाकर वर्ष 2017 में 73, 2018 में 38 एवं वर्तमान वर्ष 2019 में अब तक 64 दूध डेरियों को हटाया गया है।]

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, दो वर्ष से लगभग मैं बराबर इस बात को सदन में उठा रहा हूं कि लखनऊ में अवैध डेरियां बहुत भारी संख्या में हैं और मेरी पश्चिम विधान सभा में सैकड़ों की संख्या में अवैध डेरियां हैं, लेकिन नियम-51 के उत्तर में मुझे यही लिखा मिलता है कि सब हटा दी गयी हैं। मैंने पिछले महीने नगर आयुक्त को ले करके दौरा किया और उनको सारी डेरियों को दिखाया। उन्होंने सबकी फोटो खींचा, लेकिन एक भी डेरी नहीं हटाई जा रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने भी मेरे साथ दौरा किया था और मैं आपको लेकर गया था जहां पर अवैध डेरियां भारी संख्या में चल रही थीं, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गयी। अन्त में लिखा है कि वर्तमान वर्ष 2019 में अब तक 64 दूध डेरियों को हटाया गया है। यह 64 दूध डेरियों की संख्या कब तक की है ? आज हम लोग जुलाई में खड़े हैं। लखनऊ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डा0 राव जी वह निष्क्रिय हैं वह इस काम को नहीं कर रहे हैं। मा0 मंत्री जी आपको इस बात की जानकारी है। मैं फिर आपको स्पष्ट कराना चाहता हूं कि इन अवैध दूध डेरियों के कारण ही सारी सीवर व्यवस्था चोक है, सारी नालियां चोक हैं लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसा मेरे क्षेत्र में भारी संख्या में है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए। मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जैसे कि उत्तर के आखिरी पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया कि हाल ही में हमने 64 डेरियां हटाई हैं। आखिरी लाइन देख लें।

श्री अध्यक्ष-

हां लिखा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है और हमने इसके लिए सारे नगर निगमों में एक इन्फोर्समेंट विंग भी बनाई है और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उसके इंचार्ज हैं। इसमें 12 तथा 20 लोगों की टोली उनके साथ चलती है ताकि पुलिस फोर्स न भी मिले तो इस प्रकार की गतिविधियों से हम मुकाबला कर सकें। मैं आपकी भावना से अपने आपको जोड़ता हूं कि यह परेशानी जो अपने आप में है। मा0 उच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में निर्णय दिया है और समय-समय पर जनप्रतिनिधि भी कहते हैं। इस पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम कार्यवाही करेंगे।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के बछरायूं में अवैध रूप से संचालित स्लॉटर हाउस को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद अमरोहा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[धनौरा के बछरायूं (अमरोहा) में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। उक्त स्लाटर हाउस में अवैध रूप से जानवर कटते हैं जिससे क्षेत्र में गंदगी के साथ-साथ जल एवं वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जिसके कारण स्थानीय लोगों में भयानक बीमारियां फैल रही हैं। उक्त स्लाटर हाउस के संचालित रहने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में उक्त स्लाटर हाउस को बन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त अविलम्बनीय व लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-श्री राजीव तरारा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19-07-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्थिति निम्नवत् है :-

प्रदेश में संचालित अवैध पशुवधशालाओं को बन्द किये जाने एवं यान्त्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-760/नौ-8-2017-29ज/2017 दिनांक 22-03-2017 में निरीक्षण हेतु दिये गये निर्देश तथा मा0 विधायक श्री राजीव तरारा व पीपल फॉर एनीमल्स, गजरौला नामक संस्था से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 16-07-2017 को मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0, बछरायूं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त फैक्ट्री हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत है तथा फैक्ट्री के संचालन से पूर्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-29 एवं 33 के अन्तर्गत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से एन0ओ0सी0/अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। फलस्वरूप जिला स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0, बछरायूं द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से नियमानुसार एन0ओ0सी0/अनुमति नहीं ली जाती है, तक फैक्ट्री का संचालन बन्द रखा जाये एवं तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, जे0पी0 नगर (अमरोहा) द्वारा जारी अनापत्ति सं0-2445/न्याय सहायक/2011, दिनांक 16-03-2011 राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की एन0ओ0सी0/अनुमति मिलने तक निष्प्रभावी रखा जाय। तत्क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय आदेश संख्या-619/न्याय सहायक/2017, दिनांक 28-07-2017 के द्वारा मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0, बछरायूं, तहसील धनौरा, जनपद अमरोहा के हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमान्तर्गत होने तथा फैक्ट्री के संचालन से पूर्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-29 एवं 33 के अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से एन0ओ0सी0/अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से एन0ओ0सी0/अनुमति प्राप्त किये जाने तक फैक्ट्री को सील कराया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तदोपरान्त उक्त आदेश के विरुद्ध इकाई ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल मिस0 रिट याचिका संख्या-53697/2017 मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0 बनाम उ0 प्र0 राज्य व 02 अन्य योजित की गयी जिसको निस्तारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 09-07-2018 को पारित निर्णय में जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 28-07-2017 को निरस्त करते हुए फैक्ट्री को पुनः संचालित करने तथा उसके संचालन में कोई बाधा नहीं डालने के आदेश पारित करने के साथ-साथ यह भी आदेश दिये गये कि राज्य वन्य जीव परिषद् के गठन की सूचना याची को दे दी जाय, ताकि वह अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सके।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0, बछरायूं, तहसील धनौरा, जनपद अमरोहा को प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा के पत्र संख्या-01TC/35-1/अमरोहा दिनांक अगस्त 07, 2018 द्वारा राज्य वन्य जीव परिषद् के गठन की सूचना दी गयी। राज्य वन्य जीव परिषद् द्वारा मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0 के अनुमति विषयक प्रस्ताव पर दिनांक 30-08-2018 को बैठक आहूत कर विचार किया गया व विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को प्रेषण हेतु अनुमोदित नहीं किया गया।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-07-2018 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) संख्या-26459/2018 योजित की गयी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-10-2018 को विशेष अनुज्ञा याचिका खारिज कर दी गयी।

इकाई द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में कन्टैम्प्ट एप्लीकेशन 4820/2018 मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स प्रा0 लि0 बनाम हेमन्त कुमार योजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सन्दर्भित आदेशों का अनुपालन करते हुए याची की फैक्ट्री के restart किये जाने हेतु बन्दी आदेश दिनांक 28-07-2017 के क्रम में लगायी गयी सील खोले जाने का आदेश तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा दिनांक 27-11-2018 को निर्गत किये गये। उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो भी निर्देश/आदेश पारित किये जायेंगे तद्क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

श्री राजीव तरारा-

मान्यवर, मै0 ए0क्यू0 फ्रोजन फूड्स वन्य जीव बिहार के अन्तर्गत आता है। इसको पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत गलत तरीके से संचालित कराया गया था। वहां पर बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इसको तत्काल देख लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह मामला तो कोर्ट में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह कारखाना जो चालू किया गया है इसको मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से चालू किया गया है। उच्च न्यायालय ने आदेश किया फिर उसके खिलाफ मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दाखिल हुई। वह एस0एल0पी0 खारिज हो गयी, इसलिए इसको चालू किया गया है। मान्यवर, आप तो जानते ही हैं कि मा0 उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद अगर रिलीफ न मिले तो हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, इसलिए इसको चालू किया गया है।

जनपद सहारनपुर में शहर के बीचो-बीच स्थित बस अड्डों को शहर के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना दिनांक 19.07.2019 के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[निगम एवं नगर निगम, सहारनपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार सहारनपुर शहर में वर्तमान में कुल 05 बस स्टैण्ड हैं, जिसमें 02 बस स्टेशन परिवहन निगम द्वारा संचालित है एवं 03 बस स्टैण्ड नगर निगम, सहारनपुर द्वारा संचालित हैं :-

1-परिवहन निगम द्वारा रेलवे रोड बस स्टेशन संचालित है। इस बस स्टेशन से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थानों के लिए बसें संचालित की जाती हैं।

2-परिवहन निगम द्वारा संचालित दूसरा बस स्टेशन अम्बाला रोड बस स्टेशन है, जहां से हरिद्वार व देहरादून को छोड़कर मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के लिए बसें संचालित होती हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-सहारनपुर शहर में नगर निगम, सहारनपुर द्वारा जनता रोड स्थित बेहट रोड बस स्टैण्ड, चिल्काना बस स्टैण्ड एवं अम्बाला रोड बस स्टेशन संचालित किया जाता है।

4-सहारनपुर नगर में जाम की स्थिति का मुख्य कारण सहारनपुर के उत्तराखण्ड एवं हरियाणा राज्य का सीमावर्ती जनपद होने से है, जिसके कारण बाहरी राज्यों के वाहनों का भी आवागमन बना रहता है, जिससे शहर में परिवहन का अधिक दबाव रहता है। उक्त के अतिरिक्त अम्बाला रोड पर परिवहन निगम एवं प्राइवेट आपरेटरों दोनों के बस स्टैण्ड स्थित हैं, जिनके द्वारा बसें संचालित होने के कारण कभी-कभी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके निवारण हेतु अम्बाला रोड स्थित बस स्टैण्ड को नगर सीमा के अन्तर्गत मानकमऊ नामक स्थान पर नगर निगम, सहारनपुर द्वारा स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5-सहारनपुर शहर में परिवहन निगम के दोनों बस स्टेशन सघन परिक्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें से रेलवे रोड स्थित बस स्टेशन को नगर की वाह्य सीमा में स्थापित किये जाने हेतु परिवहन निगम प्रयासरत है परन्तु अद्यतन कोई उपयुक्त/सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

6-उल्लेखनीय है कि देहरादून-सहारनपुर बाईपास मार्ग वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसके निर्माणोपरान्त शहर में जाम की समस्या से काफी निजात मिलेगी।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस वक्तव्य में नगर निगम का प्रस्ताव है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, नगर निगम का प्रस्ताव तो नगर निगम के बस स्टैण्ड के लिए है। लेकिन जो 02 बस स्टेशन परिवहन निगम के हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं जानता था कि आप इसके बारे में जरूर पूछेंगे। मैं पहले से ही तैयार करके आया हूं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं अपनी बात इसलिए कहना चाह रहा था कि पिछले कई वर्षों से जमीन की ढुंढाई चल रही है और मुझे समझ नहीं आया है कि उपयुक्त जमीन क्यों नहीं मिल पाई है। केवल यही जवाब दे दिया गया कि सहारनपुर शहर में परिवहन निगम के दोनों बस स्टेशन सघन परिक्षेत्र में स्थित हैं। जिसमें से रेलवे रोड स्थित बस स्टेशन को नगर की वाह्य सीमा में स्थापित किये जाने हेतु परिवहन निगम प्रयासरत् है। परन्तु अद्यतन कोई उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। बहुत सारे प्राइवेट लोगों के प्रस्ताव आये हुये हैं। शहर बहुत ही चरमराई हुई स्थिति में रह रहा है। यदि ऐसे में शासन कोई समयबद्ध जवाब दे सकता हो तो उस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 संजय गर्ग जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। जो यू0पी0एस0आर0टी0सी0 का बस अड्डा था, उसको हटाने के लिए नगर निगम का प्रस्ताव पास और जमीन भी चयनित हो गई। नगर निगम के प्रस्ताव के अनुसार जमीन आईडेण्टीफाई हो गई है। बस अड्डा लगभग 4-5 किमी0 के अन्तराल पर बन रहा है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, आपने जो जवाब दिया है, वह प्राइवेट बस अड्डा शिफ्ट हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपके हिसाब से जहां पर ज्यादा भीड़ थी।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, आपके जवाब में यही बात है कि परिवहन निगम के लिए भूमि सघन क्षेत्र में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें आप भी सहयोग कर दें। आप जल्दी से जल्दी जमीन आईडेण्टीफाई करवा दें, हम परचेज करवा लेंगे।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, निगम के पास जमीन के कई प्रस्ताव हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम परचेज कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अब हम मद संख्या-51 लेते हैं।

जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज व विकास खण्ड मुसाफिरखाना में 14वें वित्त आयोग की धनराशि आवंटन में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मद संख्या-51 से पहले मद संख्या-50 है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-50 स्थगित है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसमें वक्तव्य मा0 पंचायती राज मंत्री जी को देना था लेकिन एजेण्डे में ग्राम्य विकास मंत्री छपा हुआ है। जब यह अगली बार आयेगा तब भी गलत आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इसमें मा0 पंचायती राज मंत्री की ही चिट्ठी आई है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसमें ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। इसको ठीक करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हम ठीक करवा देंगे।

जनपद नोएडा में महाप्रबन्धक (अधिशासी अभियन्ता) के पद पर तैनात श्री प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

श्री प्रदीप विगत 15-20 वर्षों से नोएडा/गाजियाबाद में ही तैनात हैं। इनके द्वारा जी0डी0ए0 से 12 करोड़ के सरकारी कार्य प्राप्त.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[किये गये जिसमें 08 करोड़ की लायबिलिटी पैदा कर दी गयी। कलकत्ता में इनके द्वारा रु0 150 करोड़ के कार्य जेनरेट किये गये एवं शासनादेश कराया गया। ठेकेदारों से लगभग 05 करोड़ की राशि इकट्ठा कर चेयरपर्सन (महिला आई0ए0एस0) को रिश्वत देने की शिकायत पर नाराज होकर मैडम ने कार्य वापस ले लिये एवं तत्कालीन एमडी आशूदानी से इनकी शिकायत कर निलम्बन हेतु आग्रह किया। इतना ही नहीं महाप्रबन्धक के रहते हुए मुख्य महाप्रबन्धक (अस्थायी) के आदेश दिनांक 24-06-2019 को करा लिये और प्रदेश के बाहर के सभी कार्य मुख्य महाप्रबन्धक बन कर लगभग 800 करोड़ के कार्य बिना लायजिनिंग किये प्राप्त किये। इनके उपर्युक्त कार्यों से जहां सरकार को धन हानि हो रही है वहीं जनता के मन में भी रोष है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के तहत सदन में उठाने तथा सरकार को 'केवल वक्तव्य' देने के लिए निर्देश दिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है :-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तरालेख
1	2	3
1	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता विगत 15-20 वर्षों से नोएडा/गाजियाबाद में ही तैनात हैं।	जी हां। श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, कार्यवाहक मुख्य महाप्रबन्धक (चतुर्थ) की सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पद पर गाजियाबाद/नोएडा में कुल तैनाती अवधि 20 वर्ष 05 माह है।
2	इनके द्वारा जीडीए से 12 करोड़ के सरकारी कार्य प्राप्त किये गये, जिसमें से 08 करोड़ के कार्य की लायबिलिटी पैदा कर दी गयी।	प्रमुख अभियन्ता, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के पत्र दिनांक 23-12-2011 के द्वारा ग्राम पंचायत खोडा, जिला गाजियाबाद में रु0 94.83 करोड़ की लागत के सीवर कार्य सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को आवंटित हुआ था, जिसके सापेक्ष विभिन्न चरणों में रु0 12.00 करोड़ की धनराशि सी0 एण्ड डी0एस0 को आवंटित की गयी थी। परियोजना में प्राविधानित 163 कि0मी0 सीवर लाइन के सापेक्ष 82 कि0मी0 लम्बाई में सीवर लाइन बिछायी जा चुकी है। धनराशि के अभाव में निर्माण कार्य लगभग 7 वर्षों से बन्द है। दिनांक 01-12-2014 को श्री वी0के0 सिंह, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार के साथ खोडा विकास कार्यों के सम्बन्ध में हुई बैठक में उनके निर्देशानुसार रु0 18307.94 लाख का प्राक्कलन विरचित कर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त निर्माण कार्य पर विभाग की रु0 10.00 करोड़ लायबिल्टी है जिसके भुगतान हेतु वर्ष 2012 से 18 अनुस्मारक-पत्र जिलाधिकारी, गाजियाबाद को लिखा जा चुका है। अन्तिम अनुस्मारक दिनांक 15-05-2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

1	2	3
3	कलकत्ता में इनके द्वारा 150.00 करोड़ के कार्य जनरेट किये गये एवं शासनादेश कराया गया। ठेकेदारों से लगभग 5.00 करोड़ की राशि इकट्ठा कर चेयरपर्सन (महिला आई0ए0एस0) को रिश्वत देने की शिकायत पर नाराज होकर मैडम ने कार्य वापस ले लिये एवं तत्कालीन एम0डी0 आशूदानी से इनकी शिकायत कर निलम्बन हेतु आग्रह किया।	इण्टरनेशनल सेन्टर फार ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी कोलकाता (आई0सी0डी0डब्लू0क्यू0) में रु0 66.00 करोड़ की लागत के कार्य 4.35 प्रतिशत पी0एम0सी0 चार्जेज पर सी0एण्ड डी0एस0 को पत्र दिनांक 03-04-2014 द्वारा आवंटित हुआ था, जिसके विरुद्ध सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा रु0 600 लाख की बैंक गारण्टी एवं रु0 14.36 लाख की परफार्मेन्स गारण्टी जमा की गयी थी, परन्तु बाद में क्लाइण्ट विभाग के पत्र दिनांक 28-07-2014 द्वारा उक्त कार्य बन्द कर दिया गया। सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा उक्त जमा की बैंक गारण्टी परफार्मेन्स बैंक गारण्टी का समायोजन क्लाइण्ट विभाग से प्राप्त धनराशि से कर लिया गया।
4	इतना ही नहीं महाप्रबन्धक के रहते हुए मुख्य महाप्रबन्धक (अस्थायी) के आदेश दिनांक 24-06-2019 को करा लिये और प्रदेश के बाहर के सभी कार्य मुख्य महाप्रबन्धक बन कर लगभग 800 करोड़ के कार्य बिना लाइजिंग के प्राप्त किये।	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 द्वारा श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, महाप्रबन्धक (नि-7) सी0एण्ड डी0एस0 नोएडा को अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ मुख्य महाप्रबन्धक (चतुर्थ) सी0एण्ड डी0एस0 नोएडा के पद पर तैनात किया गया है। उक्त आदेश में इनके नियंत्रणाधीन प्रदेश के बाहर स्थित समस्त यूनिटें रखे जाने का आदेश किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17-07-2019 द्वारा श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता (चतुर्थ) का स्थानान्तरण मुख्यालय नोएडा से लखनऊ कर दिया गया है। दिनांक 24-06-2019 के पश्चात् प्रदेश के बाहर सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को कोई कार्य प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में कल्याणी से अड्डा सड़क मार्ग तथा अन्य कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार द्वारा जनपद रायबरेली के विकास खण्ड.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[ऊंचाहार में कल्यानी से अड्डा सम्पर्क मार्ग, जो विगत 20 वर्ष पहले पत्थर की गिट्टी सड़क निर्माण हेतु ढलाई गयी थी, परन्तु उसका आज तक निर्माण नहीं कराया गया, जिससे आम जनता को अत्याधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसी प्रकार विकास खण्ड दीनशाह गौरा में ग्राम कल्यानपुर बैंती से इकडला होते हुए रसूलपुर तक जाने वाला 5 कि0मी0 मार्ग, जो गंगा की कटरी पर स्थित गांव को जोड़ता है, उक्त निर्माण हेतु अनेकों बार सम्बन्धित विभाग को पत्र लिखे जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिनका जनहित में निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार ऊंचाहार से डलमऊ मार्ग (बी0एच0यू0) पर स्थित ग्राम विशुनदासपुर को जाने वाला मार्ग रेलवे क्रासिंग से लेकर विशुनदास तक जो कि कच्चा एवं अत्यन्त खराब है, उक्त मार्ग से 16 गांव के लोग आते-जाते हैं एवं दाह संस्कार हेतु गंगा नदी तक जाने का एक मात्र रास्ता है। उक्त निर्माण हेतु मेरे द्वारा कई बार लिखे जाने के बाद भी सम्बन्धित विभाग द्वारा भ्रामक सूचना देते हुए यह कहकर टाल दिया गया कि उक्त ग्रा0 एक तरफ से पक्की मार्ग से जुड़ा हुआ है जबकि उस तरफ से आने जाने के लिए आम जनता को 07 कि0मी0 का चक्कर लगाना होगा। इसी प्रकार विकास खण्ड रोहनियां, ऊंचाहार, रायबरेली में बाबूगंज पटरेवा मार्ग, जो अत्यन्त खराब हो गया है, उक्त मार्ग की मरम्मत जनजित में कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है एवं विकास खण्ड दीनशाह गौरा के बेहीखोर से बरई के पक्के मार्ग से पूरे बल्लू के पुरवा तक 1 कि0मी0 मार्ग अत्यन्त खराब है, जनहित में इसका निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकहित में इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश देने का कष्ट करें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभागीय आख्या

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में उल्लिखित कतिपय मार्गों के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है :-

1-विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में कल्यानी से अड्डा तक मार्ग-

ग्राम पंचायत पट्टी रहसकैथवल का मजरा गंगाविशुनपुर जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 386 है, जिसके संरेखण में कल्यानी से अड्डा मार्ग आ रहा है। मार्ग की लम्बाई 1.70 कि0मी0 एवं अनुमानित लागत रु0 71.40 लाख है। उक्त मार्ग वर्ष 2011 की 250 से अधिक आबादी के अनजुड़े गांवों की कार्य योजना में सम्मिलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-वि0ख0 दीनशाह गौरा में ग्रा0 कल्यानपुर बैंती से एकडला होते हुए रसूलपुर तक जाने वाला 5.00 कि0मी0 मार्ग-

कल्याणपुर बैंती एक तरफ पक्की सड़क कल्याणपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी0-5 से जुड़ा है। रसूलपुर धरावां कोड़ऊ से सेलरहा मार्ग के कि0मी0-4 से पक्की सड़क से जुड़ा है। एकडला से तारापुर बांसी तक सम्पर्क मार्ग नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है। वर्तमान में पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त ग्रामों को आपस में जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में विभाग में प्रचलित नहीं है।

3-ऊंचाहार से डलमऊ मार्ग (बी0यू0यू0) पर स्थित ग्राम बिशुनदासपुर को जाने वाला मार्ग रेलवे क्रासिंग से लेकर बिशुनदासपुर तक मार्ग-

ग्राम बिशुनदासपुर बी0यू0यू0 मार्ग (राज्य मार्ग सं0-38) के कि0मी0-172 से निकलने वाले कोड़ऊ से सेलरहा सम्पर्क मार्ग से पूर्व से ही जुड़ा है। अतः इसे दूसरी तरफ से जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

4-वि0ख0 रोहनियां, ऊंचाहार रायबरेली में बाबूगंज पटेरवा मार्ग-

वर्तमान में यह ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु ठीक दशा में है। वर्षा के कारण कहीं-कहीं पर पैच हो गये हैं। पैच मरम्मत का कार्य प्रगति में है।

5-वि0ख0 दीनशाह गौरा के बेहीखोर से बरई के पक्के मार्ग से पूरे बल्लू के पुरवा तक 1 कि0मी0 मार्ग-

पूरे बल्लू के पुरवा के लिए बरई से बेहीखोर डामर रोड तक सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-2 से खड़न्जा स्तर का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.00 कि0मी0 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बल्लू के पुरवा की आबादी 154 है। वर्तमान में 250 से कम आबादी के ग्रामों/मजरों को जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।]

जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पुरुष चिकित्सालय की बाउण्ड्रीवाल तोड़ने के प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अधीक्षण अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 22.07.2019 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि मुख्य.....

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[चिकित्साधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 19-07-2019 द्वारा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहगंज, जौनपुर को दूरभाष द्वारा निर्देशित किया गया कि राजकीय पुरुष चिकित्सालय, शाहगंज, जौनपुर की बाउण्ड्रीवाल तोड़कर नगर पालिका परिषद् जौनपुर द्वारा अवैध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में अवैध निर्माण कार्य तत्काल रोक कर इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी शाहगंज को अवगत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शाहगंज, जौनपुर को भी अवगत कराया जाए। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहगंज, जौनपुर ने तत्काल निर्माण कार्य रुकवाकर पत्र दिनांक 12-07-2019 द्वारा उप जिलाधिकारी, शाहगंज, जौनपुर को सम्बोधित करते हुए प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली शाहगंज, जौनपुर को भी पत्र की प्रति भेजते हुए अवैध निर्माण विषय वस्तु से व्यक्तिगत रूप से तत्काल अवगत करा दिया गया है। उक्त स्थल पर वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, प्रश्नगत हुसैननगर-जमुका-पडरी-मंगत खेड़ा अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है जिसकी कुल लम्बाई 24.115 किमी0 है। वर्षा के कारण इस.....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[मार्ग पर कुछ स्थानों पर पैच बन गये हैं जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में मानकों के अनुरूप यातायात न होने के कारण उक्त मार्ग का 02 लेन चौड़ीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन ..... बजकर ..... मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 24 जुलाई, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(तारांकित प्रश्न संख्या-06 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-34 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री हर्षवर्धन बाजपेयी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-06 का संलग्नक।

ऐसे निर्माणाधीन रेल उपरिगामी सेतुओं में जिनमें सेना की भूमि लिया जाना आवश्यक है, उक्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति।

कमांक	सेतु का नाम	अपेक्षित सेना की भूमि का क्षेत्रफल	अद्यतन स्थिति
	बरेली अंचल		
1	जनपद बरेली में बरेली बदायूँ मार्ग पर रेलवे सम्पार संख्या 359 एवं 359ए लाल फाटक पर रेल रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6520.99 वर्ग मी0	सेना से अनापत्ति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं सेना की भूमि 6520.99 वर्ग मी0 रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से भूमि हस्तानान्तरण हेतु सैद्धांतिक सहमति तथा कार्य स्थल पर कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध पत्र संयुक्त सचिव (सी एण्ड डब्ल्यू), रक्षा मंत्रायल, साऊथ ब्लाक, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित है।
	वाराणसी अंचल		
2	जनपद वाराणसी में जी0टी0रोड बौलिया-लहरतारा से फुलवरिया जे0पी0 मेहता इण्टर कालेज से वाया सेन्ट्ल जेल मार्ग वाया शिवपुर चुंगी मार्ग पर फोर लेन के निर्माण में रेल सम्पार सं0 5 सी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण ।	5913 वर्ग मी0	सेना से अनापत्ति प्राप्त हो गयी है। जिलाधिकारी से सेना की भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
3	जनपद वाराणसी में जी0टी0 रोड बौलिया-लहरतारा से फुलवरिया जे0पी0 मेहता इण्टर कालेज से वाया सेन्ट्ल जेल मार्ग वाया शिवपुर चुंगी मार्ग पर फोर लेन के निर्माण में रेल सम्पार सं0 4 स्पॅाल पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण ।	5567 वर्ग मी0	सेना से अनापत्ति प्राप्त हो गयी है। जिलाधिकारी से सेना की भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	कानपुर अंचल		
4	कानपुर शहर में लखनऊ-कानपुर रेल मार्ग (उ0रे0) के सम्पार संख्याः 42 (स्पेशल) निकट गंगाघाट पर रेल उपरिगामी सेतु।	1000 वर्ग मी0	पत्रांक- 522/बी0बार0-5/2019-20 दि0 29.06.2019 द्वारा मुख्य अधिशाषी अधिकारी, कैण्टोन्मेन्ट बोर्ड, कानपुर से उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जो प्रतीक्षित है। भूमि प्राप्त करने हेतु मुख्य अधिशाषी अधिकारी कैण्टोन्मेन्ट बोर्ड, कानपुर से अनुरोध किया गया है, जो प्रकियाधीन है।
	योग	19000.99 वर्ग मी0	

केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री
लोक निर्माण विभाग।

नत्थी 'ख'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वितरित कम्बलों की सूची
तहसील- किरावली, जिला-आगरा

क्रम सं0	ग्राम का नाम	वितरित कम्बलों की संख्या
1.	कराहरा	30
2.	अकवरा	19
3.	गोपउ	10
4.	लोहकरेरा	7
5.	नगला मंशा	7
6.	नगला खुशियाली	7
7.	सांथा	10
8.	सीकरी दो हिस्सा	6
9.	गोपउ	5
10.	रायमा	5
11.	सांथा	4
12.	खंडा वाकन्दा	9
13.	अमेदीपुरा	7
14.	मालिकपुर	3
15.	वाकन्दाखास	14
16.	मुरैण्डा	3
17.	महुअर	10
18.	तहसील मुख्यालय	21
19.	कौरई	10
20.	सिंगारपुर	5
21.	बरौली	3
22.	तहसील मुख्यालय	4
23.	जाजौली	10
24.	भोपुर	6
25.	सीकरी चार हिस्सा	5
26.	सीकरी दो हिस्सा	14
27.	हंसपुरा	10
28.	नगला मंगोली	6
29.	मगोली कला	5
30.	मगाली खुर्द	4
31.	ओलेन्डा	16
32.	तहसील मुख्यालय	25
33.	डिठवार	10
34.	जाजौली	3
35.	पतसाल	30
36.	सीकरी चार हिस्सा	5
37.	सगुनापुर	10
38.	दूरा	5

	वदनपुर वर्नामई	5
40.	दूरा	5
41.	थैकोरा सलैमाबाद	25
42.	नगला कुर्रा महुअर	15
43.	कठवारी	9
44.	गोपउ	34
45.	सीगना	12
46.	सीगना	10
47.	सीकरी चार हिस्सा	3
48.	रैपुरा अहीर	7
49.	अरसैना	6
50.	नगला खुशियाली	7
51.	सीकरी चार हिस्सा	60
52.	सीकरी चार हिस्सा	15
53.	वदनपुर वर्नामई	10
54.	दूरा	10
55.	उजरई	16
56.	अरदाया	20
57.	डावर	20
58.	मण्डी मिर्जा खॉ	10
59.	डावर	10
60.	डावर नगला सराय	20
61.	कोरई	20
62.	पुरामना	10
63.	विद्यापुर	10
64.	तहसील मुख्यालय	61
65.	टीकरी	10
66.	सरसा	10
67.	अरहेरा	10
68.	भडकौल	15
69.	रायभा	20
70.	दूरा	20
71.	जोताना	20
72.	पतसाल	20
73.	जाजउ	10
74.	व्यारा	10
75.	गढीमा	30
76.	तहसील मुख्यालय	110
77.	सांथा	10
78.	दौलताबाद	10
79.	खेंडिया	20
80.	मंगूरी	20

	रोझौली	20
82.	लोहकरैरा	10
83.	कीठम	10
84.	सलैमाबाद	10
85.	बबरौद	10
86.	अटूस	20
87.	अरसैना	20
88.	रूनकता	20
89.	चौमाशाहपुर	20
90.	झारौठी	10
91.	मुवारिजपुर	10
92.	तहसील मुख्यालय	110
93.	अहरेरा	14
94.	डिठवार	17
95.	कराही	20
96.	महुअर	10
97.	सगुनापुर, कराहरा	20
98.	वदनपुर वर्नामई	10
99.	डावली	10
100.	गहर्रा कला	10
101.	इम्लावदा	6
102.	दयौनारी	10
103.	डावर	10
104.	भड़कौल	10
105.	ब्यारा	10
106.	तहसील मुख्यालय	55
107.	तहसील मुख्यालय	17
108.	उन्देरा	20
109.	अभआपुरा	10
110.	निनवाया	10
111.	भड़कौल	15
112.	दुल्हारा	10
113.	गूजरपुरा	10

114.	जहॉनपुर	10
115.	ओलेन्डा	30
116.	मलिकपुर	10
117.	नठकुर्रा	10
118.	सिकरौदा	10
119.	जहानपुर	10
120.	गोपउ	10
121.	दूरा	10
122.	मुरैण्डा	20
123.	अरसैना	10
124.	कीठम	8
125.	कासौटी	7
126.	सामरा	20
127.	कराही	10
128.	थापी	10
129.	रसूलपुर सदर	10
130.	अभैदोपुरा	10
131.	डिठवार	30
132.	उत्तू	10
133.	गहरी कला	40
134.	अखबाई	50
135.	नहचानी	30
136.	टीकरी	10
137.	रोझौली	50
138.	बैगन	40

	टीकरी	20
140.	खेड़िया	8
141.	अरसैना	6
142.	सींगना	22
143.	भोपुर	6
144.	सगुनापुर	10
145.	जिला मुख्यालय	1
	योग	**2250**

नत्थी 'ग'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-125 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-110 पर)

अई पैक्स के सम्बन्ध में जिला सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक द्वारा क्रेडिट की गई पुनर्पूजीकरण सहायता की स्थिति

(धनराशि रू0 में)

क्रम सं0	बैंक का नाम/जनपद का नाम	कुल प्रदत्त सहायता			
		उ0प्र0सरकार का अंश	भारत सरकार का अंश	कुल(3+4)	पैक्स की सं0
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	11825670.00	171986266.00	183811936.00	96
2	अलीगढ़	31228320.00	247316192.03	278544512.03	130
3	एटा	12763520.00	182100851.00	194864371.00	96
4	फिरोजाबाद	7323270.00	114149275.72	121472545.72	80
5	मैनपुरी	4265210.00	43471128.00	47736338.00	35
6	मथुरा	15901020.00	188758723.00	204659743.00	94
7	इलाहाबाद	8576000.00	101561001.00	110137001.00	127
8	फतेहपुर	14417010.00	223964330.00	238381340.00	84
9	प्रतापगढ़	22404000.00	151546000.00	173950000.00	124
10	आजमगढ़	18132380.00	121506700.00	139639080.00	164
11	बलिया	775730.00	4539910.00	5315640.00	19
12	मऊ	4795490.00	40826241.00	45621731.00	52
13	बदायूँ	21051860.00	280010400.00	301062260.00	133
14	बरेली	28576000.00	309531000.00	338107000.00	134
15	पीलीभीत	5525690.00	122782062.00	128307752.00	68
16	शाहजहापुर	21870000.00	277284000.00	299154000.00	106
17	बस्ती	21338820.00	116819003.97	138157823.97	81
18	सिद्धार्थनगर	9897900.00	52633180.00	62531080.00	36
19	बादा	6737759.00	82818041.01	89555800.01	72
20	महोबा	152000.00	26646000.00	26798000.00	76
21	बहराइच	18089140.00	158003870.00	176093010.00	80
22	बाराबंकी	13711060.00	110389230.00	124100290.00	93

23	फैजाबाद	26855110.00	136773180.00	163628290.00	145
24	सुल्तानपुर	12292820.00	66202940.00	78495760.00	85
25	देवरिया	2960870.00	47681758.00	50642628.00	39
26	गोरखपुर	36244040.00	286489765.00	322733805.00	186
27	जालौन	5156000.00	54125000.00	59281000.00	53
28	झासी	1267220.00	55451720.00	56718940.00	41
29	ललितपुर	3854000.00	117917000.00	121771000.00	32
30	इटावा	9960380.00	77946500.00	87906880.00	99
31	फतेहगढ़	13651610.00	168671470.00	182323080.00	72
32	कानपुर	8878000.00	81272000.00	90150000.00	132
33	हरदोई	162350.00	1018790.00	1181140.00	5
34	लखीमपुर खीरी	17070000.00	325282000.00	342352000.00	110
35	लखनऊ	10188720.00	93741830.00	103930550.00	64
36	रायबरेली	19333000.00	159045996.00	178378996.00	163
37	सीतापुर	17198870.00	144469371.00	161668241.00	73
38	उन्नाव	8181800.00	89983946.00	98165746.00	151
39	बुलन्दशहर	36150760.00	262243408.00	298394168.00	148
40	गाजियाबाद	7431950.00	63188520.00	70620470.00	65
41	मेरठ	9154690.00	101595455.00	110750145.00	116
42	मिर्जापुर	4830476.00	60364441.13	65194917.13	118
43	बिजनौर	897450.00	17944002.00	18841452.00	95
44	मुरादाबाद	13623020.00	174121819.00	187744839.00	133
45	रामपुर	981000.00	105662000.00	106643000.00	64
46	मुजफ्फरनगर	1433090.00	24328049.00	25761139.00	94
47	सहारनपुर	6915730.00	92464515.00	99380245.00	104
48	गाजीपुर	10471320.00	97576688.00	108048008.00	122
49	जौनपुर	1639460.00	9730060.00	11369520.00	15
50	वाराणसी	21032310.00	190200280.14	211232590.14	185
	कुल योग-	**607173895.00**	**6234135908.00**	**6841309803.00**	**4689**

नत्थी 'घ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-180 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-144 पर)

क्रम-संख्या—2022(ख)

रजि0 नं0 एल. डब्लू/एफ. पी. 551
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41/क
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत प्रदेश)

लखनऊ, शनिवार, 7 अक्तूबर, 1989

आश्विन 15, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा अनुभाग—1

संख्या 4171/21-89—1-1980

लखनऊ, 7 अक्तूबर, 1989

अधिसूचना

ए0 भा0—1276

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि उर्दू भाषियों के हित में द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अर्थात्—

1—उर्दू में, अर्जियों और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर,

2—उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबन्धन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना,

3—महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन,

4—सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों का उर्दू में भी जारी किया जाना,

5—महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन,

6—गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन,

7—महत्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

आज्ञा से,
जगदीश चन्द्र पंत,
प्रमुख सचिव।

नत्थी 'ङ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-183 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-145 पर)

अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य निर्माण कार्य पूर्ण कराकर संचालित किये गये आश्रय गृहों का शहरवार विवरण

Sl.No.	NAME of the City/ULB	Sl. No of Shelter Homes	Location	FOR NO. OF PERSON'S
1	2	3	4	7
1	LUCKNOW (M Corp.)	1	Paltan Chawani	50
		2	Daliganj	40
		3	C-Block Indira nagar	21
		4	Kanpur Road, Chungi	16
		5	Aminabad	17
		6	Latouche Road	30
		7	Chakbast Road	35
2	Kanpur Nagar (M.Corp)	8	Shivli Road	60
		9	Pahadpur	60
		10	Sutarkhana	17
		11	Badshahi Naka	30
		12	Dhaknapurwa	28
		13	Phoolbagh	34
		14	Panki Mandi	80
		15	Usmanpur	20
		16	Sarsaiya Ghat	52
		17	B.N. Bhalla	30
3	GHAZIABAD (M Corp.)	18	Mohiddinpur	100
		19	Ghukna	100
		20	Sudamapuri	100
		21	Arthala	100
		22	Makanpur Vasundhara	100
4	Loni-Gaziabad (NP	23	Ghaziabad- Loni Road	100
5	AGRA (M Corp.)	24	Lohamandi	75
		25	Peer Kalyani	35
6	VARANASI (M Corp.)	26	Parmanandpur	50
7	BAREILLY (M Corp.)	27	Bisalpur Road	100
8	MORADABAD (M Corp.)	28	Kundanpur	50
		29	Near- Railway Station	36
9	GORAKHPUR (M Corp.)	30	Ward no-31	50
10	MUZAFFARNAGAR (NPP)	31	Railway Station ke paas	50
11	MATHURA (NPP)	32	Laxmi Nagar	100

Sl.No.	NAME of the City/ULB	Sl. No of Shelter Homes	Location	FOR NO. OF PERSON'S
1	2	3	4	7
12	MAUNATH BHANJAN (NPP)	33	Sahadatganj	50
13	HAPUR (NPP)	34	Delhi- Garh Road	100
14	FATEHPUR (NPP)	35	Near- Kalika Temple	50
15	RAEBARELI (NPP)	36	Dhaurhara	50
16	UNNAO (NPP)	37	AB Nagar	50
17	BADAUN (NPP)	38	Near Pvt Bus Station	100
18	MAINPURI (NPP)	39	Sringar Nagar	100
19	KHURJA (NPP), BULANDSHAHAR	40	Khurza under Chungi	50
20	CHANDAUSI (NPP), (SAMBHAL)	41	Ghatia Gate	69
21	Sambhal (NPP)	42	Near ADM Office, MBD Road	51
22	GONDA (NPP)	43	Mewatiyan Mohalla	60
23	SHIKOHABAD (NPP), (FIROZABAD)	44	Railway Station Gata no-1157 ke paas	100
24	Firozabad (M.Corp	45	Prempura- Raipura	100
25	MAHOBA (NPP)	46	Raath Road, Near Navodaya vidyalaya	50
26	MAHARAJGANJ (NPP)	47	Chiuraha Maupakad	50
27	Mugalsarai (Chandauli) (NPP)	48	Ali Nagar	50
28	Azamgarh (NPP)	49	Distt Hospital	100
29	Balia (NPP)	50	Consumer Court parisar	56
30	Bijnor (NPP)	51	Indira Bal Bhawan	50
31	Kasganj (NPP)	52	Ward no-11, Novelty Talkies Road	50
32	Akbarpur- Kanpur Dehat (NP)	53	Hospital Campus (maati)	50
33	Robertsganj-Sonbhadra (NPP)	54	Purani Tahasil ke paas	50

Sl.No.	NAME of the City/ULB	Sl. No of Shelter Homes	Location	FOR NO. OF PERSON'S
1	2	3	4	7
34	ALIGARH (M Corp.)	55	Bhojpura	100
35	Jhansi-(M.Corp)	56	Lahar Girdd	100
		57	Dadiyapura	100
36	Farrukhabad-(NPP)	58	CMO Office, Fatehgarh	100
37	Kannoj (NPP)	59	Vinod Dixit Hospital	50
38	Meerut (M.Corp)	60	Mukut Mahal, Banquet Hall	100
		61	Baral Partaarpur	70
		62	Rohta Road	100
		63	Garh Road	100
39	Rampur (NPP)	64	Mumtaj Park	100
40	Orai- Jalaun (NPP)	65	Lahariyapurwa	100
41	Amroha (NPP)	66	Behind Roadways Bus Stand	50
42	Sultanpur (NPP)	67	Payagipur	50
43	Prayagraj	68	Haiza Hospital- Allapur	80
		69	Near- B.S.N.L Office	117
		70	Allapur	50
		71	Mundera Chungi Bazar, G.T Road	30
		72	Nurulla Road	55
		73	Yamuna Bank Road	40
		74	Leader Road-7	36
	Total			4730

नत्थी 'च'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-186 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-146-147 पर)

22

संख्या 2135 (1)/इक्कीस–11 (59)–67, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या एफ–3/29–70, राजभाषा, दिनांक 5 अक्तूबर, 1970 की प्रतिलिपि सहित निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त
विधि परामर्शी।

संख्या 2135 (2)/इक्कीस–11 (59)–67

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त सरकारी अधिवक्ता तथा स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
(3) हाईकोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद।
(4) अवध बार एसोसियेशन हाईकोट, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(5) बार लाइब्रेरी, हाईकोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ।
(6) समस्त जिला बार एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं विभाग।

आज्ञा से,
श्याम विहारी शुक्ल,
भाषा अधिकारी।

क्रम-संख्या 14

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा विभाग

संख्या 2135/इक्कीस-11 (49)-67
लखनऊ, 29 अक्टूबर, 1970

विषय—इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के प्रयोजन के लिये हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग प्राधिकृत किया जाना।

कार्यालय-ज्ञाप

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसार उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी किन्तु खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वसम्मति से उच्च न्यायालय में निर्णयों, डिक्रियों, व आदेशों को छोड़कर उसकी अन्य कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग प्राधित कर सकते हैं। इस संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की कतिपय कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग प्राधकृति किया जा चुका है, जिसका उल्लेख भाषा विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1608/इक्कीस—11 (59)—67, दिनांक 5 सितम्बर, 1969 में किया गया है।

2—जहां तक उच्च न्यायालय के निर्णयों डिक्रियों तथा आदेशों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार के राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 7 में यह व्यवस्था की गयी है कि नियत दिनांक से अथवा उसके बाद किसी दिनांक से किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी के अतिरिक्त) उस भाषा में दिया जायगा वहां उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उच्च न्यायालय के प्राधिकार से जारी किया जायगा।

3—केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या 2 (1)/66, रा0 भा0, दिनांक 26 फरवरी, 1970 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध दिनांक 7 मार्च, 1970 से प्रवृत्त (लागू) हो गये हैं।

4—इस संबंध में यह उल्लखनीय है कि अक्तूबर, 1947 में राजभाषा हिन्दी घोषित होने के बाद से ही इस प्रदेश के सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। उच्च न्यायालय की कतिपय कार्यवाहियों में हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग प्राधिकृत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालयों में कतिपय प्रकार के वादों में 2 अक्तूबर, 1970 से निर्णय, डिक्री तथा आदेशों में केवल हिन्दी का प्रयोग करने के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

5—उसी क्रम में अब राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 7 के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से यह आदेश देते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के प्रयोजन के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी कोई निर्णय, डिक्री अथवा आदेश हिन्दी में दिया जाय तो उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ जारी किया जायगा।

प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव।

26

संख्या 1608 (1)/इक्कीस-11 (59)-67

प्रतिलिपि, निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित ।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव ।

संख्या 1608 (2)/इक्कीस-11 (59)-67

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :—

(1) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) समस्त सरकारी अधिवक्ता तथा स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
(3) हाईकोर्ट बार असोशियेशन, इलाहाबाद ।
(4) अवध बार एसोसियेशन, हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
(5) बार लाइब्रेरी, हाईकोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ ।
(6) समस्त जिला बार असोसियेशन, उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(9) सचिवालय के समस्त विभाग ।

आज्ञा से,
बसन्त कुमार गोस्वामी,
उप सचिव ।

25

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा विभाग

संख्या 1608/इक्कीस-11-(69)-67

लखनऊ, 5 सितम्बर, 1969

कार्यालय ज्ञाप

सन् 1947 में हिन्दी इस प्रदेश की राज्य भाषा घोषित की गई थी । उसी समय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा भी हिन्दी घोषित कर दी गई थी । तभी से प्रशासन के साथ-साथ अदालतों की कार्यवाही में भी हिन्दी का प्रयोग निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है ।

2—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसार उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । किन्तु खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उच्च न्यायालय में निर्णयों व आदेशों को छोड़कर, उसकी अन्य कार्यवाहियों के लिये हिन्दी प्रयोग की अनुमति दे दे ।

3—उक्त संवैधानिक व्यवस्था के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने वर्ष 1961 में फौजदारी के मुकदमों में तथा वर्ष 1966 में दीवानी के मुकदमों में इस बात की अनुमति दे दी कि यदिकोई वकील चाहे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बहस हिन्दी में कर सकता है ।

4—उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर फिर से विचार किया गया । अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से यह आदेश देते हैं कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दायर किये जाने वाले शपथ-पत्रों में और उसकी कार्यवाहियों में प्रयोग करने के लिये वाद-पुस्तिकाओं (पेपर बुक्स) में सम्मिलित किये जाने वाले बयानों और दस्तावेजों में हिन्दी का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:—

(1) यदि बेंच चाहे तो वह विशेष रूप से यह आदेश दे सकती है कि हिन्दी के शपथ-पत्रों, बयानों और दस्तावेजों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाय, और

(2) यदि किसी निर्णय (जजमेंट) में हिन्दी के अभिवचनों (प्लीडिंग्स) बयानों और दस्तावेजों आदि का कोई उद्धरण सम्मिलित किया गया हो तो अंग्रेजी भाषा में उसका रूपान्तर उसके तुरन्त बाद किया जाय ।

5—उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग की अनुमति वैकल्पिक (आप्शनल) रूप में दी जा रही है । अतएव यदि पक्षकार (पार्टियां) चाहें तो वे इस संबंध में अंग्रेजी का इस्तेमाल भविष्य में भी कर सकते हैं ।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव ।

19

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा अनुभाग–1

संख्या 858/इक्कीस–3/(1)-74
लखनऊ, 30 मार्च, 1974

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, 1974) की धारा 272 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस संबंध में समस्त विद्यमान अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उक्त संहिता के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की भाषा निम्नलिखित अवधारित करते हैं, अर्थात्:—

(1) ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, किसी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पारित किये गये या दिये गये निर्णयों तथा आदेशों के संबंध में—हिन्दी (देवनागरी लिपि में)

(2) उपर्युक्त पैरा (1) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में किसी न्यायालय द्वारा पारित किये गये या दिये गये निर्णयों और आदेशों के सम्बध में—हिन्दी (देवनागरी लिपि में) और अंग्रेजी

(3) किसी न्यायालय में निर्णयों और आदेशो से भिन्न समस्त कार्यवाहियों के संबंध में हिन्दी (देवनागरी लिपि में)।

आज्ञा से,
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 76 विधान सभा (111)-02-08-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।